

**सम्पादक वर्ग**  
**EDITORIAL BOARD**

**सी. वेलमुरुगन**  
सचिव  
**C. VELMURUGAN**  
Secretary

**एम.एस. रावत**  
उप-सचिव (सम्पादन)  
**M.S. RAWAT**  
Deputy Secretary (Editing)

fo"**k**; I **p****h**

I =&7 Hkx 11½ I keokj] 19 ekp] 2018@28 QkYxप 1939 ¼kd½vd&67

ØI a	fo" <b>k</b> ;	i "B I a
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1—2
2.	माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था	3—7, 38—40
1.	तारँकित प्रश्नों के मामले में	
2.	नियम—55 के अंतर्गत सूचना के मामले में।	
3.	तारँकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (प्रश्न संख्या:1 से 3 एवं 5 से 10)	7—38, 40—114
4.	तारँकित प्रश्नों के लिखित उत्तर (प्रश्न संख्या—11 से 15 एवं 17 से 20)	114—132
5.	तारँकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 1. (प्रश्न संख्या—1 से 44)	132—394
6.	माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था	394
1.	सतर्कता विभाग से संबंधित प्रश्न के संदर्भ में।	
7.	विशेष उल्लेख (नियम—280)	394—419
8.	सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात	420—421
9.	प्रतिवेदन से सहमति	421—422
10.	माननीय उपराज्यपाल के अभिषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी...	422—466

खण्ड-06 सत्र -07 (भाग-01)  
अंक-67

सोमवार

19 मार्च, 2018  
28 फाल्गुन 1939 (शक)

# दिल्ली विधान सभा

की  
कार्यवाही



सत्यमेव जयते

## छठी विधान सभा

सातवां सत्र

अधिकृत विवरण

(सत्र-06, सत्र-07 (भाग-01) में अंक 66 के अंक 81 सम्मिलित हैं।)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय  
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

**सम्पादक वर्ग**  
**EDITORIAL BOARD**

**सी. वेलमुरुगन**

सचिव

**C. VELMURUGAN**

Secretary

**एम.एस. रावत**

उप-सचिव (सम्पादन)

**M.S. RAWAT**

Deputy Secretary (Editing)

**fnYyh fo/kku | Hkk**

**dh**

**dk; bkgh**

**I =&7 Hkkx ¼½ | keokj] 19 eko] 2018@28 QKXq 1939 ¼kd½vd&67**

**fnYyh fo/kku | Hkk**

**I nu vijkgu 2%00 cts I eor gvkA  
I nu ea mifLFkr I nL; ka dh I ph%**

- |                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. श्री शरद कुमार         | 12. श्रीमती बंदना कुमारी     |
| 2. श्री संजीव झा          | 13. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर |
| 3. श्री पंकज पुष्कर       | 14. श्री राजेश गुप्ता        |
| 4. श्री पवन कुमार शर्मा   | 15. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी |
| 5. श्री अजेश यादव         | 16. श्री सोमदत्त             |
| 6. श्री महेन्द्र गोयल     | 17. सुश्री अलका लाम्बा       |
| 7. श्री रामचंद्र          | 18. श्री आसिम अहमद खान       |
| 8. श्री सुखवीर सिंह दलाल  | 19. श्री विशेष रवि           |
| 9. श्री रितुराज गोविन्द   | 20. श्री हजारी लाल चौहान     |
| 10. श्री संदीप कुमार      | 21. श्री शिव चरण गोयल        |
| 11. श्री रघुविन्द्र शौकीन | 22. श्री गिरीश सोनी          |

- |                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| 23. श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर) | 41. श्री सौरभ भारद्वाज       |
| 24. श्री राजेश ऋषि             | 42. सरदार अवतार सिंह कालकाजी |
| 25. श्री महेन्द्र यादव         | 43. श्री सही राम             |
| 26. श्री आदर्श शास्त्री        | 44. श्री नारायण दत्त शर्मा   |
| 27. श्री गुलाब सिंह            | 45. श्री अमानतुल्लाह खान     |
| 28. कर्नल देवेन्द्र सहरावत     | 46. श्री राजू धिंगान         |
| 29. सुश्री भावना गौड़          | 47. श्री मनोज कुमार          |
| 30. श्री सुरेन्द्र सिंह        | 48. श्री नितिन त्यागी        |
| 31. श्री विजेन्द्र गर्ग        | 49. श्री ओम प्रकाश शर्मा     |
| 32. श्री प्रवीण कुमार          | 50. श्री एस.के. बग्गा        |
| 33. श्री मदन लाल               | 51. चौ. फतेह सिंह            |
| 34. श्री सोमनाथ भारती          | 52. श्री अनिल कुमार बाजपेयी  |
| 35. श्रीमती प्रमिला टोकस       | 53. श्रीमती सरिता सिंह       |
| 36. श्री नरेश यादव             | 54. मो. इशराक                |
| 37. श्री करतार सिंह तंवर       | 55. श्री श्रीदत्त शर्मा      |
| 38. श्री प्रकाश                | 56. चौ. फतेह सिंह            |
| 39. श्री अजय दत्त              | 57. श्री जगदीश प्रधान        |
| 40. श्री दिनेश मोहनिया         | 58. श्री कपिल मिश्रा         |
-

## दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही<sup>1</sup>

---

सत्र-7 भाग (1) सोमवार, 19 मार्च, 2018/28 फाल्गुन1939 (शक) अंक-67

---

I nu vijkgu 2-06 cts I eor gvkA

माननीय अध्यक्ष महोदय ॥Jh jke fuokl xks yh पीठासीन हुए।

v/; {k egkn; % माननीय सदस्यगण,

आप सभी का इस सत्र के दूसरे दिन हार्दिक अभिनन्दन, हार्दिक स्वागत।

आप सभी को भारतीय विक्रमी नव—संवत्सर 2075 की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पूरी तरह काल गणना पर आधारित वैज्ञानिक वर्ष होता है। इसमें महीनों का निर्धारण सूर्य और चन्द्र की गति से किया जाता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नव संवत्सर प्रारम्भ होता है। वसंत ऋतु में इसका आगमन और भी हर्षोल्लासपूर्ण बन जाता है क्योंकि इस ऋतु में चारों तरफ हरियाली रहती है। आप सभी को एक बार फिर भारतीय नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ नवरात्रों की भी हार्दिक शुभकामनाएं।

ekuuh; v/; {k }kj k 0; oLFkk

प्रश्न काल शुरू होने से पहले मैं प्रश्नों से संबंधित कुछ व्यवस्था देना चाहता हूँ।

---

<sup>1</sup> [www.delhiassembly.nic.in](http://www.delhiassembly.nic.in) पर उपलब्ध।

1. प्रश्नों का लिखित नोटिस देते समय माननीय सदस्य कृपया इस बात का ध्यान रखें कि प्रश्न की विषय वस्तु ज्यादा लम्बी न हो और प्रश्न एक ही विभाग और एक ही विषय से संबंधित हों। इस सत्र में कई ऐसे प्रश्नों को मजबूरीवश या तो निरस्त करना पड़ा या अस्पष्ट और लम्बे प्रश्नों को सम्पादित करना पड़ा।
2. सदन के समय का अधिकतम सदुपयोग हमारी प्राथमिकता है। इसलिए जैसा कि मैंने पहले भी इस संबंध में व्यवस्था दी है कि मूल प्रश्नकर्ता केवल दो प्रश्न पूछे और उनके अलावा अधिकतम तीन सदस्यों के पूरक प्रश्न ही जायेंगे। पूरक प्रश्न मूल प्रश्न की विषय वस्तु से सीधे तौर पर जुड़ा होना चाहिए। पूरक प्रश्न पूछते समय चर्चा न करें। आपका प्रश्न सीधा, स्पष्ट होगा उसका उत्तर देने में संबंधित मंत्री महोदय को उतनी ही सुविधा होगी। प्रश्न काल सुश्री राखी बिड़ला जी, प्रश्न नंबर।

**Jh fotunz xdrk %** हमने काम रोको प्रस्ताव लगाया है; कैलाश गहलोत जी के मामले में और यह गम्भीर मामला है इसको अन्यथा लिया जा रहा है सदन में। अध्यक्ष जी,

मैं आपको...

...(व्यवधान)

**v;/ {k egkn;** % विजेन्द्र जी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए एक बार। इस विषय पर मैं अपनी व्यवस्था, सदन की व्यवस्था दे चुका हूँ।

**Jh fotunz xirk %** मैं आपके समक्ष कुछ तथ्य रख रहा हूँ।

...(व्यवधान)

**v;/ {k egkn;** % तथ्य अगर आपको कोई रखने हैं।

...(व्यवधान)

**Jh fotunz xirk %** सवाल यह है कि कृ

...(व्यवधान)

**v;/ {k egkn;** % विजेन्द्र जी आप...

...(व्यवधान)

**Jh fotunz xirk %** यह कंटेम्ट ऑफ द हाउस है।

**v;/ {k egkn;** % मेरी एक बार प्रार्थना सुन लें। मैं रूलिंग दे चुका हूँ। हाउस की रूलिंग जो मुझे देनी थी, वो दे दी। एक सेकेंड, पूरी बात सुन लीजिए। मैं स्टार्ड क्वेश्चन, मैंने पहले भी यह व्यवस्था दी है कि सदस्य बहुत मेहनत करते हैं। उसका मैं एक घंटे का समय, मैं किसी तरह भीकृ

...(व्यवधान)

**Jh fotunz xirk %** एक घंटे के समय को रखें ना। हमारा तो दो मिनट का इश्तु है।

...(व्यवधान)

v;/ {k egkn; % देखिये, स्टार्ड क्वेश्चन, मेरी बात सुनिये। स्टार्ड क्वैश्चन, 280, एक सेकेंड।

...(व्यवधान)

Jh fotknz xirk % अध्यक्ष जी, यह गम्भीर मामला है।

...(व्यवधान) चिह्नित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से हटाया गया।

v;/ {k egkn; % एक सेकेंड, कोई गम्भीर मामला नहीं है। इससे बहुत गम्भीर मामले हैं।

Jh fotknz xirk % xxx<sup>2</sup>

v;/ {k egkn; % मैं अब अलाउ नहीं कर रहा यह रिकार्ड में न ली जाए, जो भी बोल रहे हैं, रिकार्ड में न ली जाए। मैं आपको कह रहा हूँ 280 के बाद आप बताइयेगा, मैं सुनूंगा। दोबारा सुनूंगा। 280 के बाद बताइयेगा, मैं सुनूंगा।

Jh fotknz xirk % xxx

v;/ {k egkn; % मैं क्यों बाहर जाऊँ? आप कौन होते हैं आदेश देने वाले? बाहर जाइये।

Jh fotknz xirk % xxx

...(व्यवधान)

---

<sup>xxx<sup>2</sup></sup> चिह्नित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से हटाया गया।

v/; {k egkn; % बैठिये। राखी बिड़ला जी।

Jh fotknz xirk % xxx<sup>3</sup>

...(व्यवधान)

v/; {k egkn; % आप बोल लीजिए। मैं अभी कोई भी विषय पर नहीं सुनूंगा। मैं इस विषय पर बिल्कुल नहीं सुनूंगा।

Jh fotknz xirk %xxx

...(व्यवधान)

v/; {k egkn; % कोई गम्भीर मामला नहीं है।

Jh fotknz xirk % xxx

...(व्यवधान)

v/; {k egkn; % नहीं है।

Jh fotknz xirk % xxx

...(व्यवधान)

rkjkfdr izuka ds ek[kd mukj

v/; {k egkn; % राखी बिड़ला जी। प्रश्न संख्या एक।

I ph jk[kh fcMyk % अध्यक्ष जी, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्रश्न संख्या—एक का जवाब दें। धन्यवाद।

...(व्यवधान)

---

xxx<sup>3</sup> चिह्नित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से हटाया गया।

**Jh fot~~h~~z x~~l~~rk %** अध्यक्ष जी, आप इस कंटेंट को जारी रखना चाहते हैं हाउस के अंदर तो हमारा इस पर कड़ा विरोध है और हम इस विषय पर सदन से वॉक आउट करते हैं।

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों का बहिर्गमन)

**v/; {k egkn; %** ठीक है।

**Jh vke i d~~k~~'k 'kekZ %** नकली मशीन।

...(व्यवधान)

**I φh jk[kh fcM~~y~~k%** अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. एक का प्रस्तुत है:

क्या **mi ed[; ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए लोन स्कीम की घोषणा की थी;

(ख) यदि हाँ, तो उस स्कीम का विवरण क्या है;

(ग) मंगोलपुरी विधान सभा में कुल कितने विद्यार्थी उच्च शिक्षा लोन स्कीम से लाभान्वित हुए हैं; और

(घ) उन विद्यार्थियों को उनके नाम, पते व ऋण राशि सहित पूर्ण विवरण क्या है?

**v/; {k egkn; %** मंत्री जी।

mi e[; e=h ½jh eu[k fI l ksn; k½ % अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या—एक के संदर्भ में मुझे यह जवाब देना है:

(क) सरकार ने उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए “उच्च शिक्षा और कौशल विकास गारंटी योजना” शुरू की है;

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने ‘उच्च शिक्षा और कौशल विकास गारंटी योजना’ की शुरूआत सितंबर, 2015 (ऑफलाइन) में की थी बाद में इस स्कीम को जून, 2016 में (ऑनलाइन) ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लागू किया गया है। योजना में वे छात्र जो दिल्ली में डिप्लोमा या डिग्री स्तर का कोर्स या विशेष कौशल विकास कोर्स करना चाहते हैं और उन्होंने दिल्ली से 10वीं व 12वीं पास की है उन्हें दिल्ली सरकार उच्च शिक्षा हेतु लोन की सुविधा इस योजना के तहत दे रही हैं। जिन कोर्सों के लिए अर्हक परीक्षा दसवीं है उनके लिए वही छात्र इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं जिन्होंने दिल्ली से दसवीं कक्षा पास की है। योजना के अंतर्गत छात्र द्वारा लिये जाने वाले 10 लाख रुपये तक के बैंक ऋण पर विभाग द्वारा सृजित ‘दिल्ली उच्च शिक्षा और कौशल विकास क्रेडिट गारंटी निधि/फंड’ के माध्यम से गारंटी प्रदान की जाती है। वर्तमान में यह योजना उन छात्रों के लिए भी उपलब्ध है जिन्होंने दिल्ली से 10वीं व 12वीं परीक्षा पास की है और भारत में दिल्ली से बाहर स्थित केन्द्रीय/राज्य सरकार के विश्वविद्यालय/संस्थान से डिग्री या डिप्लोमा स्तर पर कोर्स या कौशल विकास का कोर्स करना चाहते हैं। स्कीम की प्रति संलग्न है।<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> [www.delhiassembly.nic.in](http://www.delhiassembly.nic.in) पर उपलब्ध।

(ग) और (घ) ई-डिस्ट्रिक्ट पर उपलब्ध उच्च शिक्षा और कौशल विकास गारंटी योजना के ऑनलाइन पोर्टल पर विधान सभा क्षेत्रानुसार लाभान्वित छात्रों की सूचना उपलब्ध नहीं है तथापि सभी 174 (ऑनलाइन) तथा 58 (ऑफलाइन) लाभार्थियों की सूची संलग्न हैं (अनुलग्नक- ।।)। विद्यार्थियों के पते देना छात्रों की सुरक्षा हेतु अनूकूल नहीं है, हालांकि किसी विशेष छात्र का पता अगर माननीय सदस्य लेना चाहेंगे तो वह उपलब्ध करा दिया जायेगा।

**v/; {k egkn;** % सप्लीमेंट्री। एनी सप्लीमेंट्री? हॉ, सोमनाथ जी।

**Jh I keukFk Hkkjrh** % अध्यक्ष महोदय, यह जो गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूल चल रहे हैं, उनको क्या...

...(व्यवधान)

**v/; {k egkn;** % इससे रिलेटिड नहीं है। मैंने अभी एनाउंस किया है।

**Jh I kJHk Hkkj }kt** % सर, अतारांकित पढ़ लिया इन्होंने।

**v/; {k egkn;** % चलिये। श्री गिरीश सोनी जी।

**Jh fxjh'k I kuh** % अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं.-दो प्रस्तुत है:

क्या **mi ed; ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली शिशु अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) द्वारा शिक्षा निदेशालय से कुछ जानकारी मांगी थी;

- (ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में किए गए पत्राचार की प्रति सहित पूर्ण विवरण क्या है;
- (ग) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली शिशु अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) को यह जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है;
- (घ) यदि हाँ, तो दिल्ली शिशु अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) को यह जानकारी कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी; और
- (ङ) दिल्ली शिशु अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) को यह जानकारी उपलब्ध करने में देरी के क्या कारण हैं?

**v/; {k egkm; % मंत्री जी।**

**mi ed[; e=ḥ %** अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या—दो के संदर्भ में कहना है कि:

- (क) यह सत्य है कि दिल्ली शिशु अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) द्वारा शिक्षा निदेशालय से समय—समय पर शिकायतों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट के अलावा कई अन्य जानकारियां मांगी जाती हैं;
- (ख) विभाग में उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार पिछले एक वर्ष में शिकायतों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट के अतिरिक्त दिल्ली शिशु अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) द्वारा मांगी गई एवं उनमें नियमानुसार दी गई जानकारियों की सूची संलग्न है:<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> [www.delhiassembly.nic.in](http://www.delhiassembly.nic.in) पर उपलब्ध।

(ग) कुछ पत्रावलियों में जानकारी अभी नहीं दी गई है क्योंकि या तो अभी उनमें तथ्यों का संकलन करना बाकी है अथवा मांगी गई सूचना से बच्चों की निजता प्रभावित होती है;

(घ) जो जानकारी संलग्न हेतु लंबित है, वह दिल्ली शिशु अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) को अतिशीघ्र प्रेषित कर दी जाएगी; और

(ङ) उपरोक्तानुसार।

**v/; {k egkn; %** हॉ, गिरीश जी, सप्लीमेंट्री कोई। एनी सप्लीमेंट्री? हॉ, विशेष जी।

**Jh fo'ksk jfo %** सर, इसमें यह जानकारी दे पाएंगे कि क्या जो स्कूल अन—रिकॉगनाइज़ड है, क्या उनको अभी चलने के लिए बंद कर दिया है, मना कर दिया है कि

...(व्यवधान)

**v/; {k egkn; %** इसमें कहाँ से जुड़ेगा भाई? विशेष जी, इसमें नहीं जुड़ेगा। राजू धिंगान जी।

**Jh jktw f/kakku %** धन्यवाद, अध्यक्ष जी। माननीय प्रशासनिक सुधार मंत्री प्रश्न संख्या—तीन का उत्तर देने का कष्ट करें।

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों का सदन में प्रवेश)

**v/; {k egkn; %** हॉ, कोई बात नहीं, खुद गए थे, खुद आए हैं। अच्छी बात है।

**Jh | kṣHk ḥkkj }kt** % अध्यक्ष जी, अभी तो ये कहकर गए थे कि तुम्हें अब पुलिस पकड़ेगी, धमकी देकर गए थे।

...(व्यवधान)

v/; {k egkn; % चलो, कोई बात नहीं।

**Jh | kṣHk ḥkkj }kt** % यह धमकी इस चीज का परिचयायक है कि दिल्ली पुलिस से हम लोगों के ऊपर इस तरह से ये अत्याचार कराते हैं। यह रिकार्ड में है इनका।

v/; {k egkn; % ओम प्रकाश जी, क्या है ये? बैठिये, प्लीज बैठिये। जो उनकी आदत है, वैसा ही तो बोलेंगे बैठिये। सौरभ जी, बैठिए।

**Jherh cnuk dəkjh** % अभी तक ये ही लग रहा है कि ये ही पुलिस को भेजते हैं। इन्होंने कैसे कह दिया, 'पुलिस पकड़ेगी?'

...(व्यवधान)

v/; {k egkn; % बैठिये। बैठिये।

...(व्यवधान)

**Jherh cnuk dəkjh** % यह गलत बात है, सभी के पास प्लान करके पुलिस भेजते हैं।

...(व्यवधान)

v/; {k egkn; % बैठिये।

**Jherh cnuk d<sup>kjh</sup> %** ये अभी बोल कर गए कि पुलिस पकड़ेगी, क्यों इन्होंने बोली है ऐसी बात?

...(व्यवधान)

**Jherh cnuk d<sup>kjh</sup>%** सारे प्लान करते हैं ये, पुलिस को भेजते हैं।

**v/; {k egkn;** % जगदीश जी, यह कोई तरीका थोड़े ही है। ये फैसला करेंगे पुलिस पकड़ेगी। ये क्या गढ़ मंत्री लगे हुए हैं या पुलिस कमिशनर लगे हुए हैं? उन्होंने क्या बोला? आपने खुद छेड़ा, आपने खुद बोला पहले।

...(व्यवधान)

**v/; {k egkn;** % गलत मशीन लाओगे, क्या बोला था इन्होंने। आप बताइये, क्या बोला था?

...(व्यवधान)

**v/; {k egkn;** % नहीं, आपने गलत टिप्पणी की है। बैठिये। नकली मशीन लाओ। बैठिये, माननीय सदस्य बैठ जायें पहले।

...(व्यवधान)

**Jh \_rjkt xlfon** % पुलिस पकड़ेगी।

...(व्यवधान)

**v/; {k egkn;** % ज्ञा साहब, ऋष्टुराज जी, बैठिये। पुष्कर जी, बैठिये प्लीज।

...(व्यवधान)

v/; {k egkn; % ऋतुराज जी, बैठिये प्लीज।

Jh idt i|dj % सदन की अवमानना है।

...(व्यवधान)

v/; {k egkn; % पुष्कर जी, बैठिये प्लीज।

...(व्यवधान)

v/; {k egkn; % ओम प्रकाश जी।

v/; {k egkn; % नहीं नहीं ठीक है अगर बोलेंगे तो सुनना पड़ेगा।

...(व्यवधान)

v/; {k egkn; % आप बद्तमीजी से बोलेंगे, सुनना पड़ेगा।

...(व्यवधान)

v/; {k egkn; % नहीं बद्तमीजी से बोलेंगे, सुनना पड़ेगा।

Jh \_rjkt xlfon% बाहर निकल तू कृ.

Jh vke idk'k 'kel% तेरी मां ने दूध पिलाया है तो बाहर आ।

v/; {k egkn; % ये देखिये, क्या बोल रहे हैं? मार्शल्स, मार्शल्स ओमप्रकाश जी को बाहर करिए, बाहर करिए, नहीं बाहर करिए इनको।

Jh idt i|dj% इनको बाहर निकालिये। ये सदन में बैठने लायक हैं?

...(व्यवधान)

**Jh int idj%** इस भाषा के साथ सदन में बैठेंगे ये? लोकतंत्र का मजाक बना रखा है इन्होंने।

v/; {k egkn; % आप बैठिये, मैं पूरे इस सदन के लिए ओमप्रकाश को बाहर करता हूँ। चलिए ठीक है, चलिए जाइये जाइये।

**Jh int idj%** ये इसी योग्य हैं।

v/; {k egkn; % इसके बाप ने दूध पिलाया है।

...(व्यवधान)

**Jh int idj%** लोकतंत्र का मजाक बना दिया है इन्होंने। ये सदन में बैठने लायक हैं?

v/; {k egkn; % छोड़ दीजिए अब। इन्होंने जाते हुए ये बोला नकली मशीन बनाओगे तो पुलिस पकड़ेगी।

**Jh fotuñz xirk%** तो इसमें कौन सी गलत बात है?

v/; {k egkn; % क्या? नहीं, ये सदन है, ये सदन है।

**Jh fotuñz xirk%** तो कैसे बोला बाप का है?

v/; {k egkn; % किसको? मैं रोक रहा हूँ उसको, बराबर।

...(व्यवधान)

v/; {k egkn; % इन्होंने बोला, बाप का दूध पिलाया है, मां का दूध पिलाया है। पुलिस पकड़ेगी।

**Jh fotbz xirk%** ये तो अत्याचार है।

**v/; {k egkn;** % हॉ, मैं कर रहा हूँ बाहर।

...(व्यवधान)

**v/; {k egkn;** % हॉ, बिलकुल ठीक है, अत्याचार है।

...(व्यवधान)

**v/; {k egkn;** % अध्यक्ष महोदयः मैं कर रहा हूँ बाहर। मैंने कर दिया बाहर। मैंने कर दिया बाहर।

**Jh fotbz xirk%** आप देखिये, अध्यक्ष जी, ये बिलकुल।

**v/; {k egkn;** % मैंने बाहर कर दिया। मुझे पकड़वा दें, अरेस्ट करवा दें, बात खत्म हो गई।

...(व्यवधान)

**v/; {k egkn;** % अध्यक्ष महोदयः मैंने कर दिया बाहर। मैंने बाहर कर दिया। जो हो सकता है, करिए।

**Jh fotbz xirk%** ये मनमानी...

**v/; {k egkn;** % कोई बात नहीं, मनमानी है, ठीक है।

**Jh idt iqj%** भई सदन की मर्यादा है, नहीं? पुलिस की धमकी दी दी जा रही है।

v/; {k egkn; % बैठ जाइये, बैठ जाइये पुष्कर जी, सोमनाथ जी बैठ जाइये।

Jh fotknz xirk% ये कौन सा तरीका हुआ?

...(व्यवधान)

Jh fotknz xirk% कौन सी ऐसी बात की? ये कौन सा तरीका हुआ?

v/; {k egkn; % कौन सा?

Jh fotknz xirk% ये जो आपने किया है।

v/; {k egkn; % तरीके वो बताएंगे।

Jh fotknz xirk% क्या करा उन्होंने?

v/; {k egkn; % नहीं, उन्होंने कहा नहीं?

Jh fotknz xirk% क्या कहा?

v/; {k egkn; % क्या आज नकली मशीन का, नकली मशीन।

Jh fotknz xirk% तो आप पूरे सदन से बाहर कर देंगे।

v/; {k egkn; % आप लोग सोचे समझे तरीके से आते हैं।

Jh fotknz xirk% क्या आते हैं?

v/; {k egkn; % कि सदन का समय खराब। अधिकारियों को उत्तर न देना पड़े। आप पूरी प्लानिंग करके आते हैं, षड्यंत्र करके आते हैं।

**Jh fotñz x̄rk%** शुरुआत उन्होंने करी।

v/; {k egkn; % कोई शुरू नहीं की। शुरुआत आपने की कैलाश जी को लेकर।

...(व्यवधान)

v/; {k egkn; % अध्यक्ष महोदयः मुझे एक बात बताइये। मुझे एक बता दें। आप ये कह रहे हैं, उन्होंने क्या शुरुआत की? आप बताइये। उन्होंने क्या शुरुआत की?

**Jh fotñz x̄rk%** वो तो आकर बैठे थे।

**Jh txnh'k izku%** उन्होंने कहा आप बैठने लायक नहीं हो।

v/; {k egkn; % किसमें?

**Jh txnh'k izku%** उन्होंने कहा।

v/; {k egkn; % नहीं, बिलकुल नहीं कहा।

**Jh txnh'k izku%** नहीं, अब आप।

v/; {k egkn; % किसने कहा?

...(व्यवधान)

v/; {k egkn; % नहीं आप बताइये, जगदीश जी।

...(व्यवधान)

v/; {k egkn; % क्या कहा?

...(व्यवधान)

Jh txnh'k izku% उन्होंने कहा ओमप्रकाश जी आप यहाँ क्यों

...(व्यवधान)

Jh fotu% xirk% ये उन्होंने कैसे कहा?

...(व्यवधान)

v/; {k egkn; % भई, बैठ जाइये। नहीं खुलेगा माइक।

...(व्यवधान)

v/; {k egkn; % मैं किसी का माइक नहीं खोल रहा हूँ।

...(व्यवधान)

v/; {k egkn; % नहीं। जगदीप जी, बैठ जाइये प्लीज। नहीं, मैं कुछ सुन रहा हूँ।

...(व्यवधान)

v/; {k egkn; % मैं कोई नहीं सुन रहा हूँ। ये स्टार्ड क्वैश्चन का समय खराब हो रहा है। आप बेमतलब जिद्द कर रहे हैं।

Jh fotu% xirk% आप डिस्कवालिफाइड मेम्बर को बैठाओ और मेम्बर को बाहर करो।

v/; {k egkn; % आप बैठिये।

...(व्यवधान)

v/; {k egkn; % जगदीप जी, आप बैठ जाइये, प्लीज। बैठ जाइये।  
ये मेरा काम है देखना।

...(व्यवधान)

v/; {k egkn; % मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बैठ जाइये। आप बैठ जाइये, प्लीज। हॉ, सोमनाथ जी।

Jh fotknz xirk% हमारा आब्जेक्शन है कि उनको बुलाइये आप। ये फैसला बदलिये आप।

v/; {k egkn; % आपको जो आब्जेक्शन है, आप लिखित में दीजिए मुझे।

Jh fotknz xirk% अध्यक्ष जी...

v/; {k egkn; % नहीं, आप लिखित में दीजिए।

Jh fotknz xirk% आप हमें भी बाहर निकाल दीजिए।

v/; {k egkn; % मैं हर चीज को लिखित में करूँगा।

Jh fotknz xirk% आप हमें भी निकाल दो।

v/; {k egkn; % मैं हर चीज।

...(व्यवधान)

v/; {k egkn; % आपको जो कुछ कहना है, लिखित।

...(व्यवधान)

v/; {k egkn; % आप स्वयं चले गये थे।

...(व्यवधान)

v/; {k egkn; % आप स्वयं चले गये।

...(व्यवधान)

v/; {k egkn; % हॉ, कोई बात नहीं।

Jh fotknz xirk% ये अध्यक्ष जी, ये फैसला तो बदलिये। ये गलत है। बिलकुल निराधार है।

v/; {k egkn; % मैं ऐसे नहीं बदलूँगा।

Jh fotknz xirk% ये आरोप निराधार हैं, गलत हैं, असंसदीय हैं।

v/; {k egkn; % कोई बात नहीं।

Jh fotknz xirk% आपने कैसे एक सदस्य को बाहर निकाल दिया बिना संज्ञान के।

v/; {k egkn; % मैं सब कुछ संसद से सीख रहा हूँ।

...(व्यवधान)

v/; {k egkn; % मैं सब कुछ भारत के पार्लियामेंट से सीख रहा हूँ।

**Jh fotñz xírk%** क्या ऐसे ही सीखना है?

v/; {k egkn; % हॉ।

**Jh fotñz xírk%** वो गाली देते रहें।

v/; {k egkn; % कि बजट पर चर्चा न हो। बजट पर चर्चा न हो और बजट पास कर दिया जाए।

...(व्यवधान)

v/; {k egkn; % पार्लियामेंट से सीख रहा हूँ मैं।

...(व्यवधान)

v/; {k egkn; % सब कुछ पार्लियामेंट से सीख रहा हूँ।

**Jh fotñz xírk%** कमाल है!

v/; {k egkn; % बजट पर चर्चा न हो बजट पास कर दिया जाए, सब पार्लियामेंट से सीख रहा हूँ मैं कि कैसे सदन चलाया जाता है।

...(व्यवधान)

v/; {k egkn; % मैं बहुत लोकतांत्रिक व्यक्ति हूँ। तमाशा बना रखा है।

...(व्यवधान)

**Jh I keukfk Hkj rh%** माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से अभी सदन के अंदर सब साथियों ने देखा किस तरह से पुलिस की धमकी दी जा रही है। इनका रवैया ठीक नहीं है। इनकी मंशा ठीक नहीं है। सदन के

अंदर साथियों को अपमानित करते हैं और साथ ही पुलिस की धमकी देते हैं इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस का पूरी दिल्ली के अंदर मिसयूज विधायकों के खिलाफ ये कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, उससे बड़ी बात आज हो गई अमर्यादित भाषा और ऐसी भाषा का प्रयोग जो हम दोहरा भी नहीं सकते मुझे लगता है कि असंसदीय ही नहीं अमर्यादित और महिला को असम्मान करने वाली जिस भाषा का प्रयोग किया है ओ पी शर्मा जी ने, उसकी एवज में मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इनको सत्र से ये जो पूरा सत्र चल रहा है, उससे इनको निष्कासित कर दिया जाए। नहीं, नहीं, चूंकि वो, उनका मोशन मूव कर रहा हूँ। तो अध्यक्ष महोदय मैं ये मोशन मूव कर रहा हूँ कि पूरे सत्र के लिए इनको निकाल दिया जाए। नहीं नहीं चूंकि वो मोशन मूव करना पड़ेगा। एक आफिशियल तरीके से करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर सकते आप। तो आपके आगे मैं गुजारिश करता हूँ आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पूरे सत्र के लिए उनको निकाला जाए क्योंकि ऐसी भाषा का प्रयोग सदन के अंदर हो और इस गरिमामयी सदन के अंदर हो ये तो बड़ी लज्जाजनक बात है।

**Jh i dt i |dj%** माननीय अध्यक्ष महोदय मेरा, गलती को पहले नहीं रोका गया, तो बहुत बड़ी घटनाएं सदन के अंदर हुई। खुलेआम धमकी सदन के अंदर देना, पुलिस की धमकी देना, बाहर आकर देखने की धमकी देना, ऐसे शब्दों को आथोराइज करना कि हम ये नहीं कह सकते कि दोहराये नहीं जा सकते इसको बिलकुल दे दो, अवमानना का मामला है, पूरे सदन का लोकतंत्र के पूरे अहम का मामला है।

**V/; {k egkn; %** बैठिये पुष्कर जी प्लीज। ये सोमनाथ जी का प्रस्ताव जिसका समर्थन पुष्कर जी ने किया सदन के सामने है:

जो इसके पक्ष में हैं, हॉ कहें;  
 जो इसके विरोध में हैं, न कहें;  
 (सदस्यों के हॉ कहने पर)  
 हॉ पक्ष जीता, हॉ पक्ष जीता,  
 प्रस्ताव पास हुआ।

ओम प्रकाश शर्मा जी इस पूरे सत्र के लिए सदन से बाहर रहेंगे।

प्रश्न संख्या—तीन राजू धिंगान जी।

**Jh jktw f/kakku%** प्रश्न सं—तीन प्रस्तुत है:

क्या प्रशासनिक **I qkj e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'मुख्यमंत्री की अर्बन लीडर फैलोशिप' हेतु वर्ष 2017–18 के बजट में फंड आवंटित किया गया था;

(ख) यदि हॉ, तो उसकी राशि तथा वह फण्ड किस तारीख को जारी किये गये थे;

(ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल हुए व्यक्तियों का विवरण क्या है

(घ) क्या इसके लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन जारी किये गये थे;

(ङ) यदि हॉ, तो इन विज्ञापनों पर खर्च की गई राशि, जिस दर पर ये विज्ञापन जारी किये गये थे, जिन समाचार पत्रों में ये विज्ञापन छापे गये थे तथा इन विज्ञापनों के लिए राशि स्वीकृत करने वाले अधिकारियों के नाम सहित इसका पूर्ण विवरण क्या है;

(च) यदि नहीं तो इन विज्ञापनों को न छापे जाने का क्या कारण है ;

(छ) उन अधिकारियों के नाम व पदनाम जिनके स्तर पर उक्त फाइलें लंबित पड़ी हैं ; और

(ज) इस संबंध में किए गए पत्राचार और नॉटिंग्स की प्रतियों सहित फाइल मूवमेंट का पूर्ण विवरण क्या है ?

**i t kki fud | qkkj eah %Jh dSyk'k xgyks% अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या— तीन का उत्तर प्रस्तुत है:**

(क) व (ख) वित्तीय वर्ष 2017–18 में 535.00 लाख रुपये का बजट में प्रावधान किया गया जिसे संशोधित बजट (आर.ई) 2017–18 में एक लाख रुपये कर दिया गया;

(ग) शून्य;

(घ) वित्तीय वर्ष 2017–18 में कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया;

(ङ) उपरोक्त घ के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं;

(च) से (ज) दिल्ली सरकार मंत्रीमंडल ने पुनः विचार करते हुए दिनांक 20/2/2018 की कैबिनेट बैठक में ‘मुख्यमंत्री अर्बन लीडर फैलोशिप’ योजना

का अनुमादित कर दिया है एवं वर्तमान में इसे लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है;

**v/; {k egkn; % सप्लीमेंटरी धिंगान जी। कोई सप्लीमेंटरी?**

**Jh | kgHk Hkj }kt%** अध्यक्ष जी, मेरा सवाल यह है कि ये अर्बन लीडरशिप फेलोशिप, लीडर फेलोशिप जो है, ये हमने कभी पहले देखी नहीं है। इसको विज्ञापन के माध्यम से या किसी माध्यम से... तो क्या कारण हुआ कि ये चीज हो नहीं पाई?

**v/; {k egkn; % हॉ जी, मंत्री जी।**

**i t kI fud | qkj ea=%** स्पीकर सर, मतलब विज्ञापन तो कोई जारी हुआ नहीं अभी तक। ये 2016 से ये स्कीम चल रही है। कैबिनेट ने 2016 में इसको अप्रूव किया था बट बिकॉज ऑफ सम रिजर्वेशन्स कि ये सर्विसेज मैटर है, उसमें ऐसी कुछ टिप्पणियाँ की गई थीं लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट ने क्लेरिफाई किया था उस टाइम भी कि इसमें क्योंकि सिविल पोस्ट का किएशन किसी प्रकार से नहीं है तो इसलिए सर्विस मैटर नहीं है। फिर दोबारा कैबिनेट ने इसको अभी फरवरी में दोबारा इसको सेवक्षण कर दिया है, अप्रूव कर दिया गया है और इस पर जो भी नेसेसरी स्टेप्स हैं, वो लिए जा रहे हैं।

**v/; {k egkn; % सोमनाथ जी। इसी से संबंधित।**

**Jh | keukfk Hkj r%** अध्यक्ष महोदय, चूंकि अर्बन लीडर फेलोशिप जिस तरह से इसको मैं देख सकता हूँ कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम दिख रहा है लेकिन जब तक इसका कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगा, बताया नहीं

जाएगा, जनता के बीच में नहीं जाएगा तो उनको मालूम कैसे पड़ेगा? मतलब जनता को तो छोड़िये, विधायक तक को पता नहीं है तो इसमें क्या चूंकि जब बजट एलाटमेंट हुआ पॉच करोड़ का और किन कारणों से ये इतना अच्छा स्कीम रह गया और क्यों नहीं हमें बताया गया, इसकी जानकारी दी जानी चाहिए।

**i t kI fud | qkj e=%** Speaker Sir, I would like to inform Somnath Ji, जैसा मैंने बताया कि 2016 में ये एन्टॉयर स्कीम वाज फ्लोटेड लेकिन रिजर्वेशन्स थे कि ये सर्विसेज मैटर है या नहीं है और उसके चलते हुए ये scheme could not take off और इसका कोई एटवर्टीजमेंट या किसी लार्ज स्केल पर प्रचार नहीं किया गया था उस टाइम।

**v/; {k egkn; %** नहीं माननीय मंत्री जी, उनका सीधा व्यैश्चन सौरभ जी का भी जिससे सोमनाथ जी का भी रिलेशन है कि विज्ञापन क्यों नहीं हुआ?

**i t kI fud | qkj e=%** नहीं, once the scheme is approved by the cabinet and further scheme also goes to LG तो एक बार वो पूरा अप्रूव होने के बाद जब स्कीम टेक आफ करेगी, उसके बाद ही विज्ञापन दिये जाएंगे।

**v/; {k egkn; %** ठीक है। सोमनाथ जी।

**Jh | keukFk Hkj r%** Where the buck stops? Who is responsible for this?

**i t kI fud | qkj e=%** नहीं, I am telling, the buck stops at the service Department because they made observations कि ये सर्विसेज का

मामला है file had come back from LG उसके बाद फिर 2017 का हाईकोर्ट का जजमेंट आया। सारी फाइलें एलजी साहब के पास गई। आलदो फाईनेंस डिपार्टमेंट ने कलीयरली उसमें लिखा था कि किसी भी प्रकार से कोई पोस्ट की क्रिएशन का मामला नहीं है। Hence it does not fall under the category of Services Department चूंकि वो फाइलें दोबारा अंडर एकजामिनेशन थी। लेकिन उस चीज को दोबारा देखते हुए केबिनेट ने फिर दोबारा अभी कुछ टाईम पहले ही इस चीज को अप्रूव किया गया है। file has gone to Hon'ble LG. इस बार फिर दोबारा एलजी साहब से कुछ—कुछ उसमें ओब्जर्वेशन आए हैं। We are examining that. एक बार दोबारा एग्जामिनेशन के बाद उनको दोबारा पुट—अप किया जाएगा। तो I hope I have answered to your satisfaction.

**v/; {k egkn;** % प्रश्न संख्या—चार श्री पुष्कर जी।

**Jh idt i|dj** % अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या— चार प्रस्तुत है:

(क) सतर्कता विभाग में 1993 से वर्षवार एवं विभागवार लंबित मामलों का विवरण क्या है;

(ख) सतर्कता विभाग में 1993 से वर्षवार एवं विभागवार कन्क्लूडेड मामलों का विवरण क्या है;

(ग) दोषी पाए गए अधिकारियों के मामलों का वर्षवार एवं विभागवार विवरण क्या है; और

(घ) विभागीय कार्रवाई या आपराधिक प्रोसिक्यूषन के परिणाम स्वरूप वास्तव में दंडित किए गए अथवा दोषी पाए गए कर्मचारियों का वर्षवार एवं विभागवार विवरण क्या है?

**mi eq; ea-h %** अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या—चार के संदर्भ में मुझे एक महत्वपूर्ण जानकारी देनी है। प्रश्न संख्या— चार जो है, वो पूर्णतः पूछा गया था कि क) सतर्कता विभाग में 1993 से वर्षवार एवं विभागवार लंबित मामलों का विवरण क्या है;

(ख) सतर्कता विभाग में 1993 से वर्षवार एवं विभागवार कन्कलूडेड मामलों का विवरण क्या है;

(ग) दोषी पाए गए अधिकारियों के मामलों का वर्षवार एवं विभागवार विवरण क्या है; और

(घ) विभागीय कार्रवाई या आपराधिक प्रोसिक्यूशन के परिणामस्वरूप वास्तव में दंडित किए गए अथवा दोषी पाए गए कर्मचारियों का वर्षवार एवं विभागवार विवरण क्या है?

दो पहले इसके जवाब की ब्रीफिंग की फाइल मेरे पास कुछ अधिकारी लेकर आए थे और उन्होंने उसमें लिखा हुआ था नोटिंग में कि इसमें संख्या तो ये है अधिकारियों की या मामलों की लेकिन हम विवरण नहीं दे सकते। मैंने उनसे पूछा कि विवरण क्यों नहीं दे सकते तो उन्होंने कहा कि हमने फाइल नोटिंग में लिखा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि ये मामला सदन के रिकार्डिंग में, रिकार्ड रहे जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि साहब, ये हमने फाइल नोटिंग में लिख दिया है और उसमें फाईल नोटिंग में लिखा था कि पहले एलजी साहब ने इसके लिए मना किया था कि इस तरह की सूचनाएं नहीं दी सकती हैं। उसके बाद माननीय हाई कोर्ट ने भी उसी फैसले को सही ठहराया था। इसलिए हम आपको ये सूचना सदन को

उपलब्ध नहीं करा सकते। मैंने उस फाइल में लिखकर भेजा था कि ऐसा कोई इन्टरप्रेटेशन ठीक नहीं है और आप इसके बारे में सारी सूचनाएं उपलब्ध कराएं। अधिकारियों को इसके बारे में सारी सूचनाएं उपलब्ध करानी चाहिए। उसके बाद में मेरे पास में कोई जवाब नहीं आया। मैं समझता हूँ कि ये इस सदन की नहीं, देश में सारे सदनों की जितने भी विधान सभा या संसद के रूप में सदन बैठते हैं, सबकी अवमानना का मसला है कि सदन से जिन अधिकारियों की तनख्वाह पारित हो कर जाती है, वो अधिकारी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। अगर बेर्इमानी से काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कहीं कोई आरोप लगा है तो उसकी जानकारी सदन को नहीं दी जा सकती, ऐसा एलजी साहब का कोई इन्टरप्रेटेशन और उसके बाद हाई कोर्ट के जजमेंट का ये इन्टरप्रेटेशन सरासर गलत है, भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश है। इसलिए ये सदन की अवमानना का मसला है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो सूचना दिल्ली के एक आम नागरिक को सूचना के अधिकार के तहत उपलब्ध है, वो सूचना दिल्ली के चुने हुए प्रतिनिधियों को विधान सभा सदस्य होने के नाते विधान सभा में सवाल उठाने में नहीं दी जा सकती। अधिकारी कह रहे हैं कि एलजी साहब ने मना किया था। फाइल में उन्होंने लिखा, एक पूरा कोट इनका और उसके बाद हाई कोर्ट के ऑर्डर में साफ—साफ लिखा हुआ है कि सर्विस डिपार्टमेंट सेंटर के पास में रिजर्व है। सर्विस डिपार्टमेंट का मतलब ये कहीं से नहीं है कि कोई अधिकारी बेर्इमानी करेगा तो उसकी जानकारी नहीं दी जाएगी। कोई अधिकारी अगर पैसे का गबन करता है, कोई अधिकारी अगर रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है, उसकी जानकारी सदन को नहीं दी जाएगी। ऐसा कहाँ हाई कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है। लेकिन एलजी साहब और यहाँ

डिपार्टमेंट के अधिकारी जान बूझकर अपने साथियों के करण्णान को दबाने के लिए सदन की अवमानना कर रहे हैं और यह अवमानना सिर्फ दिल्ली के सदन की नहीं है, देश भर के सदनों की है। क्योंकि आज यहाँ पर कर रहे हैं, कल को दूसरे जगह पर कहीं ये कहा जाएगा कि सर्विस डिपार्टमेंट किस तरह से है, उस तरह से है।

अध्यक्ष महोदय मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि प्रश्न संख्या—चार और मुझे लगता है शायद प्रश्न संख्या 16 सोम नाथ भारती जी की तरफ से भी यह पूछा गया था। एक अलग सवाल है इनका कि फरवरी, 2015 से सतर्कता विभाग द्वारा शुरू किये गए मामलों की संख्या और उनका विवरण? वहाँ भी देने से मना कर दिया गया है। तो से सीधे—सीधे सदन की अवमानना का मसला बनता है और इस पर सदन को कार्यवाही करनी चाहिए। मैं स्वयं चाहता हूँ मुझे पता है कि अगर मैं इस इन्टरप्रेटेशन को लेकर कुछ आगे बढ़ाऊंगा तो फाइलों में काफी अंग्रेजी लिख दी जाएगी। लेकिन मैं इसको खुद माननीय कोर्ट के संज्ञान में भी लाऊंगा कि आपके ऑर्डर का मिस इन्टरप्रेटेशन करके करप्ट आफिसर्स को बचाने की कोशिश की जा रही है, करप्ट आफिसर्स की लिस्ट छिपाने की कोशिश की जा रही है। ऑपके आर्डर को, मैं इसको अपनी तरफ से दिल्ली सरकार में मिनिस्टर होने के नाते डिप्टी सीएम होने के नाते मैं इसकी सूचना केन्द्र सरकार को भी दूँगा और ऐसे अधिकारियों को जो सदन की अवमानना कर रहे हैं, उनको फाइल रिकार्ड में इसकी जानकारी दी जानी चाहिए कि वो एलजी साहब के ऑर्डर का और साथ—साथ हाईकोर्ट के ऑर्डर का मिसइन्टरप्रेटेशन करके जान बूझकर भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी सूचना मैं भारत सरकार को भी दूँगा ताकि उनके सर्विस रिकॉर्ड में इसकी जानकारी

रखी जा सके। बाकी इस सदन का मसला है। सदन की अवमानना का मसला है, सदन जो कहेगा, वो उचित रहेगा।

**Jh | keukFk Hkkjrh %** गम्भीर मामला है ये। अगर विजिलेंस के अधिकारियों का कोई उत्तरदायित्व हमारे प्रति नहीं है तो उनका दिल्ली के वासियों के पैसों से सैलरी लेने का कोई हक भी नहीं बनता।

**mi ed; ea=h %** विजिलेंस के अधिकारियों का उत्तरदायित्व होने का नहीं है। सवाल तो ये है कि क्या हम अधिकारियों के बारे में पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते हैं। यहाँ पर ये सदन पूछा सकता है। कल को कहा जाएगा कि साहब, आप स्कूल में टीचर्स की संख्या नहीं पूछ सकते क्योंकि टीचर्स तो सर्विस का मसला है। कल को कहा जाएगा, ये लोग कोई भी सदस्य जाकर अपनी विधान सभा में जूनियर इन्जीनियर के नाम नहीं पूछ सकते। क्योंकि ये तो सर्विस का मसला है।

**Jh | keukFk Hkkjrh %** इसमें अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि अगर मैं आपके जरिए सदन को प्रार्थना कर सकूँ कि एक मोशन मूव हो कि अधिकारियों की एकाउंटिबिलिटी कैसे फिक्स की जाए। क्योंकि ये तो तरीका हो गया कि सर्विस की आड़ में आप कुछ भी छिपा सकते हैं। मैं माननीय डिप्टी सीएम के भाव से बिल्कुल तर्कसंगत हूँ। यह बहुत गम्भीर मसला है। सदन को संज्ञान लेना चाहिए और इसमें जो भी उचित कार्रवाई बनती है, आपकी तरफ से क्योंकि अधिकारी अगर इस तरह से अपने गलत कामों को छिपाने का प्रयास करेंगे और सर्विसेज का इन्टरप्रेटेशन एलजी के माध्यम से ऑनरेबल हाईकोर्ट के माध्यम से इस तरह से करेंगे। एक तरह से पूरी सरकार को ये दोषी ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि भई, आप कोई

काम ही नहीं कर सकते। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि एक मोशन सदन मूव करें। इसे कंडेम भी करें और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है।

**Jh | KgHk Hkj }kt %** मेरा ये मानना है, हाउस इसके ऊपर चर्चा कर सकता है कि ये सिर्फ विजिलेंस के अधिकारियों का ही नहीं है। ये जो सत्र है, ये बजट सत्र चल रहा है। अगर अधिकारियों के ऊपर कौन सा भ्रष्टाचार का मामला है, वो सर्विसेज का मामला है तो मुझे लगता है तनख्वाह तो सबसे पहले सर्विसेज का मामला होता है। तो उन अधिकारियों की तनख्वाह भी ये सत्र क्यों दे जो सीधा—सीधा एलजी साहब की सर्विस के मामले के अंदर आते हैं? हम स्कूलों के अंदर, बच्चों को जो लंच मिलता है उसका पैसा दें। स्कूल की बिल्डिंग में जो पैसा खर्च हो रहा है, उसका पैसा दें। मगर जो टीचर्स हैं या आईएएस अधिकारी हैं या दानिक्स अधिकारी हैं, वो सभी लोग सर्विसेज के अंदर आते हैं। उनका पैसा एलजी साहब अपनी तनख्वाह से दें। उनको देना चाहिए और बजट सत्र के अंदर हम उनकी तनख्वाहें क्यों पास करें? मुझे लगता है इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए कि कैसे इन अधिकारियों की कम से कम एक टॉप लेयर की, जिन लोगों की जिम्मेदारी थी इस सदन तक जवाब देने की उनकी तनख्वाह के ऊपर इस सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए। और बड़ी बेशर्मी की बात है कि भ्रष्टाचार के आरोपियों को इस दिल्ली के एलजी साहब बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब—जब किसी भ्रष्टाचारी अधिकारी के ऊपर इस सदन में हमने रिपोर्ट पेश की है। इस हाउस ने उस रिपोर्ट को अडॉप्ट किया है, वो भ्रष्ट अधिकारी कोर्ट के अंदर गए हैं। कोर्टस में जाने की इजाजत एलजी साहब ने उनको दी है। वकील रखने की इजाजत एलजी साहब

ने उनको दी है। वो ही एक वकील है, जो हर केस के अंदर हर अधिकारी की तरफ से भ्रष्टाचार की पैरवी करते हुए नजर आते हैं। वो अधिकारी केन्द्र सरकार के एक मंत्री के भी वकील हैं। वो ही वकील। तो ये सारी की सारी चीजें देखी जाएं तो केन्द्र सरकार और एलजी साहब खुले आम दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और शह दे रहे हैं कि आप खुद भ्रष्टाचार करो। अगर पकड़े जाओगे तो हम बचा लेंगे और कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये तो खुले आम चीज है, इसके ऊपर एक विस्तृत चर्चा मुझे लगता है एक दिन इस बारे में होनी चाहिए सदन में।

v/; {k eglñ; % पुष्कर जी।

**Jh i dt iñdj** % अध्यक्ष महोदय, मैं तो लगभग शॉकड हूँ! बहुत ही हैरत में हूँ! मैं 1990 से भारत के लोकतंत्र का, दुनिया के लोकतंत्र के इतिहास का छात्र हूँ सिपाही हूँ। मैंने इतनी अजीब बात कभी नहीं सुनी, बहुत चीजें सुनी हैं 100 वर्ष के पुराने इतिहास में क्या होता था लेकिन मैं I am really shocked! मुझे को पता नहीं कि हम जनता को जाके क्या जवाब दें! हम जनप्रतिनिधि हैं किस बात के! मैं बहुत ही गंभीरता से मैं पूरी संयत भाव से लेकिन बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूँ कि भारत के लोकतंत्र के इतिहास में हम एक ऐसे मोड़ पे खड़े हैं कि इसके बाद या तो हम को एक बिल्कुल अंधी गली मिलेगी या कोई नया उजाला मिलेगा। मैं अपने माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के जो भाव हैं, मुझे ये जान के खुशी मिली कि कम से कम जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, हमारी सरकार के जो मुखिया हैं, उप मुखिया हैं, वो कम से कम इस छुपाव में

शामिल नहीं है, तो ये है कहाँ से? ये जानना पड़ेगा। मैं सबसे पहले तो जो तात्कालिक उपाय हमारे पास हैं; ये मामला, पहले भी इस तरह के मामले आए हैं कि विधानसभा में सवाल रखे गये हैं, उनके जवाब नहीं आए। अगला सत्र शुरू हो गया, तब तक नहीं आये। लेकिन ये तो अति गंभीर मामला है इसको तत्काल प्रश्न और संदर्भ समिति को रेफर करें। लेकिन उतने पे रुके नहीं। इसके अलावा एक सत्र का एक अच्छा समय पूरे दिन का समय इसकी चर्चा में बिताएं और क्या पर्याप्त रूप से प्रभावी विधायी उपाय होंगे, कानूनी उपाय होंगे, संवैधानिक उपाय होंगे, वो सुनिश्चित करें। अन्यथा हम सब लोगों की साधना, तपस्या और जनता की उम्मीदें बिल्कुल धूल धूसरित हो जायेंगी। इस बात को मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।

**v/; {k egkn;** % अखिलेश जी, बस अंतिम अखिलेश। महेन्द्र जी, अंतिम चर्चा की मैं बात करूँगा इस पर।

**Jh vf[ky\\$k ifr f=i kBh** % अध्यक्ष जी, ये जो मामला है वो संविधान के अनुपालन से संबंधित है।

**v/; {k egkn;** % मुझे मालूम है, प्रश्नकाल है, प्रश्न पर ही आ रहे हैं, प्रश्न पे ही चल रहा है।

**Jh vf[ky\\$k ifr f=i kBh** % क्योंकि भारतीय संविधानकृ.

**v/; {k egkn;** % चलिए ये अंतिम है बस अंतिम है। चलिए।

**Jh vf[ky\\$k ifr f=i kBh** % ये कहते हैं कि हमारी सरकार...

**v/; {k egkn;** % सप्लीमेंटरी मैंने अलाउ किया हुआ है, क्या दिक्कत है?

**Jh vf[ky'sk ifr f=ikBh %** संविधान के तहत नहीं काम करते। यहाँ पर ये जो विधानसभा की शक्तियां हैं, संविधान के तहत जो शक्तियां दी गयी हैं, विधि नियंता होने का, लिखा गया है कि कोई भी बजट कोई भी फाइनांशियल कोई वर्क है सरकार के लिए, तो बिना विधानसभा के अप्रूवल के वो आगे नहीं बढ़ता और जो तनख्वाह लेते हैं आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से करते हैं।

**V/; {k egkn;** % अखिलेश जी, नहीं इसपे भाषण नहीं चाहिए भई। आप लाइन पे पूरा जो भी कुछ बोलना है, एक लाईन में, दो लाईन में बोल दीजिए।

**Jh vf[ky'sk ifr f=ikBh %** कहीं न कहीं भारतीय संविधान पर भी ये बहुत बड़ा हमला है कि जो तनख्वाह दे रहा है, उसके प्रति जवाबदेही नहीं है और हाई कोर्ट के निर्णय से इसे जोड़कर कहीं नहीं देख सकते। सरकार के संदर्भ में हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है, कहीं कोई विधानसभा की शक्तियों के बारे में कोई निर्णय नहीं आया है। तो सीधा सीधा ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मामला बनता है। क्योंकि शायद ये भूल गये कि लेजिस्लेशन, एक अलग मामला है और सरकार एक अलग मामला है। कार्यपालिका एक अलग मामला है तो कहीं न कहीं इन अधिकारियों ने जो लापरवाही की है, उस पर सदन पूरा विचार करे और जो आघात हुआ है संविधान पर, आज इन गलतियों के माध्यम से उस पे संविधानिक तरीके से इन पर कार्रवाई की जाए।

**V/; {k egkn;** % देखिए, कानून से सप्लीमेंटरी जितने हो सकते थे, हो गये।

**Jh egmz xks y %** वही बता रहा हूँ। दिल्ली के अंदर सहकारी बैंक हैं जिनका आरबीआई ने 2013 के अंदर एक भ्रष्टाचार के लिए लैटर लिखा था कि इसकी जॉच होनी चाहिए। लेकिन उसकी कोई जॉच नहीं की गयी और उसके बाद 57 परसेंट लाजपत नगर की ब्रॉच के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है जिसका एनपीए दिखाया गया; 54 परसेंट मीठापुर की ब्रॉच के अंदर दिखाया गया और 37 परसेंट करावल नगर की ब्रॉच के अंदर एनपीए दिखाया गया। ये मामला जैसे नीरव मोदी का है कि बैंकों के पैसे वो ले के चला गया। अरे! भ्रष्टाचार की यदि कोई समिति जांच करना चाहती है, अधिकारियों की जॉच करना चाहती है तो क्यों नहीं मतलब इसकी जांच होनी चाहिए?

**v/; {k egkn; %** बैठिए, बैठिए। बैठिए महेंद्र जी।

**Jh egmz xks y %** ये इस विधानसभा का अधिकार भी है और सरकार का अधिकार भी है। तो आपके माध्यम से कहता हूँ कि ये अधिकार सरकार के पास होने चाहिए। धन्यवाद।

**ekuuh; v/; {k }kj k 0; oLFkk**

**॥ rdrkZ foHkkx I s I csi/kr izuka ds I cik e॥**

**v/; {k egkn; %** मैं इसपे थोड़ी व्यवस्था दे रहा हूँ। तीन साल के इस कार्यकाल में जितना आज पीड़ित और गंभीर मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री को देखा है, मनीष जी को, कभी नहीं देखा और जब वो बोल रहे थे मैं उनके चेहरे की तरफ देख रहा था। उनकी पीड़ा स्पष्ट रूप से झलक रही थी और ये विषय मेरे जब संज्ञान में आया, ये विषय 1951 से लेकर 1956 तक दिल्ली में विधानसभा रही, उस वक्त भी किसी अधिकारी ने इस ढंग

की हिम्मत नहीं की थी। मैं फिर दोहरा रहा हूँ 'किसी भी अधिकारी ने, कितना भी बड़ा अधिकारी रहा हो, इस ढंग की हिम्मत नहीं की थी कि सदन के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जाए। विधान सभा छोड़ दीजिए, 1967 में महानगर परिषद बना, जो शायद 1990 तक चला, उस वक्त भी किसी अधिकारी ने, ये तो विधान सभा महानगर परिषद के दौरान भी किसी ने हिम्मत नहीं की थी कि इस ढंग से दिया जाए। 1993 से लेके 1998 तक अनेक विषय ऐसे आये, जहाँ अधिकारियों को उत्तर देने पड़े, 1998 से लेके कॉग्रेस का शासन रहा, 1998 तक भाजपा का शासन था। 1998 से लेकर पीछे 2013 तक कॉग्रेस का शासन रहा तो भी कभी किसी अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं हुई और मुझे बड़ा गंभीर होना पड़ रहा है, मुझे इस विषय पर सोचना पड़ेगा, सौरभ जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि विधानसभा की कमेटियाँ, विधान सभा की आत्मा होती हैं, एक षडयंत्र के तहत उन कमेटियों को रौंदा जा रहा है, कुछ अधिकारियों द्वारा, मिलीभगत के कारण। और कहीं न कहीं से उसमें ऊपर के नेताओं के केन्द्रीय सरकार की है। मुझे कहने में कोई लिहाज और शर्म नहीं हो रही। मैं ये सारा विषय प्रिविलेज कमेटी को देता हूँ और चीफ सेकट्री को आदेश देता हूँ कि ये तुरंत वापस लें और जो संबंधित विभाग के ये क्वैश्चन हैं, भ्रष्टाचार से लिप्त, इनका तुरंत उत्तर दिया जाए। नहीं तो विषय बहुत गंभीर होगा।

मुझे याद है संज्ञान में वो लागू नहीं हुआ था जिसका विषय अभी उठाया गया तनख्वाह का। इसी विधानसभा के अध्यक्ष को ये कहना पड़ा था कि मैं बजट पर हस्ताक्षर नहीं करूँगा। ये नौबत मत आने दें अधिकारी कि मैं बजट पर हस्ताक्षर न करूँ, ये नौबत अगर आएगी मजबूर होकर इस विधान सभा को निर्णय लेना पड़ेगा कि मैं बजट पर हस्ताक्षर न करूँ। आज

जितना गंभीर विषय इस सदन के सामने आया, कभी शायद भारत के, लोकतंत्र के इतिहास में कभी नहीं आया होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अंग्रेजों का शासन है। मुझे लग ही नहीं रहा, लोकतंत्र है ये और मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि विधानसभा के अध्यक्ष के अधिकारों को, विधानसभा के अधिकारों को बार बार चुनौती न दें। मजबूर होकर विधान सभा को सख्त कदम न उठाने पड़े। मैं ये विषय प्रिविलिज कमेटी को दे रहा हूँ। मांग आई थी पुष्कर जी की, सौरभ जी कि एक दिन की इस पर चर्चा पूरी की जाए। मैं इस पर विचार विमर्श करके कल इसकी सूचना दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।

प्रश्न संख्या पाँच, अखिलेश पति त्रिपाठी जी।

**Jh vf[ky\\$k ifr f=ikBh %** अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 5 प्रस्तुत है:

क्या **jktLo eah** यह बताने की कष्टा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2006–07 से सतर्कता विभाग को भेजे गए राजस्व विभाग से संबंधित मामलों की वर्षवार संख्या क्या है; और

(ख) ऐसे मामलों का विवरण क्या है?

**v/; {k egkn; %** मंत्री जी।

**jktLo eah%** अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या: पाँच का उत्तर प्रस्तुत है:

(क) कुल 75 केसिस सामने आए थे, और

(ख) विवरण संलग्न है।

**Jh vf[ky'sk ifr f=i kBh %** अभी तक कुल 75 मामलों में से कितने मामलों में अभी तक फाइनल स्टेज पे पहुंच गये हैं जांच और सजा हो गयी है उसकी जानकारी देने का कष्ट करें?

राजस्व मंत्री: स्पीकर सर, मैं आपको इसका ब्रेकअप अखिलेश जी, ब्रेक अप पूरा आपको दे रहा हूँ। जिन मामलों में चॉर्जशीट जारी की गयी। 63, जिन मामलों में चॉर्जशीट देना बाकी है -10, कोर्ट में लंबित मामले- 2, जिन मामलों का निर्णय हुआ- 28, जिन मामलों में आरोप सिद्ध हुए- 24, जिन मामलों में आरोप सिद्ध नहीं हुए-4, लंबित मामले- 47।

**Jh vf[ky'sk ifr f=i kBh %** मैंने अभी लिस्ट में देखा किकृ.

**jktLo e=h %** नहीं, नहीं, ये मैंने एंटीसिपेट किया था कि ये सप्लीमेंटरी सवाल आयेगा। इसलिए मैंने मंगा के रखा हुआ था।

**Jh vf[ky'sk ifr f=i kBh %** जी, मैं जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से राजस्व मंत्री से 2008 से ऐसा क्या मजबूरी है, 2008 से भी लेकर आज तक बहुत सारे मामले हैं जो अभी तक लंबित पड़े हैं, तो वो क्यों पड़े हैं; और उस पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? कौन-कौन जिम्मेदार लोग हैं और कब तक उस पर कार्रवाई हो जाएगी, उसकी सूचना सदन को दें ?

**fof/k ,oa U; k; e=h % %Jh dSyk'k xgykr% %** बड़ा कठिन सवाल पूछ रहे हैं और जो सवाल डिप्टी सीएम ने उठाया और आई थिंक इतनी स्ट्रांग लेंगेज में स्पीकर साहब को बोलते हुए मैंने शायद पिछले तीन साल में नहीं सुना। ये आपका जो जवाब है, उन सभी चीजों से निकलता है

कि अगर ऑफिसर्स इस प्रकार से एकाउंटिबिल्टी से पीछे हटेंगे rather I think the entire functioning of this vidhan sabha इसको पूरा स्पीकर साहब सवाल उठाये जा रहे हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो इस हाऊस की जो कमेटीज हैं, वो बिल्कुल इस हाऊस की आत्मा हैं। उन पर सवाल उठाये जा रहे हैं। उन पर लगातार हमले किये जा रहे हैं। विजिलेंस डिपार्टमेंट जो है, सर्विसिज डिपार्टमेंट है, इनसे सवाल करना बिल्कुल मुश्किल है तो I really fail to understand कि आपके जो सवाल हैं, इसका मैं जवाब कैसे दूँ!

v/; {k egkn; % बस अखिलेश जी, दो सप्लीमेंट्री हो गये

Jh vf[ky\\$k ifr f=ikBh % पॉच हैं सर, पॉच की राईट्स हैं सर। तो पॉच सप्लीमेंट्री तो कर सकता हूँ सर।

v/; {k egkn; % नहीं, नहीं। दो से ज्यादा नहीं।

Jh vf[ky\\$k ifr f=ikBh % सर एलाउ कर दीजिये। क्या कोई समय सीमा है?

v/; {k egkn; % नहीं, दो से ज्यादा नहीं।

Jh vf[ky\\$k ifr f=ikBh % क्या कोई समय सीमा है या कोई नियमावली बनी हुई है कि कब तक मामले निबटा दिये जायेंगे? या कोई नियम नहीं है, कब तक जॉच पूरी हो जाती है, कोई समय सीमा तो होगी। कोई नियम तो बने होंगे, वो सारे नियम अगर सूचना में आयें, तो ज्यादा अच्छा होगा।

**fɔf/k , oə U; k; eə=h %** इसकी मैं इन्फॉर्मेशन लेकर आपको देता हूँ।

**v/; tʃ egkn; %** चलिए एनी सप्लीमेंटरी?

इस पर तो मैं समझता हूँ, अब नहीं रहना चाहिए। प्रश्न संख्या—छह श्री पवन कुमार शर्मा जी।

**Jh i ou dəkj "kelk %** उप मुख्यमंत्री जी प्रश्न संख्या—छः का उत्तर देने की कृपा करंगे।

क्या **mi eɪ; eə=h** यह बताने की कष्टा करेंगे कि :

(क) शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रशासित एवं अधिनियमित स्कूलों की आग से सुरक्षा प्रमाण—पत्रों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) सरकार से सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त और सरकारी स्कूलों की सूची जिनके पास अग्नि से सुरक्षा का वैध प्रमाणपत्र नहीं है;

(ग) क्या ऐसे स्कूलों ने इस प्रमाणपत्र हेतु आवेदन किया है; और

(घ) शिक्षा निदेशालय द्वारा दिल्ली के सभी स्कूलों में अग्नि से समुचित सुरक्षा के उपाय और अग्नि से सुरक्षा का वैध प्रमाण पत्र सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**mi eɪ; eə=h %** अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या का उत्तर प्रस्तुत है:

(क)

विद्यालय सरकारी / अधिनियमत	विद्यालयों की संख्या जिनके पास आग से सुरक्षा प्रमाण पत्र हैं	विद्यालयों की संख्या जिनके पास आग से सुरक्षा प्रमाण पत्र नहीं हैं
1 सरकारी विद्यालय	565	162
सहायता प्राप्त विद्यालय	103	105

गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों को मान्यता देने से पहले अग्नि सेवा निदेशालय से वैध प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है;

(ख) सूची संलग्न हैं।

(ग) 1. सभी सरकारी विद्यालयों ने आग से सुरक्षा से प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया है;

2. सहायता प्राप्त 106 विद्यालयों में से 88 विद्यालयों ने इस प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया है;

(घ) शिक्षा विभाग के प्रत्येक विद्यालय में अग्नि से सुरक्षा के लिए प्रमाण पत्र लेने का आवेदन किया है। समय समय पर इसकी निदेशालय के स्तर पर निगरानी की जाती रही है। जिन विद्यालयों को सुरक्षा का प्रमाण पत्र नहीं मिला, उसके लिए शिक्षा निदेशालय द्वारा वर्ष 2013 में रूपये 112.15 करोड़ की व्यय स्वीकृति लोक निर्माण विभाग को जारी की ताकि विद्यालय भवनों में इस संदर्भ में किसी भी तरह की कमी को पूरा किया जा सके।

समय समय पर शिक्षा निदेशालय द्वारा सर्कुलर जारी किये गये हैं जिसमें सभी स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि अग्नि सेवा विभाग द्वारा जारी मापदंड का पालन प्रभावी तौर से सुनिश्चित करें;

गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों को मान्यता देने से पहले अग्नि सेवा निदेशालय से वैध प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।

**jktLo foHkkx ds | rdIrk foHkkx dks Hksts x, ekeyksa dh  
| iph o"kl 2006 | s 2018**

क्रम	आधिकारी का नाम व पद	दिनांक	केस
1	2	3	4

**o"kl 2008**

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. चरण जीत सिंह              | अपनी अधिकार क्षेत्र से बाहर जी.पी.ए. पंजीकृत की। स्टेम्प ड्यूटी कम लगाई। कृषि भूमि सोहना, हरियाणा के दस्तावेजों को पंजीकृत किया |
| 2. सुरेन्द्र सिंह,<br>एस.आर. | अपनी सीमा से बाहर जी.पी.ए. पंजीकृत की।  |
| 3. अनिल कौशल,<br>एस.आर.      | अपनी सीमा से बाहर जी.पी.ए. पंजीकृत की।  |

---

1	2	3	4
---	---	---	---

---

4. ओ.पी. बब्बरवाल भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908,  
भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 व  
2001 के प्रावधान की अवहेलना

#### **O"KZ 2007**

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. अजय वतन,<br>ए.ओ. एवम्     | सरकारी धन का गबन, राशि<br>31,08,996 डी.एस.   |
| 2. शिव शंकर सिंह,<br>एस.आर.  | उप पंजीयक के दौरान पंजीकरण<br>न करना   |
| 3. प्रेम सोन, ग्रेड—<br>पहला | अपनी अधिकार क्षेत्र से बाहर<br>जी.पी.ए. पंजीकृत की। स्टेम्प ड्यूटी<br>कम लगाई। एक आई.आर. दर्ज<br>POC Act, PS ACB |

#### **O"KZ 2008**

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. एम.के. द्वेरी,<br>एस.डी.एम. | 06.07.05 कोर्ट केस की अवहेलना तथा<br>बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय को<br>छोड़ना |
|--------------------------------|---|

#### **O"KZ 2009**

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1. राजेन्द्र सिंह, पूर्व<br>एस.आर. | बाहरी व्यक्ति से गैरकानूनी रूप<br>से दस्तावेज पंजीकरण करने के<br>लिए अवैध पैसे की मांग की। |
|------------------------------------|--|
-

1	2	3	4
2.	सुनील कुमार, एस.आर.	दस्तावेज को बिना सत्यापित के पंजीकरण करना। भूमिदार/जमीन मालिक की पहचान किए बिना दस्तावेजों को पंजीकरण करना।	
3.	मनजीत सिंह राणा, तहसीलदार	गांव शेर पुर की जमाबंदी धौखाधड़ी से करना।	
4.	लखपत्त सिंह, ग्रेड— पहला	50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर सेल डीड के बजाय स्पेशल पावर अर्टानी और अचल संपत्ति को स्थानान्तरित करने की अनुमति देना article 48(f) का उल्लंघन	

**o"kl 2010**

1.	बी.पी. मिश्रा	उप पंजीकरक कार्यालय में दस्तावेज पंजीकरण न करने संबंधी घोर दुराचरण।
2.	पी.के. सोफत, पूर्व	अभ्यार्थी द्वारा आवेदन किए बिना आमदनी प्रमाण पत्र जारी करना।

**o"kl 2011**

1.	आर.एस. सेहरावत,	DLR Act, 1954 & DL Act-1972 का उल्लंघन करते हुए छतरपुर में जमीन की जमाबंदी हेतु आदेश पारित करना
----	-----------------	---

1	2	3	4
2.	एम.बी. तिवारी, एस.आर	तहसीलदार के एन.ओ.सी. लिए बिना नांगलोई गांव में एक सेलडीड रजिस्टर की जोकि राजस्व विभाग के नियम का उल्लंघन।	
3.	ए.के. शर्मा, एस.डी.एम.	PS-ACB द्वारा FIR dated 8.1.2010 POC Act & (सीलमपुर) 120 B 18C के अधीन	
4.	प्रभात ठाकुर	बिना एल.एस.सी. शाखा से बिना अनुमति लिए सेल ग्रेड-पहला/एस.आर.	
5.	एम.एल. जैन, तहसीलदार,	माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2-4-08 सीलमपुर के आदेश के विपरित सेल डीड पंजीकृत की गयी	
6.	बी.पी. मिश्रा	माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2-4-08 के आदेश के विपरित सेल डीड पंजीकृत की गयी	

**O"KZ 2012**

- |    |                        |   |
|----|------------------------|---|
| 1. | अजीत सिंह,<br>तहसीलदार | सी.वी.सी. के संदर्भ भूमि उत्परिवर्तन मामला। |
|----|------------------------|---|

1	2	3	4
2.	वी.पी. सिंह, पूर्व दानिक्स	गांव घरोडा व घरोड़ी बांगर की जमीन से सम्बन्धित एन.ओ.सी. जारी करना	
3.	हरीश बजाज, एस.आर.	आई.जी.आर. आदेश दिनांक 03.01.2017 का उल्लंघन।	
4.	सुशील भारती, तहसीलदार	गलत एन.ओ.सी. जारी की।	
5.	अशोक कुमार तहसीलदार	वर्ष 2011 में 78 जाली आवेदन पत्रों की तहसील पालम से झाईवर के साथ मिलकर गलत नियत से अंकित की गई।	

**o"kl 2013**

1.	वेद प्रकाश, एस.आर.	गांव टिकरी कलां की कृषि भूमि की सेल डीड पंजीकृत करना
2.	जी.एस. शर्मा, एस.आर.	अनाधिकृत दस्तावेज पंजीकृत करना
3.	विनोद कुमार, ग्रेड-पहला,	सी.वी.सी. के संदर्भ, दिल्ली पंजीकरण अधिनियम, 1908 व 1978 का उल्लंघन

1

2

3

4

**Q 2014**

1. समीर शर्मा,  
तहसीलदार दिल्ली लैंड राजस्व नियम 1954  
की अवहेलना।
2. राजेश कुमार,  
भारद्वाज,  
एस.डी.एम. ग्राम सभा भूमि के संदर्भ गैरकानूनी  
आदेश पास किया।
3. ग्राम चन्द,  
एस.डी.एम. सैक्षण 81 डी.एल.आर. एकट 1954  
की अवमानना।
4. मनजीत सिंह आई.जी.आर. के निर्देशों की  
अवमानना व रजिस्ट्रेक्शन 1908 व  
इंडियन स्टेम एकट 1899 की  
अवमानना।
5. शिव कुमार शर्मा,  
एस.आर. तहसीलदार के मामलों में पर्यवेक्षण  
का अभाव
6. अजय रावल,  
एस.डी.एम. उप पंजीयक कार्यालय, गीता  
कालोनी में दस्तावेजों के साथ  
छेड़छाड़।
7. बी.पी. मिश्रा, राजस्व रिकार्ड में गलत प्रविष्टि  
तहसीलदार
8. दयानन्द, एस.डी.एम. ग्रामसभा भूमि के सन्दर्भ राजस्व  
सम्बन्धित गैरकानूनी आदेश पास  
किया।

---

1

2

3

4

9.	हुकमचंद, एस.डी.एम.	ग्राम सभा भूमि के संदर्भ गैरकानूनी आदेश पास किया।
10.	बीरेन्द्र डागर, एस.डी.एम.	अधिकार क्षेत्र से बाहर जी.पी.ए. को पंजीकृत करना
11.	मदन लाल, ग्रेड— पहला	फर्जी ए.सी./ओ.बी.सी. प्रमाण पत्र जारी करना तहसीलदार
12.	राजेन्द्र सिंह, पूर्व एस.आर.	बाहरी व्यक्ति गैरकानूनी रूप से दस्तावेज पंजीकरण करने की मांग की।
13.	सुनील सहनवाल,	चकबंदी के कार्य को पूरे ध्यान कार्य करने में तहसीलदार असफल तथा वितरित रिपोर्ट एस.डी.एम. को सौंपना
14.	नवीन कुमार शर्मा,	उप पंजीयक कार्यालय, आसफ अली रोड में relinquishment deed पंजीकृत नहीं की गयी
15.	के.के. गोस्वामी,	पंजीकरण अधिनियम 1908 और राजस्व विभाग द्वारा दानिक्स/एस.आर. जारी दिशा-निर्देश की अवहेलना

---

1	2	3	4
16.	राकेश चौधरी ग्रेड—पहला	अलीपुर ग्रामसभा जमीन की सतर्कता विभाग द्वारा एफ.आई.आर. 58/06 दिनांक 18/7/2016 दर्ज की गयी	
<b>05/05/2015</b>			
1.	बीरेन्द्र कुमार, एस.आर.	सतर्कता विभाग सर्विलैंस द्वारा की गई दिनांक 05.05.2015 की रिपोर्ट के तहत के गई शिकायत।	
2.	रामपाल सिंह, तहसीलदास	ओ.बी.सी. प्रमाण पत्र श्री आशीष कुमार को जारी करने के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज	
3.	सुरेश चन्द्र वर्मा	सतर्कता विभाग द्वारा 41/06 एफ.आई.आर. दर्ज।	
4.	जे.सी. सहगल, ग्रेड—पहला/ तहसीलदार	ओ.बी.सी. प्रमाण पत्र व आमदनी प्रमाण पत्र जारी करना।	
5.	सोमवीर सिंह, एस.आर.	फर्जी सेलडीड पंजीकृत करना	
6.	धर्मेन्द्र, ग्रेड—पहला/ एसआर,	बाहरी व्यक्ति गैरकानूनी रूप से कार्यालय में घूमते पाए गए।	

1	2	3	4
7.	राकेश कुमार पाण्डे, एस.आर.	बाहरी फर्जी व्यक्ति गैरकानूनी रूप से कार्यालय में घूमते पाए गए।	
8.	एस.पी. मीना, एस.आर. पीतमपुरा	बिना आवश्यक दस्तावेज पूरे किए बिना जी.पी.ए. पंजीकृत कर दी गयी	
9.	जसबीर सिंह, तहसीलदार	वित्त आयुक्त के आदेश पर कार्यवाही करने में असफल और देखभाल में अभाव	
10.	सतीश कुमार, बी.डी.ओ.	वित्त आयुक्त के आदेश पर कार्यवाही करने में असफल और देखभाल में अभाव	
11.	गुलशन कुमार, ग्रेड—पहला	सतर्कता विभाग द्वारा 23/15 एफ.आई.आर. दर्ज।	
12.	महेश चंद शर्मा एस.आर.	बाहरी फर्जी गैरकानूनी रूप से कार्यालय में घूमते पाए गए।	
13.	सुरेश कुमार शर्मा,	समेकित कार्य में अनियमितता पाई गयी समेकन अधिकारी	
o"kl 2016			
1.	रणजीत सिंह झा,	सर्टिफिकेट को जारी करने में देरी। ग्रिड—पहला	

1	2	3	4
2.	बी.एल. मीना, एस.डी.एम.		सर्टिफिकेट को जारी करने में देरी।
3.	राहुल अग्रवाल, दानिक्स		सी.बी.आई. द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज
4.	प्रदीप कुमार, दानिक्स		बिना अधिकृत व्यक्तियों को गांव पूठखुर्द में दो रिहायशी प्लाट आवंटित करने तथा बेचने व खरीदने की अनुमति देना
5.	सोम नायडू, दानिक्स		एल.ए.सी. केस में गैरकानूनी आदेश पारित करना
6.	एच.पी. गौड		सी.बी.सी. के संदर्भ में एफ.आई. आर. दर्ज
7.	जी.के. बत्रा		एफ.आई.आर. दर्ज 145 / 06
8.	अमित कुमार पमसी		एल.ए.सी. केस में गैरकानूनी आदेश पारित करना
9.	तरुण कुमार, तहसीलदार		लापरवाही के लिए न्यायालय द्वारा आदेश पर खजूरी खास थाने में एफ.आई.आर. 390 / 12 दर्ज
10.	राजकुमार उप्पल, एस.आर.		गलत सेलडीड रजिस्टर कि। सैक्षण 34 और 31 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की अवमानना।

1	2	3	4
11.	आर.पी. सिंह, एस.आर.	सतर्कता विभाग द्वारा पी.ओ.सी. एक्ट में केस दर्ज	
12.	दिनेश सिंह, एस.आर.,	भूमि एवं भवन से संबंधित कार्ट केस में लापरवाही सीलमपुर बरतना	
13.	राम ओराव	सफाई सेवा से संबंधित बिलों का भुगतान न करना	

**o"kl 2017**

1.	वी.के. सुमन, एस.आर.	अपनी सीमाक्षेत्र से बाहर सम्पत्ति का पंजीकरण व (कालका जी) प्रशासनिक दिशा निर्देशों की अवहेलना
2.	नवलेन्द्र सिंह, ए.डी.एम.	एल.ए.सी. केस में गैरकानूनी आदेश पारित करना
3.	जी.के. गुप्ता	सब्जी मंडी थाने में एफ.आई.आर. 134 / 82 अधीन 420, 468, 471 दर्ज
4.	रनबीर सिंह, समेकन	अनाधिकृत अनुपस्थिति, बोगस शारीरिक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना

**o"kl 2018**

1.	अजीत सिंह, तहसीलदार	सी.वी.सी. के संदर्भ भूमि उत्तरपरिवर्तन मामला।
----	------------------------	--

**ijd I kexh rkjkfdr itu la 5 fnukd 19&3&2018**

क्रम	अधिकारी का नाम व पद	दिनांक	केस
1	2	3	4
		o"kl 2006	

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. चरण जीत सिंह           | चार्जशीट दे दी गयी है। जांच चल रही है।                        |
| 2. सुरेन्द्र सिंह, एस.आर. | चार्जशीट दे दी गयी है। जांच चल रही है।                        |
| 3. अनिल कौशल,<br>एस.आर.   | जांच पूरी हो गई है आरोप सिद्ध हो गए है। दण्ड लगा दिया गया है। |
| 4. ओ.पी. बब्बरवाल         | चार्जशीट दे दी गयी है। जांच चल रही है।                        |

**o"kl 2007**

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. अजय वतन, ए.ओ.<br>एवम् डी.एस. | जांच पूरी हो गई है गृह मंत्रालय को केस भेजा गया है तथा कोर्ट केस भी लम्बित है। |
| 2. शिव शंकर सिंह,<br>एस.आर.     | जांच पूरी हो गई है गृह मंत्रालय को केस भेजा गया है तथा कोर्ट केस भी लम्बित है। |

---

1

2

3

---

4

3. प्रेम सोन, ग्रेड—पहला न्यायालय में केस लम्बित है

### **o"kl 2008**

1. एम के द्वेदी,  
एस.डी.एम. जांच पूरी हो गई आरोप सिद्ध हो  
गए हैं। दण्ड लगा दिया गया है।

### **o"kl 2009**

1. राजेन्द्र सिंह, पूर्व एस.आर. जांच पूरी हो गई आरोप सिद्ध हो  
गए हैं। दण्ड लगा दिया गया है।
2. सुनील कुमार,  
एस.आर. चार्जशीट दे दी गयी है। जांच  
चल रही है।
3. मनजीत सिंह राणा,  
चल रही है। चार्जशीट दे दी गयी है। जांच
4. लखपत्त सिंह, ग्रेड—  
पहला जांच पूरी हो गई आरोप सिद्ध हो  
गए हैं। दण्ड लगा दिया गया है।

### **o"kl 2010**

1. बी.पी. मिश्रा चार्जशीट दे दी गयी है। जांच  
चल रही है।
2. पी.के. सोफत, पूर्व तहसीलदार जांच पूरी हो गई आरोप सिद्ध हो  
गए हैं। दण्ड लगा दिया गया है।
-

---

1

2

3

4

**0"KZ 2011**

- |   |  |
|---|--|
| 1. आर.एस. सेहरावत,<br>तहसीलदार          | जांच पूरी हो गई आरोप सिद्ध हो<br>गए हैं। दण्ड लगा दिया गया है। |
| 2. एम.बी. तिवारी,<br>एस.आर.             | चार्जशीट दे दी गई है। आरोप<br>सिद्ध नहीं हुए हैं।              |
| 3. ए.के. शर्मा, एम.डी.एम.<br>(सीलमपुर)  | एफ.आई.आर. दर्ज है।   |
| 4. प्रभात ठाकुर ग्रेड—<br>पहला / एस.आर. | चार्जशीट दे दी गयी है। जांच<br>चल रही है।                      |
| 5. एम.एल. जैन,<br>तहसीलदार सीलमपुर      | जांच पूरी हो गई आरोप सिद्ध हो<br>गए हैं। दण्ड लगा दिया गया है। |
| 6. वी.पी. मिश्रा                        | जांच पूरी हो गई आरोप सिद्ध हो<br>गए हैं। दण्ड लगा दिया गया है। |

**0"KZ 2012**

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. अजीत सिंह,<br>तहसीलदार    | चार्जशीट देना बाकी है। जांच<br>चल रही है। |
| 2. पी. सिंह पूर्व<br>दानिक्स | चार्जशीट दे दी गयी है। जांच<br>चल रही है। |
| 3. हरीश बजाज,<br>एस.आर.      | चार्जशीट देना बाकी है। जांच<br>चल रही है। |
-

1	2	3	4
4.	सुशील भारती, तहसीलदार	चार्जशीट दे दी गयी है। जांच चल रही है।	
5.	अशोक कुमार, तहसीलदार	जांच पूरी हो गई है आरोप सिद्ध हो गए हैं। दण्ड लगा दिया गया है।	
<b>o"kl 2013</b>			
1.	वेद प्रकाश, एस.आर.	जांच पूरी हो गई आरोप सिद्ध हो गए हैं। दण्ड लगा दिया गया है।	
2.	जी.सी. शर्मा एस.आर	चार्जशीट दे दी गयी है। जांच चल रही है।	
3.	विनोद कुमार ग्रेड— पहला, एस.आर. रोहिणी	जांच पूरी हो गई आरोप सिद्ध हो गए हैं। दण्ड लगा दिया गया है।	
<b>o"kl 2014</b>			
1.	समीर शर्मा, तहसीलदार	चार्जशीट दे दी गयी है। जांच चल रही है।	
2.	राजेश कुमार भारद्वाज, एस.डी.एम.	चार्जशीट दे दी गयी है। जांच चल रही है।	
3.	याम चन्द, एस.डी.एम.	चार्जशीट दे दी गयी है। जांच चल रही है।	

1	2	3	4
4.	मनजीत सिंह हुड्डा एस.आर.	चार्जशीट दे दी गयी है। जांच चल रही है।	
5.	शिवकुमार शर्मा, एस.आर	चार्जशीट दे दी गयी है। जांच चल रही है।	
6.	अजय रावण, एस.डी.एम.	जांच पूरी हो गई आरोप सिद्ध हो गए हैं। दण्ड लगा दिया गया है।	
7.	बी.पी. मिश्रा, तहसीलदार	चार्जशीट दे दी गयी है। जांच चल रही है।	
8.	दयानन्द, एस.डी.एम.	चार्जशीट दे दी गयी है। जांच चल रही है।	
9.	हुक्मचंद, एस.डी.एम.	चार्जशीट दे दी गयी है। जांच चल रही है तथा एफ.आई.आर. भी लम्बित है।	
10.	बीरेन्द्र डागर, एस.आर.	जांच पूरी हो गई आरोप सिद्ध हो गए हैं। दण्ड लगा दिया गया है।	
11.	मदन लाल ग्रेड— पहला तहसीलदार	जांच पूरी हो गई आरोप सिद्ध हो गए हैं। दण्ड लगा दिया गया है।	
12.	राजेन्द्र सिंह, पूर्व एस.आर.	जांच पूरी हो गई आरोप सिद्ध हो गए हैं। दण्ड लगा दिया गया है।	

1	2	3	4
13.	सुनील सहनवाल, तहसीलदार	जांच पूरी हो गई आरोप सिद्ध हो गए हैं। दण्ड लगा दिया गया है।	
14.	नवीन कुमार शर्मा एस.आर. आसफ अली रोड़	चार्जशीट दे दी गयी है। जांच चल रही है।	
15.	के.के. गोस्वामी, दानिक्स / एस.आर.	चार्जशीट दे दी गयी है। जांच चल रही है।	
16.	राकेश चौधरी ग्रेड—	चार्जशीट दे दी गयी है। जांच चल रही है।	

## o"kl 2015

1.	बीरेन्द्र कुमार, एस.आर.	जांच पूरी हो गई आरोप सिद्ध हो गए हैं। दण्ड लगा दिया गया है।
2.	रामपाल सिंह, तहसीलदार	जांच पूरी हो गई आरोप सिद्ध हो गए हैं। दण्ड लगा दिया गया है।
3.	सुरेश चन्द्र वर्मा	चार्जशीट देना बाकी है। जांच चल रही है।
4.	जे.सी. सहगल, ग्रैंड-पहला / तहसीलदार	चार्जशीट दे दी गयी है। जांच चल रही है।
5.	सोमवीर सिंह, एस.आर.	चार्जशीट देना बाकी है। जांच चल रही है।

1	2	3	4
6.	धमेन्द्र, ग्रेड—पहला/ एस.आर. महरौली	चार्जशीट देना बाकी है। जांच चल रही है।	
7.	राकेश कुमार पाण्डे, एस.आर.	जांच पूरी हो गई आरोप सिद्ध हो गए हैं। दण्ड लगा दिया गया है।	
8.	एस.पी. मीना, एस.आर. पीतमपुरा	चार्जशीट दे दी गयी है। जांच चल रही है।	
9.	जसबीर सिंह, तहसीलदार	चार्जशीट दे दी गयी है। जांच चल रही है।	
10.	सतीश कुमार, बी.डी.ओ.	चार्जशीट दे दी गयी है। जांच चल रही है।	
11.	गुलशन कुमार, ग्रेड— पहला	चार्जशीट दे दी गयी है। जांच चल रही है।	
12.	महेश चंद शर्मा एस.आर.	जांच पूरी हो गई है आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं।	
13.	सुरेश कुमार शर्मा, समेकन अधिकारी	चार्जशीट दे दी गयी है। जांच चल रही है।	

**O'KZ 2016**

- |    |                              |  |
|----|------------------------------|--|
| 1. | रणजीत सिंह झा,<br>ग्रेड—पहला | चार्जशीट देना बाकी है। जांच चल रही है। |
|----|------------------------------|--|

1	2	3	4
2.	बी.एल. मीना, एस.डी.एम.	चार्जशीट देना बाकी है। जांच चल रही है।	
3.	राहुल अग्रवाल, दानिक्स	चार्जशीट दे दी गयी है। जांच चल रही है।	
4.	प्रदीप कुमार, दानिक्स	चार्जशीट दे दी गयी है। जांच चल रही है।	
5.	सोम नायडू, दानिक्स	चार्जशीट देना बाकी है। जांच चल रही है।	
6.	एच.पी. गौड़	न्यायालय का फैसला आ गया है। कर्मचारी को सजा हो गयी है।	
7.	जी.के. बत्रा	चार्जशीट दे दी गयी है। जांच चल रही है।	
8.	अमित कुमार पमसी	चार्जशीट दे दी गयी है। जांच चल रही है।	
9.	तरुण कुमार, तहसीलदार	न्यायालय का फैसला आ गया है। कर्मचारी आरोप मुक्त हो गया है।	
10.	राजकुमार उप्पल, एस.आर.	जांच पूरी हो गई है आरोप सिद्ध हो गए हैं। दण्ड लगा दिया गया है।	
11.	आर.पी. सिंह, एस.आर.	चार्जशीट दे दी गयी है। जांच चल रही है।	

---

1	2	3	4
---	---	---	---

---

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 12. दिनेश सिंह, एस.आर.<br>सीलमपुर | जांच पूरी हो गई है आरोप सिद्ध हो गए हैं। दण्ड लगा दिया गया है। |
| 13. राम ओराव                      | चार्जशीट दे दी गयी है। जांच चल रही है।                         |

### **Q 2017**

- |   |  |
|---|--|
| 1. वी.के. सुमन,<br>एस.आर.<br>(कालका जी) | चार्जशीट दे दी गयी है। जांच चल रही है। |
| 2. नवलेन्द्र सिंह,<br>ए.डी.एम.          | चार्जशीट दे दी गयी है। जांच चल रही है। |
| 3. जी.के. गुप्ता                        | चार्जशीट देना बाकी है। जांच चल रही है। |
| 4. रनबीर सिंह, समेकन<br>अधिकारी         | चार्जशीट दे दी गयी है। जांच चल रही है। |

### **Q 2018**

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. अजीत सिंह,<br>तहसीलदार | चार्जशीट देना बाकी है। जांच चल रही है। |
|---------------------------|--|
-

**List of Govt. Schools which do not have Fire Safety Certificate**

Sl. No.	Name of School
1	Veer Sarvarkar Govt. Sarvodaya Kanya Vidyalaya No.1 Kalkaji, New Delhi - 110019.
2	Govt. Girls Sr. Sec. School No.3, Badarpur, New Delhi - 110044.
3	Sarvodaya Kanya Vidyalaya, East of Kailash, New Delhi.
4	Sarvodaya Kanya Vidyalaya, Noor Nagar, Okhla, New Delhi - 110025.
5	Govt. Girls Sr. Sec. School, Tigri, Dr. Ambedkar Nagar, Sec-4, New Delhi - 62
6	Sarvodaya Kanya Vidyalaya No.2, Mehrauli, New Delhi -110030.
7	Ramanujan Sarvodaya Kanya Vidyalaya, Mehrauli, New Delhi -110030.
8	Govt. Sarvodaya Kanya Vidyalaya, Vijay Nagar, Delhi -110007.
9	Sarvodaya Kanya Vidyalaya, Pratap Nagar, Delhi -110007.
10	Govt. Girls Sr. Sec. School, No.2, Shakti Nagar, Delhi -110007.
11	Sarvodaya Kanya Vidyalaya, Gulabi Bagh, Delhi -110007.
12	SKV No.2, Zeenat Mahal, Lal Kuan, Delhi - 06.
13	SKV, A-Block (Plot No.5), Jahangirpuri, Delhi - 33
14	Govt. Boys Secondary School, Matia Mahal, Jama Masjid, Delhi - 06
15	GGMS (UM), Bulbuli Khana, Kali Masjid, Delhi - 06
16	GSV, Lancer Road, Lucknow Road, Delhi - 54.

Sl. No.	Name of School
17	SKV No.1, Jama Masjid, Delhi - 06
18	GGMS (UM), Lambi Gali, Hauz Kazi, Delhi - 06.
19	GGSS, Bela Road, Darya Ganj, New Delhi - 02.
20	GGSS (UM), Kalan Mahal, Darya Ganj, New Delhi - 02
21	RSKV No.2, Jama Masjid, Delhi - 06
22	GGSSS, Panama Building, Jama Masjid, Delhi - 06
23	GGSSS, E-Block, Jahangirpuri, Delhi - 33
24	GGSSS, Chashma Building, Ballimaran, Delhi.
25	SKV, Deewan Hall, Gali Jog Dhyan, Delhi - 06.
26	Govt. Co-Ed. Middle School, Chandni Chowk, Delhi - 06.
27	Govt. Co-Ed. Sec. School, Sushila Mohan Marg, Naya Bazar, Delhi - 06.
28	GGSSS, K-Block, Jahangirpuri, Delhi - 33.
29	RPVV, Nai Basti Kishan Ganj, Delhi.
30	GSKV No.1, Shakti Nagar, Delhi - 07.
31	SKV, Timarpur, Delhi - 110054.
32	SKV, Kedar Building, Subzi Mandi, Ghanta Ghar, Delhi - 110007.
33	SKV, Daya Nand Road, Darya Ganj, New Delhi - 02.
34	GGSSS, Chabi Ganj, Kashmiri Gate, Delhi - 06.

Sl. No.	Name of School
35	SKV, GTB Nagar, Delhi-09.
36	SKV. Malka Gani, Delhi -07.
37	SKV, Anand Vihar, Delhi-92.
38	GBSSS, Chandu Nagar, Krishna Nagar, C-Block, Delhi.
39	GSKV, Radhey Shyam Park, Delhi - 51.
40	RSKV, Kalyanvastu, Delhi - 91.
41	GSKV, Laxmi Nagar, Delhi - 92.
42	RSKV, Bhola Nath Nagar, Shahdara, Delhi.
43	RSBV, Kalyanpuri, Delhi - 91.
44	Govt. Co-Ed. Sr. Sec. School, Shiv Puri, Delhi - 51.
45	Govt. Sarvodaya Kanya Vidyalaya, New Seemapuri, Delhi - 95.
46	Rajkiya Sarvodaya Vidyalaya No.1, Bhola Nath nagar, Shahdara, Delhi - 110032.
47	Govt. Sarvodaya Bal Vidyalaya, Pahar Ganj; (Kaseru Walan), New Delhi - 55 -
48	SKV, Gazipur, Delhi - 96
49	Govt. Sr. Sec. School, J.J. Camp, Naraina, New Delhi -110012.
50	Govt. Girls Sr. Sec. School, West Patel Nagar, New Delhi - 110008
51	Rajkiya Senior Sec. School, shastri Nagar, Delhi.

Sl. No.	Name of School
52	Govt. Boys Middle School (U.M.), Tagore Gali, Gali bansi Koeley Wali, Ajmeri Gate, Delhi -110006.
53	Govt. Boys Sec. School, Shadi Khampur, New Delhi -110008.
54	Govt. Sarvodaya Bal Vidyalaya, A-Block, Vikas Puri, New Delhi -110018.
55	Govt. Sarvodaya Bal Vidyalaya No.l, Tilak Nagar, New Delhi -110018.
56	SKV No.3, Tilak Nagar, New Delhi -110018.
57	Sarvodaya Kanya Vidyalaya, Uttam Nagar, New Delhi -110059.
58	Govt. Sarvodaya Kanya Vidyalaya, Mohan Nagar, New Delhi -110059.
59	Govt. Co-Ed. Sec. School, Mohan Garden, New Delhi -110059.
60	Govt. Co-Ed. Sr. Sec. School, Sec-22, Dwarka, New Delhi - 77.
61	Sarvodaya Kanaya Vidyalaya, Vikaspuri (DC), New Delhi -110018.
62	Sarvodaya Kanya Vidyalaya No.l, Sagarpur, New Delhi -110046.
63	Govt. Girls Sr. Sec. School, G-Block, Vikaspuri, New Delhi -110018.
64	Govt. Boys Sr. Sec. School No.l, Rajouri Garden (Ext.), New Delhi- 27.
65	Govt. Girls Sr. Sec. School, D-block, Ashok Vihar, Phase-I, Delhi - 110052.
66	Govt. Girls Sr. Sec. School, Tulsi Nagar, Delhi - 110035.

Sl. No.	Name of School
67	Govt. Sarvodaya Co-Ed. Sr. Sec. School, C-Block, Mangol Puri, Delhi -110083.
68	Govt. Girls Senior Secondary School, Gali Baraf Wali, Kinari Bazar, Delhi -110006
69	Govt. Sr. Sec. School, Hastal JJ Colony, Delhi.
70	Govt. Co-Ed. Secondary School, Vipin Garden, New Delhi - 110059.
71	Sarvodaya Bal Vidyalaya, Deendarpur, New Delhi -110043.
72	Govt. Co-Ed. Sr. Secondary School, Site-II, Dwarka, New Delhi.
73	Sarvodaya Kanya Vidyalaya, Rajouri Garden Main, New Delhi - 27.
74	Govt. Co-Ed. Secondary School, Bhorganah, Delhi -110040.
75	Govt. Girls Senior Secondary School, AP Block, Shalimar Bagh, Delhi -110088.
76	Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalaya, Sector A-10, Pkt-5, Narela, Delhi -110040.
77	Govt. Sarvodaya Bal Vidyalaya, Moti Nagar, New Delhi -110015.
78	Updesh Kaur Sarvodaya Kanya Vidyalaya, Dariya Pur Kalan, New Delhi -110039.
79	Govt. Sarvodaya Kanya Vidyalaya, Badli, Delhi -110042.
80	Govt. Sarvodaya Girls Sr. Sec. School, A-Block, Keshav Puram, Delhi - 110035.

Sl. No.	Name of School
81	Govt. Sarvodaya Kanya Vidyalaya No.1, Keshave Puram, New Delhi - 35.
82	Govt. SKV, B (AH) Block, Shalimar Bagh, Delhi - 110088.
83	Govt. Co-Ed. Sec. School, Raghbir Nagar, JJ Colony, New Delhi.
84	GBSS, Kanjhawala, Delhi.
85	Sarvodaya Kanya Vidyalaya, Ramesh Nagar, New Delhi -110027.
86	Govt. SKV, No.2, Shakur Pur, Delhi -110034.
87	Govt. Co-Ed. Sr. Sec. School, Gopal Park, Delhi -110033.
88	Sampurnanand SKV, C-I, Yamuna Vihar, Delhi - 53.
89	Babu Ram GSBV, Bhola Nath Nagar, Shadara, Delhi - 32.
90	Govt. SBV No.1, New Seelampur, Delhi - 53.
91	Sarvodaya Co-Ed. Sec. School, LP. Extn., Patpar Ganj, Delhi -110092.
92	GGSSS, B-Block, Meet Nagar, Delhi -110094.
93	Govt. Girls Sec. School, Braham Puri, Delhi - 53.
94	Govt. Girls Senior Secondary School No.2, Tukmeer Pur, Near Sherpur Chowk, Delhi - 110094.
95	Govt. Sarvodaya Kanya Vidyalaya, Gokal Puri, Delhi -110094.
96	Govt. Co-Ed. Middle School, Johripur, Delhi -110094.
97	Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalaya, IP Extn. Delhi.

Sl. No.	Name of School
98	Govt. Girls Sec. School, Idgah Road, Delhi.
99	Govt. Boys Middle School, Model Basti, New Delhi - 110005.
100	Govt. Sarvodaya Kanya Vidyalaya, C-Block, Sultan Puri, Delhi.
101	Govt. Girls Secondary School, Ashok Nagar, Delhi - 110094.
102	Govt. Girls Sr. Sec. School, Vivek Vihar Ph-ll, Delhi - 110095.
103	Govt. Sarvodaya Kanya Vidyalaya, Buland Masjid, Shastri Park, Delhi - 110053.
104	Govt. Girls Sr. Sec. School No.3, Bhola Nagar, Shahdara, Delhi - 32.
105	Vishvamitra Govt. Sarvodaya Kanya Vidyalaya, (1st Shift), Seema Puri, Delhi - 95.
106	Rajkiya sarvodaya Kanya Vidyalaya, West Vinod Nagar, Delhi - 92.
107	Govt. Boys Secondary School, Kalyan Puri, Delhi - 110091.
108	Govt. Sarvodaya Kanya Vidyalaya No.2, Khyala, New Delhi -110018.
109	Govt. Girls Sr. Sec. School, Shalimar Village, Delhi -110088.
109	Govt. Girls Senior Secondary School, Shalimar Village, Delhi -110088.
110	G.G.S.S., Raghbir Nagar, J.J. Colony, New Delhi.
111	Govt. Sarvodaya Bal Vidyalaya No.l, Shakurpur, Delhi -110034.
112	Sarvodaya Kanya Vidyalaya, S.P. Road, Nangloi, Delhi - 110041.
113	Govt. Sarvodaya Kanya Vidydlayd, Muti Ndgar, New Delhi 11001

Sl. No.	Name of School
114	Sarvodaya Bal Vidyalaya, Narela, Delhi -110040.
115	Govt. Sarvodaya Co-Ed. Sr. Sec. School, Nilo thi, Delhi -110041.
116	Govt. Sarvodaya Kanya Vidyalaya, Inder Lok, Delhi - 110035.
117	Sarvodaya Vidyalaya, FU-Blcok, Pitampura, Delhi -110034.
118	Govt. Sarvodaya Co-Ed. Vidyalaya, Peera Garhi Village, Delhi - 110087.
119	Sarvodaya Co-Ed. Vidyalaya, Sec-2, R.K. Puram, New Delhi - 22.
120	SBV, Tughlakabad Extn., New Delhi.
121	Sarvodaya Bal Vidyalaya, Dr. Ambedkar Nagar, Sec-IV, New Delhi -110062.
122	Govt. Girls Sr. Secondary School, Madanpur Khadar, New Delhi -110076.
123	Govt. Girls Sr. Sec. School No.4 (Morning Shift), Molar Band, New Delhi -110044.
124	Govt. Boys Sr. Sec. School, Ghitorni, New Delhi - 110030.
125	Govt. S.V. Dr. Ambedkar Nagar, Sec-V, New Delhi - 110062.
126	Bachan Parsad Sarvodaya Kanya Vidyalaya, Deoli, New Delhi -110080.
127	GGSS, DDA Flats, kalkaji, New Delhi.
128	Govt. Sarvodaya Kanya Vidyalaya, Noor Nagar, Okhla, New Delhi -110025.

Sl. No.	Name of School
129	Sarvodaya Bal Vidyalaya (GVP), Sriniwas Puri, New Delhi -110065.
130	Govt. Girls Sr. Sec. School, Sec-4, (Extn.), Rohini, Delhi -110085.
131	Govt. Sarvodaya Bal Vidyalaya, A-Block, Sultanpuri, Delhi - 110086.
132	Govt. Co-Ed. Sr. Sec. School, G-Block, Mangol Pur Khurd, Delhi.
133	Govt. Sarvodva Co-Ed. Vidyalaya, New Multan Nagar, New Delhi -110056.
134	Govt. Girls Sr. Sec. School, Nathupura, Tomer Colony, Delhi -110084.
135	Govt. Co-Ed. Sr. Sec. School, Sec-15, Rohini, Delhi -110085.
136	Govt. Sr. Sec. School, Sec-21, Phase-Ill, Rohini, Delhi -110085.
137	Govt. Sarvodaya Bal Vidyalaya, Pharsad Pur, Banger, Delhi -110042.
138	RP Sarvodaya Kanya Vidyalaya, Rithala, Delhi - 110085.
139	SBV No.1 (U.M.), Adjoining Jama Masjid, Delhi.
140	GGSSS, Pataudi House, Darya Ganj, Delhi.
141	GGSS, Near bartan Market, Deputy Ganj, Delhi.
142	SV, Old Seelam Pur, Delhi.
143	GGMS, East Rohtas Nagar, Shahdara, Delhi.
144	GGSS, G.T. Road, Shahdara, Delhi,
145	RDJK Co-Ed. School, Bhajanpura, Delhi.

Sl. No.	Name of School
146	GGSS, D-Block, Harsh Vihar, Behind Mandoli, Jail, Delhi.
147	Govt. Co-Ed. SS, Pradhan Enclave, Baprola Vihar, Delhi.
148	Govt. Co-Ed. SS, pradhan Chowk, Vikas Nagar, Delhi.
149	Govt. Co-Ed SS, Ranaula, Delhi.
150	SKV, C-Block, Janakpuri, New Delhi.
151	SKV, A-Blcok, Vikaspuri, New Delhi.
152	Govt. Co-Ed. SS, B-3 Block, Pashchim Vihar, Delhi.
153	SKV, P-Block, Mohan Garden, Near DAV Water Tank, New Delhi
154	Sarvodaya Co-Ed. Vidyalaya, Mehram Nagar, New Delhi.
155	GGSS No.2, D-Block, Janakpuri, New Delhi.
156	GGSSS, B-1 Blcok, Vasant Kunj, New Delhi.
157	SBV, Tigri Road, Sadar Bazar, Delhi Cantt., New Delhi.
158	Josi Marti SV, Sec-12, R.K. Puram, New Delhi.
159	GGMS, Sec-4, R.K. Puram, New Delhi.
160	Govt. Co-Ed. SSS, Laxmibai Nagar, New Delhi.
161	GBSSS, Sec-3, R.K. Puram, New Delhi.
162	SV Co-Ed. Munirka Village, New Delhi.

तारँकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर 75

28 फाल्गुन, 1939 (शक)

**List of Govt. Aided Schools which do not have 'Fire Safety Certificate' regarding reply of  
Vidhan Sabha Q.No.6(B)**

Sl.No.	Distt.	Zone	School ID	School Name
1.	East	01	1001144	Jain Sec. School, Gali Jain Mandir, Shahadara, Delhi.
2.	East	01	1001145	Sanatan Dharam Sr. Sec. School, Shahdara, Delhi.
3.	East	01	1001146	Lalita PD Girls Sr. Sec. School, Shahadara Anaj Mandi, Delhi.
4.	East	01	1001147	DAV No. 2 Sr. Sec. School, Shankar Nagar, Delhi.
5.	East	01	1001148	Nehru Adarsh Sr. Sec. School, Old Seelampur East, Delhi.
6.	East	01	1001150	Ratan Devi Arya Girls Sr. Sec. School, Krishan Nagar, Delhi.
7.	East	01	1001206	Premala Bai Chavan School for the Deaf, Plot No 4 & 7 Institutional Area, Karkadi Mode, Delhi
8.	East	03	1003196	Alok Bharti Sec. School, Khurej Khas, Delhi.
9.	East	03	1003197	DAV No.1 Sr. Sec. School, Gandhi Nagar, Delhi.
10.	East	03	1003198	Guru Nanak birls Sr. Sec. School, Gandhi Nagar, Delhi.
11.	East	03	1003199	Mahamana Middle School, Jagatpuri, Block-B, Delhi.
12.	East	03	1003201	Jain Kanya Middle School, Kailash Nagar, Gali No. 2, Delhi.

Sl.No.	Distt.	Zone	School ID	School Name
13.	North East	04	1104159	Alok Punj Sec. School, Karwal Nagar, Delhi.
14.	North East	06	1106144	Nehru Memo. Middle School, Shahadara, Mandoli Road, Delhi.
15.	North	07	1207140	Guru Nanak Girls Sr. Sec. School, Singh Sabha Road, Sabji Mandi, Delhi.
16.	North	07	1207142	Neo Art Co-ed. Middle School, Kamlा Nagar, Delhi.
17.	North	07	1207144	R B Ram Roop Vidya Mandir, Shakti Nagar, Delhi.
18.	North	07	1207145	Rawalpindi S. D. Sr. Sec. School, Sabzi Mandi, Delhi.
19.	North	08	1208114	Arya Girls Sr. Sec. School, Teliwara, Delhi.
20.	North	08	1208116	Bansi Dhar Memo Sr. Sec. School, 3977, Gali Arihan, Pahari Dhiraj, Delhi.
21.	North	08	1208120	Govind Ram Gurukul Sec. School, Old Rohtak Road, Rambagh, Delhi.
22.	North	08	1208121	Hira Lai Jain Sr. Sec. School, Sadar Bazar, Delhi.
23.	North	08	1208122	Jain Samnopask Sr Sec. School, Sadar Bazar, Delhi.

24.	North	08	1208123	Jain Sanskrit Comm Sr. Sec. School, Kucha Seth, Chandni Chowk, Delhi.
25.	North	08	1208124	LD Jain Girls Sr. Sec. School, 4059-60, Pahari Dhiraj, Delhi.
26.	North	08	1208125	LN Girdhari Lai Sr. Sec. School, Fatehpuri, Bagh Dewan, Delhi.
27.	North	08	1208126	Shree Laxmi Girls Sr. Sec. School, Khari Bawli, Kucha Chalan, Delhi.
28.	North	08	1208127	Fatehpuri Muslim Sr. Sec. School, Fatehpuri, 1 Delhi.
29.	North	08	1208128	Phool Chand Vaish School, Pahari Dhiraj, Delhi.
30.	North	08	1208130	Ramjas No. 3 Sr. Sec. School, Chandni Chowkm Kucha Natwan, Delhi.
31.	North	08	i 1208131	RSL Narain Saraswati Girls Sr. Sec. School Chandni Chowk, Katra Neel, Delhi.
32.	North	08	1208132	SGTB Girls Sr. Sec. School, Pul Bangash, Delhi.
33.	North	08	1208134	Shafique Memo Sr. Sec. School, Bara Hindu Rao, Delhi.
34.	North	08	1208135	SAS Sher-I-Punjab Pindi Gheb Khalsa Sr. Sec. School,Doriwalan, Guru Govind Singh Marg, Karol Bagh, New Delhi.

Sl.No.	Distt.	Zone	School ID	School Name
35.	North	08	1208137	Shri Guru Nanak Khalsa School, Bara Hindu Rao, Ahta Kedara,Delhi.
36.	North	08	1208138	Shri Shiv Kutti Middle School, Shiv Kutti, Teliwara, Delhi.
37.	North	08	1208139	SGTB Sr. Sec. School, Gurdwara Sis Ganj, Chandni Chowk, Delhi.
38.	North	08	1208228	Dau Daval Arvavedic Sr. Sec. School. Naya Bans, Delhi.
39.	North	10	1310056	St. John Co-ed Sec. School, Khera Khurd, Delhi-82.
40.	North	10	1310206	DAV Sr. Sec. School, Samaipur Badli, Delhi-42.
41.	North	11	1411126	Manender Shakti Vidyalya, B-3, Keshavpuram, Delhi-35. West-B
42.	West-A	14	1514045	Sukho Khalsa Sr. Sec. School, Jail Road, Fateh Nagar, Delhi.
43.	West-A	15	1515081	Kalgidhar Khalsa Sr. Sec. School, Subhash Nagar, Delhi.
44.	West-A	15	1515082	Swami Shiva Nand Memo Sr. Sec. School, Punjabi Bagh, Delhi.

45.	West-A	15	1515083	Sri Hanuman Sanskrit Mahavidyalaya, Raghbir Nagar, Delhi.
46.	West-A	16	1516074	Bhai Bibi Singh Khalsa Sr. Sec. School, Moti Nagar, Delhi.
47.	West-A	16	1516076	SD Gujarati Sec. School, Kirti Nagar, Delhi.
48.	West-A	16	1516078	Bhai Joga Singh Khalsa Girls Sr. Sec. School, West Patel Nagar, Delhi.
49.	West-A	16	1516079	SD Girls Sr. Sec. School, East Patel Nagar, Delhi
50.	West-A	16	1516080	Maharaja Ranjit Singh Middle School, Ranjit Nagar, Delhi.
51.	West-A	16	1516081	Shri Guru Arjan Dev Sec. School, Shadipur, Delhi.
52.	West-B	18	1618079	DTEA Sr. Sec. School, Janakpuri, Block-B, Delhi.
53.	West-B	18	1618080	Andhra Education Society Sr. Sec. School, B-3, Janakpuri, Delhi.
54.	West-B	18	1618083	Rashtrya Virja Nand Andh Kanya Vidyalya, Janakpuri, Delhi.
55.	SW-A	19	1719076	Khalsa Middle School, Sarojini Nagar, New Delhi.
56.	SW-A	19	1719081	Telgu Middle School R. K. Puram, Sector-2, New Delhi.
57.	SW-A	19	1719082	Hope Hall Middle School R.K.Puram, New Delhi.
58.	SW-A	20	1720083	Air Force Sr. Sec. School Palam, New Delhi.

तारँकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर 80

19 मार्च, 2018

Sl.No.	Distt.	Zone	School ID	School Name
59.	SW-A	20	1720088	Moueline Air Force Primary School, Palam, Delhi Cantt., New Delhi.
60.	South	23	1925199	MB DAV Sr. Sec. School Yusuf Sarai, New Delhi.
61.	New Delhi	26	2026021	DTEASr. Sec. School Mandir Marg, New Delhi.
62.	New Delhi	26	2026023	Daya Nand Model Girls Sr. Sec. School, Mandir Marg, New Delhi
63.	New Delhi	26	2026115	Andh Mahavidyalaya Middle School, Punchkuian Road, New Delhi.
64.	New Delhi	26	2026116	Bal Sahyog Middle School Comnaught Place, New Delhi.
65.	Central	27	2127079	ARSDSr. Sec. School Kundewalan, Ajmeri Gate, New Delhi.
66.	Central	27	2127082	Anglo Arabic Sr. Sec. School Ajmeri Gate, New Delhi.
67.	Central	27	2127083	Arya Samaj Girls Sr. Sec. School, Gali Raja Kedar Nath, Chawri Bazar, Delhi.
68.	Central	27	2127084	BD Arya Girls Sr. Sec. School 1470, Gali Arya Samaj, Sita Ram Bazar, New Delhi.

69.	Central	27	2127085	BR Sanskrit Ved Veda Maha Vidyalaya,Rajghat Power House, New Delhi.
70.	Central	27	2127089	Guru Nanak Girls Middle School Kali Masjid,Bazar Sita Ram, New Delhi.
71.	Central	27	2127090	Hakim Ajmal Khan Girls Sec. School, Darya Ganj, New Delhi.
72.	Central	27	2127091	Inderprastha Hindu Girls Sr. Sec. School, Jama Masjid, Delhi.
73.	Central	27	2127092	Jain Boys Sr. Sec. School Darya Ganj, New Delhi.
74.	Central	27	2127093	Jain Girls Sr. Sec. School 2514,Dharampura, Chandni Chowk, New Delhi.
75.	Central	27	2127094	Kamlesh Balika Middle School 2046, Bazar Sita Ram, Delhi.
76.	Central	27	2127095	Marwari Sr. Sec. School Nai Sarak, Delhi.
77.	Central	27	2127096	Mazhar-Ul-Islam Sec. School 1436, Chhatta Nawab Sahib, Frash Khana, Delhi.
78.	Central	27	2127097	Nav Shakti Girls Sr. Sec. School, 11, Vishnu Digamber Marg, Rouse Avenue, N.Delhi.
79.	Central	27	2127098	Nav Shakti Vidyा Mandir Sr. Sec. School, PaharGanj, New Delhi.

Sl.No.	Distt.	Zone	School ID	School Name
80.	Central	27	2127101	Ramjas No. 6 Sec. School Bazar Sita Ram, Hauz Rani, New Delhi.
81.	Central	27	2127103	Rani Dutta Arya Vidyalyaya 1488, Pataudi House, Darya Ganj, New Delhi.
82.	Central	27	2127104	Rohtagi AVHS Sr. Sec. SchoolNai Sarak, Chowk Rajji, New Delhi.
83.	Central	27	2127112	Shri Ram Dal Sanskrit Mahavidlaya,1612, Dariban Kalan, N.Delhi.
84.	Central	27	2127113	St. Anthony Boys Sec. School Pahar Ganj, New Delhi.
85.	Central	27	2127115	Sharda Devi Sanskrit MahavidyalayaTiraha Berham Khan, Darya Ganj New Delhi.
86.	Central	27	2127119	Islamia Middle School2134-2138, Pahari Bhojla, New Delhi.
87.	Central	28	2128077	Andhra Education Society Sr. Sec. School Prasad Nagar, New Delhi.
88.	Central	28	2128078	Arya Girls Sr. Sec. SchoolKarol Bagh, Reghar Pura, New Delhi.

89.	Central	28	2128079	Baba Sahib Ambedkar Sec. School Ambedkar Bhawan, Ram Jhansi Road, Pahar Ganj, New Delhi.
90.	Central	28	2128084	DI Khan Boys Sr. Sec. School R-Block, New Rajinder Nagar, New Delhi
91.	Central	28	2128086	JVSD Sr. Sec. School Jhandewalan, D-2, LinkRoad, New Delhi.
92.	Central	28	2128087	Jain Vidya Mandir Girls Middle School, Karol Bagh, New Delhi.
93.	Central	28	2128088	Khalsa Girls Sr. Sec. School Pahar Ganj, Chuna Mandi, New Delhi.
94.	Central	28	2128091	Nutan Marathi Sr. Sec. School Pahar Ganj, New Delhi.
95.	Central	28	2128096	S. Akalibaba Phoolasingh Sr. Sec. School, Rajinder Nagar, New Delhi.
96.	Central	28	2128097	SGTB Khalsa Boys Sr. Sec. School, Dev Nagar, New Delhi.
97.	Central	28	2128100	Sathbirwan Girls Sr. Sec. School, Karol Bagh, Arya Samaj Road, New Delhi.
98.	Central	28	2128102	Vidya Bhawan Girls Sr. Sec. School, R-Block, New Rajinder Nagar, New Delhi

Sl.No.	Distt.	Zone	School ID	School Name
99.	South East	25	1924117	Satyavati Sood Arya Girls Sr. Sec. School East Nizamuddin, New Delhi.
100.	South East	25	1925191	SES Baba Nebh Raj Sr. Sec. School, Lajpat Nagar, Part-I, New Delhi.
101.	South East	25	1925192	Shri Guru Singh Sabha Sec. School, Lajpat Nagar, Part-I, New Delhi.
102.	South East	25	1928193	Balwant Rai Mehta Vidya Bhawan, Lajpat Nagar,Part-IV, New Delhi.
103.	South East	25	1925194	SRSD Sr. Sec. School Lajpat Nagar, Part-IV, New Delhi.
104.	South East	25	1925196	Kasturba Balika Vidyalyaya Ishwar Nagar, New Delhi.
105.	South East	29	1925198	Raisina Bengali Sr. Sec. School Chitrangan Park, C-489, New Delhi.

v/; {k egkn; % सप्लीमेंटरी कोई?

Jh iou dekj "kek% अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जिन स्कूलों ने ये आवेदन नहीं किया है, प्रमाण पत्र के लिये क्या सरकार उनके लिये कोई विशेष कदम या कोई प्रावधान करने जा रही है?

mi ed; e=h % जिनके मैंने उत्तर में कहा कि घ) भाग के उत्तर में जानकारी है कि शिक्षा विभाग के प्रत्येक विद्यालय ने अग्नि से सुरक्षा के लिये प्रमाणपत्र लेने का आवेदन किया है तो मुझे ऐसी सूचना नहीं है कि आवेदन नहीं किया है। यदि कोई आवेदन नहीं किया, विद्यालय होगा क्योंकि इसको इस रूप में भी समझने की जरूरत है कि फॉयर डिपार्टमेंट का जो ये प्रमाणपत्र है, ये रेन्यू होता है तो जो विद्यालयों की संख्या मैंने बताई है कि जिनके पास अभी नहीं है, इसमें ऐसी भी संभावना है कि ऐसे विद्यालय हों, जिन्होंने एप्लाई कर रखा हो, रिन्यूवल के लिये और अभी उनका रिन्यूअल नहीं मिला है। तो इसका आशय ये नहीं लिया जाना चाहिए कि ऐसे विद्यालय असुरक्षित हैं। बल्कि ये संभावना है कि उन्होंने एप्लाई किया होगा रेन्यूवल के लिए और अभी उनका रेन्यूवल नहीं हुआ होगा। उत्तर तैयार करने की तिथि में उनका आवेदन लंबित होगा, उनकी किसी क्वैरी की वजह से या आवेदन की कोई तिथि की वजह से। इसलिये मैं यहाँ इसलिये सदन के समक्ष कहीं इसका इंटरप्रेटेशन ये न निकाला जाये कि 105 और 103 विद्यालय एकदम असुरक्षित हैं। हालांकि इसमें एक पहलू ये भी है कि दिल्ली के अनआथोराइज और वाल्ड सिटी और इस सबमें ऐसे विद्यालय हैं, जहाँ अग्नि शमन के तमाम मापदण्डों का अनुपालन 100 परसेंट किया जाना तभी संभव हो सकता है, जब हम वहाँ पर उन विद्यालयों को बंद कर दें। जैसे हमारे इमरान भाई बैठे हैं, इनकी विधानसभा में और बहुत

सारे इलाके हैं, पूरी दिल्ली में जहाँ पर गलियों के अंदर ओवर अ पीरिएड ऑफ टाइम इन्कोचमेण्ट होते चले गये, गलियों में, और रास्ते और संकुचित होते चले गए, बाजार बनते चले गए, कालोनियां बसती चली गई और विद्यालय वही हैं। अब अगर वहाँ से विद्यालय हटाया जायेगा तो आप तय मान के चलिये कि वहाँ के बच्चों को ऐजुकेशन से वंचित रखना क्या एक कदम होगा और अगर वहाँ विद्यालय चलाना है तो फिर फॉयर डिपार्टमेंट के इन नॉर्म्स पर रिथिंक करने की जरूरत है कि हर स्कूल तक कितनी चौड़ी गली, बहुत जरूरी है। चांदनी चौक के बहुत सारे इलाकों में, दरियांगंज के बहुत सारे इलाकों में बल्लीमारान के बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारी गलियों में, मैं खुद ऐसे ऐसे विद्यालयों में गया हूँ, जहाँ आप रिक्षे से भी नहीं जा सकते हैं। वैसी जगह हम फॉयर डिपार्टमेंट के नॉर्म्स के तहत उतनी ही चौड़ी सड़कें ढूँढ़ने की कोशिश करेंगे और कहेंगे, 'जब तक नहीं होगा, तब तक मान्यता नहीं दी जा सकती है।' तो मुझे लग रहा है हम को सारी चीजों पर रिथिंक करने की जरूरत है। लेकिन इसलिये ये संदर्भ रखा है कि कहीं इसका मिस इंटरप्रेटेशन ये न निकाल लिया जाये और कल से पेरेंट्स के अंदर डर ना पैदा हो जाये इसलिए।

v/; {k egkn; % ठीक है। प्रश्न संख्या—सात, बगा जी।

Jh , I - ds cXxk % अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या—सात प्रस्तुत है:

क्या mi &eq[; ea=h यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अन्तर्गत सभी निजी/ गैर सहायता प्राप्त प्राइमरी स्कूलों में

कम से कम 25 प्रतिशत निःशुल्क सीटें कमजोर वर्ग और डिसएडवांटेजिज ग्रुप (ईडब्ल्यूएस) के बच्चों के लिए आरक्षित की जानी हैं;

(ख) यदि हॉ, तो इन प्रावधानों के अन्तर्गत ऐक्षिक सत्र 2018–19 के लिए सीटों के ब्रेकअप का विस्तृत विवरण क्या है;

(ग) विभिन्न स्कूलों में अभी भी खाली पड़ी सीटों का विवरण क्या है;

(घ) शिक्षा निदेशालय ने इन प्रावधानों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ङ.) यदि हॉ, तो उसका विवरण क्या है;

(च) क्या शिक्षा निदेशालय द्वारा स्कूलों के इस दावे की पुष्टि करने के लिए कि 'अभिभावकों ने रिपोर्ट नहीं किया', कोई जांच या वेलिडेशन किया है;

(छ) यदि हॉ, तो जांच रिपोर्ट की प्रतियों सहित स्कूलवार विवरण क्या है, और

(ज) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

**vi; {k egkn; % मंत्री जी।**

**mi ed; ea-%** अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं.-सात का उत्तर इस प्रकार है:

(क) जी हॉ, ये सत्य है

(ख) नर्सरी – 20514, के.जी.–5800, कक्षा 1–19349, कुल 45663

(इन सीटों में सत्र 2017–18 की रिक्त 6193 सीटें भी सम्मिलित हैं।)

(ग) 6193 यह सीटे आने वाले शिक्षा सत्र के लिए होने वाली लौटरियों में जोड़ दी जा रही हैं।

(घ) एवं (ङ) डीएसईएआर के अंतर्गत मान्यता प्राप्त विद्यालय (एक्सेप्ट मॉड्यूलेशनरी) और स्थायी रूप से आरटीईज मान्यता प्राप्त विद्यालयों में विभाग द्वारा कम्प्यूटरीकृत झँड़ों के द्वारा ईडब्ल्यूएस/डीजी कैटीगिरी के दाखिले कक्षा नर्सरी के.जी. और कक्षा—1 में कराये जाते हैं तथा सबन्धित स्कूल को निर्देश दिये गये हैं कि झँड़ों में सफल उम्मीदवारों को दाखिला दे और इस प्रक्रिया पर पूर्ण रूप से दष्टि रखी जाती है;

(च) जिला स्तर पर संबंधित अभिभावकों से दूरभाष पर संपर्क करके पुष्टि की जाती है।

(छ) समय समय पर ऐसे सफल उम्मीदवारों जिनको स्कूल द्वारा दाखिला नहीं लिया दिखाया जाता है कि उन उम्मीदवारों के अभिभावकों से उनके पंजीकरण मोबाइल नम्बर पर संपर्क करके यह पता लगाया जाता है कि स्कूल का दावा सही है या नहीं।

(ज) उपरोक्त के संदर्भ में लागू नहीं होता। थैंक्यू।

**v/; {k egkn;** % सप्लीमैंटरी। एक सैकिण्ड, मैं बग्गा जी से एक बारकृ . हॉ अजय दत्त जी, बताइये।

**Jh vt; nRr** % सर पिछले साल ईडब्ल्यूएस की करीबन साढे पाँच छ: हजार सीटें खाली रह गई और बहुत सारे ऐसे 6193 और बहुत सारे

ऐसे बच्चे जो इनका लाभ उठा सकते थे, उनको लाभ नहीं मिला और बहुत सारे लोग हमारी विधानसभा में भी आते हैं। जब हमने डिपार्टमेंट से पूछा तो उन्होंने बार बार ये कहा, 'ये तो सीटें भरी हुई हैं। स्कूलों ने भी ये कहा कि सीटें भरी हुई हैं।' इसकी जानकारी हमें बहुत लास्ट में मिली, जब तक मेरे ख्याल से सब बच्चे कहीं न कहीं ऐडमिशन ले चुके थे।

**v/; {k egkn;** % अजय दत्त जी, क्वैश्चन निकालिये इसमें से।

**Jh vt; nRr** % अध्यक्ष महोदय, मेरा ये क्वैश्चन है कि ये जवाबदेही किस डिपार्टमेंट की है या स्कूल की है और इस पर क्या कार्रवाई हो सकती है? धन्यवाद।

**mi ed; ea=h** % जवाबदेही निश्चित रूप से स्कूल की है और स्कूल से सभी सीटों को भरवाने की आरटीई के तहत जिम्मेदारी विभाग की है और जब भी ऐसी कोई सूचना मिलती है, उस पर कार्रवाई होती है। जहाँ तक ये 6193 सीटों का सवाल है, पिछले वर्ष जो ड्रॉ हुआ था और कभी भी ड्रॉ होगा, उसमें हमें ये भी देखना होगा कि काउंट 45643—663 सीटों का जरूर है, लेकिन उसमें बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, जहाँ ईडब्लूएस में ड्रा में नाम आने के बाद शायद बच्चे जाना भी पसंद नहीं करते हैं। कई स्कूल ऐसे हैं, उनकी क्वालिटी की वजह से उनको लगता है कि उसकी क्वालिटी की जगह अगर सरकारी स्कूल में हम अपने बच्चे को पढ़ा लेंगे, तो ज्यादा अच्छा है। इसलिए वो फिर नहीं जाते। सरकार अपनी तरफ से कोशिश करती रही है कि हम तीन ड्रॉ निकाल के, तीन बार पिछली बार ड्रॉ निकाले थे और जो भी सीटें खाली थीं या रह गईं, उनमें तीन बार ड्रॉ निकाल—निकाल के उन सीटों को भरने की कोशिश की गई।

**v/; {k egkn;** : एनी सप्लीमेंटरी? बस अंतिम विशेष रवि जी, हॉ।

**Jh fo'ksk jfo** % सर, मंत्री जी इसकी जानकारी दे दें, संपूर्ण जानकारी दे दें कि जो 6193 स्कूल हैं, उन स्कूल के नाम और वो, उनके कारण क्या हैं, कि वहाँ क्यों नहीं हुआ, एक पूर्ण जानकारी दे दें सर, सभी स्कूल, सभी सीट्स की, 6193 जो ये सीट्स हैं, ये सारी खाली....

**v/; {k egkn;** % ये कौन सी सीटों की बात कर रहे हैं?

**Jh fo'ksk jfo** % ईडब्लूएस सीट्स जो....

**v/; {k egkn;** % नहीं, ईडब्लूएस में कौन सी सीटों की?

**Jh fo'ksk jfo** % पिछले साल जो खाली रही हैं?

**v/; {k egkn;** % पिछले वर्ष जो खाली रही, ठीक है?

**mi e[; ea=h** % पिछले वर्ष जो खाली थी सीटें 6193, अभी उसकी लिस्टकृ

...(व्यवधान)

**Jh fo'ksk jfo** % किस स्कूल की थी और वो क्या कारण था?

**mi e[; ea=h** % ठीक है, वो हमारे पास में पूरा हमारे कंप्यूटर सिस्टम में है, मैं उसकी जानकारी उपलब्ध करा दूँगा।

**Jh fo'ksk jfo** % ठीक है, धन्यवाद।

**v/; {k egkn;** % प्रश्न संख्या—आठ, श्री गुलाब सिंह जी।

**Jh xgk c fl g %** अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं-आठ प्रस्तुत है:

- (क) क्या यह सत्य है कि बच्चों को डांटने पर लगभग 50 लोगों की कथित भीड़ ने बलपूर्वक एक सरकारी स्कूल में घुसकर प्रधानाध्यापक और अध्यापकों के साथ मारपीट की;
- (ख) यदि हॉ, तो तारीख, दिन, स्थान और स्कूल के नाम सहित घटना का विवरण क्या है;
- (ग) शिक्षा निदेशालय द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई; और
- (घ) एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी द्वारा इसी तरह की घटना का उल्लेख 5/3/2018 को दैनिक जागरण में प्रकाशित अपने साक्षात्कार में उल्लेख किया गया है, इस घटना का और यदि इस संबंध में सरकार द्वारा कोई कार्रवाई की गई है तो उसका विवरण?

**v/; {k egkn; %** मंत्री जी।

**mi efl; ea-h %** अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या—आठ का उत्तर प्रस्तुत है:

- (क) ऐसी कोई घटना संज्ञान में नहीं आई है;
- (ख) उपरोक्तानुसार लागू नहीं;
- (ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं; और
- (घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

**v/; {k egkn; %** सप्लीमेंटरी।

**Jh xgkic fl g %** सर, ये एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी का दिनांक 5 मार्च, 2018 दैनिक जागरण मेंकृ

**v/; {k egkn;** % नाम रखिए किसका, नाम रखिए?

**Jh xgkic fl g %** छपा हुआ है, ये मनीषा सक्सेना जी का एक इंटरव्यू छपा हुआ है और उसके अंदर इन्होंने बताया कि 50 लोगों ने, बच्चों ने जो उनको धेरा है, प्रिंसिपल को पीटने के लिए, ये इसमें लिखा हुआ है। इनके इंटरव्यू की ये प्रतिलिपि मेरे पास है। मैं सदन के समक्ष ये रखना चाहता हूँ।

**v/; {k egkn;** % पढ़ के सुना दीजिए, पढ़ के सुना दीजिए।

**Jh xgkic fl g %** इसमें लिखा गया है, उनके द्वारा बताया गया कि यह केवल अधिकारियों की बात नहीं है, कर्मचारियों की बात भी है। एक विधायक लोगों से कहता है कि अधिकारियों को तो मारना ही चाहिए, अगले दिन बच्चों को डॉट देने की एक घटना होने पर 50 लोग प्रिंसिपल और टीचर को पीटने के लिए स्कूल में घुस जाते हैं, यह अराजकता तो चलने नहीं दी जा सकती।

**v/; {k egkn;** % सप्लीमेंटरी क्या है इसमें, सप्लीमेंटरी?

**Jh xgkic fl g %** तो ये जवाबदेही तो तय होनी है। इंटरव्यू अगर छपा है और क्योंकि ये सरकार के ऊपर सवाल खड़ा करता है, अगर हमारी ही सरकार का कोई वरिष्ठ अधिकारी इस तरह का इंटरव्यू दे रहा है तो ये किस स्कूल की घटना है, कथ्या ये उन अधिकारियों से पूछकर और हमें इसका जवाब दिया जाए?

**Jh \_rgkt xlfoln %** ये डिवीजनल कमिशनर ने ये जो इंटरव्यू दिया है, अध्यक्ष महोदय...

**v/; {k egkn;** % वो हो गया, एक सेकेंड, उनके सप्लीमेंटरी का तो...

....(व्यवधान)

**v/; {k egkn;** % उनके सप्लीमेंटरी का ऋष्टुराज जी, एक बार उत्तर देने दीजिए, फिर आपको अधिकार मिलेगा पूछने का।

**mi eɪ; eə=h** % अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने अपने जवाब में कहा कि ऐसी कोई घटना संज्ञान में नहीं आई है। जहाँ तक एक सीनियर आईएएस अधिकारी मनीषा सक्सेना जी के बयान का सवाल है, अखबार में, माननीय सदस्य ने उनका नाम उल्लेखित नहीं किया था। इंटरव्यू की तारीख का जिक्र जरूर किया था। मैं समझता हूँ कि इस संदर्भ में सबसे सटीक जानकारी वो अधिकारी ही दे सकती हैं और मैं उनसे पूछ के आपको सूचना, सदन के समक्ष रख दूंगा। उनसे अधिकारिक जानकारी लेके कि उन्होंने किस घटना का जिक्र किया है और किस आधार पर ये बयान दिया है, इंटरव्यू दिया है, उसका जिक्र किया है।

**v/; {k egkn;** % कब देंगे इसकी जानकारी?

**mi eɪ; eə=h** % इसकी जानकारी कल तक उपलब्ध करा दी जाएगी।

**v/; {k egkn;** % कल देंगे। हॉ, ऋष्टुराज जी, आपका क्या है? सप्लीमेंटरी, ऋष्टुराज जी खड़े हुए थे एक बार।

**Jh \_rjkt xlfoln %** अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंटरी नहीं, मैं इसी विषय पर एक बात कह रहा था कि कोई जिम्मेदार अधिकारी जब इस तरह के बयान अखबार में देते हैं, हैं ना, तो बिना किसी आधार पर कैसे ऐसे अखबार को दे सकते हैं, ये तो बिल्कुल शिक्षा व्यवस्था पर हम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं और क्या ये रूल्स में है कि अखबार से इस तरह से ये बात कर सकते हैं? ये बता रहे हैं कि 50 लोगों ने जाकर के प्रिंसिपल को घेर लिया, बिना बेस लैस बात जो है, सो अखबार में ये इंटरव्यू दे रही है, वो छपा है....

**v/; {k egkn;** % क्वैश्चन क्या है आपका, क्वैश्चन क्या है? ऋष्टुराज जी, क्वैश्चन बताइये।

**Jh \_rjkt xlfoln %** मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या ये रूल्स में है?

**v/; {k egkn;** % सोमनाथ जी, ऐसे नहीं, देखिए, प्लीज। ऋष्टुराज जी क्वैश्चन क्या है आपका?

**Jh \_rjkt xlfoln %** मैं ये पूछ रहा था अध्यक्ष महोदय, क्या ये रूल्स में है, इस अखबार में जोकू.

**v/; {k egkn;** % क्या ये रूल्स में है?

**Jh \_rjkt xlfoln %** इंटरव्यू दिया है...

**v/; {k egkn;** % हॉ जी।

**mi e[; ea-h** % इसकी भी क्योंकि अभी मेरे को इंटरव्यू अधिकारियों द्वारा इंटरव्यू दिए जाने और वो जो तथ्य देते हैं, उसके बारे में मेरे पास

कोई ऑफ हैण्ड जानकारी नहीं है। इसको भी मैं आपके समक्ष कल जाँच कराके प्रस्तुत कर दूँगा।

*v/; {k egkn; % हॉ, अंतिम। अखिलेश त्रिपाठी जी।*

**Jh vf[ky\\$k i fr f=i kBh %** क्या कोई अधिकारी इस तरीके का बयान दे दे और डिपार्टमेंट को ऐसा खबर ना हो तो उस पर सरकार क्या—क्या आगे एक्शन ले सकती है या क्या उनके ऊपर जिम्मेदारी ठहरती है उनके ऊपर। उस पर सरकार क्या करेगी अगर गलत इस तरीके का बयान डिफेसमेंट करने का डिपार्टमेंट का कोई बड़ा अधिकारी देता है तो उस पर सरकार क्या—क्या कार्रवाई करेगी या कर सकती है?

**mi ed[; ea=h %** ये इसीलिए क्योंकि वो संबंधित, पिछले से संबंधित ही है, रूल्स में जो कुछ भी अलाऊ होगा, वो सरकार रेकमेंड करेगी एक्शन लेने के लिए लेकिन जैसा मैंने कहा कि ऐसी कोई घटना सरकार के संज्ञान में नहीं आई है, ये मेरे पास अधिकारिक जानकारी है।

*v/; {k egkn; % चलिए टोकस जी।*

**Jherh ifeyk VkdI %** अध्यक्ष जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे नानक पुरा स्कूल में एक टीचर ने बच्चे को बहुत बुरी तरह मारा, क्या उस टीचर पर कोई कार्रवाई होगी या क्या कार्रवाई होगी, ये इसकी पूरी जानकारी मुझे दी जाए। उनकी ऑरें बिल्कुल ऐसी की गई और उनका जो दॉत थे, उसका जबड़ा भी तोड़ दिया गया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो ऐसे अध्यापक पर कोई कार्रवाई...

**mi ed[; ea=h %** सदस्या से अनुरोध है कि वो इस घटना की पूरी जानकारी अगर मुझे दे देंगी तो उसके बाद मैं उस पर एक्शन ले के आपको सूचना दे दूँगा।

**v/; {k egkn;** % अब बैठ जाइये प्लीज। नहीं, हो गया, अब बैठिए। सौरभ जी बैठिए प्लीज। नहीं, फिर रह जाएगा, तीन सप्लीमेंटरी हो गए। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री से प्रार्थना करता हूँ कि 280 के बाद इसका उत्तर दें और मैं आदेश देता हूँ डीकाम, श्रीमती मनीषा सक्सेना जी, कि जब मनीष जी इसका उत्तर दें, वो यहाँ अधिकारी गैलरी में उपस्थित रहें।

प्रश्न संख्या—नौ। बस, मैं दस ही ले पाऊँगा, समय ज्यादा हो रहा है, ऋतुराज गोविन्द जी।

**Jh \_rjkt xksfon** % अध्यक्ष महोदयः प्रश्न सं—नौ प्रस्तुत है:

क्या **mi e[; ea=h** ये बताने की कष्टा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में वोकेशनल सेन्टर और स्किल सेन्टर खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

**v/; {k egkn;** % उप मुख्यमंत्री।

**mi e[; ea=h** % अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या—नौ का उत्तर प्रस्तुत है:

(क), (ख), व (ग) — जी नहीं।

वोकेशनल सैंटर और स्किल सैंटर खोलने के लिए भूमि की उपलब्धता मुख्य मापदण्ड है। किराड़ी विधान सभा क्षेत्र के समीप रनहौला, बक्करवाला और मंगोलपुरी में वर्ल्ड क्लास स्किल सैंटर खोलने का प्रस्ताव है।

**Jh \_rjkt xlfoln** % अध्यक्ष महोदय, मैं एक सप्लीमेंटरी क्वैश्चन इसमें पूछना चाहता हूँ।

v/; {k egkn; % पूछिए।

**Jh \_rjkt xlfoln** % माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मैं जानना चाहता हूँ कि क्योंकि किराड़ी विधान सभा क्षेत्र के अंदर कम्पलीटली 95 परसेंट अनआथोराइज कॉलोनी है, तो जगह वहाँ पर नहीं है, जैसा कि आपने इसमें बताया है। क्या हम स्किल सैंटर खोलने के लिए कोई किराए की जगह नहीं ले सकते हैं? क्योंकि जो जगह आप बता रहे हैं; रनहौला और बक्करवाला, वो वहाँ से बहुत दूर हैं और वो मतलब कि सड़क के माध्यम से और कनेक्टिविटी के माध्यम से वो फिजीबल भी नहीं है। तो क्या ये पॉसीबल नहीं है कि हम किराए के मकान में या किराए की जगह लेकर के इसको चलाए वहाँ पर? क्योंकि बहुत जरूरत है इसकी।

**mi ed; ea=h** % किराए पर जगह लेकर सैंटर चलाना, जगह की उपलब्धता पर भी निर्भर है और नीतियों पर भी निर्भर है। इसमें अभी मेरा कुछ टिप्पणी करना, मुझे नहीं पता कि अभी मैं कमिट कर सकता हूँ कि नहीं, लेकिन इसकी जॉच करके, इसको विचार करके हम बता सकते हैं।

v/; {k egkn; % सप्लीमेंटरी कोई? हॉ बताइए।

**I ph jk[kh fcMlyk** % माननीय शिक्षा मंत्री जी ये बता पाएंगे कि इन्होंने अभी मंगोलपुर का नाम लिया जो कि मेरी विधान सभा में आता है। कब से वहाँ पर ये सैंटर बनना शुरू होगा और कोई तय समय सीमा अगर उपलब्ध करा पाएं तो?

**mi e[; ea-h %** अभी मंगोलपुरी का, क्योंकि हमने ये प्रश्न का जवाब देते वक्त किराड़ी विधान सभा के आसपास के क्षेत्रों में, भौगोलिक क्षेत्र में कौन-कौन से स्किल सेंटर आते हैं, उसमें देखा था तो मंगोलपुरी नियरेस्ट उसमें है और मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूँगा कि जो 25 स्किल सेंटर खोलने के लिए सरकार तैयारी कर रही है। उसमें से एक ये मंगोलपुरी का स्किल सेंटर भी है उसमें और मुझे पुरी उम्मीद है कि ये इस वर्ष अगस्त से शुरू हो जाएगा।

**v/; {k egkn; %** धन्यवाद। अखिलेश जी, ऐसे नहीं, खड़े हों, मैंने इजाजत नहीं दिया। हाँ, सही राम जी, बताइए।

**Jh I gh jke%** अध्यक्ष जी, मैं उप मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूँगा कि ऐसे दिल्ली में कितनी जगह ओर हैं, जहाँ ऐसी योजना है, बताने का कष्ट करेंगे।

**mi e[; ea-h%** सरकार जो है, स्किल सेंटर खोलने पर काफी ध्यान दे रही है और काफी जोर दे रही है, प्रोफेशनल एप्लाइड साइंस पर काफी जोर दे रही है। इसीलिए 25 स्किल सेंटर खोलने की तैयारी काफी तेजी से चल रही है। उसकी पूरी लिस्ट माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दी जाएगी। जहाँ-जहाँ हैं, अधिकारियों को अनुरोध करूँगा कि 25 सेंटर्स, जहाँ-जहाँ तैयारी चल रही है, उसकी सूची विधान सभा में उपलब्ध करा दें।

**v/; {k egkn; %** धन्यवाद। श्री विजेन्द्र गुप्ता जी।

**Jh fotu[nz xirk %** अध्यक्ष जी, एक महत्वपूर्ण विषय पर मेरा प्रश्न आपने स्वीकार किया और चूंकि 31 मार्च, 2018 से दिल्ली के सभी गैर

मान्यता प्राप्त विद्यालयों को बंद करने का आदेश सरकार द्वारा जारी किया गया उससे संबंधित प्रश्न है।

**V/; {k egkn;** % विजेन्द्र जी प्रश्न संख्या 10 बोल दीजिए वो सारे प्रश्न हैं उनके पास जो नियम बना हुआ है। सभी के लिए वो नियम है। बस प्रश्न संख्या—दस बोल दीजिए। माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर देंगे। सभी सदस्यों ने यही किया है। नियम मैंने ये बनाया हुआ है; प्रश्न संख्या बोलेंगे। किसी भी माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न नहीं पढ़े हैं, प्रश्न संख्या बोलिए। ये सदन की कार्यवाही है, ये अखबार की कार्यवाही नहीं है। आप प्रश्न संख्या बोलिए। आप प्रश्न संख्या बोलिए। सभी सदस्यों के लिए एक ही नियम है। आप अपनी प्रश्न संख्या बोलिए।

**Jh fotknz xirk** % नियम ये है कि अगर प्रश्न जिसने पूछा, वो अपना प्रश्न पूछेगा।

**V/; {k egkn;** % आप सप्लीमेंटरी में पूछ लीजिएगा, पूरी इजाजत मिलेगी। दो सप्लीमेंटरी मिलेंगे। इतना समय नहीं है। प्रश्न संख्या—दस, हो गया सोमनाथ जी प्लीज।

**Jh fotknz xirk** % प्रश्न संख्या—दस प्रस्तुत है:

क्या **mi &eacute; ; ea-h** ये बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने सभी गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को अगले शिक्षा सत्र से अपनी शैक्षिक गतिविधियां बंद करने के आदेश दिए हैं,

(ख) यदि हॉ, तो ऐसे आदेश जारी करने का आधार क्या है;

- (ग) दिल्ली में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की संख्या और उनमें पढ़ रहे बच्चों की संख्या क्या है;
- (घ) गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों से मान्यता हेतु लंबित आवेदनों की संख्या क्या है;
- (ड) सरकार द्वारा उन आवेदनों पर निर्णय न लिए जाने के क्या कारण हैं; और
- (च) इन स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों का हित सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय प्रस्तावित हैं?

मि ए[; ए-॥% अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या-दस के संदर्भ में मुझे ये बताना है कि:

- (क) जी हॉ,
- (ख) माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा याचिका संख्या 43/206 में पारित आदेश दिनांक 8/2/2008 सिविल मिसलेनियस आवेदन संख्या 20634/2014 में पारित आदेश दिनांक 7/5/2015 तथा शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 (धारा 18 व 19)व दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम व नियम, 1973 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए व ऐसे विद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों की बेहतर शैक्षणिक भविष्य व उनकी सुरक्षा व संरक्षा को ध्यान में रखते हुए गैर मान्यता प्राप्त चल रहे विद्यालयों को समय समय पर विभाग ने विभिन्न समाचारपत्रों में प्रकाशित जनसूचना/विभागीय परिपत्रों के द्वारा गैर मान्यता

प्राप्त विद्यालयों को मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया गया है। ऐसी सूचनाएं 10/4/2008, 27/4/2008, 09/7/2008, 8/2/2011, /8/2/2013 तथा 26/3/2013 को प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था। अन्ततः 7/2/2018 को ऐसे गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को मान्यता लेने व मान्यता नहीं प्राप्त करने की स्थिति में शैक्षणिक वर्ष 2018–19 से शैक्षणिक गतिविधियों बंद करने का आदेश जारी किया गया है।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 दिनांक 01/4/2010 से प्रभावी हुआ है। तथा इस अधिनियम की संबंधित धाराएं नीचे उल्लेखित हैं:

धारा 18 (1) समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित उसके स्वामित्वधीन या नियंत्रणधीन किसी विद्यालय से भिन्न कोई विद्यालय इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात ऐसे प्राधिकारी से ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाये, कोई आवेदन करके मान्यता प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किये बिना स्थापित नहीं किया जाएगा या कार्य नहीं करेगा।

धारा 18 (5) कोई व्यक्ति मान्यता प्रमाणपत्र अभी प्राप्त किये बिना कोई विद्यालय स्थापित करता है या चलाता है या मान्यता वापस लेने के पश्चात विद्यालय चलाना जारी रखता है, तो जुर्माने से जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा और उल्लंघन जारी रहने की दशा में जुर्माने से जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, उत्तरदायी होगा।

धारा 19(2) जहाँ इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व स्थापित कोई विद्यालय अनुसूची में विनिर्दिष्ट मान और मानकों को पूरा नहीं करता है,

वहाँ वह ऐसे प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर अपने खर्च पर ऐसे मान और मानकों को पूरा करने के लिए कदम उठाएगा।

(ग) यद्यपि वर्तमान में ऐसी कोई पूर्ण अधिकष्ट विवरण उपलब्ध नहीं है। तथापि ऐसे विद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों की बेहतर शैक्षणिक भविष्य व उनकी सुरक्षा व संरक्षा को ध्यान में रखकर इस संदर्भ में विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 7/2/2018 के तहत सभी जिला शिक्षा उप-निदेशकों को मार्च के तीसरे सप्ताह से सर्वेक्षण करने का आदेश जारी किया गया है। सर्वेक्षण के उपरांत गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने की दिशा में यदि कोई नीतिगत फैसला लेने की परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उसकी जांच की जाएगी और विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से आवेदन देने के लिए दिशा निर्देश दिए जाएंगे या ऐसे विद्यालयों को बंद करने के लिए संबंधित नियमों के तहत बाधित किया जाएगा।

#### (घ) बावन (52)

(ङ) मान्यता की सभी शर्तें तथा दस्तावेज जब तक सम्बन्धित विद्यालय पूरी नहीं कर देता तब तक उसको मान्यता प्रदान नहीं की जाती है; और

(च) ऐसे विद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों की बेहतर शैक्षणिक भविष्य व उनकी सुरक्षा व संरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में दिनांक 7/2/2018 से शिक्षा निदेशालय के आदेश द्वारा सभी जिला उप-निदेशकों (शिक्षा) को यह निर्देश दिये गये हैं कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की सूची तैयार करें ताकि गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने की दिशा में यदि कोई नीतिगत फैसला लेने की परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उसकी जांच की जाएगी और विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से आवेदन

देने के लिए दिशा निर्देश दिए जाएंगे या ऐसे विद्यालयों को बंद करने के लिए संबंधित नियमों के तहत बाधित किया जाएगा। यह गौरतलब है कि ऐसे विद्यालयों के छात्रों को आगे की शिक्षा प्राप्त करने में कोई असुविधा न हो इसे ध्यान में रखते हुए, सभी जिला उप-निदेशकों (शिक्षा) को गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों को नजदीक के विद्यालय में प्रवेश दिलाने के उद्देश्य से एक योजना तैयार करने का भी निर्देश दिया गया है, जिससे कि उनको शिक्षा प्राप्त करने में किसी तरह का व्यवधान नहीं आये।

v/; {k eglm; % सप्लीमेंटरी?

Jh fot~~h~~nz x~~r~~k% अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो लाखों बच्चे, जो इन गैर मान्यताप्राप्त विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, क्योंकि 31 मार्च को ये विद्यालय बंद करने का आदेश है, तो 1 अप्रैल से जो नया सत्र है, कितने बच्चों को आपने सूचीबद्ध किया है और कहाँ—कहाँ उनके दाखिले की व्यवस्था की है? क्योंकि ये गंभीर मामला है। ये तमाम गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय, उन गरीब बस्तियों में हैं, दूर—दराज के क्षेत्रों में हैं, अनाधिकष्ट बस्तियों में हैं, जहाँ सरकार के अपने विद्यालयों की या मान्यता प्राप्त विद्यालयों की कोई व्यवस्था नहीं है। छोटे—छोटे बच्चे हैं और ये 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच में आने वाले बच्चे जिनका शिक्षा का आर्टिकल—21 में शिक्षा प्राप्त करना उनका मौलिक अधिकार है, राइट डु एजूकेशन का ये हिस्सा है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था की है? और अभी जो प्रश्न चार के उत्तर में आपने व्यवस्था बनाने की बात की है, कितनी व्यवस्था बनाई गई है, दूसरा, जो मान्यता देने के नियम है, उनमें किस तरह की छूट की बात की जा रही है और क्या सरकार इस अवधि

। को अगले दो वर्ष ओर बढ़ाकर और इन विद्यालयों को सुचारू रूप से मान्यता के नियमों में कुछ बदलाव करके और या फिर उन विद्यालयों के लिए कुछ जगह एकवॉयर करके और उन विद्यालयों को नियम पूरे कर सकें, ऐसी कोई योजना है और अगर है तो उसका विवरण दें और अगर नहीं है तो फिर इन विद्यार्थियों का क्या होगा, इसकी हमें जानकारी दें।

**v/; {k egkn; % चलिए।**

**mi eq[; ea-h%** अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि माननीय नेता प्रतिपक्ष के कई सारे प्रश्नों का जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ। मैंने बताया कि मार्च के तीसरे सप्ताह से, सर्वे, उनकी पूरी जानकारी इकट्ठा करने का काम सरकार शुरू करा रही है। क्योंकि ऐसी कोई अधिकारिक सूचना, कोई विवरण ऐसा उपलब्ध नहीं है कि कितने स्कूल हैं। हाँ, वहीं करा रहे हैं।

**v/; {k egkn; % वो बताया उन्होंने, जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं।**

**mi eq[; ea-h%** और मैं समझता हूँ कि आपके पास ज्यादा ऑथेंटिकेट जानकारी होगी, हो सकता है इनके और इनके दोस्तों के कई स्कूल हों, जिन्होंने मान्यता नहीं ले रखी हो, उनकी भी बता दीजिए। उनको पहले करवा देंगे, इतना प्रिविलेज तो मिलता है। नहीं, वो जानकारी इकट्ठी कराई जा रही है और जब इकट्ठी कराई जाएगी तो उसके बाद ये देखा जाएगा कि उनमें कितने विद्यालय, किस स्थिति में चल रहे हैं, कितने बच्चे पढ़ते हैं। उनमें कितने बच्चों को हम ऐडज़स्ट कर सकते हैं, कितने बच्चों को वहीं पढ़ाने के लिए मजबूरी है? क्योंकि जैसा उन्होंने उल्लेख किया, बहुत सारी ऐसी जगह हैं, जहाँ जगह नहीं है। जगह तो डीडीए बेच-बेचकर खा

गया, इनकी पार्टी के मुख्यालय खुलवा दिए, जहाँ-जहाँ स्कूल खुलने थे। स्कूल की जगह पर तो इन्होंने पार्टी के मुख्यालय खोल लिए। अब स्कूल तो अनअँथोराइज चलेंगे ही, चलेंगे। तो अध्यक्ष महोदय, वैसे ये बात सही है ना कि स्कूल की लैंड पर बीजेपी का आफिस खुल गया। आप फिर भाशण देंगे।

**Jh fot ~~unz~~ xirk%** इस गंभीर प्रश्न पर भी आप अगर आप टीका—टिप्पणीकृ . हमें इतना बता दीजिए कि क्या ये दो वर्ष की अवधि बढ़ाने की कोई योजना है। इसलिए इसको एक्सटेंड... ये बता दीजिए बस।

**v/; {k egkn; %** वो दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं।

**mi ed[; e=H%** वो गंभीरता का ही मैं जिक कर रहा था कि जिस गंभीरता से आप पूछ रहे हैं, स्कूलों के प्रति आपकी जो गंभीरता है, वो आपके सरकारी, आपके पार्टी के कार्यालय तक मैं झलकती है। क्योंकि स्कूल की जमीन कब्जा के आप पार्टी का कार्यालय बना लेते हैं और उसी दिल्ली मैं जिसके बारे में आप विधानसभा में खड़े होकर के कहते हैं कि यहाँ स्कूलों के लिए जमीन नहीं है। ये तो गंभीरता तो आपकी पता है और जगजाहिर है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि ये मामला इनसे क्रोध हो सकता है, इनसे षिकायत हो सकती है कि ये लोग स्कूल की जमीन पर अपना पार्टी का दफ्तर चला रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ये बात गंभीर है कि बहुत सारे स्कूलों की दिल्ली में कमी है। इसीलिए हम दिल्ली में क्लासरूम बढ़वा रहे हैं, इसीलिए नए स्कूल बनाने का काम तेजी से चल रहा है। इसीलिए जगदीष भाई तक से हमने रिक्वेस्ट किया कि सोर्स लगा दो नगर निगम में, एक जमीन मिल जाए। वहाँ से उन्होंने दिलवा दी। उस पर स्कूल

बना रहे हैं। नगर निगम से कटोरा लेकर घूम रहे हैं जी, हम तो डण्डा और कटोरा, दोनों लेकर घूम रहे हैं। जहाँ जमीन मिल जाए हमें, स्कूल बनवा देंगे। लेकिन हाँ, जिसने कब्जा रखी है, उस पर डंडा चला देते हैं। जो मांगने से दे देता है, मांग लेते हैं। तो अध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना क्योंकि अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है और अभी जब तक सर्वे पूरा नहीं हो जाता, मैं कह भी नहीं सकता। निष्प्रित रूप से मेरी भी चिंता है कि ऐसे कितने स्कूल हैं, अभी संख्या नहीं है। मैंने अपनी टीम के साथ बात की थी अभी, क्योंकि जिन विद्यालयों को 2008 से जबकृ. बल्कि मैं कहूँ तो 2006 से लगातार नोटिस जारी किए जा रहे हैं कि 2008 से लगातार नोटिस जारी किए जा रहे हैं कि आप यहाँ स्कूल मान्यता प्राप्त ही चलाएं दिल्ली में। गैर मान्यता प्राप्त स्कूल न चलाएं। उसके बावजूद चलते जा रहे हैं। तो कुछ तो व्यवस्था की मजबूरियां हैं, कुछ स्कूलों की भी गड़बड़ियाँ होंगी। तो अब तक अगर उन्होंने मान्यता के लिए आवेदन तक नहीं किया है, ऐसे विद्यालयों की एक संख्या के बारे में, उनके अंदर पढ़ रहे छात्रों की संख्या के बारे में, मेरे लिए कुछ भी कहना मुश्किल है। क्योंकि वो अननोन है। एक बार कालोनी—कालोनी का सर्वे हो जाए, हमें भी पता चल जाए; कितने स्कूल चल रहे हैं। हो सकता है उसके बाद क्योंकि हमारा कोई ऑफिसर फील्ड में जाकर सर्वे करेगा तो गली—गली स्कैनर लेकर तो नहीं घूमेगा, घर—घर में कि भैया, यहाँ स्कूल चल रहा है क्या? भैया, इसमें स्कूल चल रहा है क्या? आप घर में रहते हो कि या स्कूल चलाते हो ऐसा स्कैनर लेकर तो हमाराकृ. हो सकता है, सर्वे के बाद भी बहुत सारे स्कूल हमारे सर्वे से भी बाहर रह जाएं। क्योंकि अगर मैं एक षष्ठ यूज करूँ कि गैर मान्यता प्राप्त है तो मान्यता प्राप्त किसी भी बिना रिकॉर्ड के अगर कहीं कोई

स्कूल चल रहा है, वो पहली वलास तक चल रहा है, पॉचवी तक चल रहा है, आठवीं तक चल रहा है, एक कमरे में चल रहा है, पॉच कमरे में चल रहा है, कोई सूचना नहीं है। हम ऐसी सूचना को इकट्ठा करने की कोषिष कर रहे हैं जिसका हमारे पास में कहीं कोई क्लू भी नहीं है। सिर्फ कुछ स्कूलों के बारे में सूचनाएं हैं। उनके बारे में उनसे जानकारी लेंगे और जहाँ तक हो सकता है जानकारी लेंगे और जब ये सब सूचनाएं होंगी तो इस पर पालिसी भी बनायेंगे और उस पालिसी के बारे में सदन को भी अवगत करायेंगे। एक्सटेंशन पर अभी मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता।

**Jh fot~~h~~nz x~~l~~r<sup>k</sup>%** एक्सटेंशन करने, सरकार इस पर क्या एक्सटेंशन करने का सोच रही है?

**mi e~~l~~; e~~a~~<sup>h</sup>%** जब तक सरकार के पास कोई अधिकृत जानकारी नहीं होगी, हमें नहीं पता कि हम किसको एक्सटेंशन दे रहे हैं।

**Jh fot~~h~~nz x~~l~~r<sup>k</sup>%** नहीं—नहीं, ये जो भी आप इकट्ठी कर रहे हैं सूचना, सूचना इकट्ठी करने के बाद व्यवस्था करें उसके लिए तो समय चाहिए। तो मेरा इतना कहना है कि क्या इसको एक बार हमारा इतना ही कहना है कि अगर आप दो साल एक्सटेंड करके और इसको विधिवत करकेकू.

**v/; {k eg~~l~~n; %** विजेन्द्र जी, कंप्लीट उत्तर आ गया।

**mi e~~l~~; e~~a~~<sup>h</sup>%** जिन्होंने हमारे पास में आवेदन किया है, आपने पूछा था। मैंने बताया, 52 विद्यालय हैं। उन 52 विद्यालयों को जब तक वो षर्ट

पूरी नहीं कर लेते, मान्यता नहीं दी जा सकती। लेकिन उस पर एक्सटेंशन पे भी हम विचार कर सकते हैं लेकिन बाकी कौन है, कहाँ हैं, वो पहली तक चलता है कि पॉचवी तक चलता है, पढ़ाया जाता है कि क्या किया जाता है हमें भी नहीं पता हम किसको। एक मिनट— एक मिनट अध्यक्ष महोदय क्योंकि वो विद्यालय हमारे किसी सर्टिफिकेट हमारे द्वारा दिए गए किसी परमिशन से चल ही नहीं रहे तो हमारे उनको एक्सटेंशन देने का सवाल क्या उठता है। हम एक्सटेंशन तब दे सकते हैं, जब हमने कोई तारीख कोई कागज जारी करके दिया हो कि भई आपको इतनी तारीख तक विद्यालय चलाने की अनुमति है। वो सारे विद्यालय जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वो हमारी अनुमति के बिना, सरकार की अनुमति के बिना चल रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति बिना अनुमति के काम कर रहा है, उसको एक्सटेंशन देना और नहीं देने की स्थिति पैदा नहीं होती।

**Jh fot~~h~~nz x~~r~~k%** आउट आफ स्कूल हो जायेंगे ना, बच्चे इतनी बड़ी संख्या में, मेरा ये कहना है या तो आप कह दीजिए है ही नहीं।

v/; {k egkn;% विजेन्द्र जी, देखिए, क्वैष्वन जो आ गया है।

**Jh fot~~h~~nz x~~r~~k%** भई, हमारा कहना है ना, तो इसका मतलब तो आउट आफ स्कूल हो जायेंगे बच्चे।

v/; {k egkn;% अजेष यादव जी। हो गया।

**mi e~~l~~; ea%** मैं क्योंकि ये ऐण्ड नोट पे मैं कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, कि दिल्ली के किसी भी स्कूल को, दिल्ली के किसी भी बच्चे को आउट आफ स्कूल नहीं रहने देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये

केलकुलेषन करके बैठे हैं अध्यक्ष जी, पता चले कि बीजेपी के नेताओं के कितने हैं, फिर? नौ लाख की संख्या इनके पास कहाँ से आई जानकारी दें कितने गैर कानूनी धंधेकृ

...(व्यवधान)

**mi eq; ea-%** नहीं—नहीं, आप नौ लाख कहाँ से ला रहे हैं?  
आप जनता को बरगला रहे हैं। जनता को बरगलाओ मत। नौ लाख का ऑकड़ा आपके पास कहाँ से आया, बताइए?

**v/; {k egkn;%** नौ लाख बच्चे अन एप्रूब्ड स्कूलस में पढ़ रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप?

**mi eq; ea-%** गैर कानूनी रूप से स्कूल चल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नौ लाख बच्चे! बताइए, कहाँ से आया आपके पास आंकड़ा? क्योंकि आप बहुत बड़ी संख्या में बच्चों की बात कर रहे हो, आप कहेंगे, नौ लाख बच्चों की बात करेंगे तो मुझे गुस्सा आएगा।

**v/; {k egkn;%** विजेन्द्र जी, आप बैठ जाइए। आप प्लीज, बैठ जाइए। मामले को आप राजनीतिक मोड़ दे रहे हैं। आप बैठ जाइए। भई नौ लाख को जरा, बैठिए आप, प्लीज बैठिए अब।

**mi eq; ea-%** दिल्ली के किसी भी बच्चे को एजूकेशन दिलाना शिक्षा मंत्री होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है, चाहे उसके लिए जो भी कुछ करना पड़े। लेकिन ये बरगलाएं ना। नौ लाख का भाव दिखा कर आपके चार गैर कानूनी प्राप्त स्कूल, जो आपके हारे हुए विधायक कॉंडिडेट हैं, उनके स्कूलस, उनके पोस्टर मैं रोज देखता रहता हूँ।

**Jh vtsk ; kno%** पिछले सात—आठ साल से एमसीडी के पास फाइल पड़ी हुई है, सैकड़ों स्कूलों की, आज वो मेरे पास आए थे कि रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे जी, चार—चार बार हमारे से रिष्ट की किश्त ली जा चुकी है। ये एमसीडी रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर रही, ये एमसीडी की गलती है न कि दिल्ली सरकार की और लास्ट स्टेज पर फाइल पड़ी है एमसीडी में। आप इनसे पूछें, 'कब तक ये करा के दे रहे हैं?' भविश्य से ये खेल रहे हैं, न कि दिल्ली सरकार। और कम से कम उनके पैसे तो वापिस दे दो जो चार—चार किश्त ली गई हैं।

**v/; {k egkn; %** बैठिए अब अजेष जी, अब बैठिए प्लीज। मैं माननीय विजेन्द्र गुप्ता जी से अध्यक्ष होने के नाते एक प्रार्थना कर रहा हूँ और कोई ऐसी जानकारी जिसकी जानकारी नहीं है सरकार के पास, उस स्कूल में कल को आग लग गई मिस—हैपनिंग हो गई, जिसकी जानकारी नहीं है, कोई और वजह हो गई जो सरकार के रिकार्ड में नहीं है, चाहे वो नगर निगम में हैं, चाहे दिल्ली सरकार में हैं। उस वक्त क्या कहेंगे आप? आप इसी सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। सरकार की डयूटी थी ये करिए वो करिए। कम से कम उनको कहीं न कहीं रूल रेगुलेषन में बांधना पड़ेगा। वो कहा उन्होंने, 'हम एक बच्चे को... नहीं है, छोड़िए, चलिए।

...(व्यवधान)

**v/; {k egkn; %** बैठिए, अब बैठिए प्लीज। अब हो गया अब समय हो गया। अजेश जी, प्लीज। ये मेरा 280 रह जाएगा प्लीज। मैं क्लोज कर रहा हूँ प्लीज। नहीं—नहीं, अब और नहीं, प्लीज। प्लीज कंमाडो जी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आप बैठिए प्लीज, बैठिए। भई अब नहीं, मैं अब

इसको बंद कर रहा हूँ। देखिए, 3.25 हो गए हैं। 280 नहीं होगा। आपके यहाँ तो कॉर्पोरेशन ने जगह दे दी स्कूल बनाने के लिए। नहीं, अब नहीं, प्लीज। दिक्कतें तो रहेंगी। 280 श्री ओम प्रकाष षर्मा जी अनुपस्थित श्री तोमर जी, भई देखिए मैंने जगदीष जी को भी अलाउ नहीं किया।

**Jh ftrʌnz fl ɔ̄ rkej%** में तीन—तीन क्वैश्चन लगाता हूँ। मेरे तीन क्वैश्चन में से एक क्वैश्चन किसी दूसरे नंबर पे चला जाता है, दो क्वैश्चन चले जाते हैं अनस्टार्ड में। ये बहुत सीरियस मेटर्स हैं, मैं किससे बात करूँ? मेरी बात आप आज सुन लीजिए मेहरबानी करके। मेरा 19 नं० क्वैश्चन है, एक बात देख लीजिए। प्लीज उसको, बहुत जरूरी है। मैंने आज तक कभी कोई उद्दण्डता की नहीं है यहाँ पर।

v/; {k egkn; % चलिए इस पर मैं बात करूँगा बैठ के एक बार।

**Jh ftrʌnz fl ɔ̄ rkej %** 19 नं० क्वैश्चन मेरा एक बार देख लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक साल पहले मैंने एक क्वैश्चन लगाया। इसी हाउस के अन्दर उसका जवाब कुछ और आया। आज जवाब कुछ और है और वो, वो जवाब है, पहले वाला भी और इस वाला भी। बहुत ही बर्निंग इश्यू है और जिसको कोई ध्यान ही नहीं दे रहा इसके ऊपर।

v/; {k egkn; % नहीं, वो जवाब की बात कर रहे हैं। जवाब कुछ और है अब कुछ और है।

**Jh ftrʌnz fl ɔ̄ rkej %** हॉ, मैं बता देता हूँ आपको।

v/; {k egkn; % वो राइटिंग में मुझे दे दो।

**Jh ftrʌnz fl ɔ̄ rkej %** सर नहीं, राइटिंग में, हो जाएगी सर। मेरी रिक्वेस्ट है।

v/; {k egkn; % नहीं तोमर जी।

**Jh ftrʌnz fl ɔ̄ rkej %** मैं सुनिए मेरी बात। सुनिए मेरी बात, मैं, सुनिए सर, सुनिए। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर एक जे जे कालोनी है जिसके अन्दर सात हजार मकान हैं, एक लाख लोग रहते हैं वहाँ पर। उसके दोनों तरफ, चारों तरफ पूरा पॉश एरिया है पीतम पुरा के पास शकूर पुर आता है। राजधानी एन्कलेव जहाँ आपके रिश्तेदार रहते हैं, वो भी उसी के साथ मैं ही है। उसके बाद फिर पंजाबी बाग आता है और वो जे जे कालोनी है, उसके ऊपर से हाइटेंशन वॉयर गुजर रही हैं। मैंने पिछली बार जब क्वैश्चन लगाया कि भाई हाइटेंशन वॉयर कैसे हटेंगी यहाँ पे? तो मुझे ये जवाब मिला कि आधे पैसे अगर एमएलए फंड से दे देंगे आप, तो ये हट जाएंगे। मैंने कहा भी, 'बहुत बढ़िया।' बहुत कोशिश की मैंने, कोई एस्टीमेट बना के दे दें, कोई पैसे ले लें, कुछ नहीं हुआ। मैंने अब क्वैश्चन लगाया दूसरे तरीके से कि भई, मैं एमएलए फंड देना चाहता हूँ। आप कब तक इसका एस्टीमेट बना के दोगे। तो मेरे पास क्वैश्चन के जवाब हैं, वो देख लीजिए। इसमें मुझे बताया गया है जब मैंने कहा कि क्या ये सत्य है कि त्रिनगर विधान सभा क्षेत्र की शकूर पुर जे जे कालोनी आवासीय क्षेत्र के ऊपर से 11 केवी और 33 केवी की हाइटेंशन वायर गुजर रही हैं तो उसका जवाब मुझे मिला है कि त्रिनगर विधान सभा क्षेत्र की शकूर पुर जे जे कालोनी आवासीय क्षेत्र से 33 केवी और 220 केवी की हाइटेंशन वॉयर गुजर रही हैं। ये हाइटेंशन केबल्स भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की है। इन केबल्स के

संबंध में कोई भी निर्णय भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड के अधीन है। एक क्वैश्चन का जवाब। दूसरा मैंने कहा कि क्या ये भी सत्य है कि इन हाइटेंशन केबल्स को भूमिगत शिफ्ट करने के लिए विधायक निधि से खर्च की 50 प्रतिशत राहत दे सकते हैं। ये पहले जवाब मिला था मुझे कि 50 परसेंट, 50 परसेंट दे दीजिए आप। उसका कोई जवाब नहीं है। इसके बाद मैंने कहा कि ये हाइटेंशन वॉयर टीडीपीएल या हरियाणा के किसी बोर्ड की, किसकी है? तो उन्होंने कहा कि भाखड़ा मण्डल की है। अब ये कहते हैं, 'साहब, इन केबल्स को, क्योंकि भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड की हैं जो कि दिल्ली सरकार के अधीन नहीं आता है इसलिए विधायक निधि की धनराशि पर खर्च नहीं किया जा सकती।'

अब मैं एक बात जानना चाहता हूँ आपसे पीतम पुरा में वो लाइन नहीं है, पंजाबी बाग में वो लाइन नहीं है। सिर्फ एक किलोमीटर का जो स्ट्रेच है; जो जे कालोनी का, उसके ऊपर वो लाइन है। बाकी सब अण्डर ग्राउण्ड हो गई। इसको कौन करेगा? दिल्ली सरकार कहती है, 'हमारी नहीं है।' टाटा पॉवर की नहीं हुई, बीएसईएस की नहीं हुई। भाखड़ा वाले बाकी जगह कर गए हैं। जो ये जे जे कालोनी में क्या दिक्कत है साहब, मुझे बता दीजिए सिर्फ।

*v/; {k egkn; % आप एक बार इसको।*

*Jh ftrʌnz fl g rkej %* क्यों नहीं हो सकती? साहब, सुनिए न मेरी बात। इधर से मेट्रो जा रही है दोनों तरफ से मेट्रो जा रही है अण्डर ग्राउण्ड।

*v/; {k egkn; % बात सुन ली, पूरी हो गई बात। आप एक बार इस सारे मेटर को मुझे लिखके दीजिए मैं बात करता हूँ।*

**Jh ftrʌnz fl ɔj rkej** % सर, बहुत लिखके दे दिया कई सारे प्लान पे, मैं बोलूंगा, तो फिर आप बोलोगे आप...

v/; {k egkn; % नहीं, नहीं, मेरे पास नहीं आया। आप दीजिए प्लीज।

**Jh ftrʌnz fl ɔj rkej** % बहुत दूर तक जाएगी सर। मैं बहुत चीजें लिखकर दे चुका हूँ सर, यहाँ पे। मैंने बहुत बार बहुत सारी लिखके दी हैं, कुछ नहीं हुआ आज तक। सर पूरी दिल्ली अण्डर ग्राउण्ड हो गई। उधर से जो, सुनिए, जो येलो लाइन है मेट्रो, वहाँ से अण्डर ग्राउण्ड हो गई, सारी खत्म है। पीतम पुरा में नहीं है, रोहिणी में नहीं है, पंजाबी बाग में नहीं है, त्रिनगर में नहीं है। रोहतक रोड पे नहीं है सर।

v/; {k egkn; % तोमर जी, तोमर जी, आप लिख के दीजिए, करवाते हैं। इसको करवाते हैं, टेक आप करेंगे इसको।

**Jh ftrʌnz fl ɔj rkej** % चलो, शकूर पुर में किए हो सर?

v/; {k egkn; % आप एक बार दो लाइनें मुझे लिखके दे दीजिए इस क्वैश्चन के संदर्भ में, मैं इसको टेकअप करवाता हूँ।

**rkjkldr i tuka ds fyf[kr mRrj**

11- **Jh I gʌnz fl ɔj** % क्या mi e[; eɪh यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को 16.528 एकड़ भूमि सीबी नारायण में विकास हेतु दी गई थी;

(ख) जिस विभाग ने ये भूमि दी थी उसका विवरण क्या है;

(ग) इस उद्देश्य के लिए आबंटित किए गए और वास्तव में जारी किए गए फंड की राशि का विवरण क्या है;

(घ) राजस्व विभाग ने ये भूमि किस विभाग को आबंटित की थी; और

(ङ) राजस्व विभाग द्वारा आबंटित इस अवार्ड की संख्या व तिथि का विवरण क्या है?

**mi eq; ea-h %** (क) हाँ, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा दिनांक 16/08/201 को नारायणा वॉटर बॉडी (जलाशय) तथा इसके आसपास आने वाली भूमि में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को विकास कार्य दिया गया था। जिसमें लगभग 7.73 एकड़ भूमि पर वॉटर बॉडी (जलाशय) का विकास कार्य जैसे कि जलाशय को गहरा करना तथा स्थिर करना, पगड़ंडी का निर्माण करना, बैंच लगाना इत्यादि शामिल था। लेकिन यह कार्य विभाग द्वारा किए गए प्रयासों के बाद भी जलाशय में गन्दे पानी के निरंतर आगमन के न रुक पाने के कारण संभव नहीं हो सका। अतः लोक निर्माण विभाग के अनुरोध दिनांक 26.7.2016 के अनुसार 8.08.216 को भूमि का वापस लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया।

(ख) लोक निर्माण विभाग, दिल्ली सरकार।

(ग) इस उद्देश्य के लिए शहरी विकास विभाग दिल्ली सरकार द्वारा दिनांक 17.10.2012 को कुल 6.75 करोड़ की राशि का प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति में गन्दे पानी के कारण केवल साफ व मलबा हटाने का कार्य संपन्न हो सका था जिस पर रु. 1,56,851/- खर्च किए गए थे।

(घ) भूमि अधिग्रहण कलैक्टर, जिला नई दिल्ली के पत्र दिनांक 15.3.2018 के अनुसार उपरोक्त भूमि के.लो.नि.वि. भारत सरकार को अवार्ड नं. 1024 दिनांक 27.06.1960 द्वारा दी गई थी।

(ङ) अवार्ड नं. 1024 दिनांक 23.06.1960।

**12- Jh txnhī fl g % क्या dkj kxkj eah** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आईटीआई हरीनगर में कितने विद्यार्थियों को दाखिला देने की क्षमता है;

(ख) इस आईटीआई में कौन—कौन से कोर्स उपलब्ध हैं;

(ग) इस आईटीआई में काम करने वाली फैकल्टी का विवरण क्या है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में इस आईटीआई में किए गए विकास कार्यों का विवरण क्या है?;

**dkj kxkj eah %** (क) आई.टी.आई. जेल रोड (हरी नगर) में विद्यार्थियों को दाखिला देने की क्षमता 810 है।

(ख) आई.टी.आई. जेल रोड (हरी नगर) में 23 कोर्स (ट्रेड) उपलब्ध है जिनका विवरण इस प्रकार है:-

1. ड्राफ्टमैन (सिविल)
2. इंटीरियर डेकोरेटर एंड डिजाइन (आई.डी.डी.)
3. इलेक्ट्रिशियन
4. इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक
5. मैकेनिक मोटर विहीकल
6. मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स
7. मैकेनिक मोटर साइकिल
8. रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग
9. फिटर
10. मशीनिस्ट
11. टर्नर
12. वेल्टर गैस एंड इलेक्ट्रिक
13. सिलाई प्रौद्योगिकी
14. फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी
15. कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (कोपा)
16. स्टेनोग्राफी (इंगिलिश)
17. सूचना प्रौद्योगिकी
18. कारपेंटर
19. प्लम्बर
20. हेल्थ एंड

तारँकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 117

28 फाल्गुन, 1939 (शक)

सेनेटरी इंस्पेक्टर 21. खाद्य प्रोडक्शन (सामान्य) 22. फूड एंड वेवरेज सर्विसेज  
असिस्टेंट 23. डीजल मैकेनिक

(ग) फैकल्टी का विवरण निम्न है—

1. ग्रुप इंस्ट्रक्टर — 05
2. ए.वी.टी.एस. इंस्ट्रक्टर — 01
3. क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर — 30
4. मैथ इंस्ट्रक्टर — 03
5. मिल राइट इंस्ट्रक्टर — 01
6. स्किल्ड वर्कर — 01
7. क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर (कॉन्ट्रैक्चरल) — 18
8. पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर — 01

फैकल्टी का विवरण संलग्नक — 1 में दिया गया है।

(घ) विकास कार्यों का विवरण संलग्नक — 2 में दिया गया है।

## I gkud & 1

### Annexure 'B'

#### Faculty At ITI Jail Road

Sl. No.	Name of Official (Sh./Smt.)	Designation	Trade
1.	Prahlad Singh	Group Instructor (G.I.)	—
2.	Sushil Grover	G.I.	—
3.	Ram Dayal	G.I.	—
4.	Sushil Grover	G.I.	—
5.	Sunit Kumar Arora	G.I.	—

Sl. No.	Name of Official (Sh./Smt.)	Designation	Trade
6.	Neeraj Rajpal	AVTS Instr.	A.V.T.S.
7.	Bhavana	Craft Instructor (C.I.)	COPA
8.	K.L. Chawla	C.I.	Welder
9.	Bhagwati Prasad	C.I.	Elect.
10.	Manjit Kaur	C.I.	C&S
11.	Narendra Kumar	C.I.	Fitter
12.	Mahesh Kumar Yadav	C.I.	(M/Mech)
13.	Sanjay Kumar Pandey	C.I.	DMC
14.	Surender Pal	C.I.	Elect
15.	Naresh Kr Saroha	C.I.	Fitter
16.	Shyam Lal	C.I.	Fitter
17.	Amrit Pal Singh	C.I.	Machinist
18.	Sushil Kumar	C.I.	Turner
19.	Sanjay Singhal	C.I.	Scooter & Auto Cycle
20.	Ashok Br Balyan	C.I.	Elect.
21.	Manoj Kumar	C.I.	COPA
22.	Preeti Devi	C.I.	DMC
23.	Anil Kumar	C.I.	REF/AC
24.	Pushpinder Kumar	C.I.	Fitter
25.	Rajesh Kumar	C.I.	COPA
26.	Sanjeet Sehgal	C.I.	Diesel Mechanic
27.	Jugal Kishore	C.I.	Carpenter
28.	Pradeep Kumar	C.I.	Plumber
29.	Rajkumar	C.I.	MMC

Sl. No.	Name of Official (Sh./Smt.)	Designation	Trade
30.	Poonam Pahwa	C.I.	Food Production
31.	Deepak Gaur	C.I.	Food Production
32.	B.S. Nandal	C.I.	Engg. Drg.
33.	Ashok Kumar Bhola	C.I.	Engg. Drg.
34.	Arvind Kumar Yadav	C.I.	Engg. Drg.
35.	O.P. Behl	C.I.	Engg. Drg.
36.	Lemta Rani	C.I.	Steno
37.	K.K. Prasad	M.I.	M.I.
38.	Rajesh Kr Puliyani	M.I.	M.I.
39.	Tarun Tyagi	M.I.	M.I.
40.	Ram Dhan	Mill Wright Inst.	Mill Wright Inst.
41.	Jiwan Das Chawla	Skilled Worker	A.V.T.S.

**Details of CCI**

42.	Sunder Lal	Contrutual Craft Instructor (CCI)	Welder
43.	Laxmi Dhanik	CCI	Fashion Design & Tech.
44.	Lalit Kumar	CCI	R&A/C
45.	Anita	CCI	Fashion Design & Tech.
46.	Priyanka Suryan	CCI	COPA
47.	Sanjay Husain	CCI	IDD
48.	Anil Bhardwaj	CCI	Scooter & Auto Cycle
49.	Amit Dabas	CCI	IT
50.	Kapil Dua	CCI	COPA

Sl. No.	Name of Official (Sh./Smt.)	Designation	Trade
51.	Harpreet Singh	CCI	Machinist
52.	Malkeet Singh	CCI	Turner
53.	Shiv Kumar Anuragi	CCI	MMV
54.	Shikha Dewvedi	CCI	COPA
55.	Nitin Arora	CCI	Mechanic Auto Electrical and Electronics
56.	Vinod Kumar	CCI	Elect. Mech.
57.	Pragyajyoti	CCI	HIS
58.	Seema Sharma	CCI	COPA
59.	Rimpi	CCI	COPA
60.	Vipin Vinayak	Part Time Instructor	F&BS Asstt

**I & yxud&2**

निम्नलिखित विभिन्न इंडस्ट्रीज के साथ एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किए गए:-

1. हुंडई मोटर्स लिमिटेड के साथ मैकेनिक मोटर व्हीकल कोर्स के लिए।
2. टी.वी.एस. मोटर्स के साथ मैकेनिक मोटर साइकिल व मैकेनिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स के लिए।
- आई.टी.आई. जेल रोड के ड्राफ्टमैन सिविल, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर व इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्सेज के बेहतर प्रशिक्षण के लिए नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन (एनबीसीसी) के साथ एमओयू की सहमति हो गयी है।

- 06 नये विभिन्न कोर्सेज को शुरू करने हेतु 10 नये थ्योरी व प्रैक्टिकल लैब का इंस्टिट्यूट में नवीनीकरण किया गया, पुराने व खराब स्थिति वाले शौचालयों का सुधार किया गया, थ्योरी रूम्स, प्रैक्टिकल लैब्स, कोर्सिंडोर्स में व कैंटीन क्षेत्र में दीवार की टाइल्स, फर्श की टाइल्स व नयी खिड़कियाँ लगाई गयी।
- वर्षा जल संग्रहण (Rain water Harvesting) पद्धति भी लगाई गयी।
- सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु सौर ऊर्जा पैनल लगाए गए।
- फुटबॉल मैदान, बास्केट बॉल कोर्ट, वाली बॉल कोर्ट व बैडमिंटन कोर्ट भी निर्मित किये गए।

**13- Jh vke i zdk'k 'kekL % क्या jkst xkj ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) सरकार द्वारा रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
- (ख) सरकार द्वारा आयोजित रोजगार मेलों के द्वारा कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ;
- (ग) इस मेले में कितनी कंपनियों ने भाग लिया?
- (घ) इस मेले को आयोजित करने में कितने राशि खर्च की गई?
- (ङ) इस मेले के आयोजन से वास्तविक रूप में कितना फायदा हुआ?;
- (च) इस मेले में कंपनियों द्वारा इन अभ्यार्थियों को ऑफर किये गए वेतन का विवरण क्या है?

(छ) इस मेले के परिणाम स्वरूप वास्तविक रूप से कितने अभ्यार्थियों को रोजगार प्राप्त हुआ?

**jkt xkj e&h %** (क) और (ख) रोजगार निदेशालय द्वारा बेरोजगार अभ्यार्थियों के ऑनलाइन पंजीकरण तथा नियोक्ताओं को नाम प्रेषित करने के अलावा, वर्ष 2015 से अब तक 7 मेलों का आयोजन किया गया है। इनमें निजी नियोक्ताओं ने कुल 78001 अभ्यार्थियों का साक्षात्कार लिया गया 30380 अभ्यार्थियों को शॉर्टलिस्ट किया है।

(ग) इन मेलों में कुल मिलाकर 357 नियोक्ताओं ने भाग लिया है।

(घ) वर्ष 2015 से अभी तक इन मेलों में 33.11 लाख रुपये खर्च किये हैं।

(ङ) इन रोजगार मेलों के आयोजन द्वारा बेरोजगार अभ्यार्थियों तथा विभिन्न निजी नियोक्ताओं को आपस में मिलान का अवसर प्राप्त हुआ जिसमें रोजगार प्राप्त करने एवं देने का अवसर पैदा हुआ, इन मेलों में विभिन्न निजी कंपनियों ने तकनीकी तथा गैर तकनीकी वर्ग

(च) इन मेलों में निजी कंपनियों द्वारा ऑफर किया गया वेतन प्रतिमाह 70,000/- रुपए तक था।

(छ) इन रोजगार मेलों का आयोजन रोजगार निदेशालय का एक विशेष प्रयास था ताकि अभ्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने में सहायता प्रदान हो सके। इन रोजगार मेलों में 78001 अभ्यार्थियों का साक्षात्कार हुआ है। तथा 30380 अभ्यार्थियों का शार्टलिस्ट किया गया है।

**14- Jh jke plnz % क्या eq; e&h यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या यह सत्य है कि पिछली सरकार के कार्यकाल में बवाना विधानसभा में एक आईटीआई खोलने हेतु सर्वे किया गया था;

तारँकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 123

28 फाल्गुन, 1939 (शक)

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए चिन्हित की गई जमीन का विवरण क्या है;

ए०; ए१ % (क) जी हां।

(ख) बवाना विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रहलादपुर बांगर में ग्राम सभा भूमि चिन्हित करने का कार्य हो चुका है। इसके आबंटन हेतु पंचायत विभाग को दिनांक—31.7.2017 को पत्र लिख दिया गया है। (संलग्नक—1)

#### Annexure A

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI  
**DEPARTMENT OF TRAINING & TECHNICAL EDUCATION**

MUNI MAYA RAM MARG : PITAM PURA, DELHI

Tel. No. 27310308 (O) : e-mail :-jdtte.delhi@gov.in

No. F.75 (180)/ADPL/New Inst. Praladpur/2017-18/504-87 Dated 31.7.17

To

The Director (Panchayat)  
Revenue Department  
Govt. of NCT of Delhi  
5, Sham Nath Marg  
Delhi-110057

**Sub :- Opening of New Institution in Prahladpur Bangar Village Bawana**

Sir,

With reference to the subject cited above, a meeting was held in the office of the Hon'ble Dy. C.M. on 26.7.2017 at 3.00 p.m., wherein representatives of RWA Prahladpur and SDM concerned were present. The concerned representaitve are vacant land (copy enclosed) & it was decided that Department of Training & Technical Education to submit a request for allotment of land.

It is, therefore, requested to allot the above said land to Department of Training & Technical Education for opening of a Technical Institution in Prahladpur Village, Bawana.

Encl. :- As Above

Yours faithfully

Sd/-  
**(O.P. Shukla)**  
*Jt. Director (Ptg)*

**Copy to :-**

1. The SDM (Narela), District-North, MPCC Building, Naya Bans, Delhi-110082.
2. PS to Divisional Commissioner, Revenue Deptt. GNCTD, 5, Sham Nath Marg, Delhi.
3. PA to District Magistrate, District-NOrth, Room No. 1, D.M. Office, Complex Alipur, Delhi-110036

**15- Jh egUnz xks y % क्या mi eq; ea= h यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सत्य है कि स्कूल ऑफ एक्सीलैंस हेतु सैक्टर-17 रोहिणी में भवन का निर्माण पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो यह स्कूल किस तिथि तक कार्य करना शुरू कर देगा;

(ग) इस स्कूल हेतु प्रवेश प्रक्रिया क्या है?

**eq; ea= h %** (क) जी हां, यह सत्य है कि स्कूल ऑफ एक्सीलैंस हेतु सैक्टर-17 रोहिणी में भवन निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

(ख) स्कूल अप्रैल 2018-19 के शैक्षिक सत्र से कार्य करना शुरू कर देगा।

तार्गीकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 125

28 फाल्गुन, 1939 (शक)

(ग) प्राइमरी कक्षाओं में दाखिला द्वारा किया जायेगा। (विज्ञापन की कॉपी संलग्न है) कक्षा 9 तथा कक्षा 11 में दाखिला एडमिशन टेरस्ट द्वारा किया जायेगा।

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI  
**DIRECTORATE OF EDUCATION : SCHOOL BRANCH**  
OLD SECRETARIAT, DELHI-11054  
**ADMISSION NOTICE**

Directorate of Education is starting five Schools of Excellence from the Academic Session 2018-19. These will be completely English schools.

Sr. No.	Name of School	School ID	Class-wise Number of Seats			
			Nursery	KG	I	II
1.	School of Excellence, Khichripur	1002400	75	75	75	75
2.	School of Excellence, Sector 17, Rohini	141333	75	75	75	75
3.	School of Excellence, Sector 22, Dwarka	1821282	75	75	75	75
4.	School of Excellence, Kalkaji	1925430	75	75	75	75
5.	School of Excellence, Madipur Khadar	1925432	75	75	75	75

Special Classrooms have been built keeping in mind the needs of toddlers in all Schools of Excellence Admissions in class Nursery to II will be done through draw of lots and on neighbourhood criterion. Application for registration for admission in classes **Nursery to II** in these schools are invited as per following schedule.

Commencement of Registration : 15.03.2018 (Thursday)

Last Date of Registration: 24.03.2018 (Saturday)

Date of draw of lots for primary classes: 27.03.2018 (Tuesday)

Parents/Guardians seeking admission of their wards in above Schools Excellence of Delhi may obtain the application form from their nearest School of Excellence or from our website : ([www.edudel.nic.in](http://www.edudel.nic.in)) under the link '**Govt School Admissions**'. Filled application form (along with the enclosures) can be submitted in the desired Schools of Excellence. Following details are available under the link '**Govt. School Admissions**' on our website ([www.edudel.nic.in](http://www.edudel.nic.in))

1. List of Schools of Excellence.
2. School-wise number of seats available for admission in Classes Nursery to II.
3. Address of the Offices of all DDEs (District/Zone).

**Additional Director of Education (Schools)**

DIP/Shabdarth/3612/17-18

**jkt/Vh; jkt/kkuh {ks= fnYyh | jdkj  
f'k{kk funs kky;] fo | ky; 'kk[kk  
i gkuk | fpoky;] fnYyh&110054  
i dsk | puk**

शिक्षा निदेशालय, शिक्षा सत्र 2018–19 से पांच स्कूल ऑफ एकिस्सलेन्स आरंभ कर रहा है। ये स्कूल पूर्णतः अंग्रेजी माध्यम के होंगे।

क्र.सं.	स्कूल का नाम	स्कूल आईडी	कक्षावार सीटें			
			आई डी	नर्सरी	केजी	।
1.	स्कूल आफ एकिस्सलेन्स, खिचड़ीपुर	1002400	75	75	75	75
2.	स्कूल आफ एकिस्सलेन्स, सेक्टर 17 रोहिणी	141333	75	75	75	75

क्र.सं.	स्कूल का नाम	स्कूल आईडी	कक्षावार सीटें				
			आई डी	नर्सरी	केजी		
3.	स्कूल आफ एक्स्सलेन्स, सेक्टर 22 द्वारका	1821282	75	75	75	75	
4.	स्कूल आफ एक्स्सलेन्स, कालकाजी	1925430	75	75	75	75	
5.	स्कूल आफ एक्स्सलेन्स, मदनपुर खादर	1002400	75	75	75	75	

सभी स्कूल्स आफ एक्स्सलैन्स में छोटे बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रख कर विशेष क्लासरूम्स बनाए गए हैं।

नर्सरी से कक्षा 2 में दाखिले पडोस के मानदंड पर तथा ड्रा द्वारा होंगे।

नर्सरी से कक्षा 2 में प्रवेश हेतु पंजीकरण के लिए आवेदन निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार आमंत्रित किये जा रहे हैं:

पंजीकरण प्रारंभ की तिथि: 15.03.2018 (बृहस्पवितवार)

पंजीकरण की अंतिम तिथि: 24.03.2018 (शनिवार)

प्राइमरी कक्षाओं के ड्रा की तिथि: 27.03.2018 (मंगलवार)

जो अभिभावक / संरक्षक अपने बच्चे को उपरोक्त स्कूल्स आफ एक्स्सलेन्स में प्रवेश दिलवाना चाहते हैं वे प्रवेश आवेदन पत्र अपने नजदीकी स्कूल आफ एक्स्सलेन्स से अथवा हमारी वेबसाइट ([www.edudel.nic.in](http://www.edudel.nic.in)) पर 'Govt School Admissions' लिंक पर निम्नलिखित विवरण उपलब्ध हैं:

1. स्कूल आफ एक्स्सलेन्स की सूची।
2. नर्सरी से कक्षा 2 में प्रवेश हेतु विद्यालयवार सीटों का विवरण।
3. सभी क्षेत्रीय तथा जिला शिक्षा उप-निदेशकों के कार्यालयों का पता।

अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (विद्यालय)

DIP/Shabdarth/3612/17-18

**16- Jh I keukFk Hkkjr% क्या mi eq; ea ह यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) फरवरी, 2015 से सतर्कता विभाग द्वारा शुरू किए गए मामलों की संख्या और उनका विवरण क्या है;

(ख) ऐसे मामलों का विवरण जिनमें चार्जशीट फाइल की जा चुकी है;

(ग) ऐसे मामलों का विवरण जिनमें आपराधिक कार्रवाई शुरू की जा चुकी है;

(घ) सतर्कता शाखाओं के सम्पर्क नम्बरों का वितरण, जहां आम नागरिक शिकायत दर्ज कर सकें; और

(ङ) साउथ दिल्ली के राजस्व विभाग में तैनात सतर्कता अधिकारियों के सम्पर्क नम्बरों का विवरण क्या है?

**14. ef/kr foHkkx Is izu dk mUkj iklr ugha gvkA½**

**17- Jh txnh'k izku % क्या mi eq; ea ह यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सत्य है कि मुस्तफाबाद विधान सभा क्षेत्र में विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में स्कूलों की अत्यंत कमी है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि एक ही भवन में वैकल्पिक दिनों पर दो स्कूल चल रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का इस क्षेत्र में नए स्कूल खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार किराए के परिसरों में स्कूल चला सकती है;

(ङ) यदि हाँ, तो क्या सरकार का किराए के परिसरों में स्कूल चलाने का कोई प्रस्ताव है?

**mi eq; e= h %** (क) मुस्तफाबाद विधानसभा के अंतर्गत 6 राजकीय विद्यालय हैं। विधान सभा में छात्रों की संख्या की तुलना में विद्यालय कम है।

(ख) यह सत्य नहीं है कि एक ही भवन में वैकल्पिक दिनों पर 2 स्कूल चल रहे हैं। लेकिन मुस्तफाबाद के दोनों विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक बाल विद्यालय, मुस्तफाबाद एवं राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय, मुस्तफाबाद, दो—दो पालियों में चल रहे हैं।

(ग) जी हाँ। सरकार का इस क्षेत्र में नये स्कूल खोलने का प्रस्ताव है। सरकार के प्रयास के बाद पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने 2693 वर्ग मीटर भूमि करावल नगर में रु. 1/- प्रतिवर्ष लीज पर देने का अनुमोदन दे दिया है।

(घ) ऐसी कोई योजना वर्तमान में नहीं है।

(ङ) उपरोक्तानुसार।

**18- Jh euftn<sup>j</sup> fl g fl j l k % क्या jktLo ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या दिल्ली में आनंद मैरिज एक्ट लागू हो चुका है;
- (ख) क्या यह भी सत्य है कि सिख धर्म से संबंध रखने वाले लोग इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत विवाह पंजिकृत करवा सकते हैं;
- (ग) क्या यह भी सत्य है कि अभी तक राजस्व विभाग के पोर्टल पर इस प्रावधान के तहत पंजीकरण की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं है;
- (घ) क्या यह भी सत्य है कि ऑनलाइन सुविधा न होने के कारण इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत विवाह का पंजीकरण नहीं हो पा रहा है; और
- (ङ) इस संबंध में विलंब के क्या कारण है और यह प्रक्रिया कब तक शुरू हो जाएगी।

**jktLo ea=h % (क) और (ख) जी हां।**

- (ग) जी नहीं।
- (घ) और (ङ) उपरोक्त के संदर्भ में लागू नहीं।

**19- Jh ftrn<sup>j</sup> fl g rk<sup>e</sup>j % क्या Åtk<sup>l</sup> ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सत्य है कि त्रिनगर विधान सभा क्षेत्र की शकूरपुर जेजे कॉलोनी आवासीय क्षेत्र के ऊपर से 11 केवी और 33 केवी की हाईटेंशन वायर गुजर रही हैं।

(ख) क्या यह भी सत्य है कि इन हाईटेंशन केबलस को भूमिगत शिफ्ट करने के लिए विधायक, विधायक निधि से खर्च की 50 प्रतिशत राशि दे सकते हैं;

(ग) ये हाईटेंशन वायर्स टीपीडीडीएल या हरियाणा इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड में से किसी हैं, और

(घ) इन केबलस को शिफ्ट करने का निर्णय और इनको शिफ्ट करने के अनुमान कब तक तैयार हो सकते हैं ताकि विधायक निधि से धनराशि का आवंटन किया जा सकें?

**Åtkleah %** (क), (ख) और (ग) त्रिनगर विधान सभा क्षेत्र की शकूरपुर जे.जे. कॉलोनी आवासीय क्षेत्र से 33 केवी और 220 केवी की हाईटेंशन वायर गुजर रही हैं। ये हाईटेंशन केबलस भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड की हैं। इन केबलस के सम्बन्ध में कोई भी निर्णय भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड के अधीन है।

(घ) यह केबलस क्योंकि भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड की है जो कि दिल्ली सरकार के अधीन नहीं आता है जो कि दिल्ली सरकार के अधीन नहीं आता है इसलिए विधायक निधि की धनराशि इस पर खर्च नहीं की जा सकती है।

**20- Jh jkepnz th %** क्या **jktLo eah** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि शाहबाद डेरी, प्रकाश विहार, पप्पू कॉलोनी, प्रहलाद विहार, कृष्ण कॉलोनी, पंसाली, राजीव नगर, पूठ कलौ एरिया में सरकारी जमीन पर भू-माफियाओं द्वारा लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है।

(ख) यह अतिक्रमण कब तक हटा दिया जाएगा।

(ग) क्या सरकार का इन अवैध गतिविधियों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने का कोई प्रस्ताव है।

**jktLo e=h %** (क) और (ख) सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकने का दायित्व संबंधित भूमि स्वामित्व वाली एजेंसी का है। अनधिकृत कब्जों को हटाने के संबंध में यदि संबंधित विभाग द्वारा राजस्व विभाग से कोई सहयोग मांगा जाता है तो जिलाधिकारी की देखरेख में गठित डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स द्वारा यथोचित कार्रवाई की जाती है।

ग्राम सभा की भूमि पर से अतिक्रमण हटाने का दायित्व राजस्व विभाग का है। ग्राम सभा भूमि खसरा नं. 16/23/1(2-16), 16/24(4-9) गांव—शाहबाद दौलतपुर पर अतिक्रमण दिनांक 26/2/18 को डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स (D.T.F.) द्वारा हटा दिया गया।

(ग) अवैध गतिविधियों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा किये गये अतिक्रमण को डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स (D.T.F.) द्वारा हटा दिया जाता है।

**vrkj kfdr izuka ds fyf[kr mÙkj**

**01- Jh fxjh'k I kuh %** क्या mi e[; e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में अनेक गैर-मान्यता प्राप्त निजी स्कूल चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में ऐसे सभी गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों का, उनके नाम व नामांकन सहित पूर्ण विवरण क्या है;

(ग) क्या शिक्षा निदेशालय द्वारा पिछले सात वर्षों में दिल्ली के गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों को कोई सर्वे किया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो उक्त सर्वे रिपोर्ट की प्रति प्रदान करें;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या शिक्षा निदेशालय ऐसा सर्वे कराने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**mi eq[ ; e=ḥ %** (क) जी हाँ।

(ख) ऐसी कोई पूर्ण अधिकृत विवरण उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) ऐसा कोई पूर्ण अधिकृत सर्वे नहीं कराया गया है।

(ङ) विभाग ने इस सम्बंध में सभी जिला शिक्षा उप निदेशकों को दिनांक 07.02.2018 के द्वारा आदेश जारी किया है कि सभी गैर मान्यता प्राप्त चल रहे स्कूलों की पहचान करके उनकी सूची बनायें तथा शिफिटिंग प्लान जमा करें।

(च) उपरोक्त के संदर्भ में लागू नहीं होता।

**02- Jh idat iqđj %** क्या **mi eq[ ; e=ḥ** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार के सर्वोदय एवं राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अपने मूल विषय से इतर किसी अन्य विषय में पी.जी. करके पी.जी.टी. बनने की अहर्ता अर्जित करने वाले टी.जी.टी. की संख्या, इस अहर्ता के अंतर्गत प्रोन्नत/पदोन्नत होकर पी.जी.टी. बने अध्यापकों की संख्या कितनी है;

(ख) 1993 से अद्यतन (2018 में प्रस्तावित स्थानांतरण) तक उक्त नीति के अंतर्गत हुए स्थानांतरण की सूची अध्यापक के नाम विषय एम्प्लाई कोड एवं पदोन्नति की तिथि का विवरण क्या है;

(ग) क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा दो वर्ष प्राइवेट या पत्राचार से पी.जी. परीक्षा पास कर 11वीं और 12वीं में पढ़ाने की पूर्ण प्रवीणता प्राप्त करने और इससे छात्रों के होने वाले अहित की समीक्षा की गई है;

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या निष्कर्ष रहे; और

(ङ) यदि नहीं तो उक्त आधार पर पदोन्नति प्राप्त अध्यापकों की क्षमताओं का उचित मूल्यांकन और इनका छात्रों के हित में सही उपयोग हेतु सरकार की क्या योजना है?

**मि एफ़; एफ़ %** (क) 01.01.2015 से अब तक कुल 4009 (2059 पुरुष व 1950 महिलाओं) की पदोन्नति की गई है। जिसके लिये 2998 पुरुष और 2010 महिलाओं ने अपने मूल विषय से ईतर किसी अन्य विषय में पी.जी. करके पी.जी.टी. बनने की अर्हता अर्जित की। जिसमें 816 पुरुष व 683 महिलाओं की पदोन्नति मूल विषय से इतर अन्य विषयों में हुई है।

(ख) शिक्षा निदेशालय में पदोन्नति के बाद आनलाइन स्थानांतरण की प्रक्रिया वर्ष 2004 से प्रारम्भ हुई थी। विभाग में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार अक्टूबर 2004 के उपरांत करीब 10588 पी.जी.टी. की पदोन्नति हुई है, इनमें से वर्ष 2018 में पदोन्नत किये गये 2765 पी.जी.टी. के स्थानांतरण प्रक्रियाधीन है।

शेष 7823 पी.जी.टी. में से 7326 पी.जी.टी. की मांगी गई सूचना जो कि विभाग में उपलब्ध है, सी.डी. में प्रेषित की जा रही है।

08 अगस्त, 2016 सं. पदोन्नति पर अनिवार्य स्थानांतरण पालिसी के अंतर्गत की गई है जिसके अनुसार पदोन्नति परउसी स्कूल में पदोन्नत पद पर स्थानांतरित नहीं किया जाता (प्रतिलिपि संलग्न है)।\*

- (ग) इस प्रकार का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है।
- (घ) उपरोक्त के संदर्भ में लागू नहीं होता।
- (ङ) इस प्रकार का मूल्यांकन करने की कोई योजना वर्तमान में नहीं है।

**03- Jh \_rjkt xksou% क्या mi eq; eah** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सत्य है कि किराड़ी विधान सभा क्षेत्र में सैकेन्ड्री और सीनियर सैकेन्ड्री स्कूलों की अत्यन्त कमी है;
- (ख) वर्तमान में इस क्षेत्र में कितने सैकेन्ड्री स्कूल हैं;
- (ग) प्रत्येक स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है;
- (घ) बच्चों की संख्या के हिसाब से यहां स्कूलों की संख्या बढ़ाने की सरकार की क्या योजना है; और
- (ङ) इसे कब से लागू कर दिया जाएगा?

---

\*[www.delhiassembly.nic.in](http://www.delhiassembly.nic.in) पर उपलब्ध।

**मि एफ़; एफ़ % (क)** किराड़ी विधानसभा में 8 सरकारी विद्यालय कक्षा 12 तक और 2 विद्यालय कक्षा 10 तक है। 6 निजी विद्यालय कक्षा 12 तक और 6 विद्यालय कक्षा 10 तक है।

(ख) किराड़ी विधान सभा में 2 सरकारी और 6 निजी सेकेण्डरी विद्यालय है।

(ग) सरकारी विद्यालयों में 08.03.2018 तक विद्यार्थियों की संख्या

क्र.सं.	स्कूल का नाम व आई.डी.	सेकेण्डरी / सीनियर सेकेण्डरी	छात्रों की संख्या
1	2	3	4
1.	जी.बी.एस.एस. मुबारक डबास नं. 1 1412091	सीनीयर सेकेण्डरी	1378
2.	एस.बी.वी. निठारी गांव 1412092	सीनीयर सेकेण्डरी	3131
3.	एस.के.वी. निठारी 1412093	सीनीयर सेकेण्डरी	7803
4.	जी.जी.एस.एस. निठारी 1412131	सीनीयर सेकेण्डरी	3158
5.	जी.बी.एस.एस. निठारी 1412132	सीनीयर सेकेण्डरी	1908
6.	जी.जी.एस.एस. मुबारकपुर डबास 1412135	सीनीयर सेकेण्डरी	1737
7.	जी.जी.एस.एस. मुबारकपुर डबास नं. 2, 1412253	सीनीयर सेकेण्डरी	1667

1	2	3	4
8.	जी.जी.एस.एस. मुबारकपुर डबास नं. 2, 1412254	सीनीयर सेकेण्डरी	1517
9.	जी.जी.एस.एस. निठारी 1412258	सेकेण्डरी	1452
10.	जी.बी.एस.एस. निठारी 1412259	सेकेण्डरी	1611

सहायताप्राप्त व गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों में 08.03.2018 तक  
विद्यार्थियों की संख्या

क्र.सं.	स्कूल का नाम व आई.डी.	सेकेण्डरी / सीनीयर सेकेण्डरी	छात्रों की संख्या
1	2	3	4
1.	पी.एस.एम. पब्लिक सीनीयर सेकेण्डरी स्कूल 1412134	सीनीयर सेकेण्डरी	2602
2.	बालस्थलीपब्लिक स्कूल 1412141	सेकेण्डरी	661
3.	नवीन पब्लिक स्कूल 1412142	सेकेण्डरी	934
4.	आकाश माडल स्कूल 1412149	सीनीयर सेकेण्डरी	2278
5.	श्री तुलाराम पब्लिक स्कूल 1412157	सीनीयर सेकेण्डरी	1110
6.	बी.एस.एम. पब्लिक स्कूल 1412159	सीनीयर सेकेण्डरी	840
7.	दीप माडल पब्लिक 1412164	सेकेण्डरी	428

1	2	3	4
8.	चौधरी बलदेव सिंह मॉडल स्कूल 1412247	सीनियर सेकेण्डरी	1282
9.	जीवन पब्लिक स्कूल 1412250	सीनियर सेकेण्डरी	1038
10.	प्रकाश भारती पब्लिक स्कूल 1412251	सेकेण्डरी	637
11.	राज सिंह माडल पब्लिक स्कूल 1412255	सेकेण्डरी	790
12.	हंस राज माडल स्कूल 1412261	सेकेण्डरी	790

(घ) प्रथम चरण में दो स्कूल में 60 कमरे बनाये गये और चरण दो में 150 कमरे बनाने का प्रस्ताव है। प्रथम चरण में निम्न दो विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा बनाये गये—

1. राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय नं. 2, मुबारकपुर डबास (आई.डी. 1412253)—44 कमरे।

2. राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय, निठारी (आई.डी. 1412258)—16

चरण दो में निम्न विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा बनाने का प्रस्ताव रखा गया है—

1. राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय, निठारी (आई.डी. 1412093)—100 कक्षा

2. राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, मुबारकपुर डबास  
(आई.डी. 1412133)–40 कक्षा

(ङ) कैबिनेट की व्यय स्वीकृति के उपरांत चरण दो के प्रस्तावित कक्षों  
का निर्माण कार्य आरंभ किया जायेगा।

**04- Jh \_rjkt xlfoln %** क्या mi e[; ea[h यह बताने की  
कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार की मॉडर्न स्कूल खोलने की योजना  
है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या किराड़ी विधान सभा क्षेत्र में भी ऐसा कोई  
मॉडर्न स्कूल खोलने की योजना है;

(ग) यदि हाँ, तो इसका पूर्ण विवरण क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**mi e[; ea[h %** (क) से (घ) जी नहीं, मॉडर्न स्कूल के नाम से  
सरकार की कोई योजना/प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

**05- Jh fotlhz xdrk %** क्या mi e[; ea[h यह बताने की कृपा  
करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा छठी से बारहवीं कक्षा में  
पढ़ने वाली सभी छात्राओं को सेनेटरी नैपकीन उपलब्ध किये जा रहे थे;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि मार्च, 2016 में अचानक  
इनकी सप्लाई रोक दी गई;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार की इस योजना को पुनः शुरू करने की योजना है; और

(ङ) यदि हाँ, तो कब तक; और

(च) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं?

**मि ए[; ए-ह % (क)** जी हाँ, शिक्षा निदेशालय द्वारा छठी से बारहवीं कक्षा में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को “किशोरी योजना” के तहत सेनेटरी नैपकीन उपलब्ध कराये जा रहे थे।

(ख) सप्लायर एजेंसी के अंदरूनी कारणों से वजह से मार्च, 2016 में नियमित सप्लाई में बाधा आयी थी। उत्तरोत्तर महीनों में एजेंसी द्वारा नियमित सप्लाई में सुधार किया गया। एजेंसी द्वारा किये गये माह-वार सप्लाई की सूची निम्न है—

माह	लाभार्थियों की संख्या (लगभग)	किये गये सप्लाई की संख्या
1	2	3
मार्च, 2016	718717	1623
अप्रैल, 2016	718717	653995
मई, 2016	718717	641619

1	2	3
जून, 2016	718717	649989
जुलाई, 2016	718717	696010
अगस्त, 2016	718717	693683
सितम्बर, 2016	718717	699181
अक्टूबर, 2016	718717	697259
नवम्बर, 2016	718717	713214

दिसम्बर, 2016 में निविदा अवधि समाप्त होने एवं नयी निविदा सफल नहीं हो सकने के कारण विद्यालयों में सेनेटरी नैपकिन की सप्लाई अस्थायी रूप से बाधित रही।

(ग) से (ड) सेनेटरी नैपकिन की सप्लाई फिर से प्रारम्भ हो गयी है।

(च) उपरोक्तानुसार लागू नहीं

**06- Jh fot\\$nz x\\$rk % क्या mi e\\$; ea=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सत्य है कि वर्ष 2017–18 में दिल्ली सरकार द्वारा स्कूलों में सफेदी और छोटे-मोटे मरम्मत कार्य किये गये;

(ख) यदि हाँ, तो शिक्षा विभाग के डिस्ट्रिक्ट वाइज इसका पूर्ण विवरण क्या है;

(ग) चालू वित्त वर्ष में इस हेतु डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी राशि आवंटित की गई; और

(घ) इसमें से कितनी धनराशि अब तक खर्च की जा चुकी है?

**मि एफ़ ; एएच %** (क) जी, हाँ, यह सत्य है कि इन कार्यों के लिये अनुमोदन लोक निर्माण विभाग को दिये गये हैं।

(ख) स्कूलों में सफेदी और छोटे मोटे मरम्मत कार्यों के लिये लोक निर्माण विभाग को व्यय स्वीकृति लोक निर्माण विभाग के संबंधित मंडल अनुसार दी गई है। अतः यह सूचना डिस्ट्रिक्ट वाईज उपलब्ध नहीं है।

(ग) वर्ष 2017–18 में करीब 75 करोड़ रुपये के व्यय की स्वीकृति लोक निर्माण विभाग को दे दी गई है।

(घ) लोक निर्माण विभाग की सूचना अनुसार अब तक लगभग 37 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है।

**07- Jh fotuñ xirk %** क्या **मि एफ़ ; एएच %** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी/स्कूल बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

- (ख) यदि हाँ इसका पूर्ण विवरण क्या है;
- (ग) वर्तमान सरकार द्वारा इस दिशा में अब तक किए गये प्रयासों का पूर्ण विवरण क्या है;
- (घ) क्या यह भी सत्य है कि निर्माणाधीन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी/स्कूलों का कार्य रोक दिया गया है;
- (ङ) यदि हाँ तो उसके क्या कारण हैं?

**mi ed[; eɔ:h %** (क) जी हाँ,

स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने की योजना विचाराधीन है।

(ख) और (ग) स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कि स्थापना हेतु उपकुलपति, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए उप मुख्यमंत्री के समक्ष दिनांक 21.09.2017 को ड्राफ्ट रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण किया। तत्पश्चात्, उप मुख्यमंत्री जी के परामर्शानुसार वांच्छित संशोधन करते हुए कमेटी ने फाइनल रिपोर्ट दिनांक 18.01.2018 को प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट के अनुसार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एक स्पोर्ट्स स्कूल बनाने की योजना का प्रावधान है। इस योजना हेतु टिकरी कलाँ गाँव, घेवरा मोड़, रोहतक रोड के नज़दीक लगभग 90 एकड़ ज़मीन चिन्हित की गई है।

(घ) जी नहीं।

**08- Jh txnhī fl g %** क्या mi ed; ea-h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार द्वारा गेस्ट टीचर और कॉन्फ्रैक्ट टीचर नियुक्त करने की प्रक्रिया कब से शुरू की गयी;

(ख) तब से लेकर प्रत्येक वर्ष गेस्ट टीचर्स और कॉन्फ्रैक्ट टीचर्स की भर्ती हेतु दिए गए विज्ञापन की प्रति प्राप्त आवेदनों की संख्या और इनके चयन की प्रक्रिया का पूर्ण विवरण दें; और

(ग) यदि विज्ञापन नहीं दिया गया तो आवेदन मंगाने की प्रक्रिया क्या थी?

**mi ed; ea-h %** (क) शिक्षा निदेशालय द्वारा सत्र 2001–02 से 2008–09 तक सेवा निवृत्त शिक्षकों को अतिथि शिक्षकों के रूप में तथा 2009–2010 से शिक्षित युवाओं को (सेवा निवृत्त सरकारी शिक्षकों सहित) स्टाप गेप व्यवस्था के रूप में छात्रों के शैक्षिक हित हेतु नियमित पद जो दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन, बोर्ड द्वारा प्रमुख भर्ती प्रक्रिया लम्बित होने के कारण या चाइल्ड केयर लीव, मातृत्व अवकाश इत्यादि के कारण रिक्त होने पर Engage किया जा रहा है।

### विवरणीय विज्ञापन विषय प्राप्त चयन प्रक्रिया

वर्ष	पब्लिक नोटिस / सर्कुलर (विभागीय की तारीख वेबसाइट पर)	विज्ञापन की तारीख	प्राप्त आवेदन	चयन	प्रक्रिया
1	2	3	4	5	6
2001–02	01.08.2001 06.09.2001 13.09.2001 24.09.2001 28.09.2001	— पदों की सिविलियों के अनुसार नहीं है।	उपलब्ध उपलब्ध उपलब्ध विद्यालय प्रधानाचार्य	इसकी सूची की निवृत्ति है।	चयन सरकारी एडेंड अथवा प्राइवेट स्कूल से सेवा निवृत्त शिक्षकों को विद्यालय रत्र पर जाता था।
2002–03	06.08.2002	—	—	—	—
2003–04	13.08.2003	—	—	—	—
2004–05	06.09.2004	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6
2005–06	16.06.2005	—			
2006–07	13.06.2006	—			
2007–08	19.04.2007	—			
2008–09	10.04.2008	7			
2009–10	02.06.2009	— एवं			
	11.12.2009				
2010–11	23.07.2010	—	260020 (2009–10 से 2012–13 तक)	चयन विद्यालय रत्नपर प्रधानाचार्य द्वारा किया जाता था।	
2011–12	27.07.2011	—			
2012–13	26.09.2012	27.09.2012 एवं 28.09.12			

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

147

28 फाल्गुन, 1939 (शक)

2013–14	25.06.2013	26.06.13	272585
2014–15	28.07.2014	23.07.14	2200000
2015–16	03.02.2016	03.02.16	EVGC 115 जिला स्तर पर मेरिट बनाकर चयनित आवेदकों को विद्यालय दिया जाता था तथा शैक्षणिक सत्र शिक्षकों को पुनःनियुक्ति (Reengagement) दी जाती रही है।
2016–17	17.05.2016	16.05.16	EVGC 399 TGT उर्द्ध TGT पंजाबी 543 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 में इन्हीं अतिथि
2016–17	21.10.2016	28.10.16	TGT पंजाबी 543 जाती रही है।
2017–18	25.01.2018	27.01.18	नमस्री पैनल 9691 एवं 28.01.18 हेतु

### vupak f'k{ka dk foj.k

पद	वर्ष	आवेदनों की सं.	चयन प्रक्रिया
प्राथमिक कांट्रैक्ट टीचर	2007–08	193	साक्षात्कार द्वारा
	2008–09	266	मेरिट कम इंटरेक्शन
	2012–13	3977	मेरिट लिस्ट
टी.जी.टी.	2013–14	17958	मेरिट लिस्ट
	2014–15	35487	मेरिट लिस्ट
	2011–12	उपलब्ध नहीं	मेरिट लिस्ट
	2012–13	10687	मेरिट लिस्ट
	2013–14	11571	मेरिट लिस्ट
	2014–15	27231	मेरिट लिस्ट
	2015–16	34524	मेरिट लिस्ट

इसके अतिरिक्त वर्ष 2008 में 64 सेवा निवृत्त प्रधानाचार्यों/उप प्रधानाचार्यों को जिन्होंने विभाग के दिनांक 01.04.2008 के सर्कुलर के संदर्भ में आवेदन किया था, दो साल के लिये, अनुबंध पर रखा गया था (आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है)।

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 149

28 फाल्गुन, 1939 (शक)

**GOVERNMENT OF N.C.T.  
DIRECTORATE OF EDU  
OLD SECRETARIAT : DEL**

No. DE/18-19(2)/2001/PLG/4454-4504

Dated : 01-08-2001

**CIRCULAR**

1. For the year 2000-2001, the CBSE result of the government schools for Secondary has been barely 40%

In Senior Secondary, the CBSE result for this year has been lower than the result for previous year.

2. For the year 2001-2002 a target of a minimus of 50% result is CBSE in Secondary and a minimum of 75% result in Senior Secondary has been fixed for each government school.
3. In order to achieve the target and to introduce a quality input in teaching amongst various initiatives, the concept of guest lecturer is proposed to be introduced.

The basic idea is to invite reputed and experienced members from the teaching community known for their quality and long experience so that the quality of teaching in government schools improve.

4. It must be understood clearly that inviting teachers is not to provide income of employment in any form whatsoever and is not substitute for regular teachers.
5. It may be noted that the guest lecturers shall in no case replace the contract teachers.

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 150

19 मार्च, 2018

**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL  
DIRECTORATE OF EDU  
OLD SECRETARIAT : DEL**

No. 2497-2500

Dated : 06-09-2001

**CIRCULAR**

Sub.

**Inviting Guest Lecturers.**

Vide Circular of even number dated 1.8.200 I (copy enclosed), Heads of schools were advised to identify suitable superannuated/retired teachers from Govt., aided and private schools known for their quality and make a panel of such superannuated/retired teachers for each subject.

2. W.e.f Ist September, 2001, Heads of school may invite such idenufied superannuated/retired teachers to be guest lecturers and take classes.
3. It must be categorically noted that a guest lecturer shall be invited only against a clear vacancy. As soon as the vacancy is filled, the invitation against that vacancy shall cease.
4. It may be clearly noted that guest lecturer shall In no case replace the contract teachers.
5. The guest lecturers are to be Invited to lecture only senior secondary class and secondary classes.

For senior secondary classes, the guest teacher shall be paid a token honorarium of Rs. 80/- per lecture and for secondary classes, the guest teacher shall be paid a taken honorarium of Rs. 60/- per lecture.

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 151

28 फाल्गुन, 1939 (शक)

6. The Heads of schools shall furnish to the DDE by 3rd of every month, a list of guest lecturers invited by them and the vacancy against which they have been invited. Heads of school shall keep a proper account of classes taken by each guest payments made and shall keep all relevant records like copy of letter of invitation received for payment of honorarium etc.

A standard letter of invitation is also enclosed.

(GYANENDRA  
DIRECTOR OF EDUCATION

Encls As above.

To :

1. All Head of Schools
2. All Education Officers
3. All Deputy Directors
4. All Regional Directors.

Copy to :

1. Secretary to Minister of Education
2. Secretary (Education)

**GOVERNMENT OF NCD OF DELHI  
DIRECTORATE OF EDUCATION,  
(PRIVATE SCHOOL BRANCH)  
OLD SECRETARIAT, DELHI-110054**

No.F.DE.15(227)/Act-1/2016/ 19757

Dated: 13-10-2017

To,

Sh. Anurag Kundu, Member  
Delhi Commission for Protection of Child Rights,  
Government of NCT of Delhi,  
5th Floor, ISBT Building,  
Kashmere Gate, Delhi-110006.

**Sub: Grievances regarding implementation of EWS Quota.**

Sir,

With reference to your letter number C/RTE/DCPCR/17-18/127/4876 dated 19/09/2017 on \$b.e subject cited above, point wise status report as sought by the Commission is as under:

Sl.No.	Query of DCPCR	Reply of the Department
1	State clearly how many seats were available under Section 12(1)(C) of Right of Children to Free and Compulsory Education Act for the academic year 2017-18	At the start of the online EWS/DG category admission process for the session 2017-18, a total of 31653 declared seats were available across all three entry level classes (i.e. Pre-School/Nursery, Pre-primary/KG and class-I) in the Private Unaided Schools recognized under the provision of DSEAR, 1973 under

Sl.No.	Query of DCPCR	Reply of the Department
		section 12(1)(C) of Right of Children to Free and Compulsory Education Act
2.	State clearly how many children have been granted admission against those seats as of September 2017	As per the data updated by the respective schools on the online module available on department website, after the completion of admission process of two round of computerized draw of lots, 24,341 children (including the provisionally admitted) have been granted admission till date (04/10/2017)
3.	How many of these allotted have actually started attending school	As of now no complaint regards to non attendance of the children admitted under EWS/DG category received in this office. Therefore, it can be presumed that all the admitted candidates are attending the school in which they have got admission.
4.	How many children have provisional admission under the provision because of the policy that makes schools grant 1 admission under the provision after admission of 3 students in general category.	Hon'ble High Court of Delhi vide order dated 30/09/2013. in WPC 3358/2013 titled "The Sovereign School Vs Directorate of Education, GNCT of Delhi" has held that the Petitioner school made attempt to admit 105 students from the General Category but was able to admit only 51 students, it cannot be compelled to admit more than 17
5.	How many children continue to be waitlisted under the provision	

Sl.No.	Query of DCPCR	Reply of the Department
	<p>because of the policy that makes schools grant 1 admission under the provision after admission of 3 students in general category</p> <p>6. How many children have been denied admission under the provision because of the policy that makes schools grant 1 admission under the provision after admission of 3 students in general category</p> <p>7. Steps taken by the directorate to ensure. alternative school is allotted? to the children who have not been given admission till now.</p>	<p>students belonging to Economically Weaker Sections of society. The impugned order dated 15.5.2013 passed by (he Directorate of Education is hereby quashed subject to the Directorate verifying and confirming, within one week from today that the petitioner school had actually made attempt to admit 105 students from the General category during the academic year 2013-14. The copy of the Hon'ble Court order is annexed herewith.</p> <p>Therefore, based on the said judgement, Private Schools give admission to the EWS/DG category candidates in proportion of 1:3 to the General Category admission and kept other candidates under "In-waiting" category and after every 3 General Category admission give admission to 1 candidates of EWS/DG category candidates from the "In-waiting" category.</p> <p>As per the data updated by the respective schools till date i.e. 04/10/2017, a total 1565 candidates have been kept under "In-waiting" category by the respective schools due to less</p>

Sl.No.	Query of DCPCR	Reply of the Department
		<p>general category admissions in the school. In order to verify and confirm that the Private Unaided Recognized Schools, wherein the EWS/DG category candidates selected through computerized draw of lots have been kept under "In-waiting" category, had actually made attempt to fill all General Category seats at their entry level classes, department had issued circulars dated 10/08/2017 and 26/09/2017 (copy end) with the direction to DDEs to check and verify the same and if any school has not made adequate efforts to fill all declared General Category seats then the school shall be directed to give admission to all EWS/DG category candidates allotted through computerized draw of lots.</p>
		<p>Further, Department is going to conduct an adjustment round for adjusting these "In-waiting" category candidates in any other school through computerized draw of lots in the school opted by the applicants in the online application form and where the vacancies under EWS/DG category still exist.</p>

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 156

19 मार्च, 2018

Further, it is submitted that Dayanand Adarsh Vidyalaya has informed that they are admitting Gunveer Singh son of Shri Amardeep Singh in the school under EWS/DG Category against the strength of 11 students of general category in the class. The copy of information from the school is enclosed.

This issues with the approval of Director (Edu).

Encl.: As above.

(YOGESH PRATAP)

Deputy Director of Education (PSB)

**ANNEXURE-I**

**Govt. of NCT of Delhi  
DIRECTORATE OF HIGHER EDUCATION  
B-WING, 2ND FLOOR, 5, SHAM NATH MARG, DELHI-110054**

**HIGHER EDUCATION AND SKILL DEVELOPMENT  
GUARANTEE SCHEME FOR  
PURSUING HIGHER EDUCATION IN DELHI**

**1. INTRODUCTION**

Government of NCT of Delhi, as a part of its 70 Action Points, has envisaged a Higher Education and Skill Development Guarantee Scheme for students who wish to pursue diploma or degree level courses or specified skill development courses in Delhi and have done their class X and class XII from Delhi. For courses for which the qualifying examination is class X, students who have done class X from Delhi will be eligible under the scheme. Under the scheme, bank loans upto Rs.10 lakhs taken by the students will be provided guarantee through a Higher Education and Skill Development Credit Guarantee Fund to be created by the Government for providing guarantee to the banks in case of default. Students will not be required to furnish any collateral or margin money and the scheme will be universal in nature regardless of the student's background.

**2. OBJECTIVE OF THE SCHEME**

The Higher Education and Skill Development Guarantee Scheme outlined below aims at providing financial support from the banking system to meritorious students for pursuing higher education in Delhi and pursuing recognized degree or diploma level courses or skill development courses from Central /State Govt. Universities /Institutions located outside Delhi, within India.

The main emphasis is that a meritorious student is provided with an opportunity to pursue higher education with the financial support from the banking system with reasonable and affordable terms and conditions.

### **3. SALIENT FEATURES OF THE HIGHER EDUCATION CREDIT GUARANTEE FUND**

The scheme envisages creation of a corpus of-Rs. 30 Crores called the Higher Education and Skill Development Credit Guarantee Fund (hereinafter referred to as the Fund), initially which will be used to provide appropriate guarantee. The said corpus fund shall be managed by the Delhi Higher Education and Skill Development Credit Guarantee Fund Trust. This Trust shall give guarantee to the banks/ financial institutions for providing education loan to students within the limit (limited to the corpus with the Trust for the purpose). Banks wishing to avail of this facility will have to pay an Annual Guarantee Fee (AGF) of 0.5% of the outstanding amount as on the date of application of the guarantee cover upfront to the front within 30 days from the date of Credit Guarantee Demand Advice Note (CGDAN) of guarantee fee. All subsequent AGFs could be collected on the basis of the outstanding loan amount as at the beginning of the financial year. On default of the loan and invocation of claim, the Fund shall settle 75% of the claims (out of the 100% of total amount under default) after the credit facility has been recalled and the recovery proceedings have been initiated under due process of law and the balance 25% of the claim, if any, shall be paid after conclusion of the recovery proceedings and ascertaining the net/final loss incurred by the lending institution. The scheme shall be confined to education loans sanctioned by Member Banks of Indian Bankers Association (IBA) or other Banks/Financial Institutions as identified by Govt, of NCT of Delhi.

#### 4. ELIGIBILITY CRETERTIA

##### 4.1 Students Eligibility

- Students who wish to pursue diploma or degree or specified skill development courses in Delhi and have done their Class-X and Class - XII from Delhi are eligible under this Scheme. For courses for which the qualifying examination is Class-X, students who have done Class-X in Delhi would be eligible under this Scheme. Students who are children of employees of Govt, of NCT of Delhi or Officials/government servants who are posted with the Govt. of NCT of Delhi are also eligible under this scheme.
- The student should have secured admission to a higher education course or specified Skill development courses (diploma or degree including bachelors, Masters and Doctoral Degree) in recognized institutions in Delhi through Entrance Test/ Merit Based Selection process after completion of Secondary Examination/Senior Secondary Examination/required qualifying examination.
- The guarantee would be available for loans for all recognized diploma/degree-- courses from Government- Institutions / Universities and constituent colleges of University of Delhi. It would also be available for Private/ Self-financed Institutions located in Delhi having NAAC/N-BA/SFRC grading. The department will persuade all the Private Institutions to get accreditation from N A AC/NBA. Till such time, grading as given by the Thud State Fee Regulatory Committee (SFRC) set up by Directorate of Higher Education and Directorate of Training & Technical Education may be used for Private Institutions, since this grading is based on

the infrastructure, faculty and academic standards of the institutions as also the costs being incurred by it.

- It would also be available for Institutions of Technical/Training Skill Development such as courses by World Class Skill Centre or any other technical training/skill development institutions specified by the Government of NCT of Delhi.
- It would also be available to those students who have passed out 10th and 12th from Delhi and are pursuing recognized degree or diploma level courses or skill development courses from Central /State Govt. Universities /Institutions located outside Delhi, within India.
- Other reputed and recognized Institutions may be considered on the basis of employability.
- The Private Institution in which admission has been secured should have NAAC/NBA grading.\* Since presently all institutions do not have NAAC/NBA grading, SFRC grading will also be considered for a limited period.\*\*

---

\* For private institutions having NAAC/NBA accreditation, minimum grade of A or B is required.

\*\* For private institutions having SFRC grading, A+ or A is required.

*(SFRC grading has been given by the 3<sup>rd</sup> State Fee Regulatory Committee (SFRC) and is based on various parameters including infrastructure: faculty and academic standard. Institutions are advised to get NAAC/NBA accreditation at the earliest).*

Note:

It would be in order for banks to consider a meritorious student (who qualifies for a seat under merit quota) eligible for loan under this scheme even if the student chooses to pursue a course under Management Quota.

#### 4.2 Courses Eligible for Studies in Delhi: (Indicative list)

- Approved courses leading to graduate/ post graduate degree and PG diplomas conducted by recognized colleges/ universities recognized by UGC/Government/ AICTE/ AIBMS/ ICMR etc.
- Courses like ICWA, CA, CFA etc.
- Courses conducted by IIT, NIFT, NLU, IIFT etc.
- Regular Degree/Diploma courses like' aeronautical, pilot training, shipping; including those run. by Polytechnics etc.. degree/diploma- in nursing, physiotherapy or any other discipline approved by Director General of Civil Aviation/Shipping/Indian Nursing Council or any other regulatory body as the case may be, if the course is pursued in Delhi.
- Skill Development Courses as may be specified by Govt. of NCT of Delhi.

---

Note:

1. The above list is indicative in nature. Banks may approve other job oriented courses leading to technical/professional vocational/other degrees, post graduate degrees/diplomas offered by recognized institutions under this scheme.
2. Courses other than the above offered by reputed institutions may also be considered on the basis of employability.
3. The guarantee would be available for loans for only those institutions whose fee is regulated by the Government.

#### 5. EXPENSES CONSIDERED FOR LOAN

- i. Fee payable to college++/ school/ hostel\*
- ii. Examination/ Library/ Laboratory fee
- iii. Insurance premium for student borrower

- iv. Caution deposit. Building fund / refundable deposit supported by Institution bills/receipts. \*\*
- v. Purchase of books/ equipment / instruments / uniforms\*\*\*
- vi. Purchase of computer at reasonable cost, if required for completion of the course\*\*\*
- vii. Any other expense required to complete the course - like study tours, project work, thesis, etc.\*\*\*
- viii. While computing the loan required, scholarships, fee waiver etc., if any available to the student borrower may be taken into account.
- ix. If the scholarship component is included in the loan assessment, it may be ensured that the scholarship amount gets credited to the loan account when received from the Government.

---

Notes:

++ For courses under Management quota seats considered under the scheme, fees as approved by the State Government/Government approved regulatory body for payment scats will be taken, subject to viability of repayment.

\* Reasonable lodging and boarding charges will be considered in case the student chooses / is required to opt for outside accommodation.

\*\* These expenses could be considered subject to the condition that the amount does not exceed 10% of the total tuition fees for the entire course.

\*\*\* It is likely that expenditure under Item Nos. vi, vii & viii above may not be available in the schedule of fees and charges prescribed by the college authorities... Therefore, a realistic assessment may be made of the requirement under these heads.

## **6. QUANTUM OF FINANCE**

Need based finance to meet the expenses worked out as per para 5 above will be considered taking into account margins as per para 7 subject to the following ceiling:

Studies in Delhi - Maximum upto Rs. 10 lakhs.

- Ordinarily loans upto Rs. 7.5 lakhs where conditions as prescribed under the Credit Guarantee Fund Scheme for Education Loans (CGSEL) of Govt. of India are satisfied can be granted by the Banks under the Govt. of India scheme as and when the same becomes operational.
- However loans above Rs. 7.5 lakhs & upto Rs. 10 lakhs and loans in respect of Private Institutions which presently do not have NAAC accreditation as required under Govt. of India scheme but have SFRC grading of A+ or A and otherwise satisfy the requirements under the scheme of Govt. of NCT of Delhi will be covered under this scheme

## **7. MARGIN**

\*Upto Rs. 10 lakhs - Nil

## **8. SECURITY**

Upto Rs. 10 lakhs	Parents/legal guardians to be joint borrower(s) No security
-------------------	--

Note:-

The loan documents should be executed by the student and (he parent/ guardian as joint-borrower.

## **9. RATE OF INTEREST**

Interest to be charged at rates linked to the Base rate as decided by individual banks

- Simple interest to be charged during the study period and up to commencement of repayment. The maximum interest rate to be charged in Base Rate + 2 %.

Note:-

Servicing of interest during study period and the moratorium period till commencement of repayment is optional for students. Accrued interest will be added to the principal amount borrowed while fixing EMI for repayment.

#### **10. APPRAISAL/ SANCTION/ DISBURSEMENT**

- Applications will be received either directly at bank branches or through on-line mode. Upon receipt of application, standard acknowledgement giving a reference number will be issued. The acknowledgement will contain contact details of the bank official who, could be contacted in case of delay in disposal of application.
- Domicile Certificate issued by the Tehsildar (Executive Magistrate), Revenue Department, Govt. of NCT of Delhi, will be accepted by the Banks as proof of domicile, if required.
- Normally, sanction/rejection will be communicated within 15 days of receipt duly completed application with supporting documents.
- In the normal course, while appraising the loan, the future income prospect of the student only will be looked into.
- State Level Bankers Committee (SLBC) will provide information regarding loans sanctioned under the Govt. of India scheme to students of Delhi on quarterly basis.
- Rejection of loan application, if any, shall be done with the concurrence of the controlling authority of the branch concerned and under intimation

to the Directorate of Higher Education, Delhi and conveyed to the student stating reason for rejection.

- Students may submit their loan applications either at the bank branches near the residence of parents or to the educational institution. However, after the loan is sanctioned, the cases would be transferred to the bank branch near the institution for follow up with student / institution. The KYC compliance for the purpose has to be done by the branch nearest to the residence of parents.
- The loan to be disbursed in stages as per the requirement/ demand directly to the Institutions/ Vendors of equipment / instruments to the extent possible.
- The Directorate of Higher Education in collaboration with State Level Bankers Committee will set up a portal to monitor the entire process. Loans sanctioned will be immediately uploaded on the Portal.
- Recovery proceedings by Banks will also be monitored by the Dte. of Higher Education and Banks will upload the information regarding recovery and default status every six months.
- Grievance Redressal Committee will be formed which will be headed by Director, Higher Education with one member each from Indian Bankers Association (IBA), "Lead Bank, Canara Bank to handle any complaint, grievances including those relating to cases rejected by Banks. The committee will meet on a monthly basis or as frequently as may be necessary.

## 11. REPAYMENT

Repayment Holiday / Moratorium - Course period + 1 year.

- If the student is not able to complete the course within the scheduled time, extension of time for completion of course may be permitted for a maximum period of 2 years. If the student is not able to complete the course for reasons beyond his control, sanctioning authority may at his discretion consider such extensions as may be deemed necessary to complete the course. In case the student discontinues the course midway, appropriate repayment schedule will be worked out by the bank in consultation with the student/parent.
- The accrued interest during the repayment holiday period to be added to the principal and repayment in Equated Monthly Installments (EMI) fixed.
- 1% interest concession may be provided by the bank, if interest is serviced during the study period and subsequent moratorium period prior to commencement of repayment.
- Repayment of the loan will be in equated monthly installments for a period of 15 years for all categories.
- While EMI based repayment is the generally accepted practice, many times the salary levels at the start of the career may not facilitate comfortable payment of EMI in certain cases (e.g. professionals like Doctors). Telescoping Of repayment with stepped up installments with passage of time may be considered in such cases.

---

Note:-

No prepayment penalty will be levied for prepayment of loan any time during the repayment period.

## 12. INSURANCE

Banks may arrange for life insurance policy for the students availing Education Loan. Individual Banks may work out the modalities with insurance companies. Schemes such as Pradhan Mantri Jeevan Jyoli Bima Yojna (PMJJBY) and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna (PMSBY) may be availed to ensure reasonability of premium and to cover the loan and act as a safely net for the parents.

## 13. FOLLOW UP/ MONITORING

Banks will contact college / university / institutional authorities to obtain progress report on the student at regular intervals in respect of those who have availed loans. The UID number issued by UIDAI / PAN may also be captured in bank's system. Immediately on a loan becoming a Non-performing Asset (NPA), this UIDAI/AADHAAR linkage could be used to deny benefits of any project or scheme of Government of NCT of Delhi to an individual. Banks may enter into Memorandum of Understanding (MoU) with the educational institutions to provide the educational loans to the students if so desired. However the student will have the freedom to approach any Bank as per his/her choice/convenience. There may be an annual review of the asset quality of educational loans between banks and educational institutions.

## 14. No processing charges may be levied on the loans sanctioned under the scheme.

## 15. OTHER CONDITIONS:

### 15.1 Sanction of loan to more than one child from the same family

Existence of an earlier education loan to the brother(s) and/or sister(s) will not affect the eligibility of another meritorious student from the

same family obtaining education loan as per this scheme from the bank.

#### **15.2 Minimum Age**

There is no specific restriction with regard to the age of the student to be eligible for education loan. However, if the student was a minor while the parent executed Documents for the loan, the bank will obtain a letter of ratification from him/her upon attaining majority.

#### **15.3 Top up loans**

Banks may consider top up loans to students pursuing further studies within the overall eligibility limit, if such further studies are commenced during the moratorium period of the first loan. The repayment of the loan will commence provided under the scheme.

#### **15.4 Joint Borrower**

The joint borrower should normally be parent(s)/guardian of the student borrower. In ease of a married person, joint borrower can be either spouse or the parent(s)/parents-in-law.

#### **15.5 No Dues Certificate**

No dues certificate will not be insisted upon as a pre-condition for considering education loan. However, banks shall obtain a declaration/ an affidavit confirming that no loans are availed from other banks.

#### **15.6 Disposal of loan application**

Loan applications have to be disposed of in the normal course within a period of 15 days to 1 month, but not exceeding the time norms

stipulated for disposing of loan applications under priority sector lending.

### **15.7 Credit Score**

In case of default of loan credit score such as Credit Information Bureau (I) Ltd. (CTBIL) of parents as well as students will be affected which will adversely impact their capacity to take future loans as well as increases the cost of loan.

### **15.8 Furnishing of Documents**

Students shall have to furnish to the Banks authenticated copies of documents related to their academic performance sheet, if so desired by the Banks.

### **15.9 Sharing of Student's Progress Reports by Institutions.**

In order to reduce the possibility of deliberate default, the Educational/ Technical Training/ Skill Development Institutions will be involved in the process. They will share progress reports, of the students who have taken loans with the banks, at regular intervals, if so desired by the Banks.

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 170

19 मार्च, 2018

**ANNEXURE-II**

**GOVT. OF NCT OF DELHI  
DIRECTORATE OF HIGHER EDUCATION  
B-WING, 5 SHAM NATH MARG, DELHI-110054**

**List of beneficiaries under "Higher Education & Skill Development  
Guarantee Scheme" (Students loan Scheme) sanctioned loan  
(online) by the member Banks after Launching of Web  
Portal online at e-district Portal**

Sl. No.	Application No	Applicant Name	Gender	Loan Sanctioned Amount in Rupees
1	2	3	4	5
1	30050000000041	Deepak Malik	M	750000
2	30050000000046	Abhishek Arora	M	278460
3	30050000000073	Aryan Jogia	M	651000
4	30050000000113	Vandana Chauhan	F	142000
5	30050000000115	Bijender Singh Chauhan	M	480000
6	30050000000207	Raju Kumar	M	412000
7	30050000000220	Purtika	F	94000
8	30050000000308	Anshul Tripathi	M	283000
9	30050000000324	Prateeksoni	M	550000
10	30050000000362	Aditya Negi	M	237000

1	2	3	4	5
11	30050000000351	Jyoti Gautam	F	225000
12	30050000000120	Himanshu Pal	M	194500
13	30050000000156	Deepak Kumar	M	329500
14	30050000000008	Akhilgarg	M	210000
15	30050000000028	Achal Kumar	M	485000
16	30050000000122	Nishita Bajaj	F	285500
17	30050000000062	Shiwanee Jha	F	332000
18	30050000000066	Hemant Roy	M	125000
19	30050000000069	Shubham Gupta	M	353000
20	30050000000074	Archit Sehgal	M	325000
.21	30050000000105	Pooja Maan	F	339000
22	30050000000172	Anmol Singh	M	460000
23	30050000000316	Himanshu	M	145000
24	30050000000388	Mohit Kumar	M	345000
25	30050000000151	Piyush Jain	M	255000
26	30050000000190	Gitika Sethi	F	269000
27	30050000000263	Mansi Chanana	F	301000
28	30050000000050	Archit Garg	M	442000
29	30050000000398	Sweety Jha	F	350000

1	2	3	4	5
30	30050000000001	Shrutika Bhushan	F	325000
31	30050000000038	Kamal Walia	M	290000
32	30050000000079	Moin Mukhtar	M	93000
33	30050000000095	Bhavesh Sethi	M	195000
34	30050000000103	Shubham Jindal	M	188000
35	30050000000139	Rupesh	M	300000
36	30050000000171	Habiba Rahman	F	271000
37	30050000000205	Gaurav Mishra	M	400000
38	30050000000244	Vivek Garg	M	400000
39	30050000000259	Ayushi Negi	F	407000
40	30050000000323	Manveen Singh	M	225000
41	30050000000005	Manju Rana	F	245000
42	30050000000011	Gitesh	M	194000
43	30050000000014	Shivam Yadav	M	187624
44	30050000000019	Harshit Maheshwari	M	190000
45	30050000000020	Ritika Bansal		241000
46	30050000000021	Neeraj	M	565000
47	30050000000024	Aakashyadav	M	581000
48	30050000000027	Deepak	M	285000

1	2	3	4	5
49	30050000000033	Saquibsiddique	M	198000
50	30050000000034	Sajal Saha	M	180000
51	30050000000052	Surya Kumar	M	411000
52	30050000000054	Pankaj Singh	M	565000
53	30050000000056	Aditi Kachhwah	F	100000
54	30050000000058	Krishan Sethi	M	108000
55	30050000000059	Ankit Kumar Sah	M	338460
56	30050000000071	Devesh Yadav	M	1000000
57	30050000000081	Sahil Kumar Singh	M	285000
58	30050000000082	Vishal Singh Rana	M	325000
59	30050000000090	Jeevan Prakash	M	300000
60	30050000000094	Vineet Kumar	M	363000
61	30050000000099	Naman Gupta	M	260700
62	30050000000106	Sahdeep Singh	M	260700
63	30050000000112	Sumit Sharma	M	83737
64	30050000000126	Arun Singh	M	257000
65	30050000000129	Sumitra	F	180000
66	30050000000133	Naveen	M	270000
67	30050000000138	Rajbeer Singh	M	71000

1	2	3	4	5
68	30050000000149	Suraj	M	300000
69	30050000000161	Deepanshu Singh	M	815000
70	30050000000166	Divyansh Thakur	M	565000
71	30050000000167	Yashika	F	414000
72	30050000000175	Amogh Manuja	M	372000
73	30050000000199	Hardik	M	147000
74	30050000000200	Ankit Jindal	M	378000
75	30050000000224	Mayan K Goyal	M	97250
76	30050000000226	Gurpreet Singh	M	387000
77	30050000000236	Rahul Singh	M	273000
78	30050000000238	Nitesh Sharma	M	298600
79	30050000000253	Shivam Yadav	M	601000
80	30050000000260	Sunil Kumar Singh	M	437000
81	30050000000273	Shreyachand	F	560000
82	30050000000275	Mayank Sharma	M	487000
83	30050000000290	Mohd Faiz Anwar	M	. 100190
84	30050000000297	Aqil Ahmad	M-	621000
85	30050000000300	Komal	F	598000
86	30050000000306	Simran Dua	F	430000

1	2	3	4	5
87	30050000000309	Rohit Khatta	M	581000
88	30050000000313	Rakesh Sahani	M	271000
89	30050000000318	Shivam	M	689000
90	30050000000319	Rahul Saini	M	581000
91	30050000000334	Raj At Khatta	M	581000
92	30050000000342	Danish Quamar	M	289275
93	30050000000343	Akshita Verma	F	713000
94	30050000000344	Prince	M	671000
95	30050000000345	Mdyasir Arafat	M	300000
96	30050000000359	Arisha Praveen	F	337100
97	30050000000373	Rohan Kumar Jha	M	332000
98	30050000000382	Lakshaysehagal	M	442000
99	30050000000383	Sourabh Kant	M	93000
100	30050000000387	Kapil Singh	M	400000
101	30050000000400	Sunil	M	1240000
102	30050000000410	Shubham Mani Tripathi	M	290000
103	30050000000411	Farman Ali	M	440000
104	30050000000437	Aakash Tanwar	M	540000
105	30050000000438	Dinesh Kumar	M	120000

1	2	3	4	5
106	30050000000449	Ajay Kumar	M	64000
107	30050000000474	Lakshay Kakkar	M	288000
108	30050000000487	Rohit	M'	300000
109	30050000000522	Sanchit Mehta	M	174200
110	30050000000523	Aman Kanodia	M	460000
111	30050000000043	Prince Verma	M	530000
112	30050000000055	Shekhar	M	600000
113	30050000000181	Shashikant Sharma	M	282000
114	30050000000183	Nishank Dawar	M	300000
115	30050000000222	Sunny Soni	M	418000
116	30050000000256	Anshul	M	99500
117	30050000000261	Aparnatyagi	F	215000
118	30050000000268	Yatharth Bajaj	M	250000
119	30050000000305	Sindhu Sharma	F	250000
120	30050000000327	Mala	F	225000
121	30050000000358	Yaman	M	120000
122	30050000000428	Sameer Goswami	M	1000000
123	30050000000501	Shweta Gupta	F	390000
124	30050000000526	Nirmal Pal	M	60000

1	2	3	4	5
125	30050000000539	Asha Devi	F	350000
126	30050000000018	Shahana Parveen	F	59300
127	30050000000040	Mukul Mathur	M	645000
128	30050000000063	Rohan Kumar	M	315000
129	30050000000083	Ankur Kumar	M	187624
130	30050000000104	Parth Gupta	M'	300000
131	30050000000286	Jasjit Singh	M	140000
132	30050000000353	Shyamanand Yadav	M	176000
133	30050000000392	Manav R.Dutt	M	631750
134	30050000000412	Ishant Arora	M	180000
135	30050000000457	Paridhi Raj	F	771000
136	30050000000463	Nitin Kumar	M	610000
137	30050000000010	Shubham Saxena	M	700000
138	30050000000036	Deepak Saini	M	628000
139	30050000000061	Sachin Dubey	M	144124
140	30050000000065	Ankit Sharma	M	230000
141	30050000000088	Taniya Kashyap	F	40650
142	30050000000092	Ketan Mahajan	M	139000
143	30050000000096	Gaurav Kumar	M	92062

1	2	3	4	5
144	30050000000097	Sumit Bharti	M	94000
145	30050000000109	Mayank Rastogi	M	745000
146	30050000000118	Riddhim Pant	M	110000
147	30050000000125	Abdus Samad	M	142000
148	30050000000130	Shivani Verma	F	400000
149	30050000000150	Vilakshan Mehta	M	400000
150	30050000000153	Palash Upadhyay	M	233500
151	30050000000163	Shekhar Suman	M	400000
152	30050000000177	H1manshu Singh	M	700000
153	30050000000187	Avinash Singh	M	358000
154	30050000000188	Bharat Batra	M	650000
155	30050000000216	Kartik Madan	M	447800
156	30050000000223	Jahanavi	F	66200
157	30050000000248	Akanksha	F	65800
158	30050000000271	Pallavi Thakur	F	120000
159	30050000000288	Saloni Garg	F	332000
160	30050000000303	Ayush Kumar Vaish	M	400000
161	30050000000312	Asmita	F	185400
162	30050000000326	Shivani Sinha	F	609000

1	2	3	4	5
163	30050000000332	Vinik Kumar	M	112000
164	30050000000338	Aastha Shrivastava	F	240000
165	30050000000339	Tushar Poddar	M	113850
166	30050000000347	Latika Shandilya	F	260000
167	30050000000356	Harsimranjit Singh	M	187000
168	30050000000368	Vaibhav Gupta	M	327000
169	30050000000384	Ronak Sharma	M	371000
170	30050000000386	Devmukharjee	M	165000
171	30050000000395	Yashika Chugh	F	52100
172	30050000000408	Chetan Garg	M	626000
173	30050000000409	Avinash Kumar	M	283500
174	30050000000425	Vaibhav Tripathi	M	110000

**List of beneficiaries (students) sanctioned loan (offline) the  
member banks before launching of web portal online  
(period Sep 2015 - June 2016)**

Sl. No.	Student Name	Student's father Name	Sanctioned Loan amount (in Rupees)	Sanctioning bank
1	2	3	4	5
1.	Shubham Malhotra	Ravi Malhotra	1,37,000/-	Indian Bank
2.	Piyush Yadav	Ashok Yadav	5,50,000/-	Indian Bank

1	2	3	4	5
3.	Shruti Punj	Preeti Punj	90,000/-	Indian Bank
4.	Akash Kumar	Ajay Kumar	1,80,000/-	Indian Bank
5.	Saurabh Singh	Umesh Singh	2,96,000/-	Indian Bank
6.	Anshu Bansal	Chatur Bansal	7,25,000/-	Union Bank of India
7.	Shruti Bhardwaj	Deen Dayal Bhardwaj	1,40,800/-	Union Bank of India
8.	Deepa Pandey	Chandershekhar Pandey	42,000/-	Punjab National Bank
9.	Harsh Kataria	Raj Kumar	42,000/-	Punjab National Bank
10.	ParulJain	Anil Kr. Jain	42,000/-	Punjab National Bank
11.	Priya	Rajbir Singh	42,000/-	Punjab National Bank
12.	Priya	Borah Kr.	42,000/-	Punjab National Bank
13.	Shweta Pal	Prem Kumar	42,000/-	Punjab National Bank
14.	Varum Kumar	Naresh Chand	42,000/-	Punjab National Bank
15.	Neha Sharma	Raj Kumar	42,000/-	Punjab National Bank

1	2	3	4	5
16.	Prashant Sharma	Balkishan Sharma	42,000/-	Punjab National Bank
17.	Richa Suman	Rakesh Kumar	42,000/-	Punjab National Bank
18.	Ankit Kumar	Jawahar Singh	42,000/-	Punjab National Bank
19.	Ashutosh Upadhyay	Rajesh Upadhyay	42,000/-	Punjab National Bank
20.	Neha	Rohtash Singh	42,000/-	Punjab National Bank
21.	Nikhil	Beer Singh	42,000/-	Punjab National Bank
22.	Ajay Singh Rawat	Shoorber Singh	1,45,250/-	Punjab National Bank
23.	Rakhi Yadav	Raja Ram Yadav	3,23,350/-	Punjab National Bank
24.	Reeta Verma	Surender Pratap Verma	2,79,000/-	Punjab National Bank
25.	Atul Sharma	Dinesh Sharma	3,72,100/-	Punjab National Bank
26.	Reetu Kaur	Vijay Singh	1,45,000/-	Punjab National Bank

1	2	3	4	5
27.	Gursimran Kuar	Manjeet Singh	1,99,000/-	Punjab National Bank
28.	Vandana Gautam	Manik Chand Gautam	42000/-	Punjab National Bank
29.	Vashu Tyagi	Hari Bhushan Tyagi	2,43,500/-	Punjab National Bank
30.	Himani Shrama	Satish Sharma	42000/-	Punjab National Bank
31.	Meghali Sharma	Shurya Sharma	42000/-	Punjab National Bank
32.	Deepika Ramesh Kumar	Ramesh Kumar	42000/-	Punjab National Bank
33.	Sourabh Gupta	Ramesh Chander	1,79,000/-	Punjab National Bank
34.	Sweta Saxena	Shiv Prakash Saxena	1,87,600/-	Punjab National Bank
35.	Ishvinder Singh	Avtar Singh	1,92,000/-	Punjab National Bank
36.	Nirdesh Kumari	Rajender Prashad	15,395/-	Punjab National Bank
37.	Tarun Sisodia	Ram Chander	2,00,000/-	Punjab National Bank

1	2	3	4	5
38.	Priyam Gupta	Sudhir Gupta	10,00,000/-	Punjab National Bank
39.	Vani Chhibber	Lokesh Chibber	1,07,000/-	Punjab National Bank
40.	Chirag Khurana	Harish Khurana	2,07,500/-	Punjab National Bank
41.	Harshit Aggarwal	Sanjay Kumar Agarwal	5,94,000/-	Punjab National Bank
42.	Habiba Rahman	Haseeb UR Rehman Khan	2,71,000/-	Punjab National Bank
43.	Preshta Sharwani	S N Tiwari	3,11,500/-	Punjab National Bank
44.	Yash Singhal	Bijendra Singhal	4,09,000/-	Punjab National Bank
45.	Khushpreet Kaur	Avtar Singh	2,51,000/-	Punjab National Bank
46.	Amandeep Kaur	Avtar Singh	2,54,000/-	Punjab National Bank
47:	Sanjana	Harish Kumar	1,43,000/-	Punjab National Bank
48.	Shivani Rana	Sanjay Rana	2,21,000/-	Punjab National Bank

1	2	3	4	5
49.	Tushar Thukral	Sushil Kumar Thukral	1,25,000/-	Punjab National Bank
50.	Vishal	Jagpal Singh Chauhan	1,32,000/-	Punjab National Bank
51.	Rajeev Kumar	Ram Kumar	1,88,000/-	Punjab National Bank
52.	Chintan Gupta	Lokesh Gupta	80,284/-	Punjab National Bank
53.	Vishal Singh	Sunil Dutt Singh	84,500/-	Punjab National Bank
54.	Samarpan Thomas	Melwin Thomas	1,07,000/-	Punjab National Bank
55.	Information Not Provided by the Bank		5,25,000/-	Andhra Bank
56.				Andhra Bank
57.	Sonu Sharma	Lekhpal Sharma	1,00,000/-	Canara Bank
58.	Laxmi Kapoor	Deepak Kapoor	2,60,000/-	Canara Bank

**09- Jh txnhifl g % क्या mi eq; ea=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) विगत पाँच वर्षों में शिक्षा सचिव के पद पर कौन कौन से अधिकारी तैनात रहे हैं;

(ख) इन अधिकारियों ने अपने कार्यकाल के दौरान कुल कितने स्कूलों का दौरा किया; और

(ग) इस संबंध में प्रत्येक दौरे की तिथि, इंस्पेक्शन रिपोर्ट और एक्शन टेक्न रिपोर्ट का विवरण क्या है?

**मी ऐ[; ऐह % (क)**

1. श्री दीवान चंद, आई.ए.एस. सचिव (शिक्षा) (दिनांक 01.02.2012 से दिनांक 31.07.2013)
2. श्री अनिन्दो मजुमदार, आई.ए.एस., प्रधान सचिव (शिक्षा)
3. श्रीमती पुण्य सलिला श्रीवास्तव, आई.ए.एस., प्रधान सचिव (शिक्षा/उच्च शिक्षा/प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा)  
(दिनांक 05.01.2015 से आज तक)

(ख) और (ग) ऐसा कोई रिकार्ड मेन्टेन नहीं किया जाता है तथापि पत्र संख्या F. 19/16/AR/2016/Misc./Part File-3(2017)/4354-4443 dated 02-06-2017 के अनुसरण में प्रधान सचिव (शिक्षा/उच्च शिक्षा/प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा) ने प्रत्येक सप्ताह लगभग एक या अधिक फील्ड विजिट की है। आख्या सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित की जा चुकी है।

जिन विद्यालयों की फील्ड विजिट की है, उनकी सूची संलग्न है।

**Details of Field Visits of Schools Done by Principal Secretary  
(Education)**

S. No.	Subject of Field Visit done	Date of Field Visit
1	2	3
1.	Sarvodaya Kanya Vidyalaya, Zeenat Mahal, Jaffarabad, Delhi	05.06.2017
2.	Sarvodaya Kanya Vidyalaya, Dilshad Garden, Delhi	05.06.2017
3.	Sarvodaya Kanya Vidyalaya, Shalimar Bagh, New Delhi	08.06.2017
4.	Govt. Co-ed Middle School, Bhalswa Village, Delhi	17.06.2017
5.	Sarvodaya Bal Vidyalaya, Rouse Avenue, New Delhi	20.07.2017
6.	Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalaya, Lajpat Nagar, Delhi	23.08.2017
7.	Rajkiya Sarvodaya Vidyalaya, Roop Nagar No.4, New Delhi	29.09.2017
8.	Sarvodaya Bal Vidyalaya, New Police Line, Kingsway Camp, Delhi	24.10.2017
9.	Sarvodaya Bal Vidyalaya, New Police Line, Kingsway Camp, Delhi	25.10.2017
10.	Sarvodaya Kanya Vidyalaya, Chirag Enclave	30.11.2017
11.	Dr. Rajendra Prasad Sarvodaya Vidyalaya, President's Estate, New Delhi	08.01.2018
12.	Govt. Co-ed Sarvodaya Vidyalaya, Sector-22, Dwarka, Delhi	20.01.2018

---

1

2

3

13.	Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalaya, Shalimar Bagh, New Delhi	08.02.2018
14.	Sarvodaya Bal Vidyalaya, Ramesh Nagar, New Delhi	15.02.2018
15.	Sarvodaya Kanya Vidyalaya, Pandara Road, New Delhi	21.02.2018
16.	Govt Boys Sr. Secondary School, Pandara Road, New Delhi	21.02.2018
17.	Govt Boys Sr. Secondary School No. 1, Shakti Nagar, New Delhi	01.03.2018
18.	Sarvodaya Co-Ed Sr. Secondary School, Moti Bagh, Nanak Pura, Delhi	10.03.2018

---

**10- Jh vke i zdk'k 'kek% क्या mi e[; ea=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के निर्माण की घोषणा की थी;

(ख) यदि हाँ, तो इसके लिए वर्ष 2017–18 में कितना बजट आवंटित किया गया है;

(ग) इस प्रशिक्षण संस्थान पर कब तक काम शुरू हो जाएगा;

(घ) इसके माध्यम से प्रतिवर्ष कितने अध्यापकों को प्रशिक्षण दिए जाने की योजना है;

(ङ) सरकार ने अब तक कितने अध्यापकों को विदेशों में प्रशिक्षण दिलवाया है;

(च) इसका क्या लाभ हुआ है; और

(छ) क्या सरकार ने इसका मूल्यांकन किया है कि इसे किस प्रकार दिल्ली सरकार के स्कूलों से जोड़ा जाए पूर्ण विवरण दें?

**मिलेंगे %** (क) से (ग) तक हों। दिल्ली सरकार ने DIETs (District Institute of Education & Training) खोलने का प्रस्ताव मानव संसाधन विकास मंत्रालय की TEAB (Teacher Education Advisory Board) कमेटी के समक्ष रखा था। प्रस्तावित नए DIETs से संबंधित जिले निर्धारित तिथि मार्च, 2011 के बाद गठित होने के कारण TEAB कमेटी द्वारा सिफारिश नहीं प्राप्त हुई और उनकी सलाह पर SCERT तथा DIETs के पुनर्गठन प्रस्ताव में दिल्ली सरकार निधि से दो नए DIETs खोलने का प्रस्ताव सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली के तत्वाधान में लोधी रोड कैम्पस में एक उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की घोषणा की थी। अम्बेडकर विश्वविद्यालय को दिल्ली सरकार से 100% अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। इस अनुदान सहायता से अम्बेडकर विश्वविद्यालय इस संस्थान पर धन खर्च करेगी। यह कैम्पस 05.09.2017 से शुरू हो चुका है तथा वर्तमन में इस कैम्पस से एम.ए. (शिक्षा) तथा एम.ए. (प्रारंभिक बचपन शिक्षा) को कक्षायें चलाई जा रही हैं।

प्रस्तावित दो नए DIETs के माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 15,000 अध्यापकों को In-service Training दिए जाने की योजना है। अम्बेडकर विश्वविद्यालय के तत्वाधान में स्थापित किए जाने वाले उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान से निम्नलिखित कोर्स एवं इन-सर्विस ट्रेनिंग शुरू करने का प्रस्ताव है :

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 189

28 फाल्गुन, 1939 (शक)

1. चार साल बी.ए., बी.एड.—100
2. तीन साल बी.ए., बी.एड.—50
3. दो साल एम.एड.—50
4. इन—सर्विस टीचर ट्रेनिंग—200

(ङ) संलग्न है।

(च) और (छ) अध्यापकों के विदेशों में प्रशिक्षण से विद्यालय प्रमुखों के प्रबंधन कौशल तथा अध्यापकों की शिक्षण पद्धतियों में गुणात्मक लाभ हुआ है। प्रशिक्षण के पश्चात् प्राप्त रिपोर्ट तथा फीडबैक के आधार पर प्रशिक्षण में प्रयुक्त शिक्षण प्रणालियों का दिल्ली सरकार के स्कूलों में साम्य स्थापित करके विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है।

पिछले 03 वर्षों में विदेश भेजे गए शिक्षक तथा शिक्षा अधिकारियों का व्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	विदेश भेजे गए शिक्षक तथा शिक्षा अधिकारियों की संख्या
2015–16	—
2016–17	89
2017–18	289
कुल	378

**11- Jh vle i d<sup>k</sup>'k 'ke<sup>l</sup> % क्या mi e<sup>l</sup>; ea<sup>h</sup> यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) दिल्ली सरकार की मॉडल स्कूल पायलेट योजना क्या है; इसका पूर्ण विवरण दें;

(ख) दिल्ली सरकार के द्वारा वर्ष 2017–18 में मॉडल स्कूल पायलेट योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गयी थी;

(ग) इसमें से कितनी राशि व्यय की गयी; और

(घ) कितने स्कूलों में इस योजना का लाभ दिया गया है?

**mi e<sup>l</sup>; ea<sup>h</sup> %** (क) दिल्ली में 2015 में नई सरकार का गठन के पश्चात् शिक्षा के क्षेत्र की महत्ता को देखते हुये तथा शैक्षिक व भौतिक स्तर को और अधिक प्रभावशाली और प्रासंगिक बनाने पर जोर देने के लिये मॉडल स्कूल पायलेट योजना के संदर्भ में सभी विद्यालय प्रमुख/प्रधानाचार्यों से सुझाव आमंत्रित किये गये और 54 विद्यालयों का चयन किया गया। जिसके अंतर्गत इन भवनों में मूलभूत सुविधायें सुचारू करना, प्रयोगशालाओं को प्रभावी बनाना, कक्षों में आधुनिक सुविधाओं को उपलब्ध कराना, पाठ्येतर गतिविधियों की सुविधा आदि शामिल है। मॉडल स्कूल में पायलट योजना के तहत उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधाओं व कार्यक्रमों का विस्तार अब सभी सरकारी विद्यालयों में किया जा रहा है।

(ख) इस योजना के लिये कोई अतिरिक्त बजट हेड का प्रावधान नहीं है। क्योंकि ये सारी सुविधायें अब सभी स्कूलों में सरकार का देने का प्रयास है। इसलिये शिक्षा विभाग के अधिकतम वित्तीय (बजट) मदों से खर्चा किया जा रहा है।

निर्माण कार्य के लिये दिल्ली सरकार के द्वारा वर्ष 2017–18 में बजट की मद (बाहरी स्त्रोत से विद्यालय भवन कार्य हेतु सेवाएँ प्राप्त करना) में 225 करोड़ रुपये आवंटित किये गये।

(ग) अब तक, मॉडल स्कूल पायलेट योजना के लिये 143.21 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है।

(घ) उपरोक्त 'क' के अनुसार सभी सुविधाओं व कार्यक्रमों का सभी सरकारी विद्यालयों में विस्तार किया जा रहा है।

**12- Jh vke i dkl'k 'kek% क्या mi e[; ea-h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली सरकार के स्कूलों में अध्यापकों के कुल कितने पद रिक्त हैं; विषयवार विवरण दें;

(ख) सरकार रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठा रही है; और

(ग) ये रिक्त पद कब तक भर दिये जायेंगे;

(घ) वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग में कितने स्थायी अध्यापकों की नियुक्ति की गयी है; और

(ङ) नियुक्त किये गये अध्यापकों की विषयानुसार संख्या क्या है?

**mi e[; ea-h %** (क) विषयवार रिक्त पदों की सूची संलग्न है।

(ख) विभाग द्वारा रिक्त पदों को भरने के लिये दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को मांग पत्र भेजा जा चुका है।

(ग) Contempt Case (C) No. 1133/2016 में दिये गये माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ये पद अक्टूबर, 2018 तक भरे जाने हैं।

(घ) 4621

(ङ) विषयवार नियुक्त अध्यापकों की संख्या निम्नानुसार है :—

क्रम सं.	पद का नाम	नियुक्त पद
1.	सहायक शिक्षक नर्सरी	393
2.	सहायक शिक्षक प्राथमिक	837
3.	पुस्तकालय अध्यक्ष	269
4.	शारीरिक तथा अध्यापक	01
5.	गृह विज्ञान शिक्षक	71
6.	टी.जी.टी. इंग्लिश	226
7.	टी.जी.टी. हिंदी	320
8.	टी.जी.टी. गणित	411
9.	टी.जी.टी. नेचुरल साइंस	351
10.	टी.जी.टी. पंजाबी	04
11.	टी.जी.टी. संस्कृत	496
12.	टी.जी.टी. सोशल साइंस	525
13.	टी.जी.टी. उर्दू	09

क्रम सं.	पद का नाम	नियुक्त पद
14.	पी.जी.टी. बायलाजी	10
15.	पी.जी.टी. रसायन	10
16.	पी.जी.टी. कामर्स	59
17.	पी.जी.टी. अर्थशास्त्र	82
18.	पी.जी.टी. इंगिलिश	106
19.	पी.जी.टी. हिंदी	01
20.	पी.जी.टी. इतिहास	127
21.	पी.जी.टी. राजनीति विज्ञान	137
22.	पी.जी.टी. संस्कृत	39
23.	पी.जी.टी. भूगोल	42
24.	पी.जी.टी. गणित	36
25.	पी.जी.टी. इंजीनियरिंग ड्राइंग	06
26.	पी.जी.टी. फाइन आर्ट्स	03
27.	पी.जी.टी. गृह विज्ञान	19
28.	पी.जी.टी. पंजाबी	02
29.	पी.जी.टी. उर्दू	04
30.	पी.जी.टी. संगीत	01
31.	पी.जी.टी. सोशलाजी	04

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 194

19 मार्च, 2018

**15-03-2018 dks f'k{kdka ds fjDr i nka dh fLFkr**

क्र.सं.	पद नाम	स्वीकृत	आवंटित	नियमित	अतिथि	कुल	रिक्त
		पद	पद	शिक्षक	शिक्षक	पद	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	पी.जी.टी. कृषि	21	19	10	0	10	9
2.	पी.जी.टी. बंगाली	1	1	1	0	1	0
3.	पी.जी.टी. जीवविज्ञान	245	291	160	76	236	55
4.	पी.जी.टी. रसायन विज्ञान	271	307	163	77	240	67
5.	पी.जी.टी. वाणिज्य	1039	1044	656	246	902	142
6.	पी.जी.टी. कम्प्यूटर साइंस	869	91	0	45	45	46
7.	पी.जी.टी. अर्धशास्त्र	1288	1245	962	191	1153	92
8.	पी.जी.टी. अंग्रेजी	1816	1828	1024	499	1523	305
9.	पी.जी.टी. इंजीनियरिंग विज्ञान	20	13	9	2	11	2
10.	पी.जी.टी. फाइन आर्ट (पेटिंग)	216	225	48	43	91	134
11.	पी.जी.टी. भूगोल	655	598	331	169	500	98
12.	पी.जी.टी. ग्राफिक्स	1	1	1	0	1	0
13.	पी.जी.टी. हिंदी	2404	2317	1108	849	1957	360
14.	पी.जी.टी. इतिहास	1824	1809	951	587	1538	271

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 195

28 फाल्गुन, 1939 (शक)

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	पी.जी.टी. गृहविज्ञान	942	930	165	405	570	360
16.	पी.जी.टी. होस्टीकल्चर	6	0	0	0	0	0
17.	पी.जी.टी. गणित	781	808	483	160	643	165
18.	पी.जी.टी. संगीत	38	38	19	7	26	12
19.	पी.जी.टी. शारीरिक शिक्षा	864	885	46	411	457	428
20.	पी.जी.टी. भौतिक	271	307	153	73	226	81
21.	पी.जी.टी. राजनीति विज्ञान	2127	2053	1180	660	1840	213
22.	पी.जी.टी. मनोविज्ञान	1	2	1	0	1	1
23.	पी.जी.टी. पंजाबी	37	44	22	10	32	12
24.	पी.जी.टी. संस्कृत	720	689	405	167	572	117
25.	पी.जी.टी. सामाजिक विज्ञान	402	401	21	240	261	140
26.	पी.जी.टी. उर्दू	54	67	15	27	42	25
27.	पी.जी.टी. (स्पेशल एजुकेशन टीचर)	300	0	0	0	0	0
28.	पी.जी.टी. (EVGC)	500	499	38	134	172	127
29.	टी.जी.टी. अंग्रेजी	5513	5512	3021	1926	4947	565
30.	टी.जी.टी. गणित	5790	5758	3545	1685	5230	528
31.	टी.जी.टी. सामाजिक विज्ञान	5243	5257	1210	1718	4928	329
32.	टी.जी.टी. हिंदी	5043	5069	3332	1454	4786	283
33.	टी.जी.टी. संस्कृत	4573	4573	2489	1934	4421	150

1	2	3	4	5	6	7	8
34.	टी.जी.टी. उर्दू	1024	1024	315	396	396	628
35.	टी.जी.टी. पंजाबी	1024	1018	123	1	1	1
36.	टी.जी.टी. बंगाली	2	2	0	1	1	1
37.	टी.जी.टी. प्राकृतिक विज्ञान	5538	5570	3395	1659	5054	516
38.	सहायक शिक्षक (प्राथमिक)	4016	4210	2549	1378	3927	283
39.	पी.ई.टी.	2229	2187	863	901	1764	423
40.	पी.आर.टी. (पी.ई.टी.)	423	0	0	0	0	0
41.	ड्राइंग टीचर	1310	1288	774	309	1083	205
42.	सहायक टीचर नर्सरी	752	785	429	320	749	36
43.	संगीत टीचर	334	356	217	79	296	60
44.	लाईब्रेरियन	999	1035	750	256	1006	29
45.	डामिस्टिक साइंस टीचर	818	801	414	279	693	108
46.	स्पेशल एजुकेशन टीचर	1748	1748	411	721	1134	614
47.	टी.जी.टी. कंप्यूटर साइंस	2026	936	636	1	637	299
<b>कुल</b>		<b>66128</b>	<b>63641</b>	<b>14211</b>	<b>20129</b>	<b>54340</b>	<b>9301</b>

\*उपरोक्त 54.340 शिक्षकों के अतिरिक्त 1920 सहायक शिक्षक व टी.जी.टी (एस.एस.ए. के तहत) रिसोर्स टीचर (56.1) कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर (832) पार्ट वोकेशनल टीचर (667) एवं 555, वोकेशनल ट्रेनर मिलाकर कुल 4543 शिक्षक कार्य कर रहे हैं।

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 197

28 फाल्गुन, 1939 (शक)

**13- Jh egnz xks y % क्या mi eq; ea-h यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सत्य है कि रिठाला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर-16, व रिठाला गाँव के विद्यालयों में फेस-2 के अंतर्गत और कक्षा कक्षों का निर्माण होना था;

(ख) क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि वित्त वर्ष 2017-2018 में यह कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा;

(ग) यदि हाँ, तो कार्य में देरी के क्या कारण हैं, और

(घ) यह कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा?

**mi eq; ea-h % (क)** जी हाँ, यह सत्य है कि शिक्षा निदेशालय द्वारा रिठाला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर-16, सेक्टर-1 व रिठाला गांव के विद्यालयों में फेज-2 के अंतर्गत और कक्षा-कक्षों का निर्माण होना है। यह प्रस्ताव वित्त विभाग दिल्ली सरकार को भेजा जा चुका है और स्वीकृति के उपरांत कक्षा कक्षों का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा संबंधित विद्यालयों में कराया जायेगा।

(ख) इस कार्य की योजना 2017-18 में बनाई गई।

(ग) शिक्षा निदेशालय द्वारा फेज-2 के अंतर्गत अतिरिक्त 10 हजार कक्षा कक्षों के निर्माण की योजना बनाई गई। लोक निर्माण विभाग द्वारा संबंधित स्कूलों के अनुमानित लागत के ब्यौरे के अलग अलग भेजे गये, परंतु यह निर्णय लिया गया कि सभी स्कूलों के लिये एक ही ब्यौरा लोक निर्माण विभाग से लिया जाये। तदोपरांत, लोक निर्माण विभाग से यह ब्यौरा

लिया गया। चूंकि निर्माण की लागत राशि बहुत अधिक है इसलिए ई.एफ.सी./कैबिनेट की मंजूरी आवश्यक है।

(घ) लोक निर्माण विभाग के अनुसार स्वीकृति मिलने के 18 माह उपरांत यह कार्य पूर्ण करने की संभावना है।

**14- Jh I keukFk Hkkjr% क्या mi eq; ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार द्वारा तय किए गए वे कौन-कौन से मापदण्ड हैं जिनके आधार पर गुणात्मक एवं संख्यात्मक रूप से शिक्षा के स्तर का मूल्यांकन किया जाता है;

(ख) क्या दिल्ली के विशेषतया मालवीय नगर विधानसभा के स्कूलों के शिक्षा के स्तर में उन मापदण्डों के आधार पर सुधार हुआ है;

(ग) यदि हाँ, तो ए.सी.-43 विधानसभा में स्कूलों की शिक्षा के स्तर में हुए सुधार का वर्षवार तुलनात्मक विश्लेषण सहित विवरण क्या है;

(घ) मालवीय नगर ग्रेटर कैलाश व महरौली विधानसभाओं के अन्तर्गत आने वाले निजी स्कूलों का उनके नाम, ट्रस्ट/सोसायटी नाम व विवरण चेयरमैन/प्रेसिडेंट/ट्रस्ट प्रधान के पते व मोबाइल नम्बर व प्रिंसिपल के नाम व सम्पर्क नम्बर सहित पूर्ण विवरण क्या है;

(ङ) उपरोक्त स्कूलों में वर्तमान में ई.डब्ल्यू.एस. व मैनेजमेंट कोटा के अन्तर्गत पढ़ रहे विद्यार्थियों का कक्षावार विवरण क्या है;

(च) क्या उपरोक्त स्कूलों का कभी ऑडिट किया गया है; और

(छ) यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है?

**मि ए०; ए० % (क)** दिल्ली सरकार द्वारा छात्रों के संख्यात्मक एवं गुणात्मक मूल्यांकन के लिए निम्न मापदण्डों पर मूल्यांकन किया जाता है।

1. नोट-बुक प्रस्तुतीकरण
2. विषय संबंधी गतिविधियों द्वारा
3. सह शैक्षिक गतिविधियों जैसे—कार्य शिक्षा या पूर्व व्यवसायिक, कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा अनुशासन (उपस्थिति), निष्ठा व व्यवहार

कक्षा 2 से 8 तक मध्यावधि व वार्षिक परीक्षा तथा Unit Test कक्षा 9 से 10 तक पीरियोडिक टेस्ट तथा वार्षिक परीक्षा 11वीं कक्षा में उपरोक्त 3 के अनुसार व 12वीं कक्षा में मध्यावधि परीक्षा, प्री बोर्ड परीक्षा तथा वार्षिक परीक्षा के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है।

(ख) वर्ष 2016–17 में सरकारी विद्यालयों में से 6 विद्यालयों का कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम में सुधार हुआ है। कक्षा 10वीं में 5 विद्यालयों में परीक्षा परिणाम में सुधार हुआ है तथा एक विद्यालय का परीक्षा फल गत तीन वर्षों में 100% रहा है।

(ग) विवरण संलग्न है। (संलग्नक “अ”)

(घ) विवरण संलग्न है। (संलग्नक “ब”)

(ङ) विवरण संलग्न है। (संलग्नक “स”)

(च) नहीं।

(छ) उपरोक्त के संदर्भ में लागू नहीं है।

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

200

19 मार्च, 2018

**Result of Govt. Schools under AC-43**

S.no.	School ID	Name of School	2016-17			2015-16			2014-15		
			X	XII	X	XII	X	XII	X	XII	
1.	1923010	GBSSS, Malviya Nagar	59.62	98.08	81.22	95.83	68.93	68.29			
2.	1923013	GBSSS, Begumpur	93.18	82.09	74.07	98.33	89.74	91.36			
3.	1923021	GBSSS, Hauz Rani	91.84	93.44	91.11	92.50	97.37	74.14			
4.	1923041	RRMR SKV Hauz Rani	71.43	100	47.47	96.88	83.04	87.41			
5.	1923046	SKV, Malviya Nagar	99.05	98	40.60	86.99	99.12	92.23			
6.	1923057	N SKV, Begumpur	74.00	98.81	37.W	88.19	100	93.33			
7.	1923072	GGSS, Begumpur	91.67	NA	55.77	NA	100	NA			

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 201

28 फाल्गुन, 1939 (शक)

8.	1719106	S. Co-Ed. V, Safdarjung Enclave	68.09	98.21	70.45	97.73	92.59	100
9.	1925032	Garg SKV, Green Park Extn.	100	94.44	100	96.53	100	99.21
10.	1925246	S. Co-Ed. V, Masjid Moth	91.84	100	100	89.29	93.88	100

Annexure-A 'अ'

#### Quality Index of Govt. Schools under AC-43

S.no.	School ID	Name of School	2016-17			2015-16			2014-15		
			Average CGPA	QI	Average CGPA	QI	Average CGPA	QI			
								X	XII	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1.	1923010	GBSSS, Malviya Nagar	3.883	285.81	5.01	248.78	4.00	248.17			
2.	1923013	GBSSS, Begumpur	5.6	270.67	5.35	290.17	5.08	277.36			

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

202

19 मार्च, 2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	1923021	GBSSS, Hauz Rani	5.592	276.84	5.15	241.68	5.34	285.72
4.	1923041	RRMRSKV Hauz Rani	4.787	356.92	3.18	303.98	4.82	289.73
5.	1923046	SKVI Malviya Nagar	6.438	290.90	2.86	284.41	6.09	285.55
6.	1923057	N SKV, Begumpur	4.716	286.45	2.57	266.31	6.38	292.05
7.	11923072	GGSSI Begumpur	6.25	NA	3.81	NA	5.97	NA
8.	1719106	S. Co-Ed V, Safdarjung Enclave	4.128	289.46	4.19	288.93	5.19	322.48
9.	1925032	Gargi SKV, Green Park Extn.	6.452	285.23	6.34	288.83	5.81	304.31
10.	1925246	S. Co-Ed V, Masjid Moth	5.461	292.21	5.46	283.77	4.81	299.38

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 203

28 फाल्गुन, 1939 (शक)

**ANNEXURE-B**

**Distt. South (Zone)**

**Greater Kailash Constituency Wise**

Sl. No.	District ID	School Name & Address	Name of Society/ Trust	Principal Name	Chairman/ Manager/ President	Address	Mobile No.	Status of EWS Admission	Allot- Seat ment	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	South 1923259	Manav Bharti India International School - Pancsheet Park (South), New Delhi	Manav Bharti Institute of Child Education & Child Psychology Society	Mrs. Mithlesh Chaudhary	Mr. V.K. Pandey	Panchsheet Park (South), New Delhi-17	26014515/ 26016397	29 29	29	
2	South 1925252	Apeejay School - Sheikh Sarai - I, New Delhi	Apeejay School - Society 7, Apeejay House, 15 Street ND	Apeejay Pandey	Mrs. Sarita A.P. Sharma	Sheikh Sarai-I, New Delhi-17	26102218/ 26013134	22 22	22	

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 204

19 मार्च, 2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	South	1925282	The Pinnacle School - D - Block Pancsheel Enclave New Delhi	Babs Naroha Memorial Education & Welfare Society, Block D, Panchsheel Enclave, ND - 17	Mrs. Jasmeet Kaur	Vin Camonder R Demonte Enclave, New Delhi-17	D-Block, Panchsheel	26490952	25	25
4	South	1923275	Malviya Public School - T- 55 Khirki	Malviya Education Society Extn. Malviya Nagar New Delhi	Manita Chaudhun	Mr. Chawaria	T-55 Khirki Extn., Malviya Nagar, New Delhi-17	29541831	22	22

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 205

28 फाल्गुन, 1939 (शक)

### **ANNEXURE-B**

#### **Distt. South (Zone)**

##### **Greater Kailash Constituency Wise**

Sl. No.	District Zone	DoE ID	School & Address	School Name & Address	Name of Society/Trust	Principal Name	Chairman/ Manager/ President	Address	Mobile No.	Status of EWS Admission	Allot-ment
1	South	23	1923253	Baba Banda Bahadur Singh	Baba Banda Singh Bahadur Memorial Sec.	Bandita Dutta	Mr. Inder Pal Singh	Mehrauli, New Delhi-30	26861006	19	19
2	South	23	1923267	Vidya Niketan School -D - Block Saket (Opp CISF Camp) New Delhi	Saba Education society, D-Block, Saket, New Delhi-110017	Anindita Das Shobha Rao	Mr. Shahid Das	D-Block, Saket, New Delhi- 17	26569425/ 26851350	19	19

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 206

19 मार्च, 2018

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	South	23	1923285	Amity International School - Road No.44,M	Ritnand Balved Education Ake House Block, Saket, New Delhi	Mrs. Divya Bhatia Dar	Mohina Dar	Road No. 44, 29563185/ 47/98	M Block, Saket New Delhi- 17	35	35	
4	South	23	1923297	Apeejay School-J-Block, Gurudwara Road, Saket, New Delhi	Anita Education Society 14 Commercial Complex Masjid Moth Greater Kailash 2 New Delhi	Mrs. Paul	Sushma Paul Berlai	J - Block, Gurudwara Road, Saket, New Delhi-17	29555208/ 29551634	22	22	
5	South	23	1923340	Red Roses Public School-D-Block Saket, New Delhi	R.R. Mehta Education Trust D Block saket, ND	Dr. Anuradha Mehta	Dr. Mehta	D-Block, Saket, New Delhi - 17	26962977	32	32	
					110048							

6	South	25	1925267	Gyan Bharti School-Saket, (Near PVR), New Delhi	Gyan Bharti Trust, 118, UFF, Prakash Deep, 7,	Mrs Nishi M. Ansal Manglik	Mr. Gopal Saket, (Near PVR), New Delhi-17	26960146	50	50
7	South	25	1925350	New Green Field School Marg 22, Saket, New Delhi	The New Green Field Educational Society	Mrs. Protima Ashwani Prabhakar Kumar	Sh. Mang 22, Saket, New Delhi- 17	26960721	51	51

**ANNEXURE-I**

**Distt. South (Zone-23)**

**Malviya Nagar Constituency Wise**

Sl. No.	District ID	School & Address	School Name & Society/ Trust	Name of Principal	Chairman/ Manager/ President	Address	No. of Admission	Mobile No.	Status of EWS Allot- ment	Seat
1	South	1923249	Laxman Public School Hauz Khas Enclave, New Delhi	Laxman Public School Society 15/1 Asaf Ali Road, ND	Seema B Mishra	Mr. Sanjay Upadhyay	Hauz Khas Enclave, New Delhi-16	26967041/ 240/26963	51	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	South	1923255	General Raj's School Balbir Sexena Marg Hauz Khas New Delhi ND	P C Rajaratnam Institutions, C-18, Green Park Extension	Mrs. Keerthi Sharma	Mrs. Neethi Ravindran	Balbir Saxena Marg, Hauz Khas-16	26528516/ 2911/2861..	36	36	
3	South	1923261	Sahoday Sr. Secondary School-C-1, Saidarjang Development Area, New Delhi	Delhi Catholic Arch Diocese arch Bishops House, ND	Sister Sudha Crasta	Fr. Vincent Crasta	C-1, S.D Area, 2654234 New Delhi-16	- -	-	-	
4	South	1923264	Mother's International School - Sri Aurobindo New Delhi	Sri Aurobindo Education Society, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016	Snr Sanghamitra Ghosh	Anita Tyagi	Sri Aurobindo New Delhi-16	26854512/ 2140.....	41	41	
5	South	1923269	Mirambika Free Progress School - Sri Aurobindo Education Society, Sri Aurobindo Marg, New Delhi	Sri Aurobindo Education Society, Sri Aurobindo Ashram Society, Sri Aurobindo Marg, New Delhi	Dr. Jayanthy Ramachandran	Mr Pranjal	Sri Aurobindo Education Society, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-16	268637	5	5	

6	South	1923282	Arya Public School -C/O Arya Samaj, Malviya Nagar, New Delhi	Arya Samaj Society	Mrs Babita Mehra	Mr. H.N Mithrami	C-286 S.F.S Sheikh Sarai-I, New Delhi	93502610... 19 19
7	South	1924147	The Waulden School -A - Block Niti Bagh New Delhi	Gabdoor Singh Memorial Education Trust	Anju Narang	Vandana Gupta	A-Block, Niti Bagh, New Delhi-49	- -
8	South	1924189	Fr Angel Sr. Sec School - Gautam Nagar New Delhi	Agnel Charities, (Agnel Seva Sangh) Delhi Agnel Ashram D - 15, N.D.	Mr. J. A. Carvelloho	Mr. J.A Carvelloho	Gautam Nagar, 410344 New Delhi-49	- -
9	South	1925257	St. Anthony's Sr. Sec School- C-6, SDA, Hauz Khas, New Delhi	St. Anthony's Girls Orphanage and School Paharganj	Matilda	Sister Lincy	C-6, S.D- A Hauz Khas, 16	26514779 - -
10	South	1925279	DAV Model School - Yusuf Sarai, New Delhi	DAV College Trust and Management Society	Neelam Sharma	R.S Pasricha	Yusuf Sarai, New Delhi-16	26854631 24 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11	South	1719113	Ambience Public School-A-1 Safdarjung Enclave New Delhi	Ambience Education Society, Formerly, Hillgrove Public School.	Jeanie N Aibara	Mr. Raj Singh Gehlot	A-1, SAD Enclave New Delhi-16	26109739	38	38	
12	South	1719116	Delhi Police Public School-B-4 Safdarjung Enclave, New Delhi	Police Foundation for Education, Delhi K Block, Vikas Bhavan, New Delhi - 110002	Dr Prashant Vasudev	Varsha Sharma	B-4 SAD Enclave New Delhi	26177054	23	23	
13	South	1719117	St. Paul's School-C-3, SDA, Hauz Khas, New Delhi	Delhi orthodox Syrian church Society	Mr. P. Chenan Joseph	Fr. Shaji Jorge	C-3, SDA, Hauz Khas, New Delhi	26511725	-	-	
14	South	1719120	Green Fields School -A-2 Block, Safdarjung Enclave, New Delhi	Safdarjung Education Society, 8-1/8, Safdarjung Enclave,	Mrs. Mini Khanna	Mrs. Padma A-2 Block, Safdarjung Enclave, New Delhi-16	26101106	34	34		

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 211

28 फाल्गुन, 1939 (शक)

#### **ANNEXURE-B**

**PRINCE PUBLIC SCHOOL**  
**(Recognised & Affiliated to C.B.S.E.)**  
**2408, Mehrauli, New Delhi-110030**

To

The DDE

Zone 24 R.K. Puram

**Subject:** Regarding mail of Virihanshabha question

Sir,

The answers of the part D, E and E are as follows:

**Point D's Answer**

School Name	Prince Public School
Society	Delhi Poor People Educational society (Regd )
Chairman	Shri D.L. Sharma
Mobile No :	9953990059
Address:	2/107 Mehrauli. New Delhi-110030
Principal	Shri Shailendra Upadhyay
Mobile No.	9910986840

**Point E's Answer**

Current status of EWS students in different class is as follows:

Pre-School	:	12
Pre-Primary	:	4
Class I	:	1

Thanking you

Yours

fo | k Hkkj rh vf[ky Hkkj rh; f'k{kk I Fkk  
 I s I e) I eFk f'k{kk I fefr ॥ at h॥ fnYyh  
 }kj k I pklfyr  
 N".k yky dkgyh I jLorh cky efnj o- ek- fo | ky;  
 ॥ hch, I -bZ I s I e) ,oa fnYyh izkl u I s ekU; rk ikrh  
 okMz ua 6] egjkSyh ubz fnYyh&110030

पत्र क्र. स.बा.मं./2017–18/245

दिनांक: 13/03/2018

सेवा में,

शिक्षा अधिकारी  
 दक्षिणी जोन एस-24  
 रामकृष्ण पुरम  
 नई दिल्ली

महोदय,

आपके द्वारा मांगी गई जानकारी का विवरण निम्नलिखित है।

- |                         |   |                                   |
|-------------------------|---|-----------------------------------|
| (घ) विद्यालय का नाम     | : | कृष्ण लाल कोहली सरस्वती बाल मंदिर |
| ट्रस्ट का नाम           | : | समर्थ शिक्षा समिति (रजि.)         |
| प्रेसिडेंट का नाम       | : | श्री प्रवीण कांत                  |
| प्रेसिडेंट मोबाइल नम्बर | : | 9810054975                        |

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 213

28 फाल्गुन, 1939 (शक)

प्रेसिडेंट पता : इ-1, मॉडल टाउन दिल्ली-110009

प्रिसिपल का नाम : श्री राजेन्द्र सिंह

प्रिसिपल मोबाइल नम्बर : 9811852119

(ङ) ईडब्ल्यूएस विद्यार्थियों का कक्षावार विवरण

कक्षा	विद्यार्थी विवरण
प्री. स्कूल	6
प्री. प्राइमरी	5
I	4
II	5
III	1
VIII	1

(च) हाँ

(छ) हमारी सोसाइटी द्वारा प्रतिवर्ष विद्यालय में ऑडिट किया जाता है।

**ANNEXURE-'B'**

**Reply to Vidhan Sabha Question No. 14**

St.John's School

Tue, Mar 13, 2018 at 2:05 PM

<st.johns.schoolmeh@gmail.com>

To DDE Zone24 <ddezone24@gmail.com>

13.03.2018

From

Si John's School, Mehrauli,  
New Delhi School No. 1923256  
The DDE (Zone 24)  
R.K. Puram, New Delhi-110022

**Sub:** Vidhan Sabha Question No. 14

Sir,

Please refer to your instant mail on the abovementioned subject. In this connection, Please find there below the detailed reply related to points (d) to (f):

(d) Under Malviya Nagar Constituency:

Name: St. John's School

Parent Society: Gyan Gangotri Educational Society (Regd)

Director Mr. Umesh Chander

Mobile No. 9811369470

Address: St. John's School, B-1091, Ward 1, Mehrauli  
New Delhi—110030

Principal: Mrs. Usha Sharma. Contact No. 011-26644278

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 215

28 फाल्गुन, 1939 (शक)

(e) Academic year : 2017-18

Class	No. of EVVS & DG Stds.	No. of General Category students
Nurse	24	74
K.G	25	74
1st	26	70
IIInd	24	70
IIIInd	02	78
IVth	01	82
Vth	12	84
VIth	10	96

(f) Yes EWS & DG admission audit has been regularly done by DE's appointed nominees regularly.

(g) Regular undated information are uploaded on the Directt of Education portal [www.edudel.nic.in](http://www.edudel.nic.in)

Sd/-  
**(Umesh Chander),**  
Manager

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 216

19 मार्च, 2018

## **ANNEXURE-C**

**Details of Students under EWS/DG Category in R/o District- South-East  
(Greater Kailash Area) Vidhan Sabha Question No. 14**

**ANNEXURE-C****Distt. South (Zone-23)****Detail of Enrollment for under DG/EWS**

Sl. No.	School ID	Name of the Schools	Admitted		
			P.S	P.P	1st
1	2	3	4	5	6
1	1719113	Ambience Public School	32	0	0
2	1719116	Delhi Police Public School	21	0	0
3	1719120	Green Fields School	0	0	31
4	1923249	Laxman Public School	45	1	6
5	1923250	Birla Vidya Niketan	50	0	0
6	1923253	Baba Banda Bahadur Singh Memorial Sec. School	20	0	0
7	1923255	General Raj's School	0	0	28
8	1923259	Manav Bharti India International School	25	0	0
9	1923264	Mother's International School	29	5	4
10	1923267	Vidya Niketan School	20	0	0
11	1923269	Mirambika Free Progress School	5	0	0
12	1923275	Malviya Public School	7	0	0
13	1923282	Arya Public School	16	0	0
14	1923285	Amity International School Saket	37	0	0
15	1925252	Apeejay School,Sheikh Sarai	0	0	29
16	1925267	Gyan Bharti School	48	0	0
17	1925279	DAV Model School	16	0	0

1	2	3	4	5	6
18	1925282	The Pinnacle School	28	0	0
19	1925350	New Green Field School	52	0	0
20	1923392	The Foundation School	23	0	0
21	1923347	Amrita Vidyalayam	40	0	0
22	1923340	Red Roses Public School	33	0	0
23	1924144	The Indian School Josup Broz Tito Marg, New Delhi- 49	43	0	0
24	1923297	Apeejay School J-Block, Gurudwara Road, Saket, New Delhi-17	23	0	0
25	1923350	Amity International School Sec-7, Pushp Vihar, New Delhi-17	0	40	0

**ANNEXURE-C**

Nursery	24	74
KG	25	74
Ist	26	70
IIInd	24	70
IIIRD	02	78
IVth	01	82
Vth	12	84
VIth	10	98

(f) Yes EWS & DG admission audit has been regularly done by DE's appointed nominees regularly.

(g) Regular updated information are uploaded on the Directorate of Education portal [www.edudel.nic.in](http://www.edudel.nic.in)

**(Umesh Chander)**  
**Manager**

**15- Jh txnh'k izku % क्या mi e[; eaः] यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के स्कूलों में कौन—कौन सी खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं;

(ख) वर्ष 2017–18 में सरकार द्वारा किन—किन खेलों के प्रोत्साहन के लिए कितनी राशि आबंटित की गयी और इसमें से कितनी राशि व्यय की गयी;

(ग) शिक्षा विभाग के खेल विभाग द्वारा वर्ष 2017–18 में किए गए नये कार्यों का पूर्ण विवरण क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा विद्यालयों में खेल—कूद को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; इसका पूर्ण विवरण क्या है?

**mi e[; eaः] % (क)** दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के स्कूलों में जगह की उपलब्धता के अनुसार खेल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। इनमें मुख्यतः वालीबाल, स्वीमिंग, कबड्डी, खो—खो, बास्केटबॉल, फुटबाल, टेबल टेनिस, शतरंज, कैरम इत्यादि हैं।

(ख) वर्ष 2017–18 में सरकार द्वारा खेलों के प्रोत्साहन के लिये प्रत्येक स्कूल को रु. 10000/- (दस हजार मात्र) राशि आबंटित की गई थी, जो कि खेलों की सामग्री खरीदने हेतु दी गई थी। कुछ स्कूलों ने इस राशि को इस्तेमाल करके अपनी जरूरत के अनुसार और अधिक धनराशि आवंटित कराई है। चूंकि अभी वर्ष 2017–18 जारी है, अतः वास्तविक व्यय राशि इसके उपरांत ही उपलब्ध हो पायेगी।

(ग) शिक्षा विभाग के खेल विभाग द्वारा वर्ष 2017–18 में किये नये कार्यों का इस प्रकार है :—

1. तीन स्वीमिंग पूल — मध्यूर विहार फेज 2, वेस्ट विनोद नगर व पश्चिम विहार में।
2. सिंथेटिक ट्रैक—बवाना व पूठकलां में।
3. फुटबाल व क्रिकेट के लिये गांव कैर में।
4. एथलेटिक ट्रैक— मुंडेला, बवाना वे पूठकलां में।
5. एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड— अशोक नगर में।
6. हाई मार्स्ट लाइट— घुम्मनहेड़ा में।

(घ) सरकार द्वारा विद्यालयों में खेल—कूद को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित योजनायें बनाई गई हैं—

1. उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न विद्यालयों के खेलों के मैदान का उपयोग करने हेतु खेल अकादमियों/क्लबों/व्यक्तिगत कोच इत्यादि से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। इसके तहत सरकारी विद्यालयों व निजी विद्यालयों के 50–50 प्रतिशत बच्चों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस योजना में सरकारी विद्यालयों के बच्चों को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा निजी विद्यालयों के बच्चों से खेल अकादमियों द्वारा फीस ली जायेगी।
2. शिक्षा विभाग द्वारा Play & Progress नामक योजना बनाई गई है जिसके तहत 14 वर्ष व 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को

अधिकतम रूपये 2 लाख व रूपये 3 लाख कमशः तक की वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जायेगी ताकि वे अपनी खेल सामग्री/जलपान/खेल के कपड़े/जूते इत्यादि ले सकें। इसके अलावा अलग से एक लाख प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष का एक “विशेष प्रशिक्षण फंड” के तहत बजट में प्रावधान किया जायेगा। यह व्यय शिक्षा विभाग द्वारा उन चुनें हुये बच्चों को कोचिंग की जरूरतों को पूरा करने के लिये किया जायेगा।

**16- Jh euftUkj fl g fl jI k % क्या f'k{kk e= h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि ख्याला स्थित गवर्नमेंट गल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नं-1 स्कूलों में पढ़ने वाले 3500 बच्चों के लिए पानी का एक ही कनेक्शन है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि यहां पर बड़े आर ओ प्लांट लगाने की आवश्यकता है;

(ग) क्या यह सत्य है कि ख्याला स्थित गवर्नमेंट सर्वकन्या विद्यालय नं-2 तथा गवर्नमेंट सर्वबायज विद्यालय नं-1 स्कूलों में पानी की भारी कमी है;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि स्कूल भवन के निचले स्तर के कारण बरसात में पानी भराव की समस्या पैदा हो जाती है;

(ङ) क्या यह सत्य है कि भवन में एक अतिरिक्त गेट लगवाने की आवश्यकता है; और

(च) यदि हाँ, तो ये सभी कार्य दिये जायेंगे?

**mi eq; ea=h %** (क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ, आर. ओ. लगाने के लिये 10,87,349/- रुपये की मंजूरी लोक निर्माण विभाग को देने की प्रक्रिया चल रही है।

(ग) जी नहीं।

(घ) गवर्नमेंट ब्यॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल नं-1, ख्याला में वर्षा जल संग्रहण लगाने के बाद जल भराव की समस्या समाप्त हो गई है।

गवर्नमेंट सर्वोदय कन्या विद्यालय नं-2, ख्याला में वर्ष जल संग्रहण लगाने के लिये 957800/- रुपये की मंजूरी लोक निर्माण विभाग को दी जा चुकी है।

(ङ) जी नहीं। गवर्नमेंट ब्यॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल नं-1, ख्याला में पहले से ही तीन गेट उपलब्ध हैं।

गवर्नमेंट सर्वोदय कन्या विद्यालय नं-2, ख्याला में दो गेट उपलब्ध हैं।

(च) उपरोक्त प्रश्न (ख) के अनुसार मंजूरी मिलते ही कार्य जल्द ही पूर्ण कर दिया जायेगा।

उपरोक्त प्रश्न (घ) के अनुसार लोक निर्माण विभाग को मंजूरी दी जा चुकी है और कार्य जल्द ही पूर्ण कर दिया जायेगा।

**17- Jh euftUnj fl g fl j l k %** क्या f'k{k e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि चांद नगर स्थित सर्वोदय बाल विद्यालय में अध्यापकों की अत्याधिक कमी है,

(ख) क्या यह भी सत्य है कि सरकार का पुरानी बिल्डिंग को गिराकर नई बिल्डिंग बनाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हाँ, तो अभी तक इस दिशा में क्या विशेष प्रगति हुई है;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि चांद नगर स्थित सर्वोदय कन्या विद्यालय नं.-1 का सीवर सिस्टम पुराना होने के कारण खराब है;

(ङ) यदि हाँ, तो इस सीवर सिस्टम को बदलने की सरकार की क्या योजना है;

(च) क्या यह भी सत्य है कि इस स्कूल भवन में लड़कों के लिए एक अतिरिक्त गेट के निर्माण का प्रस्ताव है;

(छ) यदि हाँ, तो यह कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा?

**mi e[; e=h %** (क) जी नहीं।

(ख) जी हाँ।

(ग) पुरानी बिल्डिंग गिराने की स्वीकृति दे दी गई है।

(घ) सीवर सिस्टम ठीक करवा लिया गया है।

(ङ) उपरोक्तानुसार।

(च) जी हाँ। स्कूल के पिछली तरफ एक नया गेट खोल दिया गया है।

**18- Jh euftUnj fl g fl j l k %** क्या mi eq; eah यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि राजौरी गार्डन स्थित सर्वोदय कन्या विद्यालय की गई बिल्डिंग वर्ष 2012 में बनाई जा चुकी है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि जर्जर पुरानी बिल्डिंग जो अभी तक गिराई नहीं गई है; और

(ग) किसी दुर्घटना से बचाव के लिए पुरानी बिल्डिंग को गिराने की सरकार की क्या योजना है?

mi eq; eah % (क) और (ख) जी हाँ।

(ग) पुरानी बिल्डिंग को गिराने को गिराने के लिये लोक निर्माण विभाग को प्रस्ताव भेजने के लिये पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

**19- Jh euftUnj fl g %** क्या mi eq; eah यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि विधानसभा क्षेत्र संख्या-27 (राजौरी गार्डन) के अंतर्गत दिल्ली सरकार के विद्यालयों में अनेक प्रकार के सुधार कार्य किये जाने की आवश्यकता है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि टैगोर गार्डन स्थित गवर्नमेंट गल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नं-1 की पचास साल पुरानी बिल्डिंग को डी.टी.टी.डी.सी. द्वारा इसे 20.55 करोड़ रुपये के व्यय से गिराकर नए भवन के रूप में निर्मित किये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा इसके लिए फंड जारी किया जा चुका है;

(घ) यदि हाँ, तो कितना ; और

(ङ) यदि हाँ, तो कब तक यह फंड जारी किया जाएगा?

**mi e[; e=h %** (क) जी हौँ।

(ख) टैगोर गार्डन स्थित गवर्नमेंट गल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नं-1 की पचास साल पुरानी बिल्डिंग को डी.टी.टी.डी.सी. द्वारा गिराकर 20.04 करोड़ रुपये के व्यय से नए भवन के रूप में निर्मित किये जाने का प्रस्ताव है।

(ग) से (ङ) प्रस्ताव के लिये फंड वित्त विभाग से स्वीकृति के पश्चात् जारी किया जायेगा।

**20- Jh ftrʌnz fl ɔj rkej %** क्या **mi e[; e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा लेडी इरविन स्कूल के मैनेमेंट को टेकओवर करने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो वर्तमान स्टेट्स रिपोर्ट सहित उसका पूर्ण विवरण क्या है?

**मि एफ़; एएच %** (क) लेडी इरविन स्कूल के मेनेजमेंट को टेकओवर करने के प्रस्ताव पर अक्टूबर, 2013 में विचार किया गया था। परंतु उस समय आचार संहिता को ध्यान में रखते हुये प्रस्ताव लंबित रखा गया। पुनः फरवरी, 2014 में प्रस्ताव पर विचार करके स्कूल की कमियां सुधारने का पुनः अवसर दिया गया था।

(ख) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

**21- जी फ्ट्रॉन्झ फ्लग रकेज %** क्या **मि एफ़; एएच** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिनगर विधान सभा के अंतर्गत आने वाले दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों में पिछले तीन वित्तीय वर्षों में क्या—क्या काम हुए हैं, इन सभी कामों का स्कूल वाइज, प्रत्येक कार्य का विवरण तथा प्रत्येक कार्य की लागत का पूर्ण विवरण क्या है;

(ख) वर्ष 2018–19 में त्रिनगर विधान सभा क्षेत्र के सभी स्कूलों में क्या—क्या कार्य प्रस्तावित हैं, इन सभी कार्यों का प्रत्येक स्कूल वाइज पूर्ण विवरण क्या है; और

(ग) त्रिनगर विधान सभा क्षेत्र के प्रत्येक स्कूल में प्रस्तावित सभी कार्यों की प्रगति का विवरण क्या है?

mi ed[; ea-h % (क) त्रिनगर विधान सभा के अंतर्गत आने वाले दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों में पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कराये गये कार्यों की सूची संलग्न है।

(ख) त्रिनगर विधान सभा क्षेत्र के निम्नलिखित स्कूलों में फेज-2 के अंतर्गत अतिरिक्त कक्षा कक्षों के निर्माण कार्य का प्रस्ताव इस प्रकार है :—

क्र.सं.	स्कूल का नाम	कक्षा कक्षों के निर्माण की प्रस्तावित संख्या
1.	शकुरपुर नं. 1, सर्वोदय बाल विद्यालय	100
2.	कैलाश इंक्लेव, सर्वोदय विद्यालय	60
3.	शकुरपुर नं. 2, सर्वोदय कन्या विद्यालय	60
4.	त्रिनगर, नारंग कालोनी, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	20
5.	आनंदवास, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	40

(ग) वित्त विभाग, द्वारा दिल्ली सरकार के अनुमोदन के पश्चात् लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य शुरू किया जायेगा।

vrk 21

प्रश्न सं.	प्रश्न सं.	प्रश्न सं.
सं.	(क)	(ग)
क्र. स्कूल का प्रश्न सं.	प्रश्न सं.	वर्तमान स्थिति
सं. नाम 21 (क)	21 (ग)	
एवं आई.डी.		
1 1 2 3	4 5 6 7	8
1. आनंदवास सर्वोदय बाल विद्यालय 1411001	1. आरओ. उपकरण युक्त चार 150 लीटर क्षमता वाले वाटर कूलर की स्थापना। कुल लागत = 5,93,440/- 2 योग कक्ष, पुस्तकालय तथा कंप्यूटर को विद्युत तार से जोड़ना। कुल लागत = 7,34,815	1. विद्यालय स्तर पर सार्वजनिक उद्योगेणा को मुचाक बनाना आवश्यक समझा गया है। कुल लागत = रु. 3,52,741/- 2 जल सुधिता प्रदान करना, विनिर्मित मिश्रित M-25 स्तरीय कंक्रीट को मरम्मत कार्य में उपयोग हेतु कुल लागत = 3. जी.आई. पाइप तथा फिटिंग के साथ फिरिंसंग एवं
वारह अतिरिक्त कमरे बहुउद्देशीय हाल पुरुष प्रसाधन कक्ष उल्लेखित है, तथा निर्माण व विनिर्माण से जुड़े अन्य कार्य। अतिरिक्त जल संयंत्र की व्यवस्था। कंप्यूटर तथा वोकेशनल लेब का वातानुकूलन 24. नये सी.सी. टी.वी. कमरों का स्थापन तथा		

निर्माण विनियमण  
से जुड़े अन्य  
कार्य। बास्टर—  
बाल ग्राउंड  
पोल फिक्सेशन  
के साथ दीन  
उपलब्धता।  
4 जल संयंत्र  
टैंकों का स्थापन  
(10000 ली. क्षमता  
वाले) कुल लागत=—  
रु. 3,58,454/-

प्रयोगशाला  
विकसित करना  
इत्यादि।

भवन मरमत सतहीकरण, ए.पी. हाल का नवीनी- करण, दीवार, छत तथा बाथरूम का टाइलीकरण।	खिडकियाँ बाथरूम, मरमत, विद्युतीकरण, खिडकियाँ भैं शीशे लगावाना।	सभी कार्य पूर्ण सिर्फ रु. 61,13,000/- सेवापूर्व शाशि को छोड़कर जो लोक निर्माण विभाग के के पास प्रक्रियाधीन है।
कुल लागत = 180 कुल लागत = 180	61,13,000/-	

			NIL
3.	कैलाश एन्कलेब सर्वोदय	इटरलॉकिंग टाइल्स प्रोफाइल्स सीट कवरिंग सीमेंट	LPH 1000 आर.ओ. ब्लॉट की रखाना शाषी = ₹ 754383/-
			वर्षा जल संरक्षण संयत्र ताषि = ₹. 397483/-

28 फाल्गुन, 1939 (शक)

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	शकूपुर नं. 2 GBSS, 1411011	इमारत के लेखा जोखा	की जिम्मेदारी (प्रात पाली)	ID 1411125 विद्यालय			
5.	शकूपुर नं. 2 सर्वदय कृच्छा विद्यालय 1411030	1. ऐ.डब्ल्यू.डी. विद्यार्थियों की सुरक्षा हेतु IRC फोर्मिक का प्रदान करना। राशि = रु. 460600/- 2. IT Lab एवं दूर एवं ट्रेवल्स लेब में काल्स सीलिंग की स्थापना राशि = रु. 647800/- 3 प्रवेश द्वारा से एम.पी. हाल तक रास्ते का निर्माण, विधि प्रकार की मरम्मत, लाइट्स आदि। राशि = रु. 176988/- 4 खोल परिसर का	1. बोरोल आर.ओ. = रु. 995905/- 2 रजिस्टर्ड 100 सीलिंग फेन, 250 ट्यूबलाइट आदि। राशि = रु. 869931/- 3 कक्षाओं तथा गार्ड कक्ष में नर्थी इलेक्ट्रिक फिटिंग। राशि अभी लंबित है।	1 जी.आई. पाइपलाईस W/C, दीवार तथा फर्श का टाइल एवं फलोर टाइल्स की की पुनः स्थापना राशि = रु. 2686900/- 2018-19 प्रस्तावित प्रिट वाश, बाहरी इमारत का प्लास्टर। राशि = रु. 9689800/- कार्य अभी प्रारंभ होना है। 3. एम.पी. हाल	1 जी.आई. पाइपलाईस W/C, दीवार तथा फर्श का टाइल एल्यूमिनियम विडो का लगाना। 2. एम.पी. हाल की मरम्मत वाले टाइल्स का लगाना पोटा पट्टर फलोरिंग तथा प्रिट वाश, बाहरी इमारत का प्लास्टर। राशि = रु. 9689800/- कार्य अभी प्रारंभ होना है। 4 खोल परिसर का	N.A.	

निम्नांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 231  
192248 /-

में एल.पी.जी.

लाइट्स, परदा,

एसी, सीसीटीबी

कैमरा, विविध

इलेक्ट्रिक कार्य।

राशि अभी प्राप्त  
नहीं हुई है।

6. रामपुरा गवनमेंट को-एड सर्वोदय विद्यालय 1411032	1. पी.डब्ल्यू.टी. द्वारा विद्यार्थियों की सुरक्षा बाटुंडी वाल का हेतु फोटिक आईआर. सी. का प्रदान। राशि = रु. 715100/- राशि = रु. 640000/-	1. पी.डब्ल्यू.टी. बाटुंडी वाल का ऊंचा करना तथा पार्किंग। राशि = रु. 6933100/- 2. पी.डब्ल्यू.टी. जल बोर्ड से सीवर कनेक्शन प्राप्त सीट का कक्षाओं की खिड़कियों पर लगाना। राशि = रु. 7658100/-	1. एल.ई.टी. लाइट्स पावर वाइरिंग तथा एम.पी. हाल आदि कार्य होना है। 2. जल संपत्र की स्थापना लागत राशि नहीं। ब. सीलिंग फेन एल.ई.टी. लाइट पावर रु. 663100/- 3 नई सीवर लाइन व्यवस्था तथा दिल्ली जल बोर्ड और एस.पी. हाल में कनेक्शन- अनुमोदित (प्रस्तावित)	अ. नये सीवर लाइन की मरम्मत और पुराने सीवर लाइन की मरम्मत तथा बाह्य। दिल्ली जल बोर्ड से सीवर कनेक्शन प्राप्त करना लागत-तथा नहीं। ब. सीलिंग फेन एल.ई.टी. लाइट पावर वाइरिंग और उप मुख्य वाइरिंग की नया वाइरिंग नये एस.पी. हाल में हुआ है। स. जल संचय राशि नहीं मिली (प्रस्तावित)
--	---	---	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	नारंग कालोनी गवनमेंट को-एड सीनियर सेकेंडरी स्कूल ब्रि नार	NIL	1 कनेक्शन वायर राशि-1951259 2 हैड सेलिंग- 205800/-	सभी स्टैल छोटा दरवाजा राशि = रु. 2580800/-	सभी कार्य अभी आरंभ होने वाले हैं।	अनुमानित कार्य निर्माणीन है। जो 2018-19 में पूरे होने वाले हैं।	
8.	जी.जी.एस. एस.एस.	1 वर्षा जल संयंत्र चारदीवारी लागत- 17845/-	— गाई कक्ष निर्माण तथा पुराने दरवाजा	— NA	— NA	— NA	
	आनंदवास	2 चारदीवारी तथा मंच निर्माण राशि- 2721505/-	की पुनर्स्थापना				
9.	जे.जी.एस एस.एस. कोहाट इंकलेव	NIL	राशि 762000/- बहु दीवारी का निर्माण तथा गिल कार्य राशि-5364977/-				
	1411037		1411038	1411046			

10. शाकुरपुर नं. 11 पुराने क्षतिग्रस्त एम.पी. हाल पार्किंग  
 जी.जी.एस. भवन को शिराने रोड, चारदीवारी का  
 एस.एस. की अनुमति लागत निर्माण। कुल लागत—  
 1411125 396330/- 978,9500/- गार्ड
2. मुख्य मरम्मत का रुम का निर्माण। अति  
 कार्य खिड़कियों के विकसित जल संरक्षण  
 फेम को बदलना तथा संयंत्र तथा नया प्रवेश  
 पोटा स्टोन फलोरिंग द्वारा का निर्माण कुल  
 का कार्य। कुल लागत— लागत-932200/-  
 7181087/- कार्य
- प्रगति पर है।

**22- Jh \_rjkt xksou% क्या Åtk e=ह** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि किराड़ी विधान सभा क्षेत्र से एच.टी. लाइन गुजर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार इसे हटाने के लिए क्या कदम उठा रही है; और

(ग) इन एच.टी. लाइन को कब तक हटा दिया जाएगा?

**Åtk e=ह % (क)** जी हाँ, यह सत्य है।

(ख) विधान सभा क्षेत्र के माननीय विधायक द्वारा प्रस्तावित कई प्रस्ताव इस सम्बन्ध में TPDDL से प्राप्त हुए हैं। एचटी लाइन को भूमिगत शिफ्ट करने के लिए फंड का आवंटन ऊर्जा विभाग के आदेश संख्या नं. एफ. 11(09)/3007/पावर/4040 दिनांक 27.11.2009 के अनुसार होता है (संलग्नक 'क')। आदेशानुसार इस संदर्भ में कॉलोनियों की श्रेणी/स्थिति की जानकारी राजस्व विभाग एवं शहरी विकास विभाग से मांगी गई है।

(ग) जानकारी प्राप्त होने के बाद उपरोक्त आदेश के अनुसार प्रस्तावों का निरिक्षण किया जायेगा और आदेश के अनुसार प्रस्तावों का निरिक्षण किया जाएगा और आदेश मानकों के अनुसार होगा तो फंड जारी किया जाएगा। जो प्रस्ताव मानकों को पूरा नहीं करते हैं उनकी सूचना माननीय विधायक को दी जाएगी।

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 235

28 फाल्गुन, 1939 (शक)

**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF  
DELHI (DEPARTMENT OF POWER)  
DELHI SECRETARIAT, 8TH LEVEL, B-WING  
NEW DELHI-110002**

No. 11(09)/2007/Power/4140

Dated: the 27th Nov. 2009

To.

The Pr. Secretary (UD), Urban Development Deptt. Govt. of NCT of Delhi Delhi The C.E.O. BSES Rajdhani Power Ltd. BSES Bhawan, Nehru Place Delhi The C.E.O. NDPL, Hudson Lines Kingsway Camp, Delhi	The Secretary, DERC, Vinyarnk Bhawan Shivalik, Malviya Nagar Delhi-110017 The C.E.O. BSES Yamuna Power Ltd. Karkardooma, Delhi
---	---

**Sub.: Policy of Shifting of HT (11000V & 33000V)/LT (400V) Electricity Transmission Lines posing threat to human lives - Modification of Cabinet Decision no. 1310 dated 20.11.2007 thereof.**

Sir,

I am directed to convey the approval of the Cabinet of Govt. of NCT of Delhi vide cabinet decision no. 1588 dated 09.11.2009 on the subject cited

above. The Cabinet has considered and approved the proposal of Power Department for partial modification of the existing policy on shifting of HT/LT lines. The new modified Policy on Shifting of HT (11000V & 33000V) / LT(400V) Electricity Transmission Lines posing threat to human lives is framed as under:

- (i) In case of colonies set up under 20 point programme in the rural areas, the shifting of HT/LT Lines would be done through the MLALAD funds, which would provide for 100% of the cost of shifting.
- (ii) In respect of other rural areas, like Lal Dora areas and extended Lal Dora areas, the cost of shifting of HT/LT lines would also be made from the MLALAD funds, whihc would provide for 100% of the cost of shifting.
- (iii) In respect of farm houses, the entire cost of shifting will be borne by the affected consumers. In case of farmers of than farm house owners, 50% of the estimated cost of shifting it to be borne by the affected consumer and other 50% would be borne from the MLALAD funds.
- (iv) In respect of regulated unauthorised colonies including urbanized villages and resettlement colonies, 50% of the cost of shifting will be borne from the MLALAD funds and the balance 50% would be borne by the Government from the budget of the Power Department.
- (v) In case of HT/LT lines passing through Government institutions, Public Authority building, schools, hospitals, college of Public nature and which are owned by the Government, 100% of the funding would be met by the concerned department/agency for shifting of the lines.

- (vi) In case of private institutions of a Public nature like educational and health institutions etc. 20% of the cost of shifting would be borne by the agency concerned and 80% by the concerned department in whose jurisdiction the agency functions.
- (vii) Scope of the HT/LT lines to be covered will include the HT Transmission lines of 11 KV as well as 33 KV and LT lines of 100% associated with the HT network.

This is for your kind information and necessary action please.

Yours faithfully

(S.M. Ali)

Dy. Secretary (Power)

Copy for information to:

1. All Hon'ble MLAs, Govt. of NCT of Delhi.
2. Pr. Secretary to C.M., Delhi.
3. Pr. Secretary (Finance), GNCTD.
4. C.M.D., Delhi Transco Limited.
5. OSD to C.S., Delhi
6. PA to Secretary (Power), GNCTD

**23- Jh fotñz x̄rk % क्या Åtkl ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे  
कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार गत तीन वर्षों के दौरान बिजली  
की दरों में वृद्धि नहीं करने का दावा कर रही है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि सरकार दिल्ली विद्युत बोर्ड से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान अपने फंड से देने की बजाय उपभोक्ताओं से वसूल रहीं हैं;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि सरकार ने निजीकरण के समय निर्णय लिया था कि पेन्शन का वित्तीय भार वह स्वयं वहन करेंगी;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि निजीकरण के समय “दिल्ली विद्युत बोर्ड कर्मचारी टर्मिनल बेनीफिट फंड 2002” स्थापित करने का निर्णय लिया गया था;

(ङ) यदि हाँ, तो इस प्रावधान की क्या स्थिति है;

(च) सरकार सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को पेंशन देने की व्यवस्था के लिए दिल्ली वासियों से कितना अधिभार वसूल रही है;

(छ) क्या यह भी सत्य है कि उपभोक्ताओं से बिजली के बिलों के माध्यम से ट्रांसमिशन चार्ज बढ़ाकर भी उपभोक्ताओं से अतिरिक्त राशि वसूल की जा रही है;

(ज) यदि हाँ, तो अब तक कितनी राशि वसूल की जा चुकी है;

(झ) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली विद्युत विनियामक नियंत्रण बोर्ड (डीईआरसी) ने सरकार को यह सरचार्ज जनता से वसूल करने के लिए अनुमति नहीं दी थी;

(ञ) यदि हाँ, तो सरकार किस क्षमता में जनता से यह पैसा वसूल कर रही है; और

(ट) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) ने सरकार को आदेश दे रखे हैं कि वह पेंशन ट्रस्ट के लिए समुचित राशि का भुगतान करें;

(ठ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

**Answer %** (क) और (ख) जी हाँ, यह सत्य है कि गत तीन वर्षों से ऊर्जा की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

यह प्रश्न टैरिफ आर्डर से सम्बंधित है जो की दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी किया जाता है।

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग एक स्वायत्त आयोग है। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग बिजली अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार कार्य करता है।

इस प्रश्न का संदर्भ आयोग से ही है। इसलिए इस प्रश्न को आयोग को भेजा गया था। आयोग द्वारा भेजा गया जवाब संलग्न है। (अनुलग्नक—।)

(ग) जी नहीं।

(घ) जी हाँ।

(ङ) दिल्ली विद्युत बोर्ड कर्मचारी टर्मिनल बेनीफिट फंड 2002 से काम कर रहा है।

(च) इस प्रश्न का संदर्भ दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग से है, इसलिए इस प्रश्न को आयोग को भेजा गया था। आयोग द्वारा भेजा गया जवाब इस प्रकार है:

“3.7% का अतिरिक्त सरचार्ज दिनांक 31.08.2017 से लगाया जा रहा है”

(छ) उपरोक्त 3.7% सरचार्ज लगाने से पहले पेंशन ट्रस्ट के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ में इस सरचार्ज का प्रावधान डीईआरसी ने किया हुआ था। अब इस सरचार्ज को ट्रांसमिशन टैरिफ से हटा दिया गया है।

(ज) इस प्रश्न का संदर्भ दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग से है, इसलिए इस प्रश्न को आयोग को भेजा गया था। आयोग द्वारा भेजा गया जवाब संलग्न है। (अनुलग्नक—।)

(झ) और (ज) इस प्रश्न का संदर्भ दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग से है, इसलिए इस प्रश्न को आयोग को भेजा गया था। आयोग द्वारा भेजा गया जवाब इस प्रकार है:

“दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग एक स्वायत्त आयोग है। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग बिजली अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार कार्य करता है। सरकार दिल्ली के उपभोक्ताओं से कोई सरचार्ज संग्रह नहीं करती। दिल्ली बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं से डीईआरसी द्वारा निर्धारित टैरिफ के अनुसार ही शुल्क संग्रह करती है।”

(ट) जी नहीं।

(ठ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

**ANNEXURE-I****Q. No. 23:**

(a) Energy charges have not increased since 23.07.2014. However, fixed charges have been revised only in FY 2017-18. The tariff schedule-for FY 2014-15, FY 2015-16 and FY 2017-18 are enclosed at Annexure-IA.

(b) The Commission had issued the Statutory Advice under Section 86(2) of Electricity Act, 2003 to GoNCTD on 11.09.2012 on various issues including Pension Trust. Also, the Commission advised for the forensic audit of the Pension trust management, The Commission had observed that "In order to avoid undue hardship to the retired employees (Pensioners) the Commission, as an exception, made ad-hoc provision in ARR of the Utilities for the Pension Trust dues. The Commission has been of the view that ad-hoc provisions of this nature cannot continue in future and the parties to the dispute should expedite the proceedings before the appropriate Court or explore other avenues for settlement of the dispute." In the meantime, on the basis of recommendation of the GoNCTD, the Commission has provisionally allowed the Pension Fund Dues in the ARR:

Financial Year	Amount (Rs. Crore)
2011-12	150.00
2012-13	160.00
2013-14	400.00.
2014-15	470.00
2015-16	573.23
2016-17	573.23
2017-18	693.00
<b>Total</b>	<b>3019.46</b>

It may also be mentioned that in the matter of Delhi Transco Limited vs. DERC & Ors. In appeal No. 255 of 2013, the Hon'ble APTEL had opined as under;

Commission in the Impugned Order, the Commission's decision to contribute pension fund a lump-sum amount of Rs. 400 crore in the ARR is justifiable.

Further, this Tribunal also feels that the parties to the discussion for transfer of management of funds of pension trust to UCof India should work out the modalities and should sort out the technical, legal and financial issues involved in such a transfer at the earliest; to avoid adhoc-provision of this nature."

**ANNEXURE-I (A)****Tata Power Delhi Distribution Limited      Tariff order for FY 2015-16****Tariff Schedule:**

Category	Fixed Charges <sup>1</sup>	Energy Charges <sup>2</sup>
<b>1 DOMESTIC</b>		
<b>1.1 Individual Connections</b>		
<b>A Up to 2 kW Sanctioned Load</b>		
0-200 units	40 Rs/month	400 Paisa/kWh
201-400 units	40 Rs/month	595 Paisa/kWh
401 - 800 units	40 Rs/month	730 Paisa/kWh
801-1200 Units	40 Rs/month	810 Paisa/kWh
Above 1200 Units	40 Rs/month	875 Paisa/kWh
<b>B Between 2kW and 5 kW Sanctioned Load</b>		
0-200 units	100 Rs/month	400 Paisa/kWh
201-400 units	100 Rs/month	595 Paisa/kWh
401-800 units	100 Rs/month	730 Paisa/kWh
801-1200 Units	100 Rs/month	810 Paisa/kWh
Above 1200 Units	100 Rs/month	875 Paisa/kWh
<b>C Above 5 kW Sanctioned Load</b>		
0-200 units	25 Rs/kW/month	400 Paisa/kWh
201-400 units	25 Rs/kW/month	595 Paisa/kWh
401-800 units	25 Rs/kW/month	730 Paisa/kWh

Category	Fixed Charges <sup>1</sup>	Energy Charges <sup>2</sup>
801-1200 Units	25 Rs/kW/month	810 Paisa/kWh
Above 1200 Units	25 Rs/kW/month	875 Paisa/kWh

**1.2 Single Delivery Point for Group Housing Society (GHS)**  
**(GHS as defined in para 1.2 of other terms & conditions of the Tariff Schedule herewith)**

Supply at 11kV                    600 Paisa/kWh

*The Single Point Delivery Supplier (Group Housing Societies) shall charge the Domestic tariff as per slab rate of 1.1 to its Individual Members.*

*Any Deficit/Surplus due to sum total of the billing to the Individual Members as per slab rate of tariff schedule 1.1 and the billing as per the tariff schedule 1.2 including the operational expenses of the Single Point Delivery Supplier shall be passed on to the members of the Group Housing Societies on pro rata basis of consumption.*

## 2 NON-DOMESTIC

### 2.1 Non-Domestic Low Tension (NDLT)

Up to 10 kW	100 Rs/kW/month	880 Paisa/kWh
Between 10 kW/11kVA - 140 kW/150 kVA	115 Rs/kVA/month	850 Paisa/kVAh
Greater than 140 kW / 150 kVA (400 volts) (No Supply on LT for load > 200kW/ 215 kVA)	150 Rs/kVA/month	995 Paisa/kVAh

### 2.2 Non-Domestic High Tension (NDHT)

For supply at 11 kV and above (for load greater than 100kW/108 kVA)	125 Rs/kVA/month	840 Paisa/kVAh <sup>3</sup>
---	------------------	-----------------------------

Category	Fixed Charges <sup>1</sup>	Energy Charges <sup>2</sup>
The Single Point Delivery Supplier shall charge the NDHT tariff to its LT consumers and in addition shall be entitled to charge an extra upto 5% of the bill amount at NDHT tariff to cover losses and all it's expenses.		
<b>3 INDUSTRIAL<sup>5</sup></b>		
<b>3.1 Small Industrial Power (SIP) [less than 200kW/215 kVA]</b>		
Up to 10 kW	80 Rs/kW/month	845 Paisa/kWh
Between 10 kW/llkVA - 140 kW/150 kVA	90 Rs/kVA/month	790 Paisa/kVAh
Greater than 140 kW / 150 kVA (400 volts) (No Supply on LT for load > 200kW/215 kVA)	150 Rs/kVA/month	950 Paisa/kVAh
<b>3.2 Industrial Power on 11 kV Single Point Delivery for Group of SIP Consumers</b>	90 Rs/kVA/month	710 Paisa/kVAh <sup>3</sup>
<b>3.3 Large Industrial Power (LIP) (Supply at 11 kV and above)</b>	125 Rs/kVA/month	740 Paisa/kVAh <sup>3</sup>
<b>4 AGRICULTURE</b>	20 Rs/kW/month	275 Paisa/kWh
<b>5 MUSHROOM CULTIVATION</b>	40 Rs/kW/month	550 Paisa/kWh
<b>6 PUBLIC LIGHTING</b>		
<b>6.1 Metered</b>		
A Street Lighting <sup>4</sup>		730 Paisa/kWh

Category	Fixed Charges <sup>1</sup>	Energy Charges <sup>2</sup>
B Signals and Blinkers		730 Paisa/kWh
<b>6.2 Unmetered</b>		
A Street Lighting <sup>4</sup>	780 Paisa/kWh	
B Signals and Blinkers	780 Paisa/kWh	
<b>7 DELHI JAL BOARD (DJB)</b>		
<b>7.1 Supply at LT</b>		
A Up to 10 kW	80 Rs/kW/month	800 Paisa/kWh
B Between 10 kW/llkVA - 140 kW/150 kVA	90 Rs/kVA/month	780 Paisa/kVAh
C Greater than 140 kW / 150 kVA (400 volts) (No Supply on LT for load > 200kW/215 kVA)	150 Rs/kVA/month	930 Paisa/kVAh
<b>7.2 Supply at 11 kV and above</b>	125 Rs/kVA/month	720 Paisa/kVAh <sup>3</sup>
<b>8 DELHI INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED (DIAL)</b>	150 Rs/kVA/month	790 Paisa/kVAh <sup>3</sup>
<b>9 RAILWAY TRACTION</b>	150 Rs/kVA/month	680 Paisa/kVAh <sup>3</sup>
<b>10 DELHI METRO RAIL CORPORATION (DMRC) (SUPPLY AT 220 KV AND 66 KV)</b>	125 Rs/kVA/month	610 Paisa/kVAh <sup>3</sup>
<b>11 ADVERTISEMENT AND HOARDINGS</b>	500Rs/month/ hoarding	1120 Paisa/kVAh

Category	Fixed Charges <sup>1</sup>	Energy Charges <sup>2</sup>
<b>12 TEMPORARY SUPPLY</b>		
12.1 For a total period of		
A Less than 16 days	50% of the relevant category other than the Domestic category	Higher by 30% (temporary surcharge) of the relevant category of tariff other than the Domestic category
B More than or equal to 16 days	Same as that of relevant category other than the Domestic category	Higher by 30% (temporary surcharge) of the relevant category of tariff other than the Domestic category
12.2 For residential Group Housing connections and other residential connections	Same as that of relevant category without any temporary surcharge	Same as that of relevant category without any temporary surcharge
12.3 For religious functions of traditional and established characters and cultural activities	Same as 1.1	Same as 1.1 without temporary surcharge

Category	Fixed Charges <sup>1</sup>	Energy Charges <sup>2</sup>
12.4 For construction projects	Same as that of relevant category	Same as that of relevant category with temporary surcharge of 30%
12.5 For threshers		
A During the threshing season for 30 days	Electricity Tax of MCD : Rs 270 per connection	Flat rate of Rs 5,400
B For extended period		On pro-rata basis for each week or part thereof

#### Notes on Superscripts

1. For all categories other than Domestic, Fixed/demand charges are to be levied on billing demand on per kW/kVA or part thereof, basis. Where the MDI reading exceeds sanctioned load/contract demand a surcharge of 30% shall be levied on the fixed charges corresponding to excess load in kW/kVA for such billing cycle only. Wherever, sanctioned load/ contract demand is in kW/HP, the kVA shall be calculated on basis of actual power factor of the consumer, for the relevant billing cycle.
2. Time of Day (TOD) Tariff#
  - a. TOD tariff shall be applicable on all consumers (other than Domestic) whose sanctioned load/MDI (whichever is higher) is 25kW/27kVA and above as shown in the table below.
  - b. Option of TOD tariff shall also be available for all consumers (other than Domestic) whose sanctioned load/MDI (whichever is higher) is

HkW/12kVA to 25kW/27kVA. If the consumer who has opted for TOD of sanctioned load between HkW/12kVA to 25kW/27kVA, the charges for up-gradation of meters, if any, shall be borne by respective consumers.

- c. The Commission has decided to reduce the Rebate during the Off Peak hours from 25% to 20%, whereas, for Peak hours Surcharge shall continue at 20%. Optional ToD Consumers will have the option to move back to non-ToD regime only once within one Financial Year.
- d. Further, the Commission has reviewed the latest available Demand and Supply of Delhi and has revised the time slots for Peak and Off-Peak hours as follows:

Months	Peak Hours	Surcharge on Energy Charges	Off-Peak Hours	Rebate on Energy
May-September	1300-1700 hrs and 2100-2400 hrs	20%	0300-0900 hrs	20%

# For other than Peak and Off-Peak hours normal Energy Charges shall be applicable.

Note: The additional impact due to ToD tariff on the bill received by the management of commercial complexes may be recovered by the Single Point Delivery (SPD) manager by spreading this component of tariff on pro-rata basis on the users of the complex.

- 3. Additional rebate of 2.5% on the Energy Charges for supply at 33/66 kV and 4% for supply at 220 kV shall be admissible.
- 4. Maintenance Charges on street lights would be additional to the specified tariff @ Rs. 84/light point/month and material cost at the rate of Rs.19/light point/month as per the Commission's Order dated 22 September 2009 till

further Orders. These charges will be payable to the DISCOM only if maintenance services are provided by the DISCOM and these are exclusive of applicable taxes and duties.

5. The Tariff Schedule under category 3 shall be applicable to Industrial consumers having valid Factory License.

**Note:**

- i. The above tariff rates shall be subject to an additional surcharge of 8% on the Fixed Charges and Energy charges (excluding LPSC, Arrears, Electricity Tax/Duty, PPAC, etc.) towards recovery of past accumulated deficit to the consumers.
- ii. The 8% surcharge is not to be levied on PPAC and PPAC should not be levied on 8% surcharge.
- iii. The 8% surcharge is not to be levied on the load violation surcharge as the penalty of 30% is already inherent in the load violation surcharge.
- iv. The distribution licensee should levy PPAC after considering relevant rebate/surcharge on energy charges available to the consumers.
- v. In case of prepaid consumers, the rebate is applicable on the basic Energy Charges, Fixed Charges and all other charges should be calculated on the tariff applicable after rebate.
- vi. The single phase domestic consumer up to 10 kW load is to be given a rebate by the DISCOMs depending on the number of bills raised in a year to the consumer as under:

Number of Bills raised during the Financial Year	% of Rebate
1	2
1	2

1	2
6	Nil
7	0.2
8	0.4
9	0.6
10	0.8
11	1.0
12	1.2

This rebate shall be given on the total amount billed in the financial year and shall be allowed in the first bill of the ensuing year. However, this rebate will not be pass through in ARRoF of the DISCOMs.

- vii. Individual Consumers availing the supply at single delivery point through Group Housing Society, shall claim the benefit of subsidy, applicable if any, as per the Order of GoNCTD. Group Housing Society shall submit the details of eligible consumers with consumption details and lodge claim of subsidy on behalf of individual members from DISCOMs.
- viii. The Commercial Consumers of DMRC and DIAL who have sanctioned load above 215 kVA but served at LT (415 Volts) such consumers shall be charged the tariff applicable to Non-domestic LT (NDLT) category greater than 100kW/108kVA (415 Volts).

## **Other Terms and Conditions of the Tariff Schedule**

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 252

19 मार्च, 2018

		Category	Availability	Character of Service
1.	Domestic	1.1 Domestic Lighting/Fan and Power (Single Delivery Point and Separate Delivery Points/Meters)	(A) Available to following categories of consumers a. Residential consumers b. Hostels of recognized/ aided institutions which are being funded more than 90% by Municipal Corporation of Delhi or Government of the NCT of Delhi or any other Government/local bodies [local bodies include NDMC and MCDs (North, South & East)].  c. Staircase lighting in residential flats separately metered.  d. Compound lighting, lifts and water pumps etc., for drinking water supply and fire-fighting equipment	AC 50 Hz, single phase, 230 Volts for load up to 10 kW & AC 50 Hz, three phase, 400 Volts for loads beyond 10 kW AC 50 Hz, 3 phase, 11 kV beyond 140 kW/150 kVA

in residential complexes,  
if separately metered.

- e. In group housing societies  
etc. for bonafide use of  
lighting/fan and power,  
subject to the provision  
that the supply is at  
single delivery point for  
combined lighting/fan  
& power.

B) Available to following  
consumers:

- a. Dispensary/Hospitals/  
Public Libraries/School/  
College/Working  
Women's Hostel/  
Orphanage/Charitable  
homes run and funded  
by more than 90% by  
Municipal Corporation  
of Delhi or Government  
of the NCT of Delhi or  
any other Government/  
local bodies.

Category	Availability	Character of Service
	<p>b. Small Health Centre's approved by the Department of Health, Government of NCT of Delhi for providing Charitable Services only.</p> <p>c. Recognized Centre's for welfare of blind, deaf and dumb, spastic children, physically handicapped persons, mentally retarded persons, as approved by the Government of NCT of Delhi and other Government.</p> <p>d. Public parks except temporary use for any other purpose.</p> <p>C) Bed and Breakfast Establishments (Residential Premises) registered u/s 3 of the National Capital</p>	

Territory of Delhi (Incredible India) Bed and Breakfast Establishments (Registration & Regulations) Act, 2007.

D) Places of worship.

E) Cheshire homes/orphanage

F) Shelter Homes (including Night Shelters) approved by Delhi Urban Shelter Improvement Board,  
GoNCTD

G) Electric crematoriums

H) Professionals *i.e.* individuals engaged in those activities involving services based on professional skills, *viz* Doctor, Lawyer, Architect, Chartered Accountant, Company Secretary, Cost & Works Accountant, Engineer, Town Planner, Media Professional and Documentary Film Maker may utilize the

Category	Availability	Character of Service
	domestic connection at their residence for carrying out their professional work in the nature of consultancy without attracting non-domestic tariff for the electricity consumed, provided the area used for professional activity does not exceed the area permitted to be used for such activity in residential area under the Master Plan for Delhi, 2021 (MPD-2021), which as per MPD-2021 is permissible on any one floor only but restricted to less than 50% of the permissible or sanctioned FAR whichever is less on that plot or dwelling unit.	I) Available, for loads up to 21 kW, to farm houses for bonafide domestic self use.

J) The consumers running small commercial establishments from their households in JJ Clusters shall be charged domestic tariff provided that the total consumption of electricity does not exceed 400 units/month.

K) Cattle/Dairy Farms/Dhobi Ghat with a total consumption of not more than 400 units/month.

Same as 1.1(A) - For GHS flats and for individuals having sanctioned load above 100 kW/ 108kVA

AC 50 Hz, three phase, 11 kV; on single delivery point

Group Housing Society(GHS) shall mean a residential complex owned/managed by a Group Housing Society registered with Registrar, Cooperative Societies, Delhi/registered under Societies Act, 1860 and for sake of brevity the definition shall

Category	Availability	Character of Service
2. Non-Domestic Tension) - NDLT	<p>include residential complex developed by a Developer and approved by appropriate authority.</p> <p>A) Available to all consumers having load (other than the industrial load) up to 140 kW/ 150 kVA for lighting, fan &amp; heating/cooling power appliances in all non-domestic establishments as defined below:</p> <p>B) Hostels/Schools/Colleges (other than those covered under domestic category)</p> <p>C) Auditoriums, Lawyer Chambers in Court Complexes, Hospitals, nursing homes/diagnostic Centres other than those run by Municipal Corporation of Delhi or the Government of NCT of Delhi.</p>	<p>AC 50 Hz, single phase, 230 Volts up to 10 kW load,</p> <p>AC 50 Hz, 3 phase,400 Volts for loads above 10kW and up to140kW/150 kVA</p>

- D) Railway's (other than traction) Hotels and restaurants
- E) Cinemas
- F) Banks/Petrol pumps
- G) All other establishments, i.e., shops, chemists, tailors, washing, dyeing etc. which do not come under the Factories Act.
- H) Cattle farms, fisheries, piggeries, poultry farms, floriculture, horticulture, plant nursery
- I) Farm houses being used for commercial activity
- J) DMRC for its commercial activities other than traction.
- K) DIAL for commercial activities other than aviation activities.
- L) Ice-cream parlours.

Category	Availability	Character of Service
2.2 Non-Domestic High Tension (NDHT) Non-Domestic Power on 11 kV Single Delivery Point NDHT for Commercial Complexes	<p>M) Any other category of consumers not specified/ covered in any other category in this Schedule</p> <p>A) Available to consumers having load (other than industrial load) above 100 kW/108 kVA Non-Domestic establishments including pumping loads of Delhi Jal Board /DDA/MCD and supply to Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) Ltd. for their on-going construction projects etc and for commercial purposes other than traction.</p> <p>B) Available to commercial complexes having load more than 100kW/108kVA for group of consumers for non-domestic use.</p>	AC 50 Hz, 3 phase, 11 kV
3. Industrial	3.1. Small Industrial Power (SIP)	Available to Industrial consumers with load up to

140 kW/150 kVA including lighting, heating and cooling load.	AC 50 Hz, 3 phase, 400 Volts
On single delivery point for group of SIP consumers provided load of any individual consumer does not exceed 100 kW/108kVA	AC 50 Hz, 3 Phase, 11 kV
Available as primary power to large industrial consumers having load above 100 kW/ 108kVA including lighting load. Supply at extra high voltage (33 kV and more) may also be given	AC 50 Hz, 3 phase, 11 kV; AC 50 Hz, 3 Phase, 400 Volts
3.3 Large Industrial Power (LIP) a) Supply on 11 kV b) Supply on LT (400 Volts)	AC 50 Hz, Single/ Three Phase, 230/ 400 Volts
<b>4. Agriculture</b>	Available for load up to 10 kW for tube wells for irrigation, threshing, and kutti-cutting in conjunction with pumping load for irrigation purposes and lighting load for bonafide use in Kothra.
<b>5. Mushroom cultivation</b>	AC 50 Hz, 3 Phase, 400 Volts up to 140 kW/ 150 kVA

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 262

19 मार्च, 2018

	Category	Availability	Character of Service
6.	<b>Public Lighting</b>	Street lighting Available to all street lighting consumers including MCD, DDA, PWD/CPWD, Slums department/DSIIDC /MES/ GHS etc.	AC 50 Hz, Single/ three Phase, 230/ 400 Volts
7.	<b>Delhi Jal DJB- LT Board</b>	Signals & Blinkers Available for traffic signals and blinkers of Traffic Police	AC 50 Hz, Single Phase, 230 Volts
	DJB-HT	Available to DJB for pumping load & Water Treatment Plants Available to DJB for pumping load & Water Treatment Plants	AC 50 Hz, 3 phase, 400 Volts up to 100 kW AC 50 Hz, 3 phase, 11 kV for loads above 100 kW
8.	<b>Delhi International Airport Limited</b>	Available to DIAL	AC 50 Hz, 3 phase, 220/66/ 33 kV
9.	<b>Railway Traction (other than DMRC)</b>	Available for railway traction for sanctioned load above 100 kW/108 kVA.	AC 50 Hz, Three phase, 220/66/ 33 kV

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <p><b>10. Delhi Metro Rail Corporation</b></p> | <p>Available to Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) (not for construction projects)</p>  | <p>AC 50 Hz, 3 phase, 220/66/33 kV</p> |
| <p><b>11. Advertisement/<br/>Hoardings</b></p> | <p>Electricity for lighting external advertisements, external hoardings and displays at departments stores, malls, multiplexes, theatres, clubs, hotels, bus shelters, Railway/Metro Stations, airport which shall be separately metered and charged at the tariff applicable for "Advertisements and Hoardings" category, except such displays which are for the purpose of indicating/displaying the name and other details of the shop, commercial premises itself. Such use of electricity shall be covered under the prevailing tariff for such shops or commercial premises.</p> |  |
| <p><b>12. Temporary Supply</b></p>             | <p>Available as temporary connection under the respective category</p>   |  |
|  | <p>AC 50 Hz, single phase, 230 Volts,</p>  |  |
-

Category	Availability	Character of Service
12.1(B) for more than or equal to 16 days	Same as that of relevant category	
12.2 for residential group housing connections	Provided for religious functions of traditional and established characters like Ramlila, Dussehra, Janmashtami, Nirankari Sant Smagam, Gurupurb, Durga Puja, Eid, Christmas celebrations, Easter, Pageants and cultural activities like NCC camps, scouts & guides camps etc.	
12.3 for religious functions of traditional and established characters and cultural activities	With loads more than 10 kW	During the threshing season
12.4 for construction projects		
12.5 for threshers		

**Note :****Electricity Duty and Other Levies**

- The rates stipulated in the Schedule are exclusive of electricity duty and other taxes and charges, as levied from time to time by the Government or any other competent authority, which are payable extra.

**Surcharge**

- All surcharges shall be levied on the basic tariff applicable to the category of use or category of sanction, whichever has higher tariff.

### **Payment**

3. In the event of the electricity bill rendered by the Distribution licensee, not being paid in full within the time specified on the bill, a surcharge @ 1.5% per month shall be levied. The LPSC shall be charged for the number of days of delay in receiving payment from the consumer by the Distribution Licensee, until the payment is made in full without prejudice to the right of the licensee to disconnect the supply after due date, in the event of non-payment in accordance with section 56 of Electricity Act, 2003. This will also apply to temporary connections, where payment of final bill amount after adjustment of consumption deposit, is not made by due date.
  4. The Commission directs the Petitioner, that in case the bill for consumption of electricity is more than Rs. 4000, payment for the bill shall only be accepted by the Petitioner by mode other than cash. Violation of this directive shall attract penalty to the level of 10% of total Cash collection exceeding Rs. 4000/-.
- However, the Commission has considered that the blind consumers shall be allowed to make payment of electricity bills, for any amount, through cash.

### **Billing in kVAh**

5. Wherever the fixed or energy charges are specified in Paisa per kVAh, for the purpose of billing, the kVAh as read from the meter in the relevant billing cycle shall be used.

### **Interpretation/Clearification**

6. In case of doubt or anomaly, if any, in the applicability of tariff or in any other respect, the matter will be referred to the Commission and Commissions decision thereon shall be final and binding.

**Tariff Order FY 2017-18****Tariff Schedule**

Sl. No.	Category	Fixed Charges	Energy Charges				
1	Domestic	1.1 Individul Connections	0-200	201-	401-	801-	>1200
			400	800	1200		
			Units	Units	Units	Units	Units
A	Upto 2 kW	20 Rs./kW/month	4.00 Rs./ kWh	5.95 Rs./ kWh	7.30 Rs./ kWh	8.10 Rs./ kWh	8.75 Rs./ kWh
B	>2kWand < 5 kW	35 Rs./kW/month					
C	>5kWand < 15 kW	45 Rs./kW/month					
D	>15kWand<25 kW	60 Rs./kW/month					
E	> 25kW	100 Rs./kW/month					
1.2	Single Delivery Point Supply at 1lkVfor GHS	40 Rs./kW/month	6.00 Rs./ kWh				
<b>2 NON-DOMESTIC</b>							
<b>2.1 NON- DOMESTIC LOW TENSION (NDLT)</b>							
A	Up to 10 kW	115 Rs./kW/month					8.80 Rs./kWh
B	>10 kW/1lkVA& < 140 kW/150 kVA	130 Rs./kVA/month					8.50 Rs./kVAh
C	>140kW/150 kVA (400 volts) (No Supply on LT for load> 200kW/ 215kVA)	160 Rs./kVA/month					9.95 Rs./kVAh

Sl. No.	Category	Fixed Charges	Energy Charges
<b>2.2 Non-Domestic High Tension (NDHT)</b>			
A	For supply at 11 kV and above (for load> 100kW/108 kVA)	130 Rs./kVA/month	8.40 Rs./kVAh
<b>3 INDUSTRIAL</b>			
<b>3.1 Small Industrial Power SIP) [less than 200kW/215 kVA]</b>			
A	Upto 10 kW	100 Rs./kW/month	8.45 Rs./kWh
B	>10 kW/lkVA & < 140 kW/150 kVA	125 Rs./kVA/month	7.90 Rs./kVAh
C	>140kW/150 kVA (400 volts) (No Supply on LT for load > 200kW/ 215kVA)	160 Rs./kVA/month	9.50 Rs./kVAh
3.2	Industrial Power on 11 kV Single Point Delivery for Group of SIP Consumers.	110 Rs./kVA/month	7.10 Rs./kVAh
3.3	Large Industrial Power (LIP) (Supply at 11 kV and above)	130 Rs./kVA/month	7.40 Rs./kVAh
4	Agriculture	20 Rs./kW/month	2.75 Rs./kWh
5	Mushroom Cultivation	40 Rs./kW/month	5.50 Rs./kWh

Sl. No.	Category	Fixed Charges	Energy Charges
<b>6 PUBLIC LIGHTING</b>			
<b>6.1 Metered</b>			
	Street Lighting,	-	7.30 Rs./kWh
	Signals and Blinkers.		
<b>6.2 Unmetered</b>			
	Street Lighting	-	7.80 Rs./kWh
	Signals and Blinkers.		
<b>7 DELHI JAL BOARD (DJB)</b>			
<b>7.1 Supply at LT</b>			
A	Up to 10 kW	100 Rs./kW/month	8.00 Rs./kWh
B	>10kW/llkVA & <= 140 kW/ 150 kVA	115Rs./kVA/month	7.80 Rs./kVAh
C	>140 kW/150 kVA (400 volts) (No Supply on LT for load >200kW/ 215kVA)	160 Rs./kVA/month	9.30 Rs./kVAh
<b>7.2 Supply at 11 kV and above</b>			
8	<b>Delhi International Airport Limited (DIAL)</b>	160 Rs./kVA/month	7.90 Rs./kVAh
9	<b>Railway Traction</b>	160 Rs./kVA/month	6.80 Rs./kVAh

Sl. No.	Category	Fixed Charges	Energy Charges
<b>10</b>	<b>Delhi Metro Rail Corporation (DMRC)</b>	130 Rs./kVA/month	6.10 Rs./kVAh
<b>11</b>	<b>Advertisements and Hoardings</b>	600 Rs./month/ hoarding	11.20 Rs./kVAh
<b>12 Temporary Supply</b>			
12.1	Domestic Connections including Group Housing Societies	Same rate as that of relevant category	as that of relevant category without any temporary surcharge
12.2	For threshers during the threshing season	Electricity Tax of MCD : Rs. 270 per connection per month	Flat rate of Rs. 5,400 per month
12.3	All other connections including construction projects	Same rate as that of the relevant category	1.30 times of the relevant category of tariff
<b>13 Charging Stations for E-Rickshaw/ E-Vehicle on Single Delivery Point</b>			
13.1	Supply at LT	-	5.50 Rs./kWh
13.2	Supply at HT	-	5.00 Rs./kVAh

**Notes:**

1. For all categories other than Domestic, Fixed Charges are to be levied based on billing demand per kW/kVA or part thereof. Where the Maximum Demand (MD), as defined in DERC (Supply Code and Performance Standards) Regulations, 2017, reading exceeds sanctioned load/contract demand, a surcharge of 30% shall be levied on the fixed charges corresponding to excess load in kW/kVA for such billing cycle only. Wherever, sanctioned load/contract demand is in kW/HP, the kVA shall be calculated on basis of actual power factor of the consumer, for the relevant billing cycle.

## 2. Time of Day (TOD) Tariff

- a. TOD tariff shall be applicable on all consumers (other than Domestic) whose, sanctioned load/MDI (whichever is higher) is 25kW/27kVA and above as shown in the table below.
- b. Option of TOD tariff shall also be available for all consumers (other than Domestic) whose sanctioned load/MDI (whichever is higher) is HkW/12kVA to 25kW/27kVA. If the consumer who has opted for TOD of sanctioned load between HkW/12kVA to 25kW/27kVA, the charges for up-gradation of meters, if any, shall be borne by respective consumers.
- c. The Commission has decided to retain the Rebate during the Off Peak hours and Peak hours Surcharge at 20%. Optional ToD Consumers will have the option to move back to non-ToD regime only once within one Financial Year.
- d. For other than Peak and Off-Peak hours normal Energy Charges shall be applicable.

Months	Peak Hours	Surcharge on Energy Charges	Off-Peak Hours	Rebate on Energy Charges
May- September	1300-1700 hrs and 2100- 2400 hrs	20%	0300- 0900 hrs	20%

- 3. Additional rebate of 2.5% on the Energy Charges for supply at 33/66 kV and 4% for supply at 220 kV shall be admissible.
- 4. Maintenance Charges on street lights, wherever maintained by DISCOMs, shall be payable @ Rs. 84/light point/month and material cost at the rate of Rs. 19/light point/month as per the Commission's Order dated 22

September 2009 in addition to the specified tariff. These charges are exclusive of applicable taxes and duties.

5. The valid Factory Licence shall be mandatory for applicability of Tariff under Industrial category:

Provided that in case where the Factory Licence has expired and its renewal application is pending with the concerned authority, the DISCOMs shall bill such consumers as per Tariff applicable under Non Domestic category;

Provided further that on renewal of the Factory Licence, the DISCOMs shall adjust the bills of such consumers as per applicable Tariff under Industrial category from the effective date of renewal of such Licence.

6. The above tariff rates shall be subject to following additional surcharges to be applied only on the basic Fixed Charges and Energy Charges excluding all other charges e.g., LPSC, Arrears., Electricity Tax/Duty, PPAC, load violation surcharge, etc.:
  - i. 8% towards recovery of past accumulated deficit to the consumers, and,
  - ii. 3.70% towards recovery of Pension Trust Charges of erstwhile DVB Employees /Pensioners as recommended by GoNCTD.
7. The Distribution Licensee shall levy PPAC after considering relevant ToD Rebate/Surcharge on energy charges available to the consumers.
8. For prepaid consumers, the additional rebate of 1% shall be applicable on the basic Energy Charges, Fixed Charges and all other charges on the tariff applicable.
9. The Single Point Delivery Supplier (Group Housing Societies) shall charge the Domestic tariff as per slab rate of 1.1 to its Individual Members

availing supply for Domestic purpose and Non Domestic Tariff for other than domestic purpose. Any Deficit/Surplus due to sum total of the billing to the Individual Members as per slab rate of tariff schedule 1.1 and the billing as per the tariff schedule 1.2 including the operational expenses of the Single Point Delivery Supplier shall be passed on to the members of the Group Housing Societies on pro rata basis of consumption.

10. Individual Domestic Consumers availing the supply at single delivery point through Group Housing Society, shall claim the benefit of subsidy, applicable if any, as per the Order of GoNCTD. Group Housing Society shall submit the details of eligible consumers with consumption details and lodge claim of subsidy on behalf of individual members from DISCOMs.
11. The Single Point Delivery Supplier availing supply at NDHT shall charge the NDHT tariff to its LT consumers and in addition shall be entitled to charge an extra upto 5% of the bill amount at NDHT tariff to cover losses and all it's expenses.
12. The Commercial Consumers of DMRC and DIAL who have sanctioned load above 215 kVA but served at LT (415 Volts) such consumers shall be charged the tariff applicable to Non-domestic LT (NDLT) category greater than 140kW/150kVA (415 Volts).
13. The rates stipulated in the Schedule are exclusive of electricity duty and other taxes and charges, as levied from time to time by the Government or any other competent authority, which are payable extra.
14. In the event of the electricity bill rendered by the Distribution licensee, not being paid in full within the due date specified on the bill, a surcharge @ 1.5% per month shall be levied. The LPSC shall be charged for the number of days of delay in receiving payment from the consumer by the Distribution Licensee, until the payment is made in full without prejudice to the right of the licensee to disconnect the supply after due date, in the event

of non-payment in accordance with Section 56 of Electricity Act, 2003. This will also apply to temporary connections and enforcement cases, where payment of final bill amount after adjustment of amount as per directions of the Court and deposit, is not made by due date.

15. No payment shall be accepted by the Petitioner from its consumers at its own collection centres/mobile vans in cash towards electricity bill exceeding Rs. 4,000/- except from blind consumers, for court settlement cases & payment deposited by the consumers at designated scheduled commercial bank branches upto Rs. 50,000/-. Violation of this provision shall attract penalty to the level of 10% of total Cash collection exceeding the limit.
16. Wherever the Fixed or Energy Charges are specified in Rs. per kVAh, for the purpose of billing, the kVAh as read from the meter in the relevant billing cycle shall be used.

#### **Other Terms and Conditions**

##### **1. DOMESTIC CATEGORY**

###### **1.1 Domestic Lighting, Fan and Power (Single Delivery Point and Separate Delivery Points/Meters)**

###### **Available to following:**

- a. Residential Consumers
- b. Hostels of recognized/ aided institutions which are being funded more than 90% by Municipal Corporation of Delhi or Government of the NCT of Delhi or any other Government/local bodies [local bodies include NDMC and MCDs (North, South & East)].
- c. Staircase lighting in residential flats separately metered.
- d. Compound lighting, lifts and water pumps etc., for drinking water supply and fire-fighting equipment in residential complexes, if separately metered.

- e. In group housing societies etc. for bonafide use of lighting/fan and power, subject to the provision that the supply is at single delivery point for combined lighting/fan & power.
- f. Dispensary/Hospitals/Public Libraries/School/College/ Working Women's Hostel/ Orphanage/ Charitable homes run and funded by more than 90% by Municipal Corporation of Delhi or Government of the NCT of Delhi or any other Government/local bodies.
- g. Small Health Centre's approved by the Department of Health, Government of NCT of Delhi for providing Charitable Services only.
- h. Recognized Centre's for welfare of blind, deaf and dumb, spastic children, physically handicapped persons, mentally retarded persons, as approved by the Government of NCT of Delhi and other Government.
- i. Public parks except temporary use for any other purpose.
- j. Bed and Breakfast Establishments (Residential Premises) registered u/s 3 of the National Capital Territory of Delhi (Incredible India) Bed and Breakfast Establishments (Registration & Regulations) Act, 2007.
- k. Paying Guests/Students' Hostel registered under any scheme approved by GoNCTD.
- l. Places of worship.
- m. Cheshire homes/orphanage.
- n. Shelter Homes (including Night Shelters) approved by Delhi Urban Shelter Improvement Board, GoNCTD.
- o. Electric crematoriums, p. Gaushala Registered under GoNCTD.
- q. Professionals i.e. individuals engaged in those activities involving services based on professional skills, viz Doctor, Lawyer, Architect, Chartered

Accountant, Company Secretary, Cost & Works Accountant, Engineer, Town Planner, Media Professional and Documentary Film Maker may utilize the domestic connection at their residence for carrying out their professional work in the nature of consultancy without attracting non-domestic tariff for the electricity consumed, provided that the area used for professional activity does not exceed the area permitted to be used for such activity in residential area under the Master Plan for Delhi, 2021 (MPD-2021), which as per MPD-2021 is permissible on any one floor only but restricted to less than 50% of the permissible or sanctioned FAR whichever is less on that plot or dwelling unit.

- r. Available, for loads up to 21 kW, to farm houses for bonafide domestic self use.
- s. The consumers running small commercial establishments from their households having sanctioned load upto 5kW shall be charged domestic tariff, t. Cattle Farms / Dairy Farms / Dhobi Ghat with a total consumption of not more than 400 units/month.

## **1.2 Domestic Connection on 11 kV single delivery point**

Same as 1.1 - For GHS flats and for individuals having sanctioned load above 100 kW/108kVA

Group Housing Society (GHS) shall mean a residential complex owned/managed by a Group Housing Society registered with Registrar, Cooperative Societies, Delhi / registered tinder Societies Act, 1860 and for sake of brevity the definition shall include residential complex developed by a Developer and approved by appropriate authority.

## **2. NON-DOMESTIC**

### **2.1 Non-Domestic (Low Tension) - NDLT**

Available to all consumers having load (other than the industrial load) up

to 200 kW/215 kVA for lighting, fan & heating/cooling power appliances in all non-domestic establishments as defined below:

- a. Hostels/Schools/Colleges/Paying Guests
- b. Auditoriums, lawypr Chamhers in Court Complexes, Hospitals, nursing homes/diagnostic Centres other than those run by Municipal Corporation of Delhi or the Government of NCI of Delhi (other than those covered tinder domestic category).
- c. Railway's (other than traction), Hotels and restaurants
- d. Cinemas
- e. Banks/Petrol pumps
- f. All other establishments, i.e., shops, chemists, tailors, washing, dyeing etc. which do not come under the Factories Act.
- g. Fisheries, piggeries, poultry farms, floriculture, horticulture, plant nursery
- h. Farm houses being used for commercial activity
- i. DMRC for its commercial activities other than traction.
- j. DIAL for commercial activities other than aviation activities.
- k. Ice-cream parlours
- l. Any other category of consumers not specified/covered in any other category in this Schedule

**2.2 Non-Domestic High Tension (NDHT):** Non-Domestic Power at 11 kV or above at Single Delivery Point for Commercial Complexes

- a. Available to consumers having load (other than industrial load) above 100 kW/108 kVA for Non- Domestic establishments including pumping

loads of DDA/MCD and supply to Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) Ltd. for their on-going construction projects etc and for commercial purposes other than traction.

- b. Available to commercial complexes having load more than 100kW/ 108kVA for group of i consumers for non-domestic use.

### **3. INDUSTRIAL**

- 3.1 **Small Industrial Power (SIP):** Available to Industrial consumers with load up to 200kW/210kVA including lighting, heating and cooling load.
- 3.2 **Industrial Power (SIP) at 11 kV or above :** On single delivery point for group of SIP consumers provided load of any individual consumer does not exceed 100 kW/108kVA.
- 3.3 **Large Industrial Power (LIP) for Supply at 11 kV or above:** Available as primary power to large industrial consumers having load above 100 kW/108kVA including lighting load.
- 4. **Agriculture:** Available for load up to 20 kW for tube wells for irrigation, threshing, and kutti-cutting in conjunction with pumping load for irrigation purposes and lighting load for bonafide use in Kothra.
- 5. **Mushroom Cultivation:** Available for mushroom growing/cultivation up to 140 kW/150 kVA.
- 6. **Public Lighting:** Street lighting, Signals & Blinkers
  - a. All street lighting consumers including MCD, DDA, PWD/CPWD, Slums depts./ DSIIDC /MES / GHS etc.
  - b. Traffic signals and blinkers of Traffic Police
- 7. **Delhi Jal Board:** Available to DJB for pumping load & Water Treatment Plants.

8. **Delhi International Airport Limited:** Available to DIAL for aviation activities.
9. **Railway Traction (other than DMRC):** Available for railway traction for sanctioned load above 100 kW/108 kVA.
10. **Delhi Metro Rail Corporation:** Available to Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) for traction load
11. **Advertisement/ Hoardings**

Electricity for lighting external advertisements, external hoardings and displays at departmental stores, malls, multiplexes, theatres, clubs, hotels, bus shelters, Railway/Metro Stations, airport which shall be separately metered and charged at the tariff applicable for "Advertisements and Hoardings" category, except such displays which are for the purpose of indicating/displaying the name and other details of the shop, commercial premises itself. Such use of electricity shall be covered under the prevailing tariff for such shops or commercial premises.

12. **Temporary Supply**
  - a. Available as temporary connection under the respective category
  - b. Domestic tariff without temporary surcharge shall be applicable for Religious functions of traditional and established characters like Ramlila, Dussehra, Diwali, Holi, Dandiya, Janmashtami, Nirankari Sant Samagam, Gurupurb, Durga Puja, Eid, Christmas celebrations, Easter, Pageants and cultural activities like NCC camps, scouts & guides camps etc.
13. **Charging of E-Rickshaw/E-Vehicle**
  - a. Charging Stations for E-Rickshaw/ E-Vehicle on Single Delivery Point: Available to charging stations as per the provisions of DERC SOP Regulations, 2017.

- b. Tariff applicable for charging of batteries of E-Rickshaw / E-Vehicle at premises other than at Charging Stations meant for the purpose shall be the same as applicable for the relevant category of connection at such premises from which the E-Rickshaw / E-Vehicle is being charged.

#### **Interpretation/Clarification**

In case of doubt or anomaly, if any, in the applicability of tariff or in any other respect, the matter will be referred to the Commission and Commissions decision thereon shall be final and binding.

**24- Jh Igñz fl g % क्या Åtk e=ह यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) किर्बी प्लेस झुग्गी, बरार स्कवेयर और के.वी. नं.-1 के पास झुग्गियों में बिजली उपलब्ध करवाने का कार्य किस स्तर पर चल रहा है; और

(ख) इनको बिजली कब तक उपलब्ध करवा दी जाएगी?

**Åtk e=ह %** (क) और (ख) इस संबन्ध में सचिव (ऊर्जा) द्वारा दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग एवं डिस्कॉम/दिल्ली छावनी परिषद् के साथ बैठक की गई थी। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि यह विषय डिस्ट्रीब्यूशन लाईसेंस से सम्बंधित है जो की दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न को आयोग को भेजा गया था। आयोग द्वारा भेजा गया जवाब संलग्न है। (अनुलग्नक IV)

#### **ANNEXURE-IV**

##### **Q. No. 24:**

(a) + (b) The Hon'ble High Court of Delhi in WP(C) No. 4349 of 2017 titled as 'Court on its motion vs. Government of NCT of Delhi & Ors' has passed the Order as under:-

*"It is directed that before sanctioning an electricity connection, the concerned electricity company shall ensure that the connection provided in any premises can be only for a user of the premises as is permitted by MPD-2021 as well as other bye-laws."*

The Hon'ble High Court of Delhi by an Order dated 20.12.2017 passed in WP(C) No. 11236 of 2017 titled as 'Parivartan Foundation vs. SDMC & Ors.' has directed as under:-

*"3. The BSES Rajdhani Power Limited and the Delhi Jal Board shall ensure that no connections are provided and water and electricity is not supplied to the buildings constructed in violation of law.*

*4. In case, the connections have been given to the buildings constructed in violation of law, appropriate steps in accordance with law shall be taken regarding those connections."*

**25- Jh I gjñz fl g % क्या Åtkz ea=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सत्य है कि गोपीनाथ बाजार स्थित टाटा पावर (एन.

डी.पी.एल.) हाउस को शिफ्ट करने का कोई प्रस्ताव दिल्ली छावनी परिषद द्वारा दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका बजट कितना है; और

(ग) यह कार्य कब तक पूर्ण होगा?

**Åtkl eah %** (क) जी हाँ, यह सत्य है।

(ख) टाटा पावर द्वारा दिल्ली छावनी परिषद को रुपये 10,58,05,733/- की अनुमानित लागत का प्रस्ताव दिया गया है।

(ग) यह प्रस्ताव दिल्ली छावनी परिषद में विचाराधीन है और दिल्ली छावनी परिषद के द्वारा पैसा जारी किए जाने के बाद ही तिथि बताई जा सकती है।

**26- Jh txnh'k iikkku %** क्या **Åtkl eah** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि अभी तक बिजली वितरण कंपनियों का ऑडिट नहीं हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा बिजली वितरण कम्पनियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) सरकार की दिल्ली में नये बिजलीघर बनाने की क्या योजना है?

**At least %** (क) और (ख) इस प्रश्न का संदर्भ दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग से है, इसलिए इस प्रश्न को आयोग को भेजा गया था। आयोग द्वारा भेजा गया जवाब इस प्रकार है :

“बिजली कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किए गए टैरिफ याचिकाओं के अनुसार, उनके खाते की लेखा परीक्षा, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार की जाती है।”

इसके अलावा दिल्ली सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों का ऑडिट कैग से करवाने का आदेश दिया था। यद्यपि माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली ने अपने 30.10.2015 के आदेश में दिल्ली सरकार की बिजली कंपनियों का ऑडिट कैग द्वारा कराये जाने के आदेश को खारिज कर दिया है। इस संबंध में दिल्ली सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील फाईल कर दी है तथा मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।

(ग) इस प्रश्न का संदर्भ दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग से है। इसलिए इस प्रश्न को आयोग को भेजा गया था। आयोग द्वारा भेजा गया जवाब संलग्न है। (अनुलग्नक V)

(घ) नए बिजली घर बनाने का दिल्ली सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है लेकिन 685 मेगावाट सोलर ऊर्जा और 355 मेगावाट विंड ऊर्जा खरीदने का दिल्ली सरकार ने प्रबन्ध किया है इसके अलावा डिमांड को देखते हुए सिस्टम को अपग्रेड किया जाता है जिसके लिए डी.ई.आर.सी. रेगुलेशन जारी करता है इसलिए इस प्रश्न को डीईआरसी को भी भेजा गया था उनका जवाब संलग्न है। (अनुलग्नक v)

vugxud v

**Q. No. 26 :**

- (c) DERC has notified Delhi Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Open Access) Regulations, 2005 in order to promote competition among DISCOM. And in addition to that DERC has also initiated an approach paper for developing a strategy for creating competition in this market within the present legal frame work of the Electricity Act, 2003.
- (d) The query is not clear as to whether it is about electricity generating stations or electricity sub stations however, as far as electricity sub-stations are concerned, the grid sub-stations and augmentation of electrical network is being carried out by the distribution licensee depending upon the applications for new service connections, potential for load growth etc, as per the provisions of DERC (Supply Code and Performance Standards) Regulations, 2017 and its Order dated 31.8.2017.

The Licensees are directed to take appropriate action for augmentation of capacity as soon as the peak load on the existing applicable distribution transformers reaches about 70% of its rated capacity.

The Commission in its DERC (Supply Code and Performance Standards) Regulations, 2017 has also specified that where there is no specific developer in an area and the augmentation of the existing distribution system requires the space for installation of grid sub-station, transformers, ‘switch gear etc. to meet out the load demand, the distribution licensee shall approach the Government of NCT of Delhi for allotment of space.

**27- Jh fxjh'k I kuh % क्या fodkl eah यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) वर्ष 2015–16 में कार्यान्वित होने वाली सङ्कों निर्माण/मरम्मत से संबंधित परियोजनाओं की प्रोग्रेस रिपोर्ट का विवरण क्या है;

(ख) उक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु जिम्मेदार एजेंसियों का विवरण क्या है;

(ग) प्रत्येक वर्क आर्डर में विनिर्दिष्ट समय सीमा के अनुसार उपरोक्त परियोजनाओं में प्राप्त किये गये लक्ष्य, तिथि, स्थान व पूर्ण किये गये कार्यों के प्रतिशत सहित पूर्ण विवरण क्या है;

(घ) सङ्कों के निर्माण व मरम्मत से संबंधित उन परियोजनाओं की प्रोग्रेस रिपोर्ट का उन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार एजेंसी, प्रत्येक वर्क आर्डर के विनिर्दिष्ट समय सीमा के अनुसार उपरोक्त परियोजनाओं में प्राप्त किये गये लक्ष्य, तिथि, स्थान व पूर्ण किए गए कार्यों के प्रतिशत सहित पूर्ण विवरण क्या है;

(ङ) उपरोक्त परियोजनाओं से संबंधित उन कार्यों/प्रस्तावों का विवरण जो स्वीकृत हो चुके हैं;

(च) उन कार्यों का विवरण जो शुरू हो चुके हैं;

(छ) उन कार्यों का कारणों सहित विवरण जो रुके हुए हैं;

- (ज) उन कार्यों का विवरण जो पूर्ण हो चुके हैं, और  
 (झ) उन कार्यों का कारणों सहित विवरण जो कैसिल कर दिए गए हैं/छोड़ दिए गए हैं/बंद कर दिए गए हैं?

**fodkl ea=h %** (क) वर्ष 2015–16 में इस विभाग द्वारा सङ्क के निर्माण/मरम्मत से संबंधित कार्य की सूची संलग्न है।

- (ख) उपरोक्त के अनुसार।
- (ग) उपरोक्त के अनुसार।
- (घ) उपरोक्त के अनुसार।
- (ङ) उपरोक्त के अनुसार।
- (च) उपरोक्त के अनुसार।
- (छ) उपरोक्त के अनुसार।
- (ज) उपरोक्त के अनुसार।
- (झ) उपरोक्त के अनुसार।

**Physical & Financial monthly progress report of RDB works (4515 Plan) for the year 2015-**  
**16. Under CD.I. I&FC.GNCTD. Basaidarapur Office Complex. Oppt.**  
**EST Hospital. ND-2 for the month of March - 2016**

Name of area MLA	Sl. No.	Name of work	AA&E/S Amount in lacs.	Date and agency	Award amount and	Stipulated date of start	Stipulated completion/ likely	Total date of completion	Total upto date	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Sh. Gulab Singh (Matiala AC)	1	Providing and laying 4cm thick bitumastic sheet on the existing link road in a length of 400m from village Pandwalan Khurd Phirni to the road connecting villages Pandwalan Kalan and Khurd in Najafgarh Block.	6.53	18.09.12 M/s K.S. Group 5.71	06.01.15	04.02.15	100%	6.02	Work completed on 05.03.15.	
Sh. Gulab Singh (Matiala AC)	2	Strengthening/ restoration of road from vill. Hasanpur	20.47	07.11.14	Sh. Ombir Singh 18.76	14.12.14	13.01.15	100%	19.25	Work completed on

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 286

19 मार्च, 2018

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 287 28 फाल्गुन, 1939 (शक)

Sh. Gulab Singh (Matiala AC)	3	Repairing and widening of existing link road in a length of 1980m between Phirni road of village Chhawla and Dinpur Goela road in Nijafgarh Block.	130.96	07.11.14	Sh. Denesh Kumar 61.39	31.05.16	30.11.16	100%	85.38	Work completed on 03.02.17.			10.04.15.
Sh. Gulab Singh (Matiala AC)	4	Providing and laying dense bitumen concrete surface after widening of existing link road bearing Kh. No. 196 connecting Rewla Chowk at Jhatikra Pandwala road to vill.	153.41	07.11.14	Sh. Bishwa Mohan Jha 113.09	27.12.14	24.06.15	100%	80.16	Work completed on 31.03.16			
Sh. Gulab Singh (Matiala AC)	5	Construction of cement concrete road in Kh. No. 61 & 63 at vill. Daurala in Nijafgarh Block.	50.39	07.11.14	M/s Suhag Const Co. 42.48	15.12.14	15.03.15	100%	55.02	Work completed on 26.05.17.			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sh. Gulab Singh (Matiala AC)	6	Construction of road in Kh. No. 75/45 and 75/60 at village Rawta in N.G.BlocK.	22.39	12.11.14	Sh. Amen Khan	14.12.14	13.04.15	100%	24.90	Work completed on 14.08.17.
Sh. Gulab Singh (Matiala AC)	7	Improvement/ Strengthening of balance portion of Phirni road by providing and laying RMC & protection wall of complete Phirni road of village Daulatpur in N.G. Block in district South-West	115.92	27.11.14	M/s R.K. Enterprises	09.01.15	08.05.15	90%	113.77	Work foreclosed.
Sh. Gulab Singh (Matiala AC)	8	Restoration of Phirni road and side drain in village Hasanpur in N.G.BlocK in district South-West.	83.05	27.11.14	M/s Parmod Kumar & Co.	15.07.15	10.01.16	100%	87.90	Work completed on 30.12.15
Sh. Gulab Singh (Matiala AC)	9	Construction of road Kh. No. 74/67, 78, 87, 83, 99, 96, 83 &	62.34	12.12.14	Sh. Bishwa Mohan Jha	12.01.15	12.03.15	100%	47.20	Work completed on 47.68

74/61 (Extended Lal  
Dora) at village  
Rawta in

Sh. Gulab Singh (Matiala AC)  
10 Strengthening/  
resoration of existing  
link road village  
Badusarai to Jhatikara  
road in N.G. Block.

Sh. Gulab Singh (Matiala AC)  
11 Construction of  
RMC Phlml road in  
North side of vill.  
Kanganheri with  
construction of  
protection wall in  
outer side of  
complete phrni in  
N.G. Block.

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 289

28 फाल्गुन, 1939 (शक)

31.03.17.

Work  
completed  
on  
14.07.15.

Sh. Jai Bhagwan  
34.41

M/s Garg  
Builders  
89.37

27.03.15 24.07.15  
0% 0.20 A letter  
received  
from  
MCD  
regarding  
the work  
under  
taking by  
the MCD  
on dated  
20.10.14  
videletter  
No D/12/  
EE(Pr)N  
GZ/2015  
dated  
15.04.15.

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

290

19 मार्च, 2018

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sh. Gulab Singh (Matiala AC)	12	Restoration of existing damaged road in a width of 4.25 metre from Chhawia bridge to Dhoolsiras bridge on L/B of Najafgarh drain.	89.83	12.12.14	Sh. Bishwa Mohan Jha	10.01.15 70.64	09.04.15	100%	61.21	Work completed on 06 06.16.
Sh. Gulab Singh (Matiala AC)	13	Construction of road Kh. No. 75/34 at village Rawta in N.G. Block. (Balance work)	23.67	12.12.14	M/s Ishwar Singh Dagar	04.01.15 18.38	04.03.15	65%	12.49	Work rescinded.
Sh. Gulab Singh (Matiala AC)	14	Providing and laying dense bitumen concrete surface on the existing link road bearing Kh. No. 84 at village Rewla Khanpur in Najafgarh	26.67	15.12.14	M/s Awasthi Const Co.	08.01.15 22.63	06.02.15	100%	27.69	Work completed on 11.06.15.
Sh. Gulab Singh (Matiala AC)	15	Restoration of road from village Jhatikra to Shikarpur Phirni road in Kh. No. 89 and construction of road in Kh. 199/1 in	21.14	15.12.14	M/s C.S. Const Co.	07.01.15 17.85	06.07.15	79%	14.48	Work proposed to foreclosed.

		village Jhatikra in N.G.Block.						
Sh. Gulab Singh (Matiala AC)	16	Restoration of link road from Paprawat village Phirni to village Pandwala Kalan Phirni in Matiala	151.23	18.12.14	M/s C.K. Const Co. 118.52	12.01.15	10.07.15	48% 56.94 Work foreclosed w.e.f. 31.08.15
Sh. Gulab Singh (Matiala AC)	17	Construction of link road from Chhawla Dhoolsiras road to Tajpur road	66.60	18.12.14	M/s Awasthi Const Co. 58.82	13.01.15	11.07.15	70% 0.76 Demarcation has been given by Revenue staff in the Revenue of Chhawala village andbalance demarcatin has been given after harvesting of crops as stated by revenue staff.

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 292

19 मार्च, 2018

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sh. Gulab Singh (Matiala AC)	18	Construction of Cement Concrete (R.M.C) road on the Katcha Rasta bearing Kh. No. 646 at village Chhawla in Najafgarh Block.	35.62	18.12.14	M/s Suhag Const Co. 26.73	13.01.15	12.04.15	100%	32.97	Work completed on 26.10.17.	
Sh. Gulab Singh (Matiala AC)	19	Construction of road (Balance work) and Restoration of existing road in Kh. No. 90 in village Shikarpur in N.G. Block.	34.80	23.12.14	M/s Awasthi Const Co. 29.57	16.01.15	16.03.15	100%	36.71	Work completed on 15.05.15	
Sh. Gulab Singh (Matiala AC)	20	Construction of road Kh. No. 91 at village Jhatikra in N.G.BlocK.	22.17	23.12.14	M/s Balaji Const Co. 18.72	16.01.15	15.05.15	0%	0.39	Work cancelled.	
Sh. Gulab Singh (Matiala AC)	21	Construction of Phirni road and side drain at extended Lal dora of village Badusarai in N.G. Block.	359.44	23.12.14	M/s Gopal Const Co. 246.01	16.01.15	15.05.15	100%	369.48	Work completed on 15.12.15	

Sh. Gulab Singh (Matiala AC)	22	Construction of road in street Kh. No. 210 at village Rawta in N.G. Block.	M.S. Ashoka Co. 9.35	-	-	0%	0.00	Work proposed to be cancelled due to existance at huge encroach- ment. In addition to this the demarcation is still awaited from the revenue department
Sh. Gulab Singh (Matiala AC)	23	Construction of road Kh. No. 86 at village Rawta in N.G. Block.	8.76 Const Co. 6.60	23.12.15 M/s Ashoka 08.06.16 06.08.16	35%	0.00	Due to land dispute with the adjoining land owners	

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 294

19 मार्च, 2018

Sh. Gulab Singh (Matiala AC)	24	Improvement/ Strengthening of north & west side of Phirni road by providing & laying RMC & protection wall of complete Phiml In road of village Hasanpur in N.G. Block.	93.07	30.12.15	M/s Kamal Builders 65.18	03.05.16 27.07.16	100%	40.37	Work completed on 01.06.17		
Sh. Gulab Singh (Matiala AC)	25	Construction of road from village Phirni to cremation ground (Kh. NO. 59) at village Daurala in N.G. Block.	39.78	21.01.16	M/s Suhag Const Co. 29.35	13.04.16 11.06.16	100%	30.78	Work completed on 24.05.17.		

Sh. Gulab Singh (Matiala AC)	26	Improvement of existing Phini road in a length of 2100 metre by laying ready mixed cement concrete road pavements at vill. Pandwala Kalan in N.G. Block	180.62 01.10.12	M/s Jai Bhagwan Saini 121.10	19.05.13 14.11.13	99%	181.30	Work completed on 01.01.15.
Sh. Col. Devinder Sehrawat (Bijwasan AC)	27	Construction of road from Shamshan Ghat to Dwarka road in Kh. No. 42 at village Samalka in N.G. Block.	69.02 11.12.15	M/s DNP Const. Pvt. Ltd. 24.57	17.02.17 16.06.17	100%	25.39	Work completed.
Sh. Col. Devinder Sehrawat (Bijwasan AC)	28	Construction of road in Kh. No. 188/1 at village Bijwasan in N.G. Block.	20.72 26.11.14	M/s Baljeet Buidler and Interior Decorator 14.66	27.12.14 26.04.15	100%	16.42	Work completed on 31.03.17.
Sh. Col. Devinder Sehrawat (Bijwasan AC)	29	Construction of road in Kh. No. 120/6, 7/2, 8, 15,16 min at village Bijwasan in N.G. Block in district South-West.	10.51 26.11.14	M/s Manni Mahesh & Co. 8.26	25.12.14 24.03.15	60%	5.34	Work rescinded on 29.08.17.

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

296

19 मार्च, 2018

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sh. Col. Devinder Sehrawat (Bijwasan AC)	30	Construction of road from vill. Samalka to vill. Rajokan link road in N.G. Block.	93.63	28.03.13	M/s Devi Const. Co. 63.02	11.07.13	06.01.14	0%	1.51	Work foreclosed.
Sh. Col. Devinder Sehrawat (Bijwasan AC)	31	Construction of road in Kh. No. 91/18, 19. 20 &92/16 at village Bijwasan in N.G. Block.	17.88	12.12.14	Sh. Aditya Pratap Singh 15.31	10.01.15	09.05.15	100%	15.59	Work completed on 02.08.16.
Sh. Col. Devinder Sehrawat (Bijwasan AC)	32	Construction of road in Kh. No. 138/1 min, 10 min, 11/2 min at village Bijwasan in N.G. Block.	30.10	12.12.14	Sh. Taranjot Singh 21.41	07.01.15	06.05.15	100%	24.61	Work completed on 10.08.15.
Sh. Col. Devinder Sehrawat (Bijwasan AC)	33	Construction of road in Kh. No. 699 at village Bijwasan in N.G. Block.	43.89	12.12.14	Sh. Taranjot Singh 31.22	07.01.15	06.05.15	100%	31.45	Work completed on 12.10.15.
Sh. Col. Devinder	34	Construction of Gram Sabha road at village	70.21	12.12.14	Sh. Jal Bhagwan	09.01.15	07.07.15	8%	3.02	Work foreclosed

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 297 28 फाल्गुन, 1939 (शक)

Sehrawat (Bijwasan AC)	Bijwasan at Kh. No. 693, 252, 381 and 368 in Block of Bijwasan Constituency.	65.24	w.e.f. 14.08.15.
Sh. Col. Devinder Sehrawat (Bijwasan AC)	35 Construction of Phirni road from Primary School to Shamshan Ghat at village Bijwasan in N.G. Block.	89.17 12.12.14 Mohan Jha 64.17	Sh. Bishwa 09.01.15 07.07.15 100% 59.01 Work completed on 27.11.15.
Sh. Col. Devinder Sehrawat (Bijwasan AC)	36 Construction of Gram Sabha road and raising of side drains in Kh. No. 152, 124, 163, 446, 538, 535, 914, 747, 1042, 186, 179, 176, 457, 84 and 492 at village Kapashera in N.G. Block.	108.34 23.12.14 M/s Garg Builders 86.77	27.03.15 22.09.15 0% 0 19 Work stopped by local residents/ Area MLA demanding water fine first.
Sh. Col. Devinder Sehrawat (Bijwasan AC)	37 Development of road from Shiv Mandir to Gulabo Camp in Kb. No. 1157 at village Rangpuri in N.G. Block.	239 30.12.15 Builder 114.20	M/s Kunjal 03.05.16 30.08.16 100% 135.01 Work completed.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sh. Naresh Yadav	38	Development of Phirni road at vill. Ghitorni in N.G. Block	219.50	01.10.12	Sh. Narendar Singh 147.41	08.12.12	05.06.13	100%	165.70	Work completed on 23.01.14.
Sh. Naresh Yadav	39	Development of link road from vill. Rajokarl to Rangpuri in N.G.BlocK	18.04 16.14	16.07.13 Enterprises 12.93	M/s Kunjal Enterprises	22.04.16	19.08.16	100%	34.76	Work completed.

**Question No.27**

**I&FC Department Govt. of NCT of Delhi**  
**Physical and Financial Monthly Progress Report of "DRDB Works**  
**(Under IDRIV)" 4515 (Plan)**

**For the Year - 2015-16 Works list I&FC Deptt. in respect of CD-V**

**Flood Circle IV: Civil Division No. V**

Sl. No.	Name of the Scheme/work	A/A & ES	Date of Awarded ES	Stipulated A/A & Amount Agency	Stipulated date of start	Achievement upto 2015.16	Target 2016-17	Phy. Achievement 2016-17 (in %age)	Financial achievement 2016-17			Total Exp on the scheme		
									Phy%	Fin.	Upio previous month			
											During Month (12+13) upto Month			
1	Sh. Kartar Singh Tanwar, MLA (AC-46)													
1	Improvement of Phirni road from Mandi bund RD O M to Mandi village Abadi via Shanshan ghat village Mandi in Mehrauli Block	196.25	15.02.16	125.66	31.05.16	27.09.16		100%	100%	100%	193.02	1.81	194.83	194.83
2	Improvement of approach road	33.58	28.03.16	21.98	15.06.16	13.08.16		100%	100%	100%	31.83	0.58	32.41	32.41
	M/S Uttam													

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 299

28 फाल्गुन, 1939 (शक)

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 300

19 मार्च, 2018

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
from main Mandi road to 20 point programme Jawahar Colony at village Mandi		const. Co																		
3	3	Improvement of Sijra Read from Dera village to Mandi Road	326.06	31.3.16	213.12	31.08	16	28.09	16	MS	Sheenu Builders				100%	100%	322.57	12.63	335.20	335.20
T-Point																				
4	4	Improvement of Phirni road from Bhatti Kalan to Bhatti Khurd in Bhatti village.	208.50	31.3.16	146.05	05.08.16	02.12.16	M/s Nath Aggarwal							100%	100%	203.36	1.46	204.82	204.82
5	5	Development of road of village Jonapur including Phirni road in Mehrauli Block.	97.58	15.02.16	61.01	28.06.16	25.10.16	M/S Ultam const. Co							20%	80%	100%	72.74	72.74	72.74
6	6	Development of road from IGNOU gate to Neb Sarai Phirni road at Neb Sarai in Mehrauli Block.	82.20	15.02.16	61.66	30.10.16	27.04.17	25%	15.89	75%	75%	75%	75%	75%	75%	100%	24.42	24.42	40.31	
7	7	Improvement and Strengthening of existing Aya Nagar Bund Road at	483.78	18.03.16	326.75	23.09	16	19.06.17	95%	356.42	5%	5%	5%	5%	100%	90.87	90.87	447.29		

village Aya Nagar in Mehrauli Block.													
8 Improvement of Sajra road from Phini road to bus Stand village Mandi	107.93	28.3.16	65.00	05.08.16	02.12.16					100%	100%	80.42	29.71 110.13 110.13
			M/S Nath Aggarwal Associates										
<b>Sh. Shai Ram, MLA (AC-52)</b>													
9 Improvement of approach road of Kabristan of village Pul Pehlaidpur in Mehrauli Block	30.56	15.01.16	20.62	12.03.16	09.05.16	50%	6.36	50%	0%	50%	7.51	7.51	13.87
			M/s Garg Const Co										
10 Improvement of approach road of Cremation Ground of village Pul Pehlaidpur in Mehrauli Block	25.36	01 02 16	17.44	12.03 16	09.06 16	50%	11.79	50%	50%	50%	12.33	12.33	24.12
			M/s Ranjit Const Co										
<b>Grand Total</b>		1591.80		0.00									
										966.33 118.93 1085.26 1475.72			

**Progress Report of Construction/Repair of road works under RDB for the year 2015-16**

**Executing Department: Executive Engineer, Civil Division No. VI, I&FC Deptt.**

S.I. No.	Name of the Scheme/Work	A/A & E/S &	A/A & E/S date	Estimated Cost	Awarded & agency & Date of award)	Stipulated date of Start	Stipulated date of Completion	Actual date of completion	Total prog on the (Physical) Scheme	Total upto date Exptd.	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Improvement/Strengthening of Old Phirni road and extended Lal Dora streets in village Bakoli in Alipur block.	613.18	05.01.16	672.19	M/s. Akshit Builders Rs.403.78	25.10.16	24.04.17	-	95%	466.18	Progress
2	Construction of Phirni of village Jagatpur from Jagatpur bund to Jagatpur bund via Bio-diversity Park road in distt North.	419.85	29.01.16	375.06	M/s. A.N.J. Builders Pvt Ltd. Rs.238.14	25.06.16	24.10.16	-	99%	287.41	progress
3	Construction of Philips Burari road in Jharoda village main 25' road (Sazra road)	370.20	10.03.16	398.07	M/s. Rajiv Builders Rs.246.68	07.08.16	06.02.17	-	99%	303.12	Progress

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 302

19 मार्च, 2018

4	Improvement of Streets/ Roads in 20 point programme colony near cremation ground at village Hamidpur in distt north.	175.54	30.11.15	158.37	Sh. Ajay agarwal Rs.98.56 22.06.16	25.06.16	24.09.16	-	60%	72.41	Heldup
5	Strengthening and restoration of road and side drains between the Bhalswa dairy PWD road to Swaroop Nagar Burari road in Badli Assembly.	192.16	16.11.15	212.85	M/s. A.N.J. Builders Pvt Ltd. Rs.135.14 08.02.16	20.02.16	19.08.16	-	95%	106.6	Heldup
6	Construction of Sijra road from Hamidpur-Bakoli road to New Phirni at village Bakoli in Alipui block.	212.87	30.12.15	229.33	M/s. M.B. Const. Co. Rs.133.54	25.06.16	24.09.16	10.10.16	100%	176.83	Completed
7	Improvement/Strengthening of road from Hiranki Bakhawarpur road to Jindpur forest city at village Kushak in distt. North	222.10	30.12.15	236.78	M/s. M.B. 23.06.16	25.06.16	24.09.16	25.10.16	100%	244.3	Completed
8	Improvement/Strengthening of Sijra Road from Sardar House to Jathi village land boundary at Village Singhu in Distt North.	80.79	30.11.15	82.70	M/s. Rajiv Builders Rs.48.67 14.06.16	25.06.16	24.09.16	25.10.16	100%	1 75.58	Completed

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Construction of Sizra Road from RD.1200m to RME to Tubewell of Zile Singh at Village Kulakpur in Distt North.	98.41	15.01.16	106.81	Sh. Bal Kishan Rs.65.57	02.04.16	01.07.16 05.12.16	100%	104.05	Completed	
10	Improvement of road from Village Palla to village Tigipur in Narela Constituency Distt. North.	185.40	30.11.15	203.88	M/s. CJC Construction Co Rs. 134.76	02.04.16	01.07.16 29.03.17	100%	196.52	Completed	
11	Widening/Strengthening of road from Jindpur to Burari-Bakhtawarpur road via Kushak village in Alipur Block.	253.71	30.12.15	254.86	M/s. MB Construction Co. Rs. 15633 21.04.16	03.05.16	02.08.16 02.08.16	100%	274.17	Completed	
12	Improvement/Strengthening of Sijara road from T-Point of Tajpur Palla road near Cremation Ground to Land Boundary of Village Jarhi of Village Taj pur in Alipur Block.	94.85	30.12.15	103.09	M/s. Parmod Kumar & Co. Rs.64.14 23.04.16	03.05.16	02.08.16 14.12.16	100%	77.05	Completed	
13	Improvement of existing road from Mohammadpur Chaupal to RME near	141.28	01.02.16	154.94	M/s. Rajiv Builders Rs.91.57	25.06.16	24.09.16 30.08.17	100% 1	111.97	Completed	

	RD.9000m in District North.				14.06.16	
14	Improvement of existing road from Ramjanpur Chaupal to Shank No.20 of RME in District North	116.45	01.02.16	127.78 M/s. Rajiv Builders	25.06.16	24.09.16 06.02.17 100% 115.02 Completed
15	Strengthening of existing road from G.T. Road to Village Hamidpur New Phirni via Village Bakoli in Distt. North.	217.88	31.03.16	222.82 M/s. J & S	15.07.16	14.10.16 07.10.16 100% 234.07 Completed
16	Construction of Sijra Road from New Phirni to Drain No.6. by RMC at Village Hamidpur in Alipur Block.	85.91	30.11.15	82.82 M/s. Rajiv Builders	25.06.16	24.09.16 22.02.17 100% 72.66 Completed
17	Construction of Sijra road by RMC from Chatter Singh House to New Phirni at Village Hamidpur in Alipur Block.	49.20	30.11.15	54.22 M/s. M.B	23.02.16	22.05.16 08.04.16 100% 52.57 Completed
18	Improvement/Strengthening of extended Lal Dora streets in village Bakoli in Alipur Block.	538.12	05.01.16	526.94 M/s. M.B	25.10.16	24.04.17 26.07.17 100% 51924 Completed

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Widening of road from Bawana Escape near Samadhi Asthal Co Ch. Hira Singh to Senior Secondary School at Village Mukhmeulpur in Distt. North.	100.84	30.12.15	105.79	M/s. M.B	03.05.16	02.08.16 25.07.16	100%	110.82	Completed	
20	Construction of road of Mukhmeulpur Bund from Hiranki Mukhmeulpur Road to Bawana Escape at RD. 23870m in Village Mukhmeulpur in Alipur Block.	113.25	02.03.16	122.97	M/s. M.B	11.10.16	10.10.16	100'	124.58	Completed	
21	Improvement of 41 feet road from Burari main road to Pepsi Road in Burari Assembly constituency.	326.19	16.11.15	357.01	M/s. Varun Gupta & Co.,	20.02.16	19.08.16 9.06.17	100%	359.03	Completed	
22	Construction of side drain and providing and laying and RMC in 23" wide main mod Shankarpur via NDPL office to Burari main road at village Burari	130.81	30.12.15	89.22	M/s. A.N.J.	03.05.16	02.11.16 10.08.17	100%	109.64	Completed	
23	Improvement and strengthening of Phirni road	204.14	30.11.15	170.73	M/s. MJB	02.04.16	01.10.16 15.09.16	100%	176.77	Completed	

of Burari Garhi village in Central Distt.												
24 Construction of Safra road from Amit Vihar main road to MID channel in Burari A.C.	60.72	19.01.16	58.85	M/S.M.B	02.04.16	01.10.16	18.07.16	100%	56.95	Completed		
				Construction Co. Rs.								
			38.39									
				23.03.16								
25 Widening of road from RME to Old RME in Village Sungerpur in Narela Constituency.	50.85	16.11.15	55.56	M/s. Panned	23.02.16	22.05.16	Foreclosed	82%	38.45	Foreclosed		
				Kumar &					16.02.18			
				Co. Rs.								
			34.68									
				18.02.16								
26 Construction of road from Ben Bagh to Virender Colony (Sizra Road) in Burari Assembhb Constituency in Distt. Central.	145.00	30.12.15	146.96	M/S.M.B	25.06.16	24.11.16	foreclosed	83%	93.28	foreclosed		
				Construction Co. Rs.					24.07.17			
			85.57									
				21.06.16								

Total No. of Works sanctioned during the financial Year 2015-16 = 26 Nos. No. of works Completed within stipulated date of completion = 7 Nos. Percentage of Works completed within stipulated date of completion = 27%

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 308

19 मार्च, 2018

**I&FC Department, Civil Division No. VII**  
**Status of Road Works Sanctioned during the Finance year 2015-16**

Sl. No.	Name of work	A/A & E/S Amount	A/A & Estima- ted Cost	Stipulated date of start Date of Award	Achievements upto previous year	Target 2016-17	Physical Achievements 2016-17 date progress	Upio During the scheme month month		
								Phy.	Fin.	Upio Prev. month month
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Restoration of Sazra road from Alipur Phirni road to Budshahi road (Khera Katon Seem) at village Alipur in Distt North.	39.59	15.02.16	43.06	28.42	05.05.16	04.07.16	100%	35.00	0%
					M/s. C.K. Constn Co. 12.04.16					
2	Construction of metalled road from existing road to fields of village Lampur in Alipur Block.	180.54	05.01.16	197.43	126.14	16.05.16	15.10.16	95%	159.76	5%
					Sh. Dinesh Kumar 23.04.16					
3	Construction of road from Outer Phirni road of village Naya Bans to Bawana Industrial Area	151.62	29.01.16	159.79	95.06	16.05.16	15.11.16	100%	125.00	0%
					M/s Parmod Kumar & Co. 23.04.16					

4	Restoration of sazra road from old G.T. Kanal road to Bawana Escape at village Alipur.	353.62	22.03.16	353.06	190.65	09.1216	08.06.17	48%	93.19	52%	150.00	50%	0%	52%	100%	229.39	0.00	229.39 322.58
	M/SCK. Constn Co. 18.11.16																	
5	Restoration of existing Old Phini road and Internal road at village Singhola in Distt. North.	76.11	29.01.16	83.62	47.85	09.1216	08.04.17	20%	14.21	80%	55.00	79%	0%	79%	99%	50.77	0.00	50.77 64.98
	Sh. Ajay Aggarwal 18.11.16																	
6	Improvement of damaged Phirni road from connection point of Khera Kalan Siraspur road to Khera Kalan Naagli Poona road (near Vedic Sanskrit Agriculture Higher Secondary School Society Khera Garhi Distt North-west	135.76	31.03.16	149.68	91.75	26.08.16	25.02.2017	99%	109.31	1%	35.00	1%	0%	1%	100%	33.82	0.00	33.82 143.13
	M/s Dheeraj Singh & Co. 03.08.16																	
7	Restoration / construction of Phirni road of village Shahabad Daulatpur in Distt North	315.78	10.02.16	123.91	74.90	20.06.16	19.10.16									0.00	0.00	0.00

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 310

19 मार्च, 2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8	Improvement of existing Sazra road from Delhi-Bawana road to Phirni of village Shahbad Daulatpur in Distr North.	70.87	15.02.16	76.65	45.22	20.06.16	19.09.16					60%	40%	160%	100%	44.68	30.19	74.87	74.87
9	Restoration/ Construction of galleries in Gram Sabha Colony at village Prehdapur in Distr North	195.44	29.01.16	170.58	110.86	20.06.16	19.10.16	100%	11.6.31	0%	20.00	0%	0%	100%	0.39	0.00	0.39	116.70	
10	Restoration/ Construction of Phirni road of village Barwala in Distr North	250.36	15.01.16	126.56	77.01	20.06.16	19.11.16					100%	-	160%	100%	122.31	0.00	122.31	122.31
11	Raising of road from Libaspur Chowk to Gali No. 6 in village Libaspur in Distr. North.	19.93	11.11.16	17.73	9.75	23.01.17	22.02.17	0%	0.00	100%	0%	100%	0%	100%	100%	16.06	0.00	16.06	16.06
12	Raising of road from Labour Chowk to Shiv Mandir via Libaspur Chowk in village Libaspur in Distr North	62.41	11.11.16	65.86	34.54	03.03.17	02.05.17	50%	16.38	50%	25.00	0%	0%	50%	0.00	0.00	0.00	16.38	
															Total	541.25	30.19	571.44	1080.60
																1852.03	1567.93		

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 311

28 फाल्गुन, 1939 (शक)

**ANNEXURE**

**Regarding Vidhan Sabha Question No. 27 in r/o Civil Division-VIII**

Sl. No.	Name of work	A/A & E/S Amount	A/A& E/S Date	Agency	Stipulated Date of Start	Stipulated Date of Completion	Physical Achie- ment	Status of Work
<b>Roads</b>								
1	Construction of Road in extended ial dora at village pooth khurd in Distt N/W	192.29	15.1 16	M/s. C. K. Const Co.	9.8.16	12.16	100%	Work completed
2	Construction of street and side drain in 20 point programme colony at village Bawana	494.19	15.1.16	M/s. C. K Const Co.	17.11.16	3.8.17	100%	Work completed
3	Construction of Sajra road in Kh. No. 152 at village Mungeshpur in Distt. N/A	63.06	31.3.16	M/s. Rajiv Builders	11.9.16	10.1.17	100%	Work completed
4	Construction of sazra road in Kh. No. 151 at village Mungeshpur in Distt. North	62.63	31.3.16	M/s. J & S Const Co.	4.9.16	3 1.17	100%	Work completed

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 312

19 मार्च, 2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Widening and improvement of road Kanjhawala-Qutabgarh main road at village Punjab Khore to ladrawan(Haryana Border)	104.7	31.3.16	M/s. M.B. Const Co	2.9.16	M.17	0%	Demarcation awaited by Revenue Deptt
6	Improvement of road and side drain from Chandpur crossing on kanjhawala-Bawana road to boodhanpur Majra	335.3	31.3.16	M/s. C. K. Const Co.	23.9.16	20.1.17	100%	Work completed
7	Improvement of road from Sultanpur Dabas to Dada Mandu Pond at village Karala in Distt. N/W.	169.52	15.1.16	M/s. Sunrise Const Co.	31.5.16	29.7.16	100%	Work completed
8	Improvement of Sazra road and bearing Kh. No. 78/2 at village Qutabgarh in Distt. N/W.	50.02	31.3.16	M/s. Sanjeev Enterprises	1.6.16	19.8.16	100%	Work completed
9	Improvement of road from Begumpur-Barwala road to Dada Mandu Pond at village Karala in Distt. N/W.	173.41	4.2.16	M/s. C. K. Const Co.	29.6.16	26.9.16	100%	Work completed
10	Construction of Sazra road connecting main Kanjhawala	51.08	12.1.16	M/s. Competent	12.3.16	9.7.16	100%	Work completed

	Const Co
road with existing approach to Haryana Irrigation Channel at village Karala in Kanjhwala Block,	
11 Construction of sajara road of Sugbir Nagar at village Karala	13.31 12.1.16 Sh.. Ameen Khan 12.3 16 9 5 16 100% Work completed
12 Providing RMC and construction of outfall drain on Phimi Road at village Ghewra in Kianjtiawala Block	99.46 21.1.16 M/s. Sunrise Const. Co. 31.5.16 25.1.17 100% Work completed
13 Construction of road from kh. No. 142/66 (Kanjhwala- Karala road) to Kh. No. 142/ 1 (Kanjhwala-Bawana road) at village Kanjhawala in distt N/W	223.08 31.3 16 Sh. Jaswant Singh Dabas 20.8.16 15.2.17 100% Work completed
14 Construction of road from Kh. No. 142/356 to Kh. No. 142/724 at village Kanjhwala in Distt N/W	163.87 31.3.16 Sh. Jaswant Singh Dabas 20.8.16 15.2.17 100% Work completed

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 314

19 मार्च, 2018

**ANNEXURE-B**

**Detail of repair/construction works of road sanctioned during 2015-16**

Sl. No.	Name of the Scheme/Work	A/A & E/S & Date	Awarded amount & Agency	Stipulated date of start	Stipulated date of completion	Status as on 09.03.2018	
						DRDB Works	Remarks
1	Restoration of streets near Kh. No. 134 at village Hirankudna.	10.81 & 12.01.16	7.93 & M/s Virmal Const Co.	22.03.16	20.05.16	Work completed on oct 2016.	
2	Improvement of streets from Surya Gowon Phimi road Mundka to Ramcharan House No. 641 in village Mundka.	19.27 & 12.01.16	16.36 & M/s Rajiv Builders	22.03.16	22.03.16	Work completed in MAY-2016.	
3	Construction of damaged portion of road from Nilothi village to KSN Drain	56.45 & 12.01.16	42.25 & Sh. Ramesh Chander.	12.05.16	10.07.16	Work Completed in April-2017.	
4	Restoration of Streets at village Tikri Kalan.	68.18 & 12.01.16	49.93 & M/s M.B. Const, co.	29.04.16	26.08.16	Work Completed in April-2017	

5	Restoration of existing Sizra road and construction of brick masonry open surface drain from PVC road to Haryana Border at village Tikri Kalan in distt West	136.72 & 12.01.16	95.40 & Sh. Ramesh Chander	09.05.16	02.02.17	Work in Progress
6	Improvement of three no. streets from Gyanenedra House No. 648 to Sanjay Saini House, Suran Bhan House to Goverdhan House, Baljeet Lakra House to Raj Singh Lakra House in village Mundka.	18.24 & 21.01.16	16.19 & Sh. Harvinder Singh	17.03.16	15.05.16	Work completed in oct 2016
7	Restoration of streets in Kalyan Pana at village Tikri Kalan.	101.01 & 15.01.16	76.14 & M.B. const, co.	29.04.16	26.08.16	Work completed in Feb-2017.
8	Restoration of existing road from Primary School to West phirni road at village Tikri Kalan in Distt. West	36.50 & 29.01.16	30.61 & Sh. Harvinder Singh	17.03.16	15.05.16	Work Completid in January-2017

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 316

19 मार्च, 2018

1	2	3	4	5	6	7
9	Restoration of streets near pond Kh. No. 485 at village Tikri kalan.	10.79 & 02.01.16	9.34 & M/s Rajiv Builders	22.03.16	20.05.16	Work Completetd In July-2016
10	Construction of RMC streets and side drains in Kumhar Mohalla at village Hiran Kudna In Distt. West.	26.92 & 29.01.16	21.15 & M/s Vinal Const Co.	22.03.16	19.07.16	Work completed in Sep-16.
11	Construction of Sayad Wali gali at village Neelwal iin Distt. West.	9.19 & 29.01.16	8.24 & M/s Sunrise entp.	14.03.16	12.05.16	Work completed in Nov-2016
12	Restoration of streets near dispensary at village Hiran Kudna.	13.46 & 29.01.16	11.79 & M/s Rajiv Builders	22.03.16	20.05.16	Work Completetd in July-2016
13	Restoration of existing streets from Primary School to Rohtak road at village Tikri Kalan	108.95 & 03.02.16	81.33 & M/s M.B, const. Co	29.04.16	25.10.16	Work Completed in April-2017

### List of RDB Work F.Y. 2015-16 in respect of CD-XIII

Sl No.	District	Name of Scheme	Estimate Amount	A/A & E/S Amount	Awarded amount agency	Stipulated date of start	Stipulated date of completion	Total upto date	Actual Length/ No.	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										12
1	South West	Widening of existing road from village Quazipur to Issapur in N.G Block.	25.72 21.11.14	18.41 Jai Bhagwan Saini	01.01.15 Sh.	31.03.15	22.42	607m	Work completed	
2	South West	Resurfacing of existing road from phirni of village Issapur to Mundella Bund in Village Issapur in N.G Block (Kh. No. 129/2).	8.92 21.11.14	8.01 Sh.	5.99	26.12.14 Devender Kumar	100%	862	607m	Work completed.
3	South West	Construction of CC. road in Khasra No. 523 from phirni road Mitraon to Vyamshala Mitraon in N.G. Block. Najatgarh.	16.48 21.10.14	14.86 Bala ji Const. Co.	12.28	16.12.14	100%	12.89	242m	Work completed

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

318

19 मार्च, 2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	South West	Construction of road from Kh. No. 139 towards kh.No. 34/2 at village Issapur in N.G. Block.	13.85 21.11.14	12.55 Devender Kumar	9.45 Sh. Sh.	26.12.14 25.03.15	100% 9.47	181m Work completed on 29.04.2015			
5	South West	Widening of existing road from village Issapur to village Bakkargarh in N.G. Block.	37.21 21.11.14	33.73 Bhagwan Saini	24.15 Jai Bhagwan Saini	01.01.15 11 01 15	100% 28.66	1980m Work completed.			
6	South West	Widening of road from village Issapur towards Pussa farm house (upto Haryana Border) in N.G block (Kh. no. 131).	117.19 21.11.14	108.12 Bhagwan Saini	76.04 Jai Bhagwan Saini	26 02 15 25.0615	100% 92.92	2000m Work completed.			
7	South West	Construction of cement concrete road Kh.No. 59 at village Ujwa in N.G Block.	19.98 28.11.14	18.19 Sh. Ishwar Singh Dagar	13.93 Sh.	02.01.15 Ishwar Singh Dagar	100% 17.92	423m Work completed on 21.08.2015			
8	South West	Construction of pucca rasta at village Bakkargarh Kh. No. 36/7 to 35/8 & 36/24 to 35/22 in village Bakkargarh in N.G block.	25.48 11.12.14	23.09 Sh. Balaji Const. Co.	17.75 Sh. Balaji	10.01.15 09.05.15	100% 18.03	540m Work completed.			

9	South West	Construction of road from Fields of Sh. Matadin to the fields of Sh. Manohar Lal and the fields of Sh.	27.21 11.12.14	24.76 Bhanwala Builder	18.50 10.01.15	09.05.15 100%	18.75 356m	Work completed
10	South West	Construction of road from pond of village Quazipur to boundary of village Malikpur and from the fields of Sh. Kripa Ram to the boundary of village Malikpur in N.G. Block	60.54 11.12.14	55.14 Sh. Manni Mahesh & Co.	42.13 Sh. Manni	10.01.05 09.05.15	37.85 1001m	Work completed
11	South West	Construction of cement concrete road at Khasra No. 48 from village road to cremation ground at village Jhuljhuli in N.G. Block	35.11 21.10.14	32.15 S.K. Const. Co.	24.54 27.12.14	27.03.15 100%	32.34 390m	Work completed
12	South West	Construction of approach road from Rawta road to Daryapur Khurd village pond in N.G. Block.	20.48 12.11.14	24.03 M/s. Suhag Const. Co.	14.22 19.12.14	17.02.15 100%	16.58 100m	Work completed.

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 320

19 मार्च, 2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	South West	Construction of road from fields of Sh.Ram Chander to the fields of Sli.Harish Chander village Quazipur in N.G Block.	12.63	11.50	8.90	10.01.15	09.04.15	100%	8.38	316m	Work completed on 05.08.2015
14	South West	Construction of road from Samaspur-Mundiclla Kalan road to Kh.No. 7/16 of village Samaspur in N.G Block.	16.82	15.34 11.12.14	10.60 S.K. Const. Co.	07.01.15	06.04.15	100%	9.51	367m	Work completed.
15	South West	Improvement of existing road from village Daryupur Khurd to Ghuroenhera in N.G Block.	-	85.03 19.08.13	65.69 Sh. Om Parkash	29.12.13	28.04.14	-	88.21	1325m	Work completed
16	South West	Improvement of existing road (Kh. No. 373 & 374) from Dhansa-Badli road towards Deverkhana in N.G Block.	40.12	36.66	29.83	06.01.15	06.03.15	100%	39.11	1325m	Work completed.
17	South West	Improvement of existing road from	134.00	125.26	93.39 Jai	26.02.15	24.08.15	100%	116.30	2950m	Work completed.

18	South	Improvement of existing road from village Quazipur phirni to Samaspur-Ujwa road and to cremation ground in N.G. Block.	45.67	41.56 11.12.14	30.46 Jai Bhagwan Saini	10.01.15 -	09.05.15 -	100% -	32.19 -	1750m -	Work completed.
19	South	Repair of existing sazra road from Mungeshpur drain bridge RD 9024m to PVC market road in N.G. Block.	9.36	10.00 09.10.14	0.000 Sh. Om Parkash	12.10.15 -	19.10.15 -	100% -	8.72 -	-	work completed.
20	South	Widening of existing road from M.C.D. school village, Mundella Khurd to village Kar-Vyayamshala (village Mundella Khurd) in N.G. Block.	39.84	38.25 28.11.14	25.44 Jai Bhagwan Saini	06.01.15 -	05.04.15 -	100% -	37.92 -	1400m -	Work completed.
21	South	Providing RMC road and one side drain on the phimi road along SC/ST basti and construction of RCC	153.90	140.92 9.12.14	122.95 Jai Bhagwan Saini	26.02.15 -	22.11.15 -	70% -	67.15 -	927m -	Work in progress.

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 322

19 मार्च, 2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		outfall drain from SC/ ST Basti to outfalling it in the existing outfall drain along Mitraon-Kair road in village Mitraon, AC-35, Najafgarh.									
22	South West	Construction of cement concrete road and boundary wall to kh. No. 58/27 village Ujwa in N.G. Block.	32.45	29.90 11.12.14 S.K. Const. Co.	22.50	11.01.15 10.05.15	65%	12.87	230m	Work in progress.	
23	South West	Resurfacing of existing road from village Khera Dabbar chowk to baldev Dham Ashram at village Khera Dabbar in N.G. Block. AC-34.	65.27	61.86 08.02.16	45.27 M/s. Jai Bhagwan	13.03.16 10.06.16	90%	56.18	-	Work in progress.	
24	South West	Construction of road on kh. No. 140-B at village Issapur in N.G. Block.	'21.86	18.92 21.10.14	15.10 Jai Bhagwan Saini	19.12.14 18.04.15	60%	9.74	482m	Work in progress.	
25	South West	Construction of road on Kh. No. 85, 162, 165,86 of Mundella	129.26 21.10.14	107.92 M/s. Suhag Const. Co.	95.32	26.02.15 24.08.15	60%	48.08	2625m	Work in progress.	

Kalan and kh. No. 68  
of village Bakkargarh  
in N.G. Block.

26 South Construction of road 38.04 34.89 26.20 Jai 26.12.14 23.06.15 60% 12.64 6.50m Work in progress.  
West on Kh. No. 75 at village Bakkargarh in N.G block.

27 South Construction of cement 19.95 38.20 14.20 13.03.16 11.05.16 - 0.40 320m/ 608m Work yet to be start.  
West concrete road in Khasra No.312m in a length of 320 and width 2.50m at Village Samaspur Khalsa in N.G. Block

28 South- Construction of Cement Concrete road 65.95 59.75 42.43 13.03.16 08.09.16 - 0.80 1225m Work yet to be start.  
West from Dhansa-Lahot road to Dhansa bund at village Dhansa in N.G. Block.

29 South Resurfacing of existing road (Kh.No. 130) from Phimi of village Issapur to Mundela Bund road (Kh. No. 129/2) towards back side of Pussa farm House in Village Issapur in N.G Block.

19 मार्च, 2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	South West	Improvement of existing roads (Khasra No. 503 & 504) to cremation ground situated in North of the village Mitraon in N.G. Block. (AC-35 Najatgarh Assembly Constituency).	85.68 15.01.16	77.84 Om Parkash	55.12 Om	31.03.16 Parkash	29.05.16 -	-	0.42 -	-	Work just awarded on 29.03.2016
31	South West	Raising of existing road from village Samaspur towards village Mundella khurd in N.G. Block.	51.49 23.12.15	46.17 M/s Jai Bhagwan	33.81 -	11.03.16 -	08.07.16 -	-	0.40 -	-	Work yet to be start.
32	South West	Construction of existing road (Kh. No. 49) from village Jhuljhuli to Electricity office main road at village Jhuljhuli in N.G. Block.	66.23 30.12.15	65.85 Om Parkash	45.92 Om Parkash	05.03.16 -	31.08.16 -	-	0.40 -	-	Work awarded on 09.03.2016. Demarcation awaited.
33	South West	Resurfacing and widening of road from village Mundella Khurd towards Luksar (Upto B.C. Drain) in N.G. Block.	41.55 05.01.16	38.15 M/s. Jai Bhagwan	28.63 -	12.04.16 -	10.06.16 -	-	Nil 760m	Work just award.	

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

325

फाल्गुन, 1939 (शक)

34	South West	Restoration of road from Ram Mandir Nangli Sakrawati to Najafgarh road in Kh. No. 41 at village Nangli Sakrawati in N.G. Block. (AC-34)	77.43	71.81	50.36	31.03.16	28.06.16	-	0.20	-	Work just awarded on 29.03.2016.
35	South West	Improvement of existing road from Mitraon Phirni to village Sunhcha Phirni in N.G Block AC-35	66.02	59.58	42.98	-	-	-	0.40	-	P.G. Letter issued on 26.03.2016 under process for award.
36	South West	Improvement of existing road (Kh. No. 67) of village Bakkarigarh in N.G Block.	12.92	11.56	9.49	-	-	-	0.21	-	P.G. Letter issued on 26.03.2016 under process for award.
37	South West	Improvement of existing link road from Qazipur village phirni road to Dhansa-Ujija road at Qazipur village in N.G. Block	28.00	25.75	19.25	-	-	-	0.21	1000m	P.G. Letter issued on 28.03.2016 under process for award.
38	South West	Widening of existing road from village Mundella Khurd Bus stand to Haryana Border (Shaikda) in N.G. Block.	63.25	57.94	41.18	-	-	-	Nil	-	P.G. Letter issued on 28.03.2016 under process for award.

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

19 मार्च, 2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.	South West	Improvement of existing link road from Samaspur Khalsa village to main Dhansa road (Near Shiv Mandir) in N.G. Block.	-	113.28 30.12.15	-	-	-	-	Nil	2000m	Tender opened on 21.03.2016 and sent to circle office for acceptance.
40.	South West	Construction of road on Kh. No. 135 at village Issapur in N.G Block.	46.53	40.4S U.12.15	32.57 M/s. C.K. Const. Co.	-	-	-	0.41	680m	P.G. letter issued on 30.03.2016 under process for award.
41.	South West	Construction of approach road from Mungeshpur drain to PVC market (Tikri Kalan) at village Jharoda Kalan in N.G Block, (Tikri wala rasta) AC-35, Najafgarh.	119.97	110.66 04.03.16	80.15 M/s. Khatri Const. Co.	-	-	-	Nil	-	P.G. letter issued on 30.03.2016 under process for award.
42.	South West	Improvement of existing road from Sarangpur to Malikpur at village Sarangpur in N.G. Block.	-	75.38 15.01.16	-	-	-	-	Nil	-	Tender opened on 21.03.2016 and sent to circle office for acceptance.

43	South West	Construction of RMC road Kh. No. 121 (Permit wala road) at village Dhansa in N.G. Block.	- - -	113.2 23.12.15	- -	- -	Nil	470m	NIT sent to Circle office for approval.
44	South West	Resurfacing of existing road from Issapur- Badli road to Dhansa Badli road (Kh.no.132) in N.G. Block.	- -	82.32 30.12.15	- -	- -	Nil	-	Tender to be invited shortly.
45	South West	Improvement of existing road from (surhera more-Kair) road to (Rawata more- Kair) road to village Kair Phimi road in N.G block.	- -	78.82 27.01.16	- -	- -	Nil	-	Tender to be invited shortly.
46	South West	Construction approach road from village Jharoda Phirni to Dichaon Kalan seem through the wested gram sabha land for rast in Kh. No. 71, 82, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 & 135 in village Jharoda in N.G. Block.	- -	93.25 04.03.16	- -	- -	Nil	-	Estimate sent to circle for T.S.

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

328

19 मार्च, 2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	South West	Construction of road in Kh. No. 175 & 178 in village Jharoda in N.G. Block.	-	149.70 04.03.16	-	-	-	-	Nil	-	Estimate sent to circle for T.S.
48	South West	Construction of CC road in Kh. No.313 in a length of 243m and width 2.50m in village Daryapur Khurd in NG Block.	-	15.76 22.03.16	-	-	-	-	Nil	-	Estimate under preparation.
49	South West	Improvement of existing link road from Samaspur Khalsa village to main Dhansa More (Near Laxmi Narayan Mandir) in N.G. Block.	-	101.95 30.12.15	-	-	-	-	Nil	1800m	Estimate sent to circle office for T.S.
50	South West	Improvement and widening of existing road from Najafgarh- Ghummanhera road to UJwa-CH. Bramh parkash Ayurvedic Hospital road at village Kharkhari Rondh in N.G. Block. AC-34.	-	89.04 22.03.16	-	-	-	-	Nil	-	Estimate under preparation.

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

329

28 फाल्गुन, 1939 (शक)

51	South West	Improvement of existing approach road for Cremation ground at Kh.No. 45 in village Nangli Sakrawati in N.G Block.	-	106.03 31.03.16	-	-	-	-	Nil	-	Estimate under preparation.
52	South West	Construction of Pucca rasta at village Mundella Kalan (Kh. No. 120 & 108) in N.G Block.	22.02	19.53 21.11.14	15.00 Sh. Devender Kumar	26.12.14 10.01.15	24.04.15	-	0.25	461m	Work cancelled due to non demarcation of land.
53	South West	Construction of balance phirni road at kh. No. 284 in village Surakhpur, South-west Distt. in N.G block.	40.29	36.17 11.12.14	29.77 Sh. Balaji Const. Co.	10.01.15	09.05.15	-	0.25	389m	Work cannot be executed due to interstate land dispute. Work cancelled on 29.01.16
54	South West	Construction of road from fields of Sh. Chatan Singh to the fields of Sh. Mir Singh for Kua pujan) in village Quazipur in N.G Block.	3.99	3.68 21.11.14	2.76 M/s. K.S. Group	26.12.14	08.02.15	-	Nil	101m	Work stopped due to crops standing in field.

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

19 मार्च, 2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	South West	Construction of outer Phirni road, drain with covering & RMC	63.25	66.13	48.10	11.01.15	10.05.15	90%	44.25	346m + 365m	Hindrance due to encroachment by the villagers.
56	South West	Construction of road from fields of Sh. Jai Bhagawan to fields of Sh.Phool Singh village Quazipur in N.G Block	15.00	13.68	11.30	10.01.15	09.04.15	75%	8.20	346m + 365m	Work stopped by the contractor. Notice issued.
57	South West	Construction of cement concrete road at Kh.No. 70 Lal Dora Phirni at village Sarangpur in N.G Block.	167.72	153.95	111.27	26.02.15	24.08.15	90%	129.52	1086m	Hindrance created by the villagers and work sent to SE/FC-IV for foreclose.

**South Delhi Municipal Corporation  
Office of the Executive Engineer M-I  
Najafgarh Zone**

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 331

28 फाल्गुन, 1939 (शक)

Sl. No.	Name of Scheme	AC No.	Scheme No.	Sanction Contra- ctual Amount	Agency	WO No. & Dt.	Status	Whether Completion on time	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Improvement Development of Road by PDG RMC from Sr. Sec. School to Main Dhansa Road in Village Kazipur in C-140/NGZ	35	F.No. 2(143)/Spot/PD(RD)/ 15-16/739-750 dt 5.1.16	76.03	45.8 LKG Builders	566 dt. 07.12.15	completed	Yes	
2	Construction of road by Pdg and drain from Mundhela Pond to Flood Drain in village Mundhela Khurd in C-140/NGZ	35	F.No. 2(25)/Spot/PD(RD)/ 15-16/611-22 dt 5.1.16	65.40	37.63 AR & Co.,	400 dt 1.09.16	completed	Yes	
3	Improvement Development of road by PDG RMC from MC Primary School Ujwa to Shiv Mandir in Ujwa village in C-140/NGZ	35	F.No. 2 (139)/Spot/PD(RD)/ 15-16/727 dt 5.1.16	124.53	106.1 Mohan Lal Gupta	584 dt 09.12.16	completed	Yes	
4	Improvement Development of road by PDG RMC from Surhera village Chopal to Khera Dabar Mandir in Surhera village in C-140	35	F.No. 2(141)/Spot/PD(RD)/ 15-16/799-750 dt 5.1.16	159.65	94.51 Mohan Lal Gupta	412 dt 02-09-16	completed	Yes	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Improvement Development of Road by PDG RMC from Main Dhansa Road to Bhyram HS in village Surhera in C-140/NGZ	35	F.No. 2(140)/Spot/PD(RD)/ 15-16/787-98 dt 5.1.16	74.71	43.29	Mathur Const. Co.	401 dt completed	Yes	01.09.16
6	Construction of Quifall Drain along Phirni road in Village Kharhkhari Jatmal in C-133/NGZ	34	F.No. 2(141)/Spot/PD(RD)/ 15-16/1289-1300 dt 27.1.16	196.61	128.19	Ram Niwh Goel	406 dt completed	Yes	01-09-16
7	Construction of Road by PDG RMC from Main Bus Stand to Temple in village Khera Dabar in C-133/NGZ	34	F.No. 2(90)/Spot/PD(RD)/ 15-16/1301-1302 dt 27.1.16	90.69	63.53	-	-	Case dropped - work done by the I& FC Deptt.	-
8	Construction of Phirni road in village Khera Dabar in C-133/NGZ	34	F.No. 2(88)/Spot/PD(RD)/ 15-16/1313-1324 dt 27.1.16	189.66	86.19	Rajeev Const. Co.	675 dt completed	Yes	09.12.16
9	Construction of Phirni road in village Khera Dabar in C-133/NGZ	34	F.No. 2(86)/Spot/PD (RD)/15-16/1373-1384 dt 27.1.16	200.50	124.74	Rajeev Const. Co.	665 dt completed	Yes	07.12.16
10	Construction of Phirni road in village Kharhkhari Jatmal in C-133/NGZ	34	F.No. 2(118)/Spot/PD (RD)/15-16/1697-1708 dt 6.2.16	233.23	147.8	Sanjeev Associates	574 dt. Progress	Work in 75% work heldup due to site dispute	09-12-16

11	Construction of main road from village Shikarpur to Daulatpur School (Daulatpur Main Road) in C-133, NGZ (Village Shikarpur to Daulatpur School (Daulatpur Main Road) in C-133 NGZ	34	F.No. 2(106)/C/PD-RD/ 15-16/2284-95 dated 31.3.2016	75.32	50	C. 227 dt. Completed Yes Prakashan 07.10.2017 & Co.
12	Construction of road by providing RMC and drain from Devender Hs to Ram Niwas in Village Kanganheri in C-133/NGZ. [Devender Hs to Ram Niwas Hs in Village Kanganheri in C-133 NGZ]	34	F.No. 2(92)/C/PD-RD/ 15-16/2260-71 dated 31.3.2016	135.93	83.45	Sanjeev 577 dr Completed Yes Associates 09.12.16
13	Construction of road by Providing RMC from Chaupal to M.C. Primary School in Village Daurala in C-133 NGZ. [Chaupal to M.C. Primary School in Village Daurala in C-133 NGZ]	34	F.No. 2(39)/C/PD-RD/ 15-16/2308-18 dated 31.3.2016	158.6	98.18	Jaswant Singh 531 dt. Completed Yes Dabas 09.12.16
14	Constructoin of road by Providing RMC and drain from Santram Hs to M.C. Primary School in Village Rawla in C-133 NGZ.	34	F.No. 2(45)/C/PD-RD/ 15-16/2272-83 dated 31.3.2016	124.55	76.45	Sanjeev 578 dt. Completed Yes Associates 09.12.16

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 334

19 मार्च, 2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		[Santram Hs to M.C. Primary School in Village Rawla in C-133 NGZ].							
15	Construction of road by Providing RMC to Ratiram Hs to Anil Sharma Hs in Village Rawla Khanpur in C-133 NGZ [Ratiram Hs to Anil Sharma Hs in village Ratla Khanpur in C-133 NGZ].	34	F.No. 2(46)/C/PD- RD/15-16/2296-07 dated 31.3.2016	105	91.6 Associates	Sanjeev 09.12.16	576 dt.	Completed	Yes
16	Construction of Road by Providing Dense Carpet (BM+AC) from Chhawla Village Phirni to Kanganheri Bus Stand in C-133 NGZ [Chhawla Village Phirni to Kanganheri Bus Stand in C-133 NGZ].	34	F.No. 2(93)/C/PD-RD/ 15-16/2319-29 dated 31.3.2016	68.05	42	C.	228 dt.	Completed	Yes
Total				2128.68	1319.74				

**28- Jh egñnz xks y % क्या fodkl e=ḥ यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) रिठाला विधान सभा क्षेत्र के शहरीकृत गाँव रिठाला के लिए ग्रामीण विकास बोर्ड में कितने कार्य प्रस्तावित हैं;

(ख) वर्तमान में इन सभी कार्यों की क्या स्थिति है;

(ग) ये कार्य कब से आरम्भ हो जायेंगे, पूर्ण विवरण दे;

(घ) क्या यह सत्य है कि किसी गाँव में दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्वामित्व वाली भूमि पर ग्रामीण बोर्ड को कार्य करने के लिए एन.ओ.सी. की आवश्यकता होती है; और

(ङ) यदि हाँ, तो ऐसे मामलों में सरकार द्वारा एन.ओ.सी. लेने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

**fodkl e=ḥ %** (क) रिठाला गाँव के लिए दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड द्वारा 05 कार्य अनुशंसित किये गये हैं।

(ख) दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड की दिनांक 19.01.2018 तथा 12.02.2018 को हुई बैठकों में रिठाला गाँव के लिए अनुशंसित 05 कार्यों की मिसिलों को संबंधित जिलाधिकारी को भिजवा दिया गया है।

(ग) सभी स्वीकृतियों के उपरान्त अधिशासित एजेंसी द्वारा निविदा कार्यवाही पूरी होने के पश्चात् कार्य आरम्भ हो जायेंगे।

(घ) जी हाँ, यह सत्य है।

(ङ) ऐसे मामलों में अधिशासित एजेंसी संबंधित विभागों से एन.ओ.सी. प्राप्त करती है।

**29- Jh egñnz xks y % क्या fodkl eah यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सत्य है कि विभाग ने रिठाला विधान सभा क्षेत्र के रिठाला गाँव के विकास हेतु ग्रामीण विकास बोर्ड से फंड हेतु मांग की है;

(ख) यदि हाँ, तो किस-किस कार्य के लिए कुल कितने फंड की मांग की गई है और

(ग) वर्तमान में इन सभी कार्यों की क्या स्थिति है?

**fodkl eah % (क)** यह सत्य नहीं है। वित्त विभाग, दिल्ली सरकार इस विभाग को दिल्ली के समस्त गाँवों के विकास के लिये पूरे वित्त वर्ष के लिए फंड उपलब्ध कराता है।

(ख) उपरोक्त (क) के उत्तर के अनुसार लागू नहीं होता।

(ग) दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड की दिनांक 19.01.2018 तथा 12.02.2018 को हुई बैठकों में रिठाला गाँव के लिए अनुशंसित 05 कार्यों की मिसिलों को संबंधित जिलाधिकारी को भिजवा दिया गया है।

**30- Jh ftrñnz fl g rkej % क्या fodkl eah यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या ये सत्य है कि त्रिनगर विधान सभा के विधायक द्वारा त्रिनगर विधान सभा के सभी 04 गाँव में होने वाले 28 विकास कार्यों के लिए 28

स्कीम्स के एस्टिमेट्स 28.12.2017 को द प्रोजेक्ट डायेक्टर, रुरल डेवेलपमेंट ग्राउंड फलोर आई.एस.बी.टी., कश्मीरी गेट के कार्यालय में दिए गए हैं।

(ख) पिछले 64 दिनों से प्रोजेक्ट डायेक्टर के कार्यालय में जमा इन एस्टिमेट्स के लिए संबंधित एजेंसी यानी एम.सी.डी. को बजट उपलब्ध कराने की दिशा में क्या—क्या कदम उठाये गये हैं और

(ग) उपरोक्त 28 कार्यों के करने के लिए एम.सी.डी. को किस तारीख तक बजट ट्रांसफर कर दिया जाएगा?

**fodkl eःh %** (क) जी हाँ, यह सत्य है।

(ख) एम.सी.डी. को बजट उपलब्ध कराने से पूर्व मिसिलों को दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड की दिनांक 19.01.2018 की बैठक में हुई अनुशंसा के उपरान्त संबंधित जिलाधिकारी के पास भूमि अतिक्रमण, लिटिगेशन इत्यादि स्टेट्स के लिये भिजवा दिया गया है।

(ग) संबंधित जिलाधिकारी से मिसिलों के वापिस आने के उपरान्त सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति (ए.ए./ई.एस.) के पश्चात् एम.सी.डी. को बजट मांग अनुरूप जारी किया जाएगा।

**31- Jh iःt iःdj %** क्या fl plbz ,oa ck<+ fu; a.k eःh यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विधानसभा क्षेत्र तिमारपुर में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की ड्रेनों के किनारों पर या अन्य स्थानों पर कुल कितनी भूमि है, कृपया अनुमानित क्षेत्रफल के साथ सभी संबंधित सिविल डिवीजन (2, 6, 9 तथा 10 सिविल डिवीजन) के हिसाब से सूची उपलब्ध करवाने की कृपा करें;

(ख) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र में किन किन जमीनों पर अतिक्रमण है, प्रत्येक सिविल डिवीजन के हिसाब से विवरण उपलब्ध करवाने की कृपा करें;

(ग) उक्त प्रकार के अतिक्रमणों के संदर्भ में जनता या जनप्रतिनिधियों से अब तक प्राप्त शिकायतों का व शिकायतों की पावती की तिथि सहित विवरण क्या है; और

(घ) उक्त अतिक्रमण के मामलों पर विभाग के द्वारा प्रत्येक शिकायत के संदर्भ में की गई कार्रवाई का तिथिवार विवरण क्या है?

**fl pibz ,oa ck<+ fu; a.k ea=h %** (क) विधानसभा क्षेत्र तिमारपुर में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की ड्रेनों के किनारों पर या अन्य स्थानों पर लगभग 916745 वर्गमीटर भूमि है।

संबंधित सिविल डिवीजन के हिसाब से सूची (क) में संलग्न है।

(ख) तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की जमीनों पर अतिक्रमण का विवरण संलग्न सूची (ख) में दिया गया है।

(ग) उक्त प्रकार के अतिक्रमणों के संदर्भ में जनता या जनप्रतिनिधियों से अब तक प्राप्त शिकायतों का व शिकायतों की पावती की तिथि सहित विवरण संलग्न सूची ग एवं घ में दिया गया है।

(घ) उक्त अतिक्रमण के मामलों पर विभाग के द्वारा प्रत्येक शिकायत के संदर्भ में की गई कार्रवाई का तिथिवार विवरण संलग्न सूची ग एवं घ में दिया गया है।

I ph d

dy Hie dk vu~~e~~kfur {ks=Qy oxēhVj e~~a~~

खंड 2	267400
खंड 6	22466
खंड 9	253930
खंड 10	372949

**dy 916745**

I ph [k

vfrØe.k fooj.k

खंड अतिक्रमण स्थान अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमीटर में

खंड 2	कोई अतिक्रमण नहीं।	लागू नहीं होता।
खंड 6	कोई अतिक्रमण नहीं।	लागू नहीं होता।
खंड 9	1.. निकट मदर डेयरी, वजीराबाद	525
	2. गली नं. 1, वजीराबाद	60
	3. विपरीत रामघाट, वजीराबाद	12800
खंड 10	1. जहांगीरपुरी नाला, आर.डी. 975 से आर.डी. 1200 मीटर	3200

खंड अतिक्रमण स्थान अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमीटर में

2. जहांगीरपुरी नाला आर.डी. 3490 से 4800	1200
3. रोड़ नं. 50 से टेल रेगुलेटर	2200

## I ph x , oa ?k

vfrØe.ka | s | æf/kr f'ldk; rø , oa dk; blgh dk fooj.k

खंड	शिकायत प्राप्ति का विवरण / शिकायत में उठाया मुद्दा	शिकायत प्राप्ति की तिथि सि.बा.नि. विभाग	शिकायत प्राप्ति की तिथि खंडीय कार्यालय	कार्यवाही दिनांक सहित
1	2	3	4	5
2	कोई अतिक्रमण नहीं			लागू नहीं होता।
6	कोई अतिक्रमण नहीं			लागू नहीं होता।
9	आफताब अहमद	19–7–2016	सिविल डिवीजन 9	दिनांक 19–7–2016 को एस. एच.ओ. तिमारपुर को अतिक्रमण हटाने के लिये आग्रह किया गया व दिनांक 14–10–2016, 27–5–2017, 02–06–2017 को भी

एस.एच.ओ. तिमारपुर को अतिक्रमण हटाने के लिये आग्रह किया गया तथा 31-8-2017 को एस.डी.एम. सिविल लाईन जो कि एस.टी.एफ. के कर्त्तीनर भी हैं को अतिक्रमण हटाने के लिये आग्रह किया गया।

दिनांक 15-3-2017 को एस.डी. एम. सिविल लाईन को निशानदेही के लिये अनुदेह किया गया ताकि जमीन किसके अधिकार क्षेत्र में है दिनांक 23-03-2017 व 06-04-2017 एस.एच.

9	<b>श्री जगवीर सिंह</b> गहलोत अध्यक्ष हरिजन पिछड़ा वर्ग ग्राम सुधार समिति रजि. पता आफिस गली नं. 5 गांव वजीराबाद दिल्ली, अतिक्रमण, विपरीत	सिविल डिवीजन 15-02-2017	सिविल डिवीजन 9	सिविल डिवीजन 15-02-2017	दिनांक 15-3-2017 को एस.डी. एम. सिविल लाईन को निशानदेही के लिये अनुदेह किया गया ताकि जमीन किसके अधिकार क्षेत्र में है दिनांक 23-03-2017 व 06-04-2017 एस.एच.
---	---	----------------------------	-------------------	----------------------------	---

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 342

19 मार्च, 2018

1	2	3	4	5
रामधाट वजीराबाद				ओ. को पत्र लिखा कि वहां अतिक्रमण को रोका जाए और डी.सी.पी. हिस्ट्रिक नार्थ को दिनांक 25-3-2017 व 7-4-2017 अतिक्रमण रोकने के लिए लिखा गया गया तथा दिनांक 25-4-2017 को उपायुक्त एम.सी.डी. (सिपिल लाईन) को दूसरी बार सूचित किया गया कि निशानदेही की तारीख तय की जाए व अतिक्रमण रुक सके। जमीन पर निशानदेही राजस्व

विभाग द्वारा दि.  
13.06.2017 व  
14-6-2017 को की  
गई। पत्रांक सं.  
25808-814 दिनांक  
06-12-2017 को  
चेयरमैन पी.जी.सी. ने  
आदेश दिया कि यह  
जमीन सिंचाई एवं बाढ़  
नियंत्रण विभाग की है  
व अतिक्रमण हटाया  
जाये। डिमोलिशन का  
मामला एस.टी.एफ. में  
लंबित है।

कथोंकि यह अतिक्रमण  
का मामला पी.जी.सी.  
के अंदर विचारधीन था,  
इसलिए विभाग ने  
चेयरमैन पी.जी.सी. को

मुख्य अभियंता  
(सिं.ब.नि. विभाग  
विभाग)  
07-06-2017  
9 पंकज पुष्कर  
आदरणीय विधायक,  
क्षेत्र दिल्ली (विपरीत  
रामधाट वजीराबाद)

1	2	3	4	5
9	पंकज पुष्कर आदरणीय विधायक, तिमारपुर क्षेत्र और दिल्ली (विपरीत रामधाट 20-11-2017 वजीराबाद, विपरीत मदर डेरी व गली नं. 1)	आग्रह किया कि अतिक्रमण को एस.टी. एफ. द्वारा हटवाया जाए। अभी यह मामला तीस हजारी कोट में लंबित है।	अतिक्रमण रोकने के लिए इस खंड द्वारा बांड्झीवाल की स्कीम बनाई गई है, जिसकी अनुमानित लागत रु. 200.07 लाख है तथा दिनांक 08.01.2018 को	मुख्य अधिकारी के पास टी.ए.सी. में मान्यता देने के लिए भेज दी गई है। शिकायत की

पावती की तिथि 26.  
02.2017 व 20.11.2017  
है, तथा रामधाट के  
विपरीत की जमीन के  
संदर्भ में यह कहना है  
कि यह केस तीस  
हजारी कोट के अंदर  
विचाराधीन है तथा  
डिमोलिशन का मामला  
एस.टी.एफ. में लंबित  
है। मदरडेरी व गली  
नं. 1 के नजदीक जो  
अतिक्रमण है, उसके  
संदर्भ में विभाग ने  
समय-समय पर एस.  
डी.एम. (स्थिविल लाइन)  
एवं एस. - एच.आ० :  
तिमारपुर को अतिक्रमण  
हटाने के लिए पत्र

1	2	3	4	5
10.				<p>लिखा है' जि स की कार्यवाही दिनांक 02.06.2017, 31.08. 2017, 01.09.2017 एवं 27.02.2018 क्रमानुसार अवगत कराई गई है।</p> <p>इन झुगियों को अन्यत्र बसासने हेतु दृष्टिव (DUSIB) विभाग के साथ तीन बार दिनांक 20 - 11 - 2012, 21 - 11 - 2012 और 06 - 11 - 2013 को उपाइंट सर्वे किया जाना था। (DUSIB) से प्राप्त पत्रों की प्रतिलिपियां संलग्न हैं परंतु झुगियों के कारण</p>

सर्व संभव नहीं हो सका, क्योंकि बृगियों  
वाले सर्व में रुकावट  
डाल रहे थे और  
पी.डब्ल्यू.डी. की भूमि  
सहित पूरी भूमि का  
सर्व कराना चाहते थे  
इस कारण इस मामले  
में कोई भी कार्यवाही  
नहीं हो सकी।

**32- Jh \_rjkt xkfon %** क्या mi e[; ea[h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा किराडी विधान सभा क्षेत्र में के.एस.एन. ड्रेन के दोनों तरफ आर.एम.सी. रोड बनाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हाँ तो इसका पूर्ण विवरण क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**mi e[; ea[h %** (क) किराडी विधान सभा क्षेत्र में के.एस.एन. ड्रेन के दोनों तरफ वर्तमान में आर.एम.सी. रोड बनाने की कोई भी योजना नहीं है।

(ख) उपरोक्त अनुसार प्रश्न नहीं उठता।

(ग) के.एस.एन. ड्रेन के दोनों तरफ के किनारों पर अगस्त 2017 तक खड़ंजे का कार्य विभाग द्वारा सम्पन्न किया गया था, जिस कारण से फिलहाल (वर्तमान में) इस पर आर.एम.सी. रोड बनाने की कोई प्रस्ताव नहीं है।

**33- Jh egmz xl\$ y %** क्या fl phbz ,oa ck<+ fu; &.k ea[h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिठाला विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर-11 रोहिणी से सेक्टर-24 रोहिणी को जोड़ते हुए नाले के दोनों साइड में पुल निर्माण का प्रस्ताव है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि इस कार्य के लिए डिजाइन ड्राइंग के लिए कुल राशि का 1 प्रतिशत अर्थात् 4.90 लाख विभाग को दिए गये;

(ग) यदि हाँ तो इस कार्य के लिए पूर्ण रूप में फण्ड कब आवंटित किए जायेंगे; और

(घ) अभी तक पूर्ण फण्ड जारी न करने के क्या कारण हैं?

**fI pʰbZ ,oa ck<+ fu; æ.k e=æh %** (क) जी हाँ, यह सत्य है।

(ख) जी हाँ, यह सत्य है।

(ग) पूर्ण रूप से फण्ड आवंटित किये जाने से पहले अनुमानित प्राकलन तैयार किया जाता है जिसके लिए कार्यक्षेत्र सर्वेक्षण, मृदा परीक्षण व डिजाइन ड्राइंग कार्यों का पूर्ण होना अनिवार्य है। यह प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। तथा फंड आंबटन हेतु फाईल प्रक्रिया में है।

(घ) अभी तक फंड जारी नहीं हो सका क्योंकि इसकी उपरोक्त ग में दी गई कार्यवाही पूर्ण नहीं थी। अब इसे पूर्ण कर लिया गया है इसलिए जल्द ही फंड स्वीकृत किया जा सकेगा।

**34- Jh I keukFk Hkj rh %** क्या **fI pʰbZ ,oa ck<+ fu; æ.k foHkkX** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के पास वर्ष 2013 से ए.सी.-43 विधान सभा के लम्बित कार्यों की वर्तमान स्थिति, परियोजना के नाम, विधायकों से प्राप्त अनुरोध की तिथि सहित पूर्ण विवरण क्या है;

(ख) वर्ष 2003 से वर्ष 2013 की अवधि के दौरान विभाग द्वारा कार्यान्वित की गई परियोजनाओं के संदर्भ में उपरोक्तानुसार पूर्ण विवरण क्या है;

(ग) अधचनी स्थित जिस चौपाल में विभाग द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है, वहाँ स्थित दो दुकानों का विवरण क्या है;

(घ) विभाग द्वारा उन दुकानों को वहाँ से न हटाए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं की गुणवत्ता को किस प्रकार मापा व कायम रखा जाता है;

(च) क्या विभाग द्वारा दिल्ली में फैली हुई यमुना के किनारों के संरक्षण की परियोजना को लिया गया है; और

(छ) यदि हाँ, तो क्या उक्त परियोजना पूर्ण हो गई है;

(ज) क्या संबंधित एजेंसी को उसका भुगतान कर दिया गया है;

(झ) मालवीय नगर विधानसभा में कितनी अनाधिकृत कालोनियाँ हैं;

(ण) क्या दिल्ली सरकार द्वारा इन कालोनियों में विकास के कार्य शुरू किए गए हैं;

(ट) यदि हाँ, तो क्या इन कालोनियों में विकास के कार्य हेतु राशि आवंटित की गई है; और

(ठ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**fI p~~bb~~l , oa ck<+ fu; &.k foHkkx %** (क) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के पास वर्ष 213 से ए.सी.-43 विधान सभा के लम्बित कार्यों की वर्तमान स्थिति, परियोजना के नाम, विधायकों से प्राप्त अनुरोध की तिथि सहित पूर्ण विवरण सूची 'क' में संलग्न है।

(ख) वर्ष 2003 से वर्ष 2013 की अवधि के दौरान विभाग द्वारा कार्यान्वित की गई परियोजनाओं के संदर्भ में उपरोक्तानुसार पूर्ण विवरण सूची 'ख' में संलग्न है।

(ग) अधचनी में विभाग डिपोजिट वर्क द्वारा निर्माणाधीन चौपाल के परिसर में दो निजी दुकाने हैं, जिन पर खाद, पौधे तथा बीज आदि की सामग्री विक्रय की जा रही है।

(घ) यह कार्य विभाग द्वारा डिपोजिट वर्क के आधार पर किया जा रहा है, जमीन का मालिकाना हक विभाग के पास नहीं है। अतः अतिक्रमण हटाने संबंधित कार्यवाही विभाग द्वारा की जानी अपेक्षित है।

(ड) विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं की गुणवत्ता की सत्यता हेतु विभाग द्वारा किए जाने वाले अनुबंधों की धाराओं में तृतीय पक्ष द्वारा निष्पक्ष जाँच करने का प्रावधान किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभागीय प्रयोगशाला द्वारा विभिन्न निर्माण सामग्रियों के नमूनों की गुणवत्ता की सत्यता जाँच करने का प्रावधान भी उपलब्ध है।

(च) जी नहीं। दिल्ली क्षेत्र को बाढ़ से बचाने के लिए, यद्यपि विभाग द्वारा दिल्ली में फैली हुई यमुना के तटबंधों का अनुरक्षण किया जाता है।

(छ) उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता है।

(ज) उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता है।

(झ) मालवीय नगर विधानसभा में 7 अनाधिकृत कॉलोनियां हैं। सुची 'ग' संलग्न है।

(ण) जी नहीं।

(ट) उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता है।

(ठ) 7 अनाधिकृत कॉलोनियों में से 5 कॉलोनियों के जी.एस.डी.एल. नक्शे उपलब्ध नहीं हैं तथा 2 अन्य कॉलोनियों में विकास कार्यों की आवश्यकता नहीं है।

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

19 मार्च, 2018

Sl. No.	Name of work	Date of letter of Hon'ble received	Date of sanction received	sanction amount	Date of tender	Stipulated date of start	Stipulated date of completion	Present status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Demolition & Reconstruction of Chaupal at village Adchini New Delhi In AC-43.	Only minutes of the meeting issued on 09.02.2012	04.10.2103 & 02.11.2016	50.00 (U.D. Fund) + 103.44 (MLA LAD)	25.01.2017	12.02.2017	10.10.2017	Work in progress Delay due to change of drawing on demand of villagers and existance of well In premises of proposed choupal.
2	Construction of shed at Senior Citizens Re-creation Centre located in Malviya Nagar Assembly Constituency.	Scheme was prepared on verbal request of Hon'ble MLA.	20.01.2017	8.10	20.01.17	21.03.2018	20.04.2018	Work was rescinded due to work was not completed by the contractor. Tenders for balance work was recalled 2 times but no response, now tender has been re called again and awarded.
3	Construction of shed and Development of Delhi Jal Board	Do	20.01.2017	13.29	12.03.2017	10.05.2017	80 % work done and balance work is likely to be completed with	

in 15 days.

premises situated  
adjoining to C-6  
Park in Safdarjung  
Development Area  
(for use of Senior  
Citizens) and stone  
grit wash wherever  
required at boundary  
wall of Usha Niketan  
Bhim Nagri Near  
Mother Dairy in  
Safdarjung  
Development Area.

4 Construction of 14.02.2017 14.03.2017 2.93

boundary wall at  
B-2 Block Market,  
Safdarjung Enclave  
in Malviya Nagar,  
Assembly  
Constituency.

The tender was called  
but there was no  
response. The tender  
was again recalled but  
no response, tender  
was re-called 3rd time  
and tender of work has  
been accepted and  
contractor has been  
requested to submit  
performance guarantee

5 Repair of boundary 14.02.2017 14.03.2017 6.64  
wall and providing

27.01.2018 26.04.2018 Work in progress

1	2	3	4	5	6	7	8	9
grill of top of boundary wall of DDA Janta Apartment in Adchhn next to NCERT Aurbindo Marg in Malviya Nagar, Assembly Constituency.	Construction of Shed and supply of PVC chairs at MLA office situated in Delhi Jai Board tube well premises opposite Hon'ble MLA Aurbindo Market in Malviya Nagar, Assembly Constituency.	scheme was prepared on verbal request of Hon'ble MLA Aurbindo Market in Malviya Nagar, Assembly Constituency.	20.01.2017	8.88	20.10.2017	20.12.2017	Earlier work was rescinded due to non execution of work. Tender was recalled & 80% work has been completed, remaining work is likely to be completed within 15 days.	Under process of tender, to be opened on 19.03.2018.
7	Providing and fixing of steel Benches & dustbins various parks locates of Malviya Nagar Assembly Constituency.	23.10.2017	15.02.2018	60.00				

8	Providing and fixing standard Signage Board Indicating name of Colony/ locality with house No. in Malviya Nagar Assembly Constituency.	23.10.2017	15.02.2018	90.42	Under process of tender, to be opened on 19.03.2018.			
---	--	------------	------------	-------	--	--	--	--

**AC-43 Malviya Nagar For the Year- 2003 to 2013**

Sl.No.	Name of work	Date of sanction received	Date of tender	Stipulated Date of start	Date of completion	Remarks	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Demolishing and Re-construction of Chaupal at village Hauz Rani in Mesaruli Block.	17.03.2005	20.00	12.12.2005	10.01.2006	11.05.2007	Work Completed.
2	Construction of boundary wall of Kbristan in Savitri Nagar in Ward No. 1391/ South Zone.	13.10.2008	32.00	08.05.2009	13.06.2009	25.03.2010.	Work Foreclosed.
3	Demolishing & Re-const, of Jia Sarai Chaupal in south Delhi.	23.06.2008	30.68	-	-	-	Work was Cancelled.

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Construction of 2nd Floor at the existing chaupal Jat Committies at village Humapur.	15.09.2008	12.83	—	—	—	Work was Cancelled.
5	Renovation/Construction of chaupal at Hauz Khas village in AC-53.	28.06.2010	48.84	25.07.2011	07.09.2011	23.03.2012	Work Foreclosed.
6	Providing & Fixing 50 Nos. of RCC Benches at Various park at Malviya Nagar.	03.09.2013	4.09	18.09.2013	07.10.2013	17.10.2013	Work Completed.
7	Repair/Renovation and construction of Shed at 1st Floor of Jatav Chaupal at village Humayupur park of South Delhi.	19.09.2013	5.59	—	—	—	Work was Cancelled.
8	Construction of Street pavement and side pavement in Mohala Jahan pan ah hauz rani colony (Regd.No. 1347-B)	13.09.2013	75.74	30.09.2013	24.12.2013	28.08.2014	Work Completed.
9	Development of streets in Kumar Basti Hauz Rani Colony (Regd.NO.1338) in Malviya Nagar.	13.09.2013	9.18	—	—	—	Work was Cancelled.

**Details in respect of Unauthorized colonies (AC-43 Malviya Nagar)**

Sl. No.	Civil Division	Name of Constituency	Coloney Regd. No.	Name of Unauthorized Colony
1	2	3	4	5
1	CD-V	Malviya Nagar (43)	(63-ELD)	Begumpur Village (South) New Delhi 17.
2	cd-v	Malviya Nagar (43)	(94-ELD)	Gautam Nagar Village Yusuf Sarai New Delhi
3	CD-V	Malviya Nagar (43)	(41-LOP)	Begumpur Post Office Malviya Nagar New Delhi 17
4	CD-V	Malviya Nagar (43)	(18-LOP)	Gautam Nagar Hill Block, 216, A, B, C, D Kh. No. 115/1, 115/2 & 3 Gautam Nagar New Delhi
5	CD-V	Malviya Nagar (43)	(1347-A)	Mohalla Jahapanah Hauz Rani, Malviya Nagar, Delhi-17
6	CD-V	Malviya Nagar (43)	(1347-B)	Mohalla Jahapanah Hauz Rani, Malviya Nagar, Delhi-17
7	CD-V	Malviya Nagar (43)	(1338)	Kumhar Basti Hauz Rani, Malviya Nagar, Delhi-17

**35- Jh idt iIdj th % क्या jktLo ea=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सत्य है कि संगम विहार—वजीराबाद, रामघाट—वजीराबाद और वजीराबाद गांव (तिमारपुर वार्ड, सिविल लाइन एस.डी.एम.) में राजस्व विभाग (वेस्टेंड ग्राम सभा) के कुछ भू-खंड हैं,

(ख) यदि हॉ, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है;

(ग) क्रिश्चयन कॉलोनी, पटेल चेर्स्ट, मॉरिश नगर थाने के सामने (डी.सी., सैंट्रल के अंतर्गत) के भवन और दुकानें किसकी जमीप पर स्थित हैं, इसके खसरा, खतौनी और नक्शे की प्रति उपलब्ध करायें; और

(घ) क्या यह भी सत्य है कि मलकागंज पेट्रोल पंप के पीछे धोबीघाट के पास हिंदू राव पहाड़ी (डी.सी., सैंट्रल के अंतर्गत) पर एक तथाकथित मंदिर है, जिसका लगातार विस्तार हो रहा है;

(ङ) क्या हाँ, तो इस जमीन किसके स्वामित्व में है;

2. क्या कोई भू-खंड या मंदिर किसी अन्य ट्रस्ट के नाम पर है;
3. यदि नहीं है, तो अतिक्रमित भू-खंड पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लए अभी तक क्या प्रयास किए गए हैं, कृपा विवरण दें,
4. यदि भू-खंड किसी मंदिर या किसी अन्य ट्रस्ट के नाम पर है तो उस जमीन जिस पर मंदिर बना है, उसका खसरा व खतौनी उपलब्ध करवायें।

**Åtkle %** (क) जी नहीं, वजीराबाद वर्ष 1982 में शहरीकृत घोषित किया जा चुका है तथा रिकार्ड के अनुसार संगम विहार, वजीराबाद, रामघाट में राजस्व विभाग के नाम (वेस्टेड ग्राम सभा) पर कोई भू-खंड दर्ज नहीं है।

(ख) उपरोक्त अनुसार।

(ग) उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार क्रिश्चयन कॉलोनी, पटेल चेर्स्ट, मॉरिस नगर थाने के सामने भवन और दुकानें खसरा नम्बर 222 में आती है और

इसका स्वामित्व सरकार दौलतमदार के पास है यह क्षेत्र शहरीकृत आबादी के अंदर आती है इसकी खसरा खतौनी और नक्शा संलग्न है।

(घ) मल्का गंज पेट्रोल पम्प के पीछे धोबीघाट के पास हिन्दू राव पहाड़ी पर स्थित मंदिर है। उस भूमि का स्वामित्व सरकार दौलतमदार है एवं कब्जा काश्त में डी.डी.ए. मे दर्ज है।

1. मल्का गंज पेट्रोल पम्प के पीछे धोबीघाट के पास हिन्दू राव पहाड़ी पर स्थित मंदिर गली भूमि खसरा नंबर 261 में आती है जिसका स्वामित्व रिकॉर्ड के अनुसार सरकार दौलतमदार है।
2. रिकॉर्ड में किसी मंदिर या ट्रस्ट का नाम दर्ज नहीं है।
3. यह डीडीए से संबंधित है।
4. जिस जमीन पर मंदिर बना हुआ है उसका खसरा नंबर 261 है। जिसका स्वामित्व सरकार दौलतमदार है तथा खाना कब्जा काश्त में महकमा डीडीए दर्ज है खसरा खतौनी की कापी संलग्न है।

**36- Jh I gjñnz fl g t h % क्या Åtkl e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सत्य है कि सी.बी. नारायण औधोगिक एरिया में रेलवे लाइन के पास खाली जमीन है;
- (ख) यदि हॉ, तो यह कुल कितनी जमीन है और इसका नोटिफिकेशन कब हुआ; और

(ग) यह जमीन वर्तमान में किसके स्वामित्व में है और इसका आबंटन किस विभाग द्वारा किया गया है।;

**Åtkl ea=h %** (क) जमीन को खसरा नंबर से निर्दिष्ट किया जाता है। प्रश्न में किसी जमीन विशेष को निर्दिष्ट किये जाने के अभाव में इस विषय में सम्यक जानकारी दे पाना संभव नहीं है।

**37- Jh I j̄l̄nz fl g %** क्या **mi e[; ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा सी.बी. नारायण रेलवे फ्लाई ओवर के साथ लगने वाली 16.527 एकड़ जमीन किस विभाग को किस कार्य करने के लिए और कब आवंटित की गई थी;

(ख) उसका खसरा नंबर क्या—क्या है, और;

(ग) इस जमीन की वर्तमान में क्या स्थिति है।

**mi e[; ea=h %** (क) जमीन को खसरा नंबर से निर्दिष्ट किया जाता है। प्रश्न में किसी जमीन विशेष को निर्दिष्ट किये जाने के अभाव में इस विषय में सम्यक जानकारी दे पाना संभव नहीं है।

**38- Jh I ϕh d[ jk[kh fcMyk %** क्या **mi e[; ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मंगोल पुरी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत रोहिणी में अम्बेडकर यूनिवर्सिटी निर्माण हेतु आवंटित खाली जमीन पर भविष्य में किसी तरह के निर्माण कार्य की कोई योजना विचाराधीन है,

(ख) व (ग) यदि हाँ, तो इसकी अद्यतन स्थिति क्या है; और  
इसका पूर्ण विवरण क्या है?

**mi e[; eəh %** (क) जी, हाँ।

(ख) रोहिणी सैकटर-3 में 7.3 हैक्टेयर की जमीन पर, अम्बेडकर विश्वविद्यालय में कैपस बनाने के लिए, लोक निर्माण विभाग व अम्बेडकर विश्वविद्यालय में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हो चुका है। दिल्ली सरकार ने प्रारंभिक कार्य के लिए 12 करोड़ की अग्रिम धन राशि अम्बेडकर विश्वविद्यालय को स्वीकृत की है। लोक निर्माण विभाग द्वारा 31-03-2018 तक योजना व डिजाईनिंग की व्यापक परामर्श सेवाएँ के लिए आर.एफ.पी. आमंत्रित करने की संभावना है। कैपस के निर्माण का अनुमानित खर्च लगभग 600 करोड़ है। इस कैपस में शैक्षिक ब्लॉक, पुस्तकालय, सभागार, लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावास होने का प्रस्ताव है। इस कैपस के तैयार होने पर इसमें लगभग 3500 विद्यार्थी पढ़ सकेंगे।

**39- Jh idt iʃdʒ %** क्या **mi e[; eəh** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने गाँवों के साथ साझेदारी कर शहर के बाहरी इलाकों में 20 नए डिग्री कॉलेज खोलने का लक्ष्य रखा था;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि सरकार ने दिल्ली के प्रमुख विश्वविद्यालयों अम्बेडकर विश्वविद्यालय सहित सरकार के सभी कॉलेजों में मौजूदा सीटों की क्षमता दुगनी करने का लक्ष्य रखा था;

(ग) यदि हाँ, तो अब तक दिल्ली सरकार द्वारा उच्च शिक्षा हेतु खोले गये नए कॉलेजों/ शिक्षण संस्थानों का पूर्ण विवरण क्या है; और

(घ) सरकार की अगले दो वर्ष में कितने कॉलेज/शिक्षण संस्थान खोलने की योजना है?

**मिएः इह %** (क) सरकार ने गाँवों के साथ साझेदारी कर शहर के बाहरी इलाकों में 20 नए डिग्री कॉलेज खोलने का लक्ष्य नहीं रखा था अपितु वर्तमान सरकार ने कॉलेजों की कमी को देखते हुए दिल्ली में यथा संभव अधिक से अधिक कॉलेज खोलने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान सरकार की ओर से 20 कॉलेज खोलने की घोषणा की गई थी। दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय एकट की बाध्यताओं के चलते नए कॉलेज या तो दिल्ली विश्वविद्यालय के तहत खोले जा सकते हैं या प्रोफेशनल शिक्षा हेतु गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के तहत खोले जा सकते हैं। वर्तमान में सरकार ने विभिन्न शिक्षण संस्थानों का दायरा बढ़ाते हुए छात्रों की शिक्षा हेतु कई नए संस्थान/कैंपस स्थापित किये हैं।

(ख) दिल्ली सरकार का ऐसा कोई निर्णय नहीं है तथापि दिल्ली के प्रमुख विश्वविद्यालयों; अम्बेडकर विश्वविद्यालय सहित सरकार के विभिन्न कॉलेजों में मौजूदा सीटों की क्षमता बढ़ाई गई है।

(ग) अब तक इस दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली में निम्न नये संस्थान खोले गए हैं—

1. डा. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय का कर्मपुरा कैंपस
2. डा. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय का लोदी रोड़ कैंपस।

3. राजोकरी प्रौद्योगिकी संस्थान
4. 09 सरकारी पॉलिटेक्निक को उन्नयन कर प्रौद्योगिकी संस्थान बना दिया गया और इनमें B-Voc डिग्री प्रोग्राम भी खोले गए हैं।
5. दिल्ली फार्मास्युटिकल सांइसेज एण्ड रिसर्च विश्वविद्यालय, पुष्प विहार, नई दिल्ली
6. दिल्ली प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय का East Campus विवेक विहार, दिल्ली
7. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मंगोलपुरी
8. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (एन.एस.डी.पी. अंतर्गत महिला हेतु) नन्दनगढ़ी
9. गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित तीन स्ववित्तपोषित संस्थान खोले गए हैं :—
  - (1) नेशनल हार्ट इंस्टिट्यूट, ईस्ट ऑफ कैलाश, दिल्ली
  - (2) एक्शन फॉर ऑटिस्म, (Action For Autism National Centre For Austim India) जसोला विहार
  - (3) शिक्षा भवन लीलावती मुंशी कॉलेज, कस्तूरबा गाँधी मार्ग।

(घ) निम्नलिखित प्रस्ताव स्थापना के विभिन्न स्तर पर प्रगति में है जो अगले कुछ वर्षों में पूर्ण होंगे;

1. दिल्ली (गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय का पूर्वी कैंपस, सुरजमल विहार।
2. डा. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय का धीरपुर कैंपस। (लक्ष्य 2021–22)
3. डा. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय का रोहिणी कैम्पस। (लक्ष्य 2021–2021–22)
4. डी.टी.यू. ईस्ट कैम्पस मयूर विहार।
5. युनीवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंस जौनापुर।
6. वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर, जौनापुर।
7. टेक्निकल कैंपस, बक्करवाला।
8. इंटिग्रेटड कैंपस एट जी.बी. पंत इंजिनियरिंग कॉलेज।
9. 25 Wcsc- (वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर)
10. स्पोर्ट्स यूनीवर्सिटी।
11. नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकलोजी को उन्नयन कर नेजाजी सुभाष यूनीवर्सिटी ऑफ टेक्निकलोजी बनाया जायेगा।

**40- Jh vke i dkl'k 'kek% क्या mi eq; ea-h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या; यह सत्य है कि सरकार द्वारा स्किल मैन पावर उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर शुरू किये गये हैं।

- (ख) यदि हाँ, तो कितने और किन किन स्थानों पर;
- (ग) कितने बच्चों को इनमें यह सुविधा उपलब्ध करवाई गई; और
- (घ) इस स्कीम के माध्यम से कितने बच्चों को रोजगार मिला है?
- mi ed[; e=ḥ %** (क) और (ख) जी हाँ।

एक वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर आई.टी.आई. विवेक विहार कैंपस, विवेक विहार में शुरू किया गया है जौनापुर में 5000 की क्षमता का वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर के निर्माण हेतु कैबिनेट अपनी स्वीकृति दे चुकी है। साथ ही दिल्ली के विभिन्न भागों में 25 अन्य वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर खोलने का कार्य प्रगति पर है।

(ग) एवं (घ) इसमें वर्ष में दो बार प्रवेश की सुविधा उपलब्ध है और दाखिला प्राप्त बच्चों में से 963 बच्चे उर्त्तीण हो चुके हैं, और सभी को रोजगार मिल चुका है। 235 बच्चों की परीक्षा हो चुकी है एवं परिणाम आना बाकी है तथा 255 बच्चे अभी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

**41- Jh I keukFk Hkkjrḥ %** क्या **jkstxkj e=ḥ** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) दिल्ली में बेरोजगारी की वर्तमान स्थिति का विवरण क्या है?
- (ख) दिल्ली में कितनी कॉलेज, कैम्पस रिक्रूटमेंट प्रदान करते हैं?
- (ग) ऐसे कॉलेजों का पिछले तीन सालों का कॉलेजवार विवरण क्या है?

(घ) दिल्ली सरकार द्वारा रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

(ङ) ऐसे अवसरों के द्वारा दिल्ली में कितने लोगों को रोजगार मुहैया कराया गया है?

(च) डी.एस.एस.बी. द्वारा पिछले तीन सालों में कितने परीक्षायें आयोजित की गई हैं?

(छ) इसके द्वारा पिछले तीन सालों में कितनी सरकारी नौकरियां दी गई हैं?

**jkt xkj eah %** (क) वर्तमान में रोजगार निदेशालय में कुल 1485404 रोजगार इच्छुक अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। दिल्ली सरकार के नियोजन विभाग द्वारा प्रदत्त सूचनानुसार (15 वर्ष एवम उससे ऊपर के व्यक्तियों) वर्ष 2015–16 में बेरोजगारी की दर 33 प्रति हजार (जैसा कि लेबर ब्यूरो, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित बेरोजगारी रिपोर्ट में दर्ज) है।

(ख) उच्च शिक्षा दिल्ली सरकार द्वारा प्रदत्त सूचनानुसार 100 प्रतिशत वित् पोषित 12 कॉलेजों में से 8 कालेज, कैम्पस रिक्रूटमेंट प्रदान करते हैं। साथ ही प्रशिक्षण एवम तकनीकी निदेशालय/विभाग से प्राप्त सूचनानुसार दिल्ली के सभी टेक्निकल विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक द्वारा कैपस रिक्रुइटमेंट की ड्राइव चलाई जाती है।

(ग) उच्च शिक्षा विभाग दिल्ली सरकार से प्राप्त सुचनानुसार, पिछले तीन सालों में लगभग 1662 छात्रों को कैम्पस रिक्रूटमेंट प्रदान की गई हैं।

कॉलेजवार विवरण सूची 'क' सलंग्न है। साथ ही प्रशिक्षण एवम् तकनीकी निदेशालय से प्राप्त सूचना सूची 'ख' एवम् 'ग' में सलंग्न है।

(घ) रोजगार निदेशालय दिल्ली सरकार, अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु वर्ष 2015 से 'समय—समय पर रोजगार मेलों का आयोजन करता रहा है। इनमें निजी नियोक्ताओं ने कुल 78001 अभ्यर्थिओं का साक्षात्कार लिया तथा 30380 अभ्यर्थियों ने शॉर्टलिस्ट किया है। रोजगार मेले आयोजित करके, रोजगार निदेशालय 'एक स्थान पर नियोक्ताओं/संगठनों और अभ्यर्थियों के लिए एक मंच प्रदान करता है ताकि वे दोनों उपयुक्त मिलान पा सकें तथा अभ्यर्थी आवश्यक एक्सपोजर पा सके। इसके अतिरिक्त, अभ्यर्थियों और नियोक्ताओं दोनों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए, रिक्तियों के ऑनलाइन प्रकाशन के लिए और अभ्यर्थियों द्वारा उन रिक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के उद्देश्य से एक समर्पित जॉब फेयर पार्टल शुरू किया गया है।

(ङ) रोजगार निदेशालय द्वारा रोजगार मेलों का आयोजन एक विशेष प्रयास है ताकि अभ्यर्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने में सहायता प्रदान हो सके। वर्ष 2015 से हुए 07 मेलों में 78001 साक्षात्कार हुए तथा 30380 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट हुए।

(च) दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, से प्राप्त सूचनानुसार, सरकारी नौकरियों में नियुक्ति प्रयोक्ता विभाग/नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा की जाती है, हालांकि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा पिछले तीन वर्षों में संस्तुत उम्मीदवारों की संख्या निम्न प्रकार है—

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 368

19 मार्च, 2018

---

2015–16 8315

2016–17 5616

2017–18 4141

(दिनांक 09.03.2018 तक)

---

**Detail of Campus Recruitment in 100% Funded  
During the year 2015-16 to 2017-18**

SI. No.	Name pf college	Campus Recruitment	No. of Student selected During the year 2015-16 to 2017-18
1	2	3	4
1.	Acharya Narendra Dev College, Govind Puri, Kalkaji, New Delhi-19.	Yes	310
2.	Aditi Mahavidyalaya Delhi Auchandi Road, Bawana, Delhi-110039	Yes	50
3.	Bhagini Nivedita College, Kair, Near Najafqarh, N. Delhi-43.	No	-
4.	B.R.Ambedkar College, Main Wazirabad Road, Yamuna Vihar, Delhi-31.	Yes	144

---

1	2	3	4
5.	Bhaskaracharya College of Applied Sciences, Sector-2, Phase-I, Dwarka, New Delhi-45.	No	-
6.	Deen Dayal Upadyaya College, Shivaji Marg, Karampura New Delhi-15.	Yes	260
7.	Indira Gandhi Institute of Physical Education & Sports Sciences, B-Block, Vikaspuri, New Delhi-18	Yes	229
8.	Keshav Mahavidyalaya H-4-5 Zone, Pitampura; Delhi	Yes	56
9.	Maharaja Agrasen College Vasundharara Enclave, Delhi-110096	No	-
10.	Maharshi Valimiki College of Edn. Geeta Colony, Delhi-110031	No	-
11.	Shaheed Sukhdev College of Business Studies, Jhilmil Colony, Vivek Vihar, Delhi-95	Yes	437
12.	Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women, Vasundhara Enclave (Adjoining Chilla Sports Complex), New Delhi-96	Yes	176
<b>TOTAL</b>			<b>1662</b>

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 370

19 मार्च, 2018

ANEEXURE-1

अं.ता. 41 (क), (घ), (ड), यह शाखा से सम्बन्धित नहीं है।  
(च) और (छ)

अं.ता. 41 (ख) डी.टी.टी.इ. के अंतर्गत 10 तकनीकी संस्थान है।

अं.ता. 41 (ग)

क्रम संख्या	संस्थान का नाम	कैम्पस रिक्रूटमेंट का विवरण	2014–15	2015–16	2016–17
1	2	3	4	5	6
1.	कस्तूरबा तकनीकी संस्थान, पीतमपुरा		134	161	195
2.	गुरु नानक देव तकनीकी संस्थान, रोहिणी		171	100	183
3.	पूसा तकनीकी संस्थान, पूसा		148	146	237
4.	आई.आई.टी.डी., द्वारका		00	00	95
5.	रजोकरी तकनीकी संस्थान, रजोकरी	नया खोला गया है	00	00	00

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 371

28 फाल्गुन, 1939 (शक)

1	2	3	4	5	6
6.	अम्बेडकर तकनीकी संस्थान, सकरपुर		238	205	207
7.	बी.पी.बी.आई.एस. तकनीकी संस्थान,		89	80	100
8.	मीराबाई, तकनीकी संस्थान, महारानी बाग		289	268	282
9.	जी.बी. पंथ, तकनीकी संस्थान, ओखला		94	214	163
10.	आर्यभट्ट तकनीकी संस्थान, जी.टी. करनाल, रोड		75	123	126
			7238	7297	1588
संस्थान का नाम		2014–15	2015–16	2016–17	
डी.टी.यू.		1318	1207	1262	
एन.एस.आई.टी.		750	850	860	
डी.आई.पी.एस.ए.आर.		36	36	50	
सी.बी.पी.जी.ई.सी.		2	12	4	
जी.बी.पी.ई.सी.		109	63	62	
आई.आई.आई.टी.डी.		342	319	342	

संस्थान का नाम	2014–15	2015–16	2016–17
आई.डी.टी.यू.डब्लू.	396	391	324
ए.आई.ए.सी.टी.आर.	102	95	68
डी.आई.टी.ई.	83	126	241
कुल	3138	3099	3213

**42- Jh I keukFk Hkkjr h % क्या fof/k , oa U; k; यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

- (क) विधि विभाग द्वारा कौन—कौन से दस्तावेज, नियम व कायदे और सरकारी निर्णय वेट किये जाते हैं;
- (ख) 351 सङ्कों के नोटिफिकेशन की फाइल वेट करने के लिये विभाग को कब प्राप्त हुई;
- (ग) उपरोक्त फाइल को वेट करके कब वापिस भेजा गया पूर्ण ट्रेल दें;
- (घ) दिल्ली विधानसभा में गैर—सरकारी विधेयक लाने की प्रक्रिया क्या है;
- (ङ) दिल्ली विधानसभा में अब तक ऐसे कितने बिल लाये गए हैं; पूर्ण विवरण दें;
- (च) निचली अदालत में कार्यदक्षता लाने हेतु कौन—कौन से सुधार किये गए हैं; और

(छ) सरकारी द्वारा पब्लिक प्रोसिक्युटर आफिस को एम्पोवेर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

**f0f/k , oa U; k; ea=h %** (क) ट्रांजेक्शन आफ बिज़नेस, रूल्स जी. एन.सी.टी.डी. 1993 के नियम 43 व 44 के अनुसरण में विधि विभाग द्वारा केवल वैधानिक प्रकृति के नियम, उप-नियम आदेश, अधिसूचना, इत्यादि वेट की जाती है।

(ख) 351 सङ्कों के अधिसूचना से संबंधित फाईल विधि विभाग में 27.02.2018 को प्राप्त हुई तथा इस विभाग की टिप्पणियों के साथ 28.02.2018 को शहरी विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को भेज दी गई। पुनः यह फाईल 08.03.2018 को दोपहर बाद प्राप्त हुई तथा कुछ विधायी प्रश्नों के साथ उसी दिन शहरी विकास को वापिस भेज दी गई। यह फाईल शहरी विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को वापिस भेज दी गई। यह फाईल शहरी विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को वापिस भेज दी गई। यह फाईल शहरी विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से पुनः 15.03.2018 को इस विभाग में स्पष्टीकरण साहित प्राप्त हुई है तथा यह फाइनल 15.03.2018 को ही विधि विभाग द्वारा फाइनल डिस्पोजल के पश्चात् माननीय विधि विभाग मंत्री के कार्यालय द्वारा शहरी विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार को वापिस भेज दी गई है।

(ग) उपरोक्त।

(घ) ट्रांजेक्शन ऑफ बिज़नेस, रूल्स जी.एन.सी.टी.डी. 1993 के नियम 39 के अनुसार गैर सरकारी विधेयक लाने की प्रक्रिया इस प्रकार है :

(1) जब भी दिल्ली विधान सभा का कोई निजी सदस्य किसी बिल को पेश करने की इच्छा का नोटिस देता है तो सचिव (दिल्ली

विधान सभा) उस बिल की एक कॉपी तथा उद्देश्य एवं कारण, प्रतिनिहित विधान के बारे में नियम पत्र यदि कोई हो तो, को मुख्यमंत्री, विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग के इंचार्ज मंत्री एवं और जिस विभाग से वह प्रस्ताव संबंधित है को तुरंत भेजेगा।

(2) यह बिल विधि विभाग द्वारा प्रथम दृष्टया एक प्रस्ताव के रूप में देखा जाएगा जोकि उसके तकनीकी के पहलुओं जैसे कि राष्ट्रपति या उपराज्यपाल की पूर्व अनुमति की आवश्यकता और विधान सभा की इस बारे में कानून बनाने की सक्षमता पर विचार करेगा तथा इसके उपरांत इस प्रस्ताव को अपनी राय के साथ संबंधित विभाग को भेजेगा।

(3) यदि संबंधित बिल में राज्य के समेकितन निधि पर कोई व्यय पड़ता है तो संबंधित विभाग को इसे प्रसारित करने से पहले वित्त विभाग के परामर्श के आधार पर वित्तीय ज्ञापन तैयार करना होगा।

(ङ) विधानसभा सचिवालय राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली विधानसभा में 1993 से अब तक ऐसे 41 बिल लाए गए हैं। जिनकी सूची संलग्न है (संलग्नक ॐ)

(च) सूचना एकत्रित की जा रही है।

(घ) विधि विभाग राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा दो डाटा एंट्री आपरेटर स्टैंडिंग काउंसिल (सिविल/क्रिमिनल) के कार्यालय को

उपलब्ध कराए गए हैं। विधि विभाग, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा कम्प्यूटर, प्रिंटर, फोटो कोपियर, स्कैनर, स्टेशनरी एवं टेलिफोन, इंटरनेट एवं EPBAX इत्यादि कार्यालय उपकरण स्टैंडिंग काउंसिल (सिविल/क्रिमिनल) के कार्यालय को उपलब्ध कराए गए हैं। कोर्ट स्वतः Vs राज्य लिखित याचिका (क्रिमिनल) 1549/2009 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 06.08.2015 के आदेश के अनुसरण में एवं उपराज्यपाल द्वारा अनुमोदित दिल्ली मंत्री मंडल के निर्णय संख्या 2200 दिनांक 01.09.2015 के अनुपालन में लेपटॉप/कंप्यूटर, मानुपात्रा, ड्रैगन सॉफ्टवेयर एवं इंटरनेट की सुविधा स्टैंडिंग काउंसिल (सिविल/क्रिमिनल) एवं एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल, (सिविल/क्रिमिनल), दिल्ली उच्च न्यायालय के पैनल अधिवक्ता और पब्लिक प्रोसिक्युटर को विधि विभाग के ज्ञापन संख्या F. 11 (104)/Admn/LI&LA/15/1825-31 dated 07.04.2017, F. 11 (103)/Admn/LI&LA/15/1839-45 dated 07.04.2017, F. 11 (98)/Admn/Lj&LA/15/1846-53 dated 07.04.2017, एवं ज्ञापन संख्या F. 11 (71)CT/LI&LA/15/1832-38 dated 07.04.2017 के द्वारा प्रदान की गई है (संलग्न क से घ)।

गृह विभा राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार निचली अदालतों में दिल्ली सरकार के हर प्रोसिक्यूटर को लेपटॉप, इंटरनेट और मानुपात्रा सॉफ्टवेयर की सुविधा प्रदान की गई है।

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 376

19 मार्च, 2018

**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF  
DELHI DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND  
LEGISLATIVE AFFAIRS  
8TH LEVEL, C-WING, PLAYERS BUILDING,  
DELHI SECRETARIAT, I.P. ESTATE, NEW DELHI**

No. F.11(104)/Admn/LJ&LA/15/1825-31

Dated: 7-4-17

**OFFICE MEMORANDUM**

**Sub.: Sub.: Providing facilities of Laptop/Computer, Manupatra, Dragon software and Internet to the Standing Counsels (Civil/Criminal), Additional Standing Counsels (Civil/Criminal), Panel Advocates and APPs of Delhi High Court.**

The Hon'ble Lt. Governor of Delhi has accorded approval to the Cabinet Decision No. 2200 dated 01-09-2015 to provide Internet connectivity to the Standing Counsels (Civil/Criminal), Additional Standing Counsels (Civil/Criminal), Panel Advocates and APPs of GNCT of Delhi High Court in compliance of the order dated 06.08.2015 of the Hon'ble High court of Delhi in Writ Petition (Criminal) No. 1549/2009 titled as "Court on its own motion vs. State' on the following terms and conditions, as subsequently decided in the meeting chaired by the Chief Secretary, Government of NCT of Delhi and also attended by of the Principal Secretary (Finance), Secretary (Law, Justice & LA), Secretary (IT), Spl, Secretary (Finance) and Additional Secretary (Law, Justice & LA), namely:

Each Panel Advocate/APP will be entitled for reimbursement of Rs.1000/- (Rupees One Thousand only) per month towards internet charges from the date of issuance of this O.M. subject to submitting paid bill for the same.

Finance Department has concurred the proposal vide their UO No. 461/ DS-5 dated 28.03.2017.

**(Pawan Singh Rajawat)  
Addl. Secretary (Law, Justice & L.A.)**

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 377

28 फाल्गुन, 1939 (शक)

Mo. F.11(104)/Admn/LJ&LA/15/ 1825-1831

Dated: 7-4-17

Copy for information and necessary action to:-

1. Secretary to Hon'ble Minister (Law), GNCT of Delhi.
2. OSD to Chief Secretary, GNCT of Delhi.
3. PS to Pr. Secretary (Finance), Finance Deptt, GNCT of Delhi.
4. PS to Secretary (Law), GNCT of Delhi.
5. The Standing Counsels (Civil/Criminal), Additional Standing Counsels (Gvil/Criminal), Panel Advocates and APPs, Delhi High Court through O/o Standing Counsel, Delhi High Court,
6. Superintendent (Admn.) with the request to upload the same" on the Website of the Department.
7. Guard file

**(Pawan Singh Rajawat)  
Addl. Secretary (Law, Justice & L.A.)**

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 378

19 मार्च, 2018

**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF  
DELHI DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND  
LEGISLATIVE AFFAIRS  
8TH LEVEL, C-WING, PLAYERS BUILDING,  
DELHI SECRETARIAT, I.P. ESTATE, NEW DELHI**

No. F.11(103)/Admn/LJ&LA/15/1839-45

Dated: 7-4-17

**OFFICE MEMORANDUM**

**Sub.: Providing facilities of Laptop/Computer, Manupatra, Dragon software and Internet to the Standing Counsels (Civil/Criminal), Additional Standing Counsels (Civit/Criminal), Panel Advocates and APPs of Delhi High Court.**

In compliance of order dated 06.08.2015 in Writ Petition (Criminal) No. 1549/2009 titled as "Court on its own motion vs. State" passed by the Hon'ble High court of Delhi, Hon'ble Lt, Governor, NCT of Delhi has accorded his approval to the Cabinet decision No. 2200 dated 01.09.2015 to provide Dragon Software to the Standing Counsels(Civil/Criminal)/Additional Standing Counsels (Civil/Criminal)/Panel Advocates and APPs of Govt, of NCT of Delhi, High Court. The following terms and conditions, as subsequently decided in the meeting chaired by the Chief Secretary, Government of NCT of Delhi and also attended by of the Principal Secretary (Finance), Secretary (Law, Justice & LA), Secretary (I.T), Spl. Secretary (Finance) and Additional Secretary (Law, Justice & LA) will be applicable, namely:

1. Each Standing Counsels (Civil/Criminal), Additional Standing Counsels (Civil/Criminal), Panel Advocates and APPs will purchase the Dragon Software from M/s ICONS Infocom P. Ltd., Paharpur Business Centre, 21, Nehru Place Green, New Delhi-110019 who has agreed to provide the Dragon Naturally speaking speech recognition Legal 12.5 Software with Splcons-Indian-Legal Solution

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 379

28 फाल्गुन, 1939 (शक)

(5> Rs. 33,000/- (including all taxes) each vide their Ref.IIPL/DNSLEGA12.5/ND-DS-23.Q6.2016 dated 23.06.2016.

2. The department will reimburse the cost of the Software on production of Bill for the same.
3. The Softv/are will be installed only on the laptop/computer purchased from the funds of this Government.
4. The Standing Counsels (d/i/Criminal), Additional Standing Counsels (Civil/Criminal), Panel Advocates and APPs will have to give an undertaking in writing that the software shall be used primarily for safeguarding the interests of the Government of NCT of Delhi.

This issues with the concurrence of Finance Department vide UO No. 451/DS-5 dated 24.03.2017 and approval of the Chief Secretary, GNCT of Delhi.

(Pawan Singh Rajawat)  
Addl. Secretary (Law, Justice & LA.)

No. F.11(103)/Admn./LJ&LA/15/ 1839-1845

Dated: 7-4-17

Copy for information and necessary action to:-

1. Secretary to Hon'ble Minister (Law), GNCT of Delhi
2. OSD to Chief Secretary, GNCT of Delhi.
3. PS to Pr. Secretary (Fin.), Finance Deptt, GNCT of Delhi.
4. PS to Secretary (Law), GNCT of Delhi.

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 380

19 मार्च, 2018

5. The Standing Counsels (Civil/Criminal), Additional Standing Counsels (Civil/Criminal), Panel Advocates and APPs, Delhi High Court through O/o the Standing Counsel, Delhi High Court.
6. M/s ICONS Infocom P. Ltd., Paharpur Business Centre, 21, Nehru Place Green, New Delhi-11001.9 with the request to provide the Dragon Naturally speaking speech recognition Legal 12.5 Software with Splcons-Indian-Legal Solution to Panel Counsel of Delhi High Court on their requisition.
7. Superintendent (Admn.) with the request to upload the same on the Website of the Department.
8. Guard file.

(Pawan Singh Rajawat)  
Addl. Secretary (Law, Justice & L.A.)

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 381

28 फाल्गुन, 1939 (शक)

**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF  
DELHI DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND  
LEGISLATIVE AFFAIRS  
8TH LEVEL, C-WING, PLAYERS BUILDING,  
DELHI SECRETARIAT, I.P. ESTATE, NEW DELHI**

No. F.11(98)/Admn/LJ&LA/15/1846-53

Dated: 7-4-17

**OFFICE MEMORANDUM**

**Sub.: Providing facilities of Laptop/Computer, Manupatra, Dragon software and Internet to the Standing Counsels (Civil/Criminal), Additional Standing Counsels (Civil/Criminal), Panel Advocates and APPs of Delhi High Court.**

In compliance of order dated 06.08.2015 in Writ Petition (Criminal) No. 1549/2009 titled as "Court on its own motion vs. State" passed by Hon'ble High court of Delhi, the Hon'ble Lt. Governor, NCT of Delhi has accorded his approval to the Cabinet, decision No. 2200 dated 01.09.2015 to provide Manupatra Software to the Standing Counsels (Civil/Criminal), Additional Standing Counsels (Civil/Criminal), Panel Advocates and APPs of Govt, of NCT of Delhi, High Court. The following terms and conditions, as subsequently decided in the meeting chaired by the Chief Secretary, Government of NCT of Delhi and also attended by of the Principal Secretary (Finance), Secretary (Law, Justice & LA), Secretary (LT), Spl. Secretary (Finance) and Additional Secretary (Law, Justice & LA) will be applicable, namely:

1. The Law Department will procure the Manupatra Software License which will be installed on the Laptop/Computer purchased from the funds of this Government, cv, receiving the requisition for the same from the Panel Advocates/APPs of Delhi High Court.
2. The Counsel will have to give an undertaking in writing that the software shall be used primarily for safeguarding the interests of the Government of NCT of Delhi.

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 382

19 मार्च, 2018

This issues with the concurrence of Finance Department vide UO No. 480/DS-5 dated 31.03.2017 and approval of the Chief Secretary, GNCT of Delhi.

**(Pawan Singh Rajawat)  
Addl. Secretary (Law, Justice & L.A.)**

No. F.11(98)/Admn./LJ&LA/15/1846-53

Dated: 7-4-17

Copy for information and necessary action to:-

1. Secretary to Hon'ble Minister ( Law), GNCT of Delhi.
2. OSD to Chief Secretary, GNCT of Delhi.
3. PS to Pr. Secretary (Fin.), Finance Deptt, GNCT of Delhi
3. PS to Secretary (Law), GNCT of Delhi.
4. The Standing Counsels (Civil/Criminal), Additional Standing Counsels (Civil/Criminal), Panel Advocates and APPs, Delhi High Court through O/o the Standing Counsel, Delhi High Court.
5. M/s Manupatra Information Solutions Pvt. ltd, B-37, Sector-1, Noida, U.P.-201301 with reference to their letter dated 22/06/2016.
6. Superintendent (Admn.) with the request to upload the same on the Website of the Department.
7. Guard file.

**(Pawan Singh Rajawat)  
Addl. Secretary (Law, Justice & L.A.)**

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 383

28 फाल्गुन, 1939 (शक)

**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF  
DELHI DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND  
LEGISLATIVE AFFAIRS  
8TH LEVEL, C-WING, PLAYERS BUILDING,  
DELHI SECRETARIAT, I.P. ESTATE, NEW DELHI**

No. F.11(171)/Admn/LJ&LA/15/1832-38

Dated: 7-4-17

**OFFICE MEMORANDUM**

**Sub.: Providing facilities of Laptop/Computer, Manupatra, Dragon software and Internet to the Standing Counsels (Civil/Criminal), Additional Standing Counsels (Civil/Criminal), Panel Advocates and APPs of Delhi High Court.**

In compliance of order dated 06.08.2015 in Writ Petition (Criminal) No. 1549/2009 titled as "Court on its own motion vs. State" passed by Hon'ble High court of Delhi, the Hon'ble Lt. Governor, NCT of Delhi has accorded his approval to the Cabinet decision No. 2200 dated 01.09.2015 to provide Computer/Laptop to the Standing Counsels (Civil/Criminal), Additional Standing Counsels (Civil/Criminal), Panel Advocates and APPs of Govt, of NCT of Delhi, in Delhi High Court. The following terms and conditions, as subsequently decided in the meeting chaired by the Chief Secretary, Government of NCT of Delhi and also attended by of the Principal Secretary (Finance), Secretary (Law, Justice & LA), Secretary (I.T), Spl. Secretary (Finance) and Additional Secretary (Law, Justice & LA) will be applicable, namely:

1. The cost of Computer/Laptop has been restricted to maximum ceiling of Rs. 50000/- (Rupees Fifty Thousand only) once in every five years.
2. The Computer/Laptop will be purchased by the Panel Advocates/ APPs concerned and the department will reimburse the full amount subject to prescribed ceiling.

3. The Panel Advocates/APPs after having made the requisite purchase will furnish the bill alongwith MAC ID/No. to this department and on receipt of such bill, the department will reimburse the amount to the Advocate concerned directly.
4. In case the cost of Laptop/computer exceeds this prescribed ceiling, the extra cost will be borne by the concerned Panel Advocates/APPs.
5. In case the engagement of the Panel Advocates/APPs comes to an end before the period of five years from the date of purchase of Laptop/Computer, then he/she must return the equipment or its equivalent cost after deducting the depreciation applicable. In case the Counsel continues for the period of 5 years from the date of purchase of Laptop/Computer, then he/she may retain the equipment.
6. The rate of depreciation for Laptop/Computer will be calculated as under:

1st Year	25%
2nd Year	25%
3rd Year	20%
4th Year	20%
5th Year	10%
7. The Panel Advocates/APPs will have to give an undertaking in writing that these equipments shall be used primarily for safeguarding the interest of the Government of NCT of Delhi.

This issues with the concurrence of Finance Department vide U.O. No. 452/DS-5 dated 24.03.2017 and approval of the Chief Secretary, GNCT of Delhi.

(Pawan Singh Rajawat)  
Addl. Secretary (Law, Justice & L.A.)

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 385

28 फाल्गुन, 1939 (शक)

No. F.11(71)/CT/U&LA/15/1832-1838

Dated: 7-4-17

Copy for information and necessary action to:-

1. Secretary to Hon'ble Minister (Law), GNCT of Delhi.
2. OSD to Chief Secretary, GNCT of Delhi.
3. PS to Pr. Secretary (Finance), Finance Deptt, GNCT of Delhi.
4. PS to Secretary (Law), GNCT of Delhi.
5. All Panel Counsels, Delhi High Court through o/o Standing Counsel, Delhi High Court.
6. Superintendent (Admn.) with the request to upload the same on the Website of the Department.
7. Guard file '

**(Pawan Singh Rajawat)  
Addl. Secretary (Law, Justice & L.A.)**

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 386

19 मार्च, 2018

**Private Member's Bills Introduced**

Sl. No./ No.	Bill No./ Year	Title of the Bill	Department Concerned	Date of introduction	Date of Passing
1	2	3	4	5	6
1.	08/1994	The Girl Child (Compulsory Education Upbringing and Welfare ) Bill, 1994	Km. Purnima Shethi	08/04/1994	Not passed
2	09/1994	The Child Labour (Abolition Welfare and Rehabilitation)Bill, 1994	Km. Purnima Shethi	08/04/1994	Not Passed
3.	10/1994	The Delhi Lokayukta Bill, 1994	Sh. Jag Pravesh Chandra	08/04/1994	Not Passed
4.	09/1995	Delhi Agricultural Cattle Preservation (1st Amendment) Bill, 1995	Sh. Alok Kumar	29/12/1995	Not Passed
5.	10/1995	Indian Divorce (Amendment)Bill,1995	Sh. Alok Kumar	22/12/1995	Not Passed
6.	01/1996	"Delhi Women (Reservation in Service ) Bill, 1996"	Sh. Mukesh Sharma	--	Not Passed
7.	01/1997	The Delhi Adoption of Punjabi as the Second official Language Bill, 1997	Sh. Jag Pravesh Chandrir	10/01/1997	Not Passed
8.	01/1999	The Delhi Population Control Bill, 1999	Smt. Kiran Choudhary	09/04/1994	Not passed
9.	07/1999	The Delhi Compulsory Physical and Sports Education Bill, 1999	Sh. Mukesh Sharma	10/09/1999	Not Passed
10.	06/2000	The Delhi Environment Related Diseases ( Prevention and Control Bill,2000)	Dr. Harsh Vardhan	31/03/2000	Not Passed

11.	07/2000	The Delhi Unit Pricing Bill,2000	Smt. Kiran Chaudhary	31/03/2000	Not Passed
12.	08/2000	The Code of Criminal Procedure (Amendment)Bill, 2000	Ms. Anjali Rai,	07/04/2000	Not Passed
13.	09/2000	The Delhi Women Reservation Bill, 2000	Sh. Mukesh Sharma	31/03/2000	Not Passed
14.	01/2001	The Delhi Sales Tax (Amendment) Bill, 2001	Sh. Mukesh Sharma	—	Not Passed
15.	02/2001	The Delhi Parents Protection Bill, 2001	Sh. Arvinder Singh	—	Not Passed
16.	03/2001	The Delhi Reservation for other Backward Classes in Educational and Committee Bill, 2001	Sh. Mukesh Sharma	—	Not Passed
17.	04/2001	The Delhi Sikh Gurudwaras (Amendment) Bill, 2001	Sh. Arvinder Singh	28/09/2001	Not Passed
18.	05/2001	The Delhi Senior Citizen Honour Bill, 2001	Sh. Mukesh Sharma	28/09/2001	Not Passed
19.	14/2001	Court Fees (Amendment) Bill, 2001	Smt. Anjali Rai	—	Not Passed
20.	15/2001	The Indian Stamp (Delhi Amendment) Bill, 2001	Dr. Jagdish Mukhi	—	Not Passed
21.	16/2001	The Delhi Compulsory Registration of Private Security Agencies Bill, 2001	Sh. Mukesh Sharma	—	Not Passed
22.	17/2001	The Declaration of Assets by Govt. Servant Bill,2001	Sh.Arvinder Singh Lovely	—	Not Passed

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

388

19 मार्च, 2018

1	2	3	4	5	6
23.	23/2001	The Beautification Delhi Bill, 2001	Sh. Mukesh Sharma	—	Not Passed
24.	24/2001	The Delhi Lokayukta and Uplokyukta Second Amendment Bill, 2001	Sh. Mukesh Sharma	05/04/2002	Not Passed
25.	25/2001	The Delhi reservation for other Backward classes in Committees and Self Employment Schemes Bill, 2001	Sh. Mukesh Sharma	05/04/2002	Not Passed
26.	26/2001	The Guru Gobind Singh Indrapartha university(Amendment) Bill, 2001	Sh. Bheeshm Sharma	—	Not Passed
27.	27/2001	The water Board (Amendment) Bill, 2001	Sh. Arvinder Singh lovely	—	Not Passed
28.	28/2001	The Special Education Facilities (For Children of parents living Below poverty Line) Bill, 2001	Sh. Arvinder Singh lovely	—	Not Passed
29.	08/2002	The Delhi Land Reforms (Amendment) Bill, 2002	Sh. Nana Kishore Garg	—	Not Passed
30.	09/2002	The Prohibition of Extravagant Expenditure on Marriages Bill, 2002	Smt. Kiran Choudhry	19/7/2002	Not Passed
31.	10/2002	The Reservation for Domiciles of Delhi Bill, 2002	Sh. Bheesham Sharma	—	Not Passed
32.	05/2004	The Delhi Destitute Women Protection Bill,2004	Sh. Mukesh Sharma	23/07/2004	Not Passed

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 389 28 फाल्गुन, 1939 (शक)

33.	06/2004	The Delhi Compulsory Registration of Private Health Centre Bill,2004	Sh. Mukesh Sharma	23/07/2004	Not Passed
34.	07/2004	The Delhi Tax on Luxuries (Amendment) Bill, 2004	Sh. Mukesh Sharma	—	Not Passed
35.	08/2004	The Delhi Private Schools (Regulation) Bill, 2004	Sh. Tarvinder Singh Marwah	—	Not Passed
36.	01/2005	The Delhi Board for Homeless Children and Women Bill, 2005	Sh. Bheesham Sharma	01/04/2005	Not Passed
37.	06/2005	The Compulsory Insurance of Government Contract workers Bill, 2005 (Private Members Bill)	Sh. Bheesham Sharma	23/09/2005	Not Passed
38.	7/2005	The Electricity Reforms (Amendment) Bill, 2005 (Private Members Bill)	Sh. Mukesh Sharma	23/09/2005	Not Passed
39.	08/2005	The Delhi Co-operative Societies (Amendment) Bill, 2005	Sh. Mukesh Sharma	23/09/2005	Not Passed
40.	03/2006	The Delhi Right to Information (Amendment) Bill, 2006	Sh. Bheesham Sharma	17/03/2006	Not Passed
41.	08/2006	The Delhi Legislative Assembly Ex-Members Pension & other benefits Bill,2006	Sh. Sushil Choudhary	—	Not Passed

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 390

19 मार्च, 2018

**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI  
DIRECTORATE OF TRAINING & TECHNICAL EDUCATION  
MUNI MAYA RAM MARG, PITAMPURA, DELHI-110034  
(CO-ORDINATION BRANCH)**

No.F.3(43)/2018/US/Q. 43/CDN/TTE/259-260

Dated : 16-3-18

To,

The Deputy Secretary,  
Delhi Legislative Assembly,  
(Question Branch)  
Old Sectt, GNCT of Delhi.

Sub: **Vidhan Sabha Un-Starred Question No. 43.**

Sir,

Kindly refer to your letter No. F.11(B-1)VI/8/2015-20/VSS/Q. Branch/ 5339 dated 08.03.2018 on the subject mentioned above.

In this regard, I am directed to forward the reply of Vidhan Sabha Un-Starred Question No. 43 in r/o this Department, for further necessary action at your end.

Yours faithfully

End: As above.

**(Jitender)  
Administrative Officer (CDN)**

No.F.3(43)/2018/US/Q. 43/CDN/TTE/259-260

Dated : 16-3-18

Copy:-

1. The Director (DIP), Govt, of NCT of Delhi, Old Sectt., Delhi-54 along-with 150 copies of reply to the above question for further necessary action.

**(Jitender)  
Administrative Officer (CDN)**

**43- Jh jke plnz % क्या mi eq; ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से शाहबाद डेयरी में उच्च शिक्षा के लिए कोई कॉलेज या किसी भी प्रकार की तकनीकी शिक्षा (आई.टी.आई.) प्राप्त करने के लिए कोई भी संस्थान नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की इस क्षेत्र की जे.जे. कालोनियों के बच्चों के लिए कोई आई.टी.आई. खोलने की योजना है;

(ग) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं?

**mi eq; ea=h %** (क) कॉलेज या आई.टी.आई. खोलने का प्रावधान सिर्फ जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से नहीं होता, किंतु भूमि की उपलब्धता भी एक मुख्य मापदंड है। शाहबाद डेयरी में उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी स्थित है। इस क्षेत्र के नजदीक तीन आई.टी.आई.—जहाँगीरपुरी, नरेला एवं मंगोलपुरी भी स्थित हैं।

(ख) प्रहलादपुर बांगर में आई.टी.आई. के लिए जमीन हेतु पंचायत विभाग को दिनांक—31.07.2017 को पत्र लिखा गया है जो संलग्नक—1 पर है।

(ग) उपरोक्त

(घ) लागू नहीं।

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 392

19 मार्च, 2018

**GOVERNMENT OF NCT OF DELHI  
DEPARTMENT OF TRAINING & TECHNICAL EDUCATION  
MUNI MAYA RAM MARG, PITAMPURA-DELHI  
(PLANNING BRANCH)**

Tel. No. 27310308 (O) : e-mail :- idtte.delhi@gov.in

No. F. 75(180)/ADPL/New Instt. Prahladpur/  
2017-18/594-87

Dated 31/7/17

To

The Director (Panchayat)  
Revenue Department,  
Govt. of NCT of Delhi,  
5, Sham Nath Marg,  
Delhi-110054.

**Sub :- Opening of New institution of Prahladpur Bangar VII, Bawana**

Sir,

With reference to the subject cited above, a meeting was held in the office of the Hon'ble Dy. C.M. on 26.07.2017 at 3.00 PM. wherein representatives of RWA Prahladpur and SDM concerned were present. The concerned representative has submitted the supporting documents of Gram Sabha and having Kh. No. 5 & 6 are vacant land (copy enclosed) & it was decided that Department of Training & Technical Education to submit a request for allotment of land.

It is therefore, requested to allot the above said land to Department of Training & Technical Education for opening of a Technical Institution for opening of a Technical Institution in Prahladpur vill. Bawana.

Encl. :- As above

Yours Faithfully,

(O.P. Shukla)  
Jt. Director (Plg.)

Copy to :-

1. The SDM (Narela), District-North, MPCC Building, Naya Bans, Delhi-110082.
2. PS to Divisional Commissioner, Revenue Deptt. GNCTD, 5, Sham nath Marg, Delhi.
3. PA to District Magistrate, District-North, Room No. 1, D.M. Office, Complex, Alipur, Delhi-110036

(O.P. Shukla)  
Jt. Director (Plg.)

44- Jh vf[kski fr f=ikBh % क्या mi eq[; ea=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग में कुल कितने अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ख) सतर्कता निदेशालय ने विगत 15 वर्षों में सचिव स्तरीय, प्रमुख स्तरीय अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कितने मामले दर्ज किये; और

(ग) कितने अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई व कितने अधिकारियों को मेजर पेनल्टी और कितने अधिकारियों को माइनर पेनल्टी दी गई?

mi eq[; ea=h % (क) दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग में कुल 21 अधिकारी व 51 कर्मचारी कार्यरत हैं।

(ख) 02

(ग) सचिव स्तरीय, प्रमुख स्तरीय अधिकारियों के अनुशासनात्मक मामले गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। अतः दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय के द्वारा किसी भी ऐसे अधिकारी का मेजर अथवा माइनर पेनलटी नहीं दी गयी है।

**fo'ksk mYy[ k ॥u; e 280%**

Jh ftr॥n fl g rkej % सर, चलिए, ठीक है।

v/; {k egkn; % ओ.पी. शर्मा जी अनुपस्थित, विजेन्द्र गुप्ता जी।

Jh fot॥n x||rk % अध्यक्ष जी।

...(व्यवधान)

v/; {k egkn; % अरे भई, ये 280। इसके बाद 280 के बाद आप खड़े होना। भई, ये तो बात, ऐसे तो सदन चलाना मुश्किल है। बैठिए, बैठिए। प्लीज, बैठिए।

Jh I j॥n fl g % 17 एकड़ जमीन को वहाँ पे आर्मी कब्जा कर रही है और पीडल्यूडी के अधिकारी मिले हुए हैं और गांव के लोग इस जमीन पे कब्जा करने लग रहे हैं और डीसी उसका डीमार्केशन नहीं कर रहा है।

v/; {k egkn; % दो मिनट, बैठिए प्लीज, दो मिनट बैठिए। दो मिनट बैठिए प्लीज। दो मिनट बैठिए प्लीज। देखिए, मैं माननीय सदस्यों, भई सोमनाथ जी, ऐसे नहीं।

मैं माननीय सदस्यों को जानकारी दे रहा हूँ आज 280 में कुल 11 नोटिस लग हुए थे अब ये देख लीजिए एक बार, नहीं, ऐसे नहीं कमांडो

जी। 280 में आज 11 लगे हुए थे। कुल 10 हमको लॉटरी निकालनी होती है इतने सदस्यों में से कुल 11 नोटिस आए थे, हमको सजग रहना पड़ेगा। ये लॉटरी निकलती है, लॉट ऑफ ड्रॉ होता है। इसमें किसी का कुछ नहीं अधिकार रहता। अगर 40 सदस्य आएंगे, 40 नोटिस आएंगे, 280 में, उनमें से लॉटरी निकलेगी।

**Jh | jbhnz fI g %** 70 विधायक हैं। इतनी बार 70 चल के आए क्या? 280 में हमारा क्वैश्चन नहीं आ रहा या तो सभी विधायकों का लो। 10 का आज होगा, 10 का कल होगा, 10 का परसों होगा।

...(व्यवधान)

**v;/ {k egkm;** % चलिए, मैं अभी करता हूँ अभी करता हूँ। आप बैठिए। अच्छा कमांडो जी, बैठिए। मैं अभी कर रहा हूँ। भई, ऐसे तो नहीं, विशेष रवि जी, ये सदन नहीं चल सकता। मैं छोड़ देता हूँ। नहीं मैं कोई अलाउ नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी अभी बात कर रहा हूँ। बैठिए, प्लीज बैठ जाइए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। भई सोमनाथ जी मैं आग्रह कर रहा हूँ। ये समय बर्बाद हो रहा है। ये मैं चाह रहा हूँ। ये बारहवें नम्बर पे ले लूँ। आप लोग नहीं लेने दे रहे हैं। बैठिए, आप बैठिए प्लीज। बैठिए, चलिए, मैं विचार करूँगा इस पर। भई, अभी कहा ना मैंने, मैं कमांडो जी, ये ले लूँ एक बार कम से, मैं आपको समय दे दूँगा। 280 में दे दूँगा। ऐसा है मेरी बात सुन लीजिए अजेश जी हमारे सदस्य अगर 11 ही लगाएंगे और जिनके 11 के 11 लगे वो नाम आ गए। अगर 9 ही लगेंगे नहीं आप बैठ जाइए। नहीं आप बैठ जाइए आप प्लीज। ऐसा नहीं चलेगा। विजेन्द्र गुप्ता जी। हम अपना ध्यान देते नहीं हैं। नहीं बैठिए। विशेष रवि जी वो मामला दूसरा

है वो स्टार क्वैश्चन का। ये अब मैं 280 ले रहा हूँ। हॉ बैठिए मैंने सुन ली आपकी बात। विजेन्द्र गुप्ता जी जल्दी पढ़िए फटाफट। प्लीज।

**Jh fotuñ xirk %** अध्यक्ष जी दिल्ली सरकार ने महिला एवं बाल कल्याण मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि यौन उत्पीड़न और हिंसा की शिकार महिलाओं की सहायता के लिए निर्भया फण्ड के अन्तर्गत अभी तक वन स्टॉप सैन्टर स्थापित नहीं किए जा रहे हैं। सरकार ने 2013 में स्थापित निर्भया फण्ड की उपलब्धता के बावजूद भी महिला सुरक्षा के लिए इस फण्ड के माध्यम से कोई ठोस योजना तैयार नहीं करी है। दिल्ली सरकार कुछ एक अस्पतालों में वन स्टॉप सैन्टर होने का दावा कर रही है परन्तु ये सैन्टर वास्तव में कहाँ काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, ये किसी को जानकारी नहीं है। इनके बारे में अस्पताल तक में कोई नहीं जानता है, जो मुझे जानकारी मिली है। इनमें स्टाफ उपलब्ध नहीं है। ये मनोवैज्ञानिक परामर्श कानूनी सहायता तथा रथाई आश्रय देने में असमर्थ हैं। इसमें वीडियो कॉन्फेन्सिंग की सुविधा नहीं है कि इन सेन्टरों के माध्यम से पुलिस या कोर्ट में बयान दर्ज करवाया जा सके।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से ये वन स्टॉप सैन्टर अभिन्न अंग है जो केन्द्र सरकार की एक योजना है। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि वन स्टॉप सैन्टर स्थापित करने के लिए सरकार गंभीर प्रयास करे। क्योंकि इन वन स्टॉप सैन्टर्स की कमी के कारण दिल्ली के अन्दर महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाएं सामने आ रही हैं और चूंकि सरकार दिल्ली सरकार की निष्क्रियता के कारण और सरकार ने जो महिलाओं की सुरक्षा प्रदान करने का पिछले वर्ष बजट सत्र में भी वायदा किया था, उस पर कोई काम नहीं

हो रहा है, इस पर चिंता व्यक्त करते हुए, मैं सदन का ध्यानाकर्षित करूँगा कि वन स्टॉप सैन्टर्स को स्थापित करने की योजना विस्तृत योजना है, साथ ही मंत्री जी सदन में सदन को विश्वास में लें।

**v/; {k egkn; %** श्री महेन्द्र गोयल जी।

**Jh egknz xks y %** धन्यवाद अध्यक्ष जी, कि आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान दिलवाना चाहूँगा कि जो प्राइवेट हॉस्पिटलों को रियायती दर पर जमीन दी जाती है। उसके अन्दर 25 परसेंट कोटा ईडब्ल्यूएस के तहत गरीब व्यक्तियों के इलाज के लिए दिया जाता है। लेकिन बहुत से हॉस्पिटलों के अन्दर मैंने देखा है कि ईडब्ल्यूएस के बेड बिल्कुल से अलग कर दिए गए हैं जबकि हक ये बनता है, यदि सेमी प्राइवेट के अन्दर उनके जितने बेड हैं, तो सेमी प्राइवेट के अन्दर ईडब्ल्यूएस के तहत उतने होने चाहिए। प्राइवेट वार्ड है, तो प्राइवेट वार्ड के अन्दर जितने उनके बेड हैं, तो 25 परसेंट का कोटा उन व्यक्तियों के हिसाब से मिलना चाहिए। ये कैटेगरी के हिसाब से तो मिलना चाहिए न कि एक तरफ से आपने ईडब्ल्यूएस के मरीजों को वो बेड दे दिए और उनके साथ जैसा व्यवहार होता है, वो देखने में आता है। उनको बिल्कुल इस प्रकार से ट्रीट किया जाता है जैसे वो आर्थिक दशा से कमजोर हैं, उसी हिसाब से उनका इलाज भी उन हॉस्पिटलों के अन्दर हो रहा है। जब एक व्यवस्था है जैसे कि बच्चों को ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत स्कूलों के अन्दर जब एडमिशन करवाते हैं। तो सिर्फ एडमिशन तक ये पता होता है कि इस बच्चे को हमें एडमिशन देना है, उसके बाद की कोई प्रक्रिया नहीं होती कि उस बच्चे के बारे में पता हो कि क्लास के अंदर ये कहाँ

पर बैठेगा, कहाँ पर नहीं। तो आपके माध्यम से मैं स्वास्थ्य मंत्री साहब से यदि हो सके तो आज ही जवाब मिल जायेगा तो इस बारे में बहुत अच्छा रहेगा ताकि सभी भी अवगत हो जायें और बहुत सही लैब हैं जिनके अंदर बहुत डिफरेंस हैं रेट्स का, टेस्ट के नाम पे। मेरे सामने ये दो केस हैं; एक लाल लैब का है, एक नॉर्थ लैब का है, जिसके अंदर दो गुना से भी ज्यादा टेस्टों का फर्क है। एक सेम टेस्ट, क्यों न इसके ऊपर अंकुश लगाया जाये? लाल लैब भी कोई कम नहीं है किसी बात के अंदर और दूसरी लैब भी बनी है, वो उसी मुकाबले की है। लेकिन रेट के अंदर एक ब्लड का टेस्ट चार सौ कुछ रुपये का है और एक के अंदर एक हजार कुछ रुपये का है। तो इसके ऊपर ये अंकुश लगना चाहिए और यदि हो सके तो स्वास्थ्य मंत्री साहब यहाँ पर बैठे हैं, इस बात के बारे में जवाब दे देंगे ताकि इस सदन के साथी भी अवगत हो जायें। धन्यवाद।

**v/; {k egkn; %** श्री बग्गा जी।

**Jh egkn xks y%** मंत्री जी से यदि हो सके तो दे सकते हैं वो, दे सकते हैं सर। सर दे सकते हैं जवाब।

**v/; {k egkn; %** ये परम्परा डल जाएगी तो ये 280 पूरा ही नहीं हो पायेगा।

**LokLF; eah ½Jh I R; knz t½%** मैं एक ही चीज बताना चाहूँगा। पहली बात तो 25 परसेंट बैड नहीं होते हैं, 10 परसेंट बैड होते हैं। 25 परसेंट ओपीडी, 10 परसेंट बैड हैं और इसका मैं चैक करा लेता हूँ। जो इन्होंने बताया कि प्राईवेट रूम होने से मेरी नॉलेज से प्राईवेट रूम नहीं होते हैं। 25 परसेंट और 10 परसेंट बैड होते हैं, वो मैं चैक करके आपको बता दूँगा।

**Jh , I -ds ckxk%** अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 280 के अंतर्गत बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान कष्णानगर विधान सभा में सोशल वेल्फेयर आफिस की तरफ दिलाना चाहता हूँ। इस आफिस में बुजुर्गों, विद्यार्थियों व हैंडिकैप्ड पेन्शन वालों को इतना तंग किया जा रहा है, इससे पेन्शनदारी बहुत परेशान हैं। न पेन्शन आ रही है पूरी कई कई महीनों से तथा बढ़कर भी नहीं आ रही है। लोग दफ्तर का चक्कर लगाकर मेरे पास आते हैं लेकिन वहाँ के हैंड आफ डिपाटमेंट, डिप्टी डायरेक्टर भी कार्य नहीं करती तथा लोगों को परेशान कर रही हैं तथा लोगों से गलत व्यवहार करती हैं, इससे लोग काफी परेशान हैं। यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट आफिसर मैडम सीमा बाबा हैं, जो बुजुर्गों की पेन्शन देखती हैं, उसकी लोगों से काफी शिकायतें आ रही हैं। लोगों से बदतमीजी करती हैं तथा काम नहीं करती।

अध्यक्ष महोदय, आपसे प्रार्थना है कि इस सोशल वेल्फेयर दफ्तर में सुधार किया जाये तथा सीमा बाबा को यहाँ से कहीं और ट्रांसफर किया जाये, आपकी अति कष्णा होगी। धन्यवाद।

**v/; {k egkn; %** सिरसा जी अनुपस्थित। जगदीश प्रधान।

**Jh txnh'k izkku%** धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से दिल्ली सरकार का ध्यान सीलिंग की तरफ दिलाना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एक ओर तो दिल्ली सरकार दिल्ली में चल रही सीलिंग के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रही है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार के एडीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली के निर्देश पर उपायुक्त, एमसीडी उत्तरी शाहदरा को आदेश करते

हैं कि अनऑथोराइज कॉलोनियों में जो बैंकवेट हॉल चल रहे हैं, उन सबको सील किया जाये।

मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ दिल्ली सरकार से कि जिस विधान सभा में चार से पाँच लाख की आबादी हो और दिल्ली सरकार या एमसीडी का वहाँ एक भी बारात घर न हो तो क्या पाँच लाख लोग अपनी बेटियों की शादियाँ अपने बच्चों का जन्म दिन कहाँ जाकर मनायें?

*v/; {k egkn; % बोलिये, मैं सुन रहा हूँ।*

**Jh txnh'k izku%** मेरा आपसे अनुरोध है कि जब हम वहाँ पर दिल्ली सरकार या केन्द्र सरकार के थू सीवर लाईन का काम चालू है। 895 कॉलोनियों को 2006 में प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल चुके हैं, जिसको पास करने की बात कही गयी थी, उस पर आज तक कुछ भी नहीं हुआ और उन कॉलोनियों को नियमित किये जाने की ओर सरकार की क्या नीति है? मेरी सरकार से प्रार्थना है कि दिल्ली में गरीब जनता को राहत देते हुए दिसम्बर, 2017 तक दिल्ली में बने अनधिकृत निर्माणों को न तोड़ा जाये। सरकार अपने उस वायदे को भी पूरा करें, जिसमें उसने कहा था कि सत्ता के आने के एक वर्ष के भीतर सभी अनाधिकष्ट कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक दिया जायेगा। सभी कॉलोनियों की रजिस्टर्ड रजिस्ट्री कराकर उनमें सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी। सरकार के तीन वर्ष पूरा होने के बाद एक भी अनधिकष्ट कॉलोनी को नियमित न करके दिल्ली सरकार ने पचास लाख लोगों के साथ धोखा किया है। मार्च और जून, 2013 में सैंट्रल गर्वनमेंट ने दो अधिसूचना जारी करके केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को सभी अनाधिकष्ट कॉलोनियों को नियमित करने का

अधिकार दिया था। दिल्ली सरकार को सभी अनाधिकष्ट कॉलोनियों की बाउंड्री वॉल तय करना था तथा नक्शा बनाकर रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सौंपनी थी। अभी तक ये है, रिपोर्ट केन्द्र सरकार को दिल्ली सरकार ने नहीं सौंपी है। उल्टे अब केन्द्र सरकार पर ही ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि दिल्ली सरकार अपनी राजनीति खेल कर जनता को गुमराह कर रही है। जब तक दिल्ली सरकार बाउंड्री रिपोर्ट और अनाधिकष्ट कॉलोनियों की एरियल सर्वे रिपोर्ट केन्द्र सरकार को नहीं सौंपेंगी, तब तक इन कॉलोनियों को नियमित नहीं किया जा सकता। अतः यह बात अच्छी तरह जानते हुए भी सरकार पचास लाख अनाधिकष्ट कॉलानी निवासियों को धोखा दे रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार को निर्देश दें कि इसके खिलाफ जल्द से जल्द कदम उठायें और सर्व सामान्यकृ. इतनी मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो अनअॉथोराइज कॉलोनी, जहाँ बारात घर नहीं है, जब वहाँ मकान बनाकर रह रहे हैं, स्कूल भी वहाँ सरकारी नहीं हैं और कहीं किसी विधान सभा में एक आध बारात घर दिल्ली सरकार का, एमसीडी का भी है, तो जहाँ लाखों की आबादी हो, वहाँ एक बारात घर से काम नहीं चल सकता। अब लोग वहाँ गर्मियों में शादी करेंगे, वहाँ जाम लगेगा उससे समस्या पैदा होंगी तो मैं निवेदन करता हूँ आपके माध्यम से कि आप संबंधित डिपार्टमेंट को आदेश दें कि इस तरह जब ये कॉलोनी पास न हो जाये, इसका भी निर्णय न हो जाये, तब तक वहाँ बारात घरों को सील न किया जाये। धन्यवाद।

v/; {k egkn; % अखिलेशपति त्रिपाठी जी।

**Jh vf[ky'ski fr f=i kBh% धन्यवाद अध्यक्ष जी। 280 में मेरी विधान सभा का मुद्रा उठाने का मौका दिया।**

ये पूरी मेरी विधान सभा का ही नहीं, पूरे दिल्ली का लगभग तकरीबन मुद्रा होता जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग में दो-दो साल हो गये विधवा पेंशन के लिए आवेदन दिये गये हैं, विधवा पुत्रियों, विधवा जो महिला हैं, उनकी बच्चियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता सरकार देती है, उसके लिए आवेदन दिये गये हैं, अनाथ बच्चे हैं, जिसके माता-पिता दोनों नहीं हैं, वो लोग एप्लाई करते हैं कि उनकी शादी के लिए उनको सहायता राशि सरकार देती है। लेकिन दो-दो साल से ऐसे मामले लंबित हैं, जिन पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया महिला एवं बाल विकास विभाग ने। ये बहुत गंभीर मुद्रा है और अब जब इनसे सख्ती की गयी कि भई, आप दो-दो साल से ऐसे मुद्रे आपके ऑफिस में पड़े हुए हैं, यहाँ सेवा कुटीर में हमारे यहाँ ऑफिस है तो आप इस पर क्यों कार्यवाही नहीं कर रहे हैं? या तो आप बताइये इस पर पास क्यों नहीं कर रहे हैं? सारे डॉक्यूमेंट होने के बावजूद अब अपने आप को बचाने के लिए उन फार्मों को कैंसिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। ये बहुतकृ. हाँ, कैंसिल करने के सारे डॉक्यूमेंट हैं उनके पास।

**Jh fo'ksh jfo% कमियों निकाल के।**

**Jh vf[ky'ski fr f=i kBh% कमियों निकाल ही नहीं सकते। कमियों क्या निकाल रहे हैं कि ये चीज साफ नहीं है फोटो, अच्छा ये फोटोकॉपी सही तरीके से दिख नहीं रही है। अब दो साल से रखी हुई है तो फोटोकॉपी वो वैसे ही धीरे धीरे उड़ती जाती है, जिसमें आवेदक का कोई दोष नहीं**

है और ये ऐसे लोग हैं अध्यक्ष महोदय, जिन पर पहले ही प्रकृष्टि का एक बहुत बड़ा मार पड़ा हुआ है। उनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है या वो बच्चियाँ, जिनकी शादी के लिए दो साल पहले कर्जा ले लिया किसी मौं ने और वो सोचा कि सरकार सहायता करेगी और वो उस कर्जे को हम निपटा देंगे। आज वो ब्याज के तले दबते जा रहे हैं तो बहुत गंभीर मुद्दा है। जब बार बार उनको सूचित किया हमने कि इस पर जल्दी से जल्दी उनको निपटा करके उनको पैसे दिये जायें। फार्म कैंसिल किये जा रहे हैं और जो लोग फार्म अभी जमा करने जा रहे हैं, उनके प्रति उनका रवैया बहुत बदल चुका है। उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है आये दिन और उनके फार्म फाड़ दिये जाते हैं, धक्कामुक्की की जाती है उनके साथ। कई मामले में उन लोगों ने शिकायत भी दी है। कई अपने डिपार्टमेन्ट में जिनके साथ धक्का—मुक्की की गयी है। वो भी मैं सदन के सामने अगर आप अनुमति देंगे तो प्रस्तुत करूँगा लेकिन इस पर शीघ्रातिशीघ्र कार्रवाई की जाए और जो वहाँ के जिला अधिकारी है, महिला एवं बाल विकास की, उनकी जवाबदेही तय की जाए कि क्यों ऐसी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और उन महिलाओं के साथ जो पहले से ही बहुत पिछड़ी हुई हैं, उनके ऊपर प्रकृष्टि की मार पड़ी हुई है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्री इस पर संज्ञान लें। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से और जितने भी दिल्ली में ऐसे मामले हैं, विधवा पेन्शन से सम्बन्धित जो रुके हुए हैं, उसका शीघ्र निष्पादन किया जाए। विधवा महिलाओं के, जो विधवा औरतें हैं, उनकी लड़कियों का जो मामला है, जिसमें बहुत जरूरी है अध्यक्ष जी, कि अगर वो जो कि नियम है, दो महीना पहले और दो महीना बाद तक दे दिये जाने चाहिए, अगर वो नहीं दिये गये तो क्यों नहीं दिये गये और जो नहीं

दिये गये, उन पर जो अधिकारियों ने लापरवाही की है, क्या जिम्मेदारी है, उन पर संज्ञान लें।

**v;/ {k egkn;** % अखिलेश जी जो आपने लिखके दिया है, वो पूरा हो गया है।

**Jh vf[ky'ski fr f=i kBh** % अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से महिला एवं बाल विकास मंत्री जी और अगर आप अनुमति दें तो चर्चा भी करायें सदन में। बहुत धन्यवाद।

**v;/ {k egkn;** % आपने जो इसमें लिखा है। दो साल पहले जमा किये गये फार्म, वो जिनकी पेन्शन नहीं आयी है, नहीं मिली है किसी भी कारणवश। उनकी एक बार सूची मुझे दीजिए। उसके नम्बर के साथ बस इतना ही पर्याप्त है। नहीं, अब नहीं। मुझे दे दीजिएगा। सौरभ भारद्वाज जी।

**Jh egknz xks y** % यहाँ पर दुकानें सील हो रही हैं। इस समय तो श्मशान घाट को भी नहीं छोड़ा जा रहा है।

**v;/ {k egkn;** % ये विषय महेन्द्र जी, रामचन्द्र जी ने मुझे दिया था। मैं एलाउ कर रहा हूँ बाद में। दो मिनट बैठिए। मैं कर रहा हूँ। ये सूची ले लूँ बस। प्लीज। सौरभ भारद्वाज जी। मैं अभी ले रहा हूँ। दो मिनट तो रुकिए महेन्द्र जी। महेन्द्र जी, अभी रामचन्द्र जी ने ये विषय मुझे दिया था सदन पटल में। मेरे कमरे में आये थे। मैं अभी आपको एलाउक अरे भई, एक बार ये पूरा कर लूँ। फिर ये ले रहा हूँ। आपका भी ले रहा हूँ कमान्डो जी का भी ले रहा हूँ। दो मिनट बैठिए प्लीज। सौरभ भारद्वाज जी संक्षेप में।

**Jh | KgHk Hkkj }kt %** मैं इस विधान सभा के अन्दर एक बहुत ही जरूरी विषय को लेकर आया हूँ और वो इस विधान सभा के अन्दर कमेटीज का विषय है। विधान सभा के अन्दर जो कमेटीज हैं। जैसे लोक सभा के अन्दर कमेटी होती है और बाकी अलग—अलग विधान सभाओं के अन्दर कमेटियां होती हैं। उनको उतने अधिकार और हक दिये जाते हैं जितने किसी विधान सभा को या उस हाउस को दिये जाते हैं। और ये माना जाता है क्योंकि विधान सभाएं पूरे साल नहीं लग सकतीं। इसलिए विधान सभाओं का काम, जब वो ना लगें, उस वक्त कमेटीज करें और कमेटीज को मिनी हाउस कहा जाता है। जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का भी मूल आधार ये होता है कि जो सदन का विधायक होता है, वो सरकार का हिस्सा नहीं है और इस सदन में और इस सदन में बैठने वाले विधायकों के प्रति ये जो सरकार है, जो एकजीक्यूटिव है ये जवाबदेह होती है, एकाउन्टेबल होती है। इस सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री और इस सरकार के अधिकारियों की जवाबदेही है, इस सदन के प्रति। इस सदन में बैठे हुए एक—एक विधायक के प्रति। क्योंकि हमको पाँच साल में चुनाव लड़ना है। हमको जनता को जवाब देना है। रोज गलियों में, मोहल्लों में जाके उनकी समस्याओं का हमको जवाब देना है। हमारी जवाबदेही सीधा है, जनता के प्रति है। मगर ये जो सरकार है, ये जो सेकेट्रिएट में बैठती है, उसकी जवाबदेही इस हाउस के प्रति है। ये जो अफसर हैं जिनको लाखों रुपये की तनख्वाह मिलती है। जो बड़े—बड़े क्लब के अन्दर रात को लुत्फ उठाते हैं, जिनको ब्यूरोकैसी कहा जाता है, उसकी जवाबदेही है इस सदन के प्रति। इस सदन की कमेटियों के द्वारा अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाती है। चाहे वो पीडब्लूडी के अन्दर नालों का मामला हो कि हर साल क्यों मानसून के अन्दर करोड़ों

रुपये नालों की सफाई को खर्चने के बाद भी दिल्ली में बाढ़ आती है। चाहे वो डेंगू का मामला हो, चाहे वो दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले बैंकों का मामला हो जिसके अन्दर करोड़ों रुपये अपने रिश्तेदारों को लोन के नाम पर बांट दिये और एनपीए 57 परसेन्ट तक पहुँच गये। चाहे वो दिल्ली वक्फ बोर्ड की जमीन का मामला हो, जिसके अन्दर वक्फ बोर्ड के अधिकारियों के साथ मिलकर ही वक्फ बोर्ड की जमीनें बेंच दी गयीं। उनके ऊपर कार्रवाई का मामला हो। कुल मिलाकर ये जो जवाबदेही है, चाहे वो अस्पतालों के अन्दर ईडब्ल्यूएस के पेशेन्ट्स की जवाबदेही हो, कि क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल्स जिनको सरकार में मुफ्त में जमीन दी है, वो गरीब पेशेन्ट्स को नहीं देखते हैं। चाहे वो सहकारी बैंक का मामला हो, अनअँथोराइज कालोनियों का मामला हो। कुल मिलाकर के इन कमेटीज के अन्दर हम अधिकारियों को बुलाते हैं और उनसे सवाल पूछते हैं कि ये मामले में क्या हुआ? कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसका कौन जिम्मेदार है और इस तरीके की जो रिपोर्ट्स हैं, बाद में अधिकारियों के जवाब के आधार पर हम लोग हाउस के अन्दर देते हैं और हाउस उन रिपोर्ट्स को एडॉप्ट करता है। पिछली बार जब हमारा सत्र लगा था 16 जनवरी से लेकर 19–20 जनवरी तक। तो दो कमेटीज की रिपोर्ट मैंने खुद इस हाउस के अन्दर पेश की थी। एक पेटीशन्स कमेटी की रिपोर्ट थी जिसके अन्दर दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक के अन्दर बड़े घोटाले के लिए दो आईएएस अधिकारियों को दोषी पाया गया था। उनके नाम थे; जे.बी. सिंह जो अभी के आईएएस अधिकारी हैं आरसीएस है और पुराने, फॉर्मर आरसीएस मिस्टर शूरवीर सिंह। उनके बारे में कार्रवाई करने के लिए मुख्य सचिव को आदेश दिये गये थे कि आप एक महीने में उनके ऊपर कार्रवाई करके इस हाउस को बताएं, स्पीकर साहब के माध्यम से।

चीफ सेक्रेटरी साहब की चिट्ठी मिली। एक महीना उनका 19 फरवरी, 2018 को पूरा हो गया। उन्होंने आपको पत्र लिखा कि थोड़ा समय और चाहिए। आपने उस पत्र का जवाब दिया कि आपको थोड़ा और समय दिया। फिलहाल जो कार्रवाई की है, वो बताइए और बजट सत्र तक आप वो रिपोर्ट पेश कीजिए। मुझे पता चला कि वो रिपोर्ट अभी तक नहीं आयी। दूसरी रिपोर्ट मैंने इस हाउस के अन्दर पेश की थी वो वक्फ बोर्ड की जमीन के मामले में थी। वक्फ बोर्ड के ही एक सेक्शन ऑफिसर के साथ मिलीभगत करके दरगाह की जमीन बेच दी गयी। खुल्लमखुल्ला जो यहाँ पर डिवीजनल कमिश्नर अधिकारी हैं, उनका नाम है मनीषा सक्सेना। सीनियर आईएएस ऑफिसर कहलाती हैं, उनके सामने कमेटी ने ये साबित किया कि वक्फ बोर्ड के अधिकारी झूठ बोल रहे हैं। कमेटी को मिसलीड कर रहे हैं। जिन मुकदमों के अन्दर वक्फ बोर्ड जीता है, जिसमें ये साबित हुआ है कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, उन मुकदमों को छुपाया गया और इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया गया। उसकी रिपोर्ट भी अध्यक्ष महोदय, 19 जनवरी को रखी गयी थी हाउस में। मुख्य सचिव को ये आदेश दिये गये थे इस सदन द्वारा कि एक महीने के अन्दर इसके ऊपर कार्रवाई करके इस हाउस को बताये। उसके लिए भी समय मांगा गया अध्यक्ष महोदय।

**v/; {k egkn; % कन्वलूड करिए प्लीज।**

**Jh | kghk Hkj }kt % कन्वलूड कर रहा हूँ।** उसके लिए अभी तक कोई भी एक्शन टेकन रिपोर्ट इस हाउस के अन्दर नहीं दी गयी है। अध्यक्ष महोदय, चिन्ता इस बात की है कि ये अधिकारी जब इन्हें किस चीज के ऊपर एक्शन लेने के लिए कहा जाता है। भ्रष्टाचार पर एक्शन लेने के

लिए कहा जाता है तो ये हाईकोर्ट के अन्दर पहुंचते हैं। सुबह—सुबह एप्लीकेशन लगाते हैं। मेन्शन करते हैं और कहते हैं साहब बहुत अर्जेन्ट है। हमारा मामला सुन लिया जाए। हाईकोर्ट आधी—अधूरी बात सुनके इन लोगों को कहीं न कहीं, कोई न कोई मोहल्ल देते हैं। मैं ये बात बहुत सावधानी से जी, और मैं बहुत जिम्मेदारी से अध्यक्ष महोदय, ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली हाईकोर्ट के पास कोई ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है कि इस तरीके के मामलों के अन्दर हस्तक्षेप करे और जब पिछले मुख्य सचिव, एम.एम. कुट्टी भी पहुंचे थे तो हालांकि हाईकोर्ट ने उस समय स्टे दे दिया था मगर बाद में दूसरी तरफ के वकीलों ने हमारे वकीलों से बातचीत करके कहा कि अब इस मामले को सुलटा लेते हैं। उसको सुलटाने का मैन कारण ये था कि चाहे वो मामला अश्विनी कुमार का रहा हो; पीडब्ल्यूडी सेक्टरी का या उस वक्त के मुख्य सचिव एम.एम. कुट्टी का हो, क्योंकि हाईकोर्ट ऐसे मामलों में कोई फैसला नहीं कर सकता। अगर हाईकोर्ट ऐसे मामलों में कोई फैसला करेगा तो उस जज का नाम काले अक्षरों के अन्दर लिखा जाएगा, इतिहास के अन्दर। ये जज भी जानते हैं। बहुत फाईन लाईन है। बहुत बारीक लाईन है जिसके ऊपर हाईकोर्ट, असेम्बली के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है और ये हाईकोर्ट के न्यायाधीश समझते हैं। तो मामला सिर्फ ये है क्योंकि वो फैसला तो दे नहीं सकते मगर समय—समय पर आईएएस अधिकारी वहाँ पर राहत लेने जाते हैं। हमारी हाईकोर्ट से कोई दिक्कत नहीं है। हमारी दिक्कत एलजी साहब से है। आज के जो यहाँ पर एलजी साहब हैं, वो इन अफसरों को बार—बार इजाजत देते हैं और प्रोत्साहन देते हैं कि आज जाओ, कोर्ट चले जाओ। कुछ भी झूठी—सच्ची बात बताके आप स्टे ले लो। स्टे तो कोर्ट नहीं देता है, मगर बार—बार कोर्ट ये हिदायत दे देता है कि

साहब, चलिए, इनको एक महीने के लिए मत बुलाइए। चलिए 15 दिन के लिए मत बुलाइए। अच्छा चलिए, इनके ऊपर कोई कार्रवाई मत कीजिए। ये जवाबदेही से बचने की दिक्कत किस बात की है।

**v/; {k egkn;** % सौरभ जी, अब कन्वलूड करिये।

**Jh I kṣhk ḥkkj }kt%** मैं कन्वलूड अपना इस बात से कर रहा हूँ कि हमनेकृ.

...(व्यवधान)

**v/; {k egkn;** % इस पर मुझे समय देना पड़ेगा पूरी चर्चा के लिए।

**Jh I kṣhk ḥkkj }kt %** इस पर चर्चा की जाए।

**v/; {k egkn;** % हॉ, इस विषय पर चर्चा के लिए समय दूँगा।

**Jh I kṣhk ḥkkj }kt %** इसके ऊपर पूरी चर्चा हो कि अफसर क्यों जवाबदेही से भागना चाह रहे हैं और एलजी क्यों संरक्षण दे रहे हैं। धन्यवाद।

**v/; {k egkn;** % इसे आप चर्चा में लगाइये प्लीज। गिरीश सोनी जी।

**Jh fxjh'k I kuh %** धन्यवाद अध्यक्ष जी, मुझे 280 के अंतर्गत बोलने का मौका मिला, अपने क्षेत्र की समस्या रखने के लिए लेकिन मैं यह बता देना चाहता हूँ कि इस मामले को मैं एक बार फिर से उठा रहा हूँ क्योंकि मैंने इस मामले को उठाया था, असल में क्या है कि पंजाबी बाग में 77 नंबर रोड से एक सड़क जो है, नजफगढ़ ड्रेन पर एक पुल बना हुआ

है। उस पुल को, जो सड़क प्रस्तावित थी, सड़क से नहीं जोड़ा गया क्योंकि बीच में कुछ झुगियां थीं उसके अंदर। जो झुगियां थीं, तो झुगियां उठेंगी, तभी सड़क आगे बनेंगी। तो उसको यू-टर्न शेप में बनाकर छोटा सा पैसेज वहाँ बना दिया है और कम से कम एक किलोमीटर नाला मेरी विधान सभा को अलग करता है। इस पर एक पुल है जो एक किलोमीटर बाद रघुवीर नगर में जाकर है, तो उसकी वजह से बहुत दिक्कत आ रही है। अब लोग उसका यूज तो करने लगे हैं वहाँ रोज झागड़े होते हैं, रोज ट्रैफिक जाम होता है, रोज इतने झागड़े होते हैं, वहाँ मारपीट होती है, थाने में अक्सर वो केस जाते हैं। पहले मैंने डिपार्टमेंट को कहा, जब डिपार्टमेंट से बात हुई, यहाँ सवाल मैंने उठाया तो डिपार्टमेंट कहता है कि डीयूएसआईबी डिपार्टमेंट झुगियां के बारे में काम करेगा। जब वो हमारे को सर्वे रिपोर्ट लाकर दे देगा, तब इस पर कार्रवाई होगी। डीयूएसआईबी डिपार्टमेंट कह रहा है कि काम चल रहा है, फलउड डिपार्टमेंट कहता है डीयूएसआईबी हमें रिपोर्ट देगा तो ये करेंगे। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट कहेगा दोनों डिपार्टमेंट हमसे कह देंगे तो यह पुल बन जाएगा तो कहने का मतलब डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट घूमकर मैंने चक्कर मारकर देख लिए हैं। वहाँ अधिकारी अपना गोल-गोल घुमाकर अजीब-सा जवाब दे देते हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्योंकि डिपार्टमेंट का मामला है, अपना पल्ला झाड़ लेते हैं अधिकारी। तो अधिकारियों से यह पूछा जाए कि आखिरकार उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, क्योंकि जिस तरह से मेरी विधान सभा में पंजाबी बाग में तीन पिलर बनने थे मेट्रो के, उसमें बड़ी जल्दी कार्रवाई हो गई। क्योंकि वो तीन पिलर बनने थे मेट्रो पूरी पिंक लाइन जिस पर अभी चली है। तो उस पर तीन पिलर, वहाँ भी झुगियां थीं, उसी तर्ज पर कुछ चंद दस बारह झुगियाँ अगर वहाँ हैं

अगर उनको वहाँ से उठाकर उपयुक्त जगह दे दी जाए तो इतनी सुविधा हो जाए वहाँ। क्योंकि आने-जाने वाले वहाँ ट्रैफिक को मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और मैं चाहता हूँ कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। क्योंकि मेरे पास आए दिन, डेली इसकी शिकायतें आती हैं और दूसरा, उसके ऊपर लाइट भी नहीं है क्योंकि पीछे झुगियाँ, लाइट भी नहीं है, अंधेरे में पता नहीं लगता। वारदात होती है तो उसमें यह भी नहीं पता लगता कि कौन सी गाड़ी नंबर था, क्या था उसके ऊपर, लाइट की व्यवस्था की जाए। चाहे फ्लड डिपार्टमेंट का मामला हो कि फ्लड उसकी लाइट की व्यवस्था करे और उस पुल को जल्दी से जल्दी, जहाँ से उसका प्रस्ताव था रघुबीर नगर से जोड़कर सीधा मेहता चौक तक जाने का था वो, उसको जल्दी से जल्दी पूरा करवाया जाए। धन्यवाद।

**v/; {k egkn;** % गुलाब सिंह जी।

**Jh xgykc fl g** % धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, मेरी विधान सभा दिल्ली की सबसे बड़ी विधान सभा मानी जाती है, क्षेत्रफल के आधार पर भी और जनसंख्या के आधार पर भी, क्योंकि इस विधान सभा में करीबन साढ़े चार लाख मतदाता हैं और करीबन 30 से 32 किलोमीटर के अंदर यह क्षेत्र फैला हुआ है और इस क्षेत्र के अंदर राशन की दुकान को लेकर और राशन के दफ्तर को लेकर मैं माननीय मंत्री जी से भी मिला हूँ और माननीय मंत्री जी को मैं लिखित में भी दो-तीन बार दे चुका हूँ। पूरी विधान सभा के अंदर द्वारका में सैकटर-20 के अंदर एक ऑफिस है, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट की इतनी दिक्कत है कि देहात से या कालोनियों से वहाँ तक पहुँचना ही असम्भव सा काम है। मेरी तरफ के

बॉर्डर के जो गाँव हैं, हरियाणा बोर्डर पर जो पड़ते हैं; चाहे वो दौराला गांव हो, गालिबपुर हो, घुमनहेड़ा गाँव हो, इस साइड के जितने भी गाँव हैं, वहाँ से द्वारका ही 25 किलोमीटर है तो आप सोचिए कि वो लोग कितनी कठिनाई में हैं। तो इससे पहले एक दफ्तर हमारे यहाँ पर दीनपुर मोड़ पर हुआ करता था। उस दफ्तर के ऊपर रेड लगी और उसमें मंत्री जी ने आदेश करके उस दफ्तर को बंद करा दिया। लेकिन उसी लोकेशन में और एक दूसरी लोकेशन में दो जगह अगर मेरे यहाँ पर राशन का दफ्तर खुल जाएगा तो आज कल जो नाम ऐड हो रहे हैं, राशन कार्डों के अंदर, उसके लिए लोगों को इतनी दूर चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। एक तो यह है माननीय मंत्री जी का मैं इसके ऊपर ध्यान चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी इसके ऊपर कोई न कोई एकशन जल्दी लें। दूसरा, हमें कम से कम सात—आठ दुकानें, बार—बार हम लिखकर दे रहे हैं, इतना बड़ा क्षेत्र है। हमारे यहाँ पर एक श्याम विहार कालोनी है जिसमें करीबन—करीबन 50 हजार लोग रहते हैं, एक भी दुकान नहीं है। आप यह सोचिए, 50 हजार लोगों के ऊपर एक भी राशन की दुकान नहीं है। एक कुतुब विहार कालोनी है, वहाँ पर 50—60 हजार लोगों की बस्ती है। वहाँ पर एक दुकान है और इतनी भारी भीड़ लगती है, लगातार मैं यह बोल चुका हूँ तो इसके ऊपर मंत्री जी से मैं निवेदन करूँगा कि इसके ऊपर अगर अभी आप एक बार बोल देंगे कि कैसे, क्या, कब तक हो सकता है? मैं लगातार पिछले डेढ़—दो साल से बोल रहा हूँ। बड़ी विकट समस्या है, मुझे उम्मीद भी है कि आने वाले समय में जो राशन की डोर स्टेप डिलिवरी आप लेकर आना चाहते हैं, जल्दी वो भी इम्प्लमेंट होगी लेकिन तब तक कोई फौरी राहत के लिए हमें कार्यालय और राशन की दुकान के लिए, मंत्री जी बताएंगे, तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद।

**v/; {k egkn;** % कमांडो जी, आपका 11वां है। अच्छा, इमरान जी, ठीक है।

**[kk] , oa vki frz e=h** % अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गुलाब सिंह जी के इस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि गुलाब सिंह जी ने कहा था कि मेरे एरिया में लगभग 6—7 दुकानें और खोली जाएं तो डिपार्टमेंट ने उस पर सर्वे किया है। तो उसके आधार पर उन्होंने जानकारी दी है कि दो दुकानों की और आवश्यकता है, जिस पर उन्होंने सर्वे कर लिया है और अप्रैल में दो दुकानें और खोल दी जाएंगी और सर्कल ऑफिस द्वारका, 20 सैक्टर में है और अगर गुलाब सिंह जी एक बार आकर मुझसे मिल लेंगे और बताएंगे, कहाँ जरूरत है और जगह के बारे में कुछ बता देंगे तो जल्द से जल्द वो भी खुलवा दिया जाएगा। धन्यवाद।

**v/; {k egkn;** % आपका 11वां आज आया हुआ है।

**Jh I gjknz fl g** % इसके साथ ग्यारह।

...(व्यवधान)

**Jh idt ijdj** % अध्यक्ष महोदय, मेरा भी 280 में लगा हुआ था।

...(व्यवधान)

**Jh I gjknz fl g** % 11, 24, 25, 36, 37 लगभग ये एक जैसे क्वैश्चन हैं और इनका जो है तीन क्वैश्चन का अलग—अलग जवाब दिया गया है। पहले मैं वो बात रखना चाह रहा हूँ कि किस तरह से सरकार के लोग, किस तरह से माफियाओं से मिले हुए हैं, किस तरह से जमीन के ऊपर

कब्जा करवाने लग रहे हैं। मैं इसको डिटेल से बताना चाहता हूँ। मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा अभी। यह मैंने क्वैश्चन लगाया नारायण गांव के अंदर एक जमीन का टुकड़ा है; 16.528 एकड़ जमीन है, लगभग साढ़े 16 एकड़ जमीन, जो कि 1960 के अंदर पीडब्ल्यूडी विभाग, सीपीडब्ल्यूडी होता था उस समय, उनको अलॉट की गई। उसके बाद यह लम्बे टाइम तक इस जमीन की देख-रेख नहीं हुई। वहाँ पर एक तालाब बना, जहाँ से पीडब्ल्यूडी ने मिट्टी उठाई। उसके बाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन के बाद इस जमीन के डेवलपमेंट के लिए आदेश दिए गए। इस जमीन को डेवलप करने के लिए 16/8/2012 को बाढ़ एवं सिंचाई विभाग को दिया गया और साथ में उनको बजट दिया गया; 6 करोड़ 75 लाख रुपये का, परंतु 2012 और 2016 तक पीडब्ल्यूडी विभाग और सिंचाई विभाग ने ऐसा खेल खेला कि उस जमीन के ऊपर माफिया आकर बैठने शुरू हुए और साथ में दिल्ली कैंट बोर्ड ने भी अपना दावा बीच में शामिल कर दिया कि यह जमीन हमारी है। उसके बाद उस पैसे में से सिंचाई विभाग ने लगभग एक करोड़ 56 लाख 851 रुपये इस नाम से गबन किया गया कि हमने वहाँ से मलबा हटा दिया। हालांकि उसमें से कोई भी मलबा नहीं हटाया गया। मलबा एज इट इज पड़ा हुआ है और न ही तालाब का सौंदर्यकरण हुआ। 8/8/2016 को न किसी सूचना के, न कोई विधायक से, न किसी मंत्री से किसी भी तरह की बातचीत न करके और अपने आप ही उसमें बोल दिया कि हमने इस जमीन को वापस पीडब्ल्यूडी को दे दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने इस आवाज को वहाँ मैंने उठाया, इस बात को रखा तो मुझे पता चला कि यह जमीन डेवलपमेंट के लिए दी गई थी। गांव के अंदर इसमें एक बारातघर बनना था, यहाँ पर पार्क बनना था और जो तालाब है, उसका

सौंदर्यकरण होना था। उसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग एक दूसरे का नाम लेता रहा कि यह प्रोजेक्ट फलाना डिपार्टमेंट के पास है, यह मेन्टेनेंस डिपार्टमेंट के पास है। जब माननीय मंत्री सत्येन्द्र जैन जी ने मीटिंग को कॉल किया और उस मीटिंग के अंदर वहाँ पर बोला गया, मैं माननीय मंत्री जी का इसके लिए धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने कड़े शब्दों में वहाँ कहा कि यह डिपार्टमेंट तो एक है। जमीन कैसे बाहर जा रही है। कैंट बोर्ड और माफिया इस पर कब्जा क्यों कर रहे हैं? तब वो प्रोजेक्ट विभाग से मेन्टेनेंस विभाग को उस जमीन के टुकड़े को लेने के लिए बोला। उस जमीन को लेने के बाद आज भी उस जमीन के ऊपर कैंट बोर्ड अपनी दावेदारी करता है। मैं दिल्ली कैंट बोर्ड का सदस्य हूँ। मैंने जब कैंट बोर्ड के वहाँ पर मीटिंग करके बात की तो कैंट बोर्ड के सीईओ के पास कोई डाक्यूमेंट नहीं, कोई प्रूफ नहीं आर्मी के पास। उसने बोला कि 16 प्वाइंट जो साढ़े 16 एकड़ जमीन है, वो तो पीडब्ल्यूडी की जमीन है। पर उसके अलावा वहाँ बाकी बची हुई जमीन है, वो मेरी जमीन है। उसके बाद मैं नई दिल्ली के डीसी साहब के पास मैं मिला। पीडब्ल्यूडी ने भी वहाँ चिटठी लिखी। नई दिल्ली के जो डीसी साहब हैं, वो ये जवाब दे रहे हैं कि इस जमीन का हमें कोई पता नहीं है। ये जमीन किसकी है। मैं इसका जवाब एक बार पढ़कर आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। जमीन का खसरा नंबर निर्दिष्ट किया जाता है प्रश्न में किसी जमीन विशेष को निर्दिष्ट किये जाने के अभाव के इस विषय में सम्यक जानकारी दे पाना संभव नहीं है। उसके बाद दूसरा क्वैश्चन भी मैंने उनके पास लगाया था, उसका भी मैं आन्सर पढ़ रहा हूँ। इसी जमीन को लेकर जब इसका मैंने क्वैश्चन लगाया था सरकार द्वारा सी बी नारायण, रेलवे फाटक, फुटओवर ब्रिज के पास साथ

मैं लगती हुई 16.527 एकड़ जमीन किस विभाग को, किस कार्य करने के लिए, किस समय और कब आवंटन की गई थी? दूसरा क्वैश्चन था; इसमें उसका खसरा नंबर क्या है और वह जमीन वर्तमान में किस स्थिति में है? डीसी साहब ने जवाब दिया जमीन का खसरा नंबर से निर्दिष्ट किया जाता है कि पर्सन किसी जमीन विशेष को निर्दिष्ट किये जाने के अभाव में इस जमीन के विषय में सम्यक जानकारी दिया जाना असंभव है जब कि सभी विभागकृ. सर, ये बड़ा गंभीर मामला है।

**v/; {k egkn; %** नहीं, मैं समझ रहा हूँ। कन्कलूड करिए अब इसको।

**Jh I jglnz fl g%** चीफ सेक्रेटरी साहब भी बैठे हैं। इससे जुड़ा हुआ मामला मैं आगे बढ़ाता हूँ सर, वहाँ जमीन पर क्या हो रहा है? उसके साथ मैं सर वो जो क्वैश्चन लगा है मेरा, वो आप बोल दें। तो मैं पढ़ देता हूँ।

**v/; {k egkn; %** वो अब छोड़ दो उसको।

**Jh I jglnz fl g%** तो उस जमीन के लिए इसके कागज मैं खुद पूरे डिपार्टमेंटों के पास जाकर के एक—एक आफिस में जाकर और मैंने ये फाइल, जो 1000 जो खसरा नंबर है, जो अलाट हुई है, जमीन 1024 नंबर, इसका अवॉर्ड नंबर है और 22/6/1960 को ये जमीन अवॉर्ड की गई, मैं डीसी साहब के आफिस में एसडीएम साहब से मिला और मैंने उनकी फाइल भी निकलवाई और बताया। मैंने अलाट नंबरकृ. उसके बाद भी जो जवाब दिया है, इस जवाब से स्पष्ट होता है कि उसके आसपास माफिया उस जमीन के ऊपर कब्जा करने लग रहे हैं। ये लोग जो अधिकारी इसमें शामिल हैं जो माफियाओं से मिले हुए हैं, उस जमीन का डिमार्केशन नहीं करना चाहते

हैं। क्योंकि उस जरीन का डिमार्केशन होगा तो वहाँ से माफियाओं को भगाना पड़ेगा और क्षेत्र में वहाँ विकास होगा। वहाँ पर लगती हुई साथ में झुगियाँ हैं। उन झुगियों के लिए बिजली के कनेक्शन नहीं हैं। वहाँ पर लगभग दस हजार लोग जो हैं, बरार स्कैयर की झुग्गी में रहते हैं, क्रिबी पैलेस की झुग्गी में रहते हैं। परन्तु वहाँ पर बिजली के लिए मैं कई बार जो हैं न, मीटिंग कर चुका हूँ। वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों का, रहने वाले लोगों के लिए जीवन इस तरह से हो रखा है, नरक के बराबर वहाँ जीवन हो रखा है। मैं इस सदन के माध्यम से और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी पूछना चाहता हूँ कि लाल किले के ऊपर चढ़ के बोलता है, 'मैंने गांव—गांव तक बिजली पहुँचा दी, गली गली तक बिजली पहुँचा दी।' जिस विधानसभा में प्रधानमंत्री रहते हैं, दिल्ली कैंट की विधानसभा में, वहाँ पर बिजली नहीं है। दस हजार आदमी हैं जो बगैर बिजली के रहते हैं। मैं आपके माध्यम से ये चाहता हूँ कि ये बिलकुल प्रधानमंत्री के घर से तीन किलोमीटर की दूरी पर ये क्षेत्र है, वहाँ पर बिजली नहीं है। इसकी कई सारी मीटिंगें हो चुकी हैं और यहाँ बिजली लगवाने के लिए मैं बार बार अनुरोध कर चुका हूँ। यहाँ आपके सामने भी कई बार मैं उठा चुका हूँ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप जो हैं न, इसके अंदर और माननीय जो हैं, मंत्री जी, इसमें इन्वाल्व हों। अब ये मीटिंग जो हैं न मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी निवेदन किया कि आप इसके अंदर शामिल हों।

v/; {k egkn; % भई कमांडो जी, आप कन्क्लूड करिए।

Jh I gjknz fl g% वहाँ पर बच्चों के भविष्य की बात है। आप किर्बी पैलेस, बरार स्कैयर जो झुग्गी का एरिया है उसके अंदर आप बिजली लगवाने के लिए कष्ट करें। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतना गंभीर

विषय मुझे उठाने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका तहोदिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।

**v/; {k egkn;%** एक सेकण्ड पुष्कर जी। जो कमांडो जी ने पहले एक क्वैश्चन के प्रति जमीन के विषय को उठाया है, वो एक बार पूरा लिखकर दे दें और मैं इसको क्वैश्चन एंड रेफ़ेस कमेटी को रेफर कर रहा हूँ। रामचंद्र जी मुझे मिले थे और महेन्द्र जी ने भी उठाया है। मैं महेन्द्र जी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि रामचंद्र जी को इस विषय पर बोलने दें। वो पहली बार आज सदन में बोल रहे हैं। ये गंभीर विषय है इनके यहाँ। ये मुझे मिले थे व्यक्तिगत तौर पर। इनके यहाँ श्मशान घाट आज सील कर दिया है और डेडबाड़ी बाहर पड़ी है। वहाँ लोग इकट्ठा हो गये, ये पोजीशन है।

**Jh jkepn%** माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे इस सदन में बोलने का मौका दिया, इसके लिए दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और लंबी आयु के लिए प्रभु से दुआ करता हूँ।

आज अध्यक्ष जी, आज मैं बेहद पेचीदा और गंभीर विषय लेकर आपके पास आया हूँ। शाहबाद दौलतपुर के श्मशान में एमसीडी और डीडीए के लोगों ने जाकर के उस श्मशान में सील लगा दी जिससे उस श्मशान में के अंदर कम से कम आये दिन 4-5 शव पहुंचते हैं। वहाँ पर क्योंकि आसपास कई किलोमीटर दूर तक कोई और श्मशान नहीं है। तो मैं पहली बार ये हरकत या ये जिन लोगों ने करवाया या करा, ये बहुत निदंनीय है हम इसकी घोर निंदा करते हैं कि ऐसा कहीं पूरे भारत में नहीं हुआ होगा, जैसा आज हमारी विधानसभा के अंदर शाहबाद दौलतपुर में हुआ है।

उसके बाहर शव लेकर के लोग बैठे हुए हैं। मैं उनके पास गया अध्यक्ष महोदय। लोग कह रहे हैं कि भई क्या करें, हम जो हैं न इस शव को रोड में अंतिम संस्कार करें? तो आपसे विनती है कि इस पर पूरी तरह से गौर किया जाए।

**v/; {k egkn; %** धन्यवाद, धन्यवाद।

**Jh vt\$k ; kno%** अध्यक्ष महोदय, श्मशान घाट सील कर दिया। आज तो वो कहावत हो गई कि मुर्दे की जान खतरे में। मतलब मुर्दे भी नहीं छोड़े इन्होंने। इस पर संज्ञान लिया जाए।

**Jh egknz xks y%** अध्यक्ष जी, श्मशान घाट भी सील करने लगे हैं। ये बड़े शर्म की बात आ रही है।

**v/; {k egkn; %** बैठिये प्लीज, बैठिए। पुष्कर जी अब बैठिये प्लीज हो गया। अब नहीं प्लीज।

**Jh i dt i qdj%** मैंने नियम-54 में बता दिया था आपको।

**v/; {k egkn; %** वो मैं बाद में देखूँगा, क्या है अभी।

**Jh i dt i qdj%** मेरी प्रार्थना यह है किकृ

**v/; {k egkn; %** अभी 280 में आज की डेट में नहीं था।

**Jh i dt i qdj%** नहीं, बिल्कुल जी, मेरे पास रसीद है।

## Lknu i Vy ij i Lrqr dkxtkr

v;/ {k egkn; % चलिए, मैं देखूँगा इसको, बाद मैं देख लूँगा। मेरे पास प्लीज आप... मैं माननीय उप—मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि वे अपने विभाग से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां सदन पटल पर रखें।

माननीय मनीष जी।

mi &ed[; ea-h% माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दिल्ली का वर्ष 2017–18 हेतु आर्थिक सर्वेक्षण अंग्रेजी और हिन्दी प्रतियों में सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूँ और इसके साथ ही क्रमांक 3 के उपबिंदु दो और तीन में दर्शाये गये अपने विभागों से संबंधित निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रति भी सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूँः\*

- (1) दिल्ली का वर्ष 2017–18 हेतु आर्थिक सर्वेक्षण (अंग्रेजी—हिन्दी प्रतियों);
- (2) दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वर्ष 2016–17 हेतु वार्षिक प्रतिवेदन (अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू एवं पंजाबी प्रतियों);
- (3) दिल्ली वित्त निगम के वर्ष 2014–15 हेतु वार्षिक प्रतिवेदन के संबंध में अधिसूचना संख्या एफ.40 (06)/एफडी/रेव- ॥/डी.एस.सी./2016/पार्ट फाइल- ॥/डी.एस.—ट/906 दिनांक 20.08.2017 (अंग्रेजी—हिन्दी प्रतियों) तथा वर्ष 2014–15 हेतु भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सहित वार्षिक प्रतिवेदन (अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू एवं पंजाबी प्रतियों)

---

\*पुस्तकालय में संदर्भ संख्या 20477–79 पर उपलब्ध।

v/; {k egkn; % श्री सत्येन्द्र जैन जी।

LokLF; ea-h% आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दिल्ली परिवहन निगम के वर्ष 2015–16 हेतु वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यप्रणाली समीक्षा की हिन्दी व अंग्रेजी प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूँ।\*

### ifronu ls I gefr

v/; {k egkn; % प्रतिवेदन से सहमति, राखी बिड़ला जी।

I ph jk[kh fcMyk% अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि यह सदन दिनांक 16 मार्च, 2018 को प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के द्वितीय प्रतिवेदन से सहमत है, धन्यवाद।

v/; {k egkn; % पुनः राखी बिड़ला जी।

I ph jk[kh fcMyk% अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि ये सदन दिनांक 16 मार्च, 2018 को प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के तृतीय प्रतिवेदन से सहमत है, धन्यवाद।

v/; {k egkn; % ये दोनों प्रस्ताव सदन के सामने हैं;

जो इसके पक्ष में हैं, वे हॉ कहें;

जो इनके विरोध में हैं, व न कहें;

(सदस्यों के हॉ कहने पर)

हॉ पक्ष जीता, हॉ पक्ष जीता,

प्रस्ताव पास हुआ।

\*पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर 20480 पर उपलब्ध।

माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण 422  
पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

19 मार्च, 2018

अब चाय के लिए आधा घंटा बाद हम मिलेंगे और इसके बाद माननीय एलजी के भाषण पर चर्चा होगी, धन्यवाद।

(सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए चायकाल हेतु स्थगित की गई)

**I nu vijkgu 4-54 cts iq% eor gyk  
ekuuh; v/; {k egkn; %Jh jkefuokl xl y% पीठासीन हुए।  
ekuuh; mijkt; iky ds vfhkk'k.k ij /kl; okn  
iLrko ij ppkz  
v/; {k egkn; % Discussion on motion of thanks on Hon'ble Lt**

Gouverner's Address.

श्री सत्येन्द्र जैन जी।

**Jh I R; Unz tM LokLF; ea-h% Hon'ble Speaker Sir,with your permission I would like to initiate this motion:**

“That this House expresses its gratitude to Hon'ble Lt. Governor for his Address delivered to the Assembly on 16 March 2018”.

अध्यक्ष महोदय, आदरणीय उप-राज्यपाल महोदय ने 16 मार्च को जो अभिभाषण दिया था, उसके अंदर उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने पिछले वर्षों में भी शिक्षा के क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में क्या-क्या काम किये हैं। खासतौर से शिक्षा के क्षेत्र में जो काबिले तारीफ काम किया गया। सात हजार के करीब रुम्स बनाए गए जो कि मेरी जानकारी के अनुसार पूरे देश में 29 सरकारें और हैं, उन सभी सरकारों

माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण 423  
पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

28 फाल्गुन, 1939 (शक)

ने मिलकर जिसमें केन्द्र सरकार भी है, राज्य सरकारें भी हैं। हो सकता है कि एग्जैक्टिली नम्बर इतना कम ज्यादा हो पर जहाँ तक मेरी जानकारी में है, इतने क्लास रूम सभी सरकारों ने मिलकर नहीं बनाए जितने क्लास रूम दिल्ली सरकार ने बनाए हैं, दिल्ली के सरकारी स्कूल के अंदर। आज प्राईवेट स्कूलों से लोग अपने बच्चों का नाम कटा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले अखबारों के अंदर फोटो छपा था कि दिल्ली सरकार के एक आदर्श विद्यालय के अंदर एडमिशन कराने के लिए लोगों की लाईनें लगी हैं। यही हमारी सरकार का जनता से वादा था कि हम जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनके लिए काम करेंगे।

शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। स्वास्थ्य के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि मौहल्ला क्लीनिक दिल्ली सरकार ने स्टार्ट किये हैं। उसके अंदर लगभग 80 लाख से ज्यादा गरीब अभी तक इलाज करा चुके हैं। 80 लाख से ज्यादा गरीब अपना इलाज करा चुके हैं। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज तीन स्कीम जो हमारी बहुत मेजर स्कीम्स हैं, वो लागू हैं कि जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, पैप्सीकैन जो बड़े-बड़े टेस्ट हैं, सारे टैस्ट दिल्ली की सभी आबादी के गरीब हैं या अमीर हैं, कोई भी है, सबके लिए किये जा रहे हैं। लगभग 20 हजार लोग ये बड़े-बड़े टैस्ट करा चुके हैं। अगर एक महीने के अंदर लगभग 80 आपरेशन्स की लिस्ट है। अगर एक महीने के अंदर आपरेशन दिल्ली सरकार के अस्पताल में नहीं होता है तो उनका ऑपरेशन प्राईवेट अस्पताल में कराया जाता है। सारा का सारा दिल्ली सरकार देती है और ये अभी भी चल रहा है। एक स्कीम में पूरे सदन को बताना चाहूँगा क्योंकि पहले भी हमने डिक्लेयर किया था, वो लागू हो चुकी है; वह है कि अगर दिल्ली की टैरिटरी के अंदर कोई भी व्यक्ति का सङ्क के ऊपर

माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण 424  
पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

19 मार्च, 2018

एक्सिडेंट होता है या आग में जलने से झुलस जाता है या एसिड अटेकिंग में और वो प्राईवेट हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो उसका इलाज के लिए जो स्कीम हमने अनाउंस की थी, वो लागू कर दी गई है और वो चालू है। मुझे अभी जयपुर जाने का मौका मिला। वहाँ पर एक सज्जन हैं, उन्होंने जिक्र किया। साउथ दिल्ली में किसी का एक्सिडेंट हुआ। उसको लेकर वे मैक्स हॉस्पिटल में गए। जब उनको एडमिट करा दिया, पैसे देने के लिए काउण्टर पर गए तो उन्होंने कहा कि पैसे जमा कराने की जरूरत नहीं है, केजरीवाल ने इन्तजाम पहले ही कर दिया है। जब उन्होंने मुझे ये बात बताई, कहते हैं कि हम आपकी पार्टी के कोई समर्थक नहीं थे। हम आपकी कोई कभी भी आपकी अच्छी तारीफ करने वाले लोग नहीं थे। परन्तु ये जो काम आपने किया है, वह काबिले तारीफ है। तो मैं तो निवेदन करूंगा कि दिल्ली सरकार ने एक रास्ता दिखाया। पूरे देश की सभी सरकारें अपने राज्यों के अंदर इस काम को जरूर करें। ताकि किसी को नहीं पता होता कि किसी का एक्सिडेंट हो जाए और वक्त पर उसको सहयोग मिल जाए। वक्त पर अगर सुविधा मिल जाए तो पता नहीं कितने लोगों की जान बच सकती है। तो ये स्कीम दिल्ली सरकार लागू कर चुकी है।

इसी तरीके से दिल्ली सरकार ने पिछले तीन सालों के अंदर बिजली के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। पूरे देश के अंदर सभी राज्यों के अंदर सबसे कम कटौती प्वाइंट जीरो सिक्स परसेंट कटौती पिछले साल में बिजली की हुई है। जिसके अंदर मैन्टेनेंस भी इन्कलूड है। प्वाइंट जीरो सिक्स का मतलब होता है बहुत ही कम नैगलिजेबल। इतनी कम कटौती पूरे देश में कहीं नहीं हुई है। तो एक तो 24 घंटे लगातार बिजली मिलना सम्भव हो पाया है। दूसरा पिछले तीन साल के अंदर बिजली के रेट नहीं बढ़े। ये

माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण 425  
पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

28 फाल्गुन, 1939 (शक)

भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों के अंदर जैसे ही सरकार बनती है तो शपथ लेने के बाद सभी सरकारों का सबसे पहला धर्म ऐसा होता है कि वो बिजली के रेट बढ़ाती हैं। एग्जाम्प्ल के तौर पर उत्तर प्रदेश ले लीजिएगा, उत्तराखण्ड ले लीजिएगा, इस तरह कई राज्य हैं जिन्होंने सरकार बनने के तीन महीने, चार महीने के अंदर सबसे पहले बिजली के रेट बढ़ाए, परन्तु दिल्ली के अंदर हमने बिजली के रेट बढ़ाने भी नहीं किए और रेट आधे भी किए। 400 यूनिट तक का रेट हमने आधे किए हैं और देश में इस तरह डॉमेस्टिक बिजली के 400 यूनिट तक के रेट पूरे देश में सबसे कम दिल्ली के अंदर हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।

इसी प्रकार पानी के क्षेत्र में भी दिल्ली सरकार ने कई सौ नई कालोनियों के अंदर एक सौ पचास नहीं, कम से कम 300 से ज्यादा कालोनियों के अंदर नई पार्वप लाईनें बिछाई और पानी का इंतजाम किया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो लोग छोटी कालोनियों में, अनऑथोराईज कालोनिज में रहते हैं, उनके लिए पानी मिलना, एक ये बहुत बड़ा एक सरकार की ओर से इसे तोहफा भी कह सकते हैं और मैं स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते ये भी कहना चाहूँगा कि मुझे तो लगता है कि हैल्थ सैक्टर के लिए ये बहुत बड़ा एक वरदान है कि जिस सिटी में या जिस राज्य के अंदर स्वच्छ पेयजल पीने का स्वच्छ पानी मिलने लगे, बहुत सारी बीमारियां उससे वैसे ही दूर हो जाती हैं। तो मुझे लगता है... ये हैल्थ इनीशिएटिव विषय में, मुझ से किसी ने पूछा था एक बारी कि दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा हैल्थ इनीशिएटिव क्या है, बताएं। तो मैंने सबसे बड़ा इनीशिएटिव यही बताया था कि दिल्ली के अंदर सभी लोगों को हम स्वच्छ

माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण 426  
पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

19 मार्च, 2018

पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कष्टसंकल्प हैं और यही सबसे बड़ा हमारा  
एक इनीशिएटिव है।

इसी तरीके से दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार ने 19 हजार डूसिब  
के माध्यम से लगभग 18–19 हजार टायलेट्स बना के तैयार कर दिए हैं  
ये कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ा काम है। इतना बड़ा काम है कि  
इसके लिए मतलब दिखाई तो देता नहीं है क्योंकि जो जितने भी टॉयलेट  
कॉम्प्लेक्स बने हैं, सारे के सारे टॉयलेट कॉम्प्लेक्स जहाँ पर जरूरत थी,  
जो लोग खुले में शौच के लिए जाते थे, उनके लिए बने हैं। हमारे सभी  
विधायकों के एरियाज में बने हैं और अभी भी काम चल रहा है। और राज्य  
भी कर रहे हैं तो मुझे लगता है पूरी दिल्ली को ओपन डेफेकेशन फ़ी हम  
लगता है, इस साल के अंदर हम कर पाएंगे और ये अच्छी हमारी सरकार  
की एचीवमेंट होगी।

इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में दिल्ली सरकार ने 2000 बसें जल्द  
ही लाने वाले हैं। डीटीसी की ओर से एक हजार बसिज का टेण्डर किया  
जा चुका है। एक हजार बसिज का कलस्टर के अंदर टेण्डर का प्रक्रिया  
चल रही है। तो जल्दी दो हजार बसें दिल्ली की सड़कों पर आने लगेंगी।

मेट्रो फेज—तीन का कुछ हिस्सा स्टार्ट किया है आदरणीय मुख्यमंत्री  
जी और केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री जी के द्वारा पिछले सप्ताह किया गया  
है। जल्द ही फेज—तीन पूरा का पूरा फेज—तीन है। मुझे आशा है कि इस  
साल के अंत तक पूरा का पूरा फेज—तीन मेट्रो स्टार्ट हो जाएगी और दिल्ली  
के अंदर आवागमन के अंदर काफी सुविधा उससे होगी। दिल्ली सरकार की  
एक महत्वपूर्ण उपलब्धि ये भी है कि तीन चीजें जिनकी बातें पॉलिटिक्स

माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण 427  
पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

28 फाल्गुन, 1939 (शक)

के अंदर, कभी इलेक्शन की जब बात हुई तभी, आज सब करने लगे हैं; पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा पर्यावरण। इन तीनों चीजों के बारे में कभी भी करण्शन के बारे में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कभी बात नहीं की थी और अब ऐसा लगता है कि उनकी बात किए बिना कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत नहीं सकती है।

आज शिक्षा की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। 'देर आयद, दुरुस्त आयद' 70 साल के अंदर जो सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए था, दो ही चीजों पर देना चाहिए था, वो था; शिक्षा और स्वास्थ्य। 70 साल में शिक्षा को मतलब आप दिल्ली में ही देखें तो 20, 25 या 30 साल पहले जो शिक्षा का स्तर था पिछले 25–30 साल में बिल्कुल गिराया गया है और वो बड़ा सोच समझ के गिराया गया है। क्योंकि जब से नेताओं की इसमें एंट्री हुई, नेताओं ने अपने स्कूल बनाने स्टॉर्ट कर दिए। अगर एक नेता की मिठाई की दुकान है, तो उसकी दुकान तभी चलेगी, जब दूसरी दुकान बंद हो जायेगी। अब इन नेताओं ने अपने स्कूल खोल लिए, इन्हीं नेताओं ने अपने अस्पताल भी खोल लिए। जब नेताओं के स्कूल और अस्पताल खुलने लगे तो उन्हें पता था कि ये तभी चल सकते हैं, जब सरकारी स्कूल अस्पतालों को खराब किया जाए, बर्बाद किया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि सोची समझी रणनीति थी इसलिए काफी सालों में मुझे लगता है कि सरकारी स्कूलों को बर्बाद किया गया, सरकारी अस्पतालों, सरकारी स्कूलों को बर्बाद किया गया। जिसकी वजह से इन प्राईवेट वालों का काम चल सके और नेताओं की पार्टनरशिप में है। सबको विदित है, दिल्ली में जितने बड़े स्कूल में आपको एडमिशन लेना है, या तो पूरे के पूरे नेताओं के पास है या नेताओं की पॉर्टनरशिप में है। इस सदन में हाल ही में विदित हुआ

माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण 428  
पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

19 मार्च, 2018

था, एक इंस्टीट्यूट के अंदर बहुत सारे नेता ऐसे थे, जिसके अंदर उनके खुद के स्कूल थे। कई सारे अस्पताल जो हैं, वो डॉयरेक्टली और इनडायरेक्टली नेताओं के हैं, नेता लोग चला रहे हैं। मैं इस बात के लिए कहना चाहूँगा कि दिल्ली सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य में जो काम किया है, वो आगे भी योजना तैयार करेगा, पूरे देश में तैयार करेगा तो सभी राज्यों को केंद्र सरकार को भी इन्सपॉयर करेगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए ज्यादा काम कर सकें।

इसी तरह से फ्लाईओवर के ऊपर दिल्ली सरकार ने जो कार्य किए हैं, दिल्ली के अंदर एक-एक सड़कों की रिपेयरिंग करना, सड़कों के किनारे गार्डनिंग करना, पहली बार ये हुआ है। पहली बार ही मशीनों से सफाई करना सड़कों की, सड़कों को खुला पानी से धुलाई करना। आपने देखा होगा कि आज, पिछले डेढ़ दो साल से मैं देख रहा हूँ कि पूरी बिल्डिंगें, छोटे-छोटे घर भी बनते हैं तो बहुत धूल उड़ती है, जिससे प्रॉब्लम हो जाती है।

ये दिल्ली सरकार के प्रयासों से संभव हो पाया है। इससे पहले ये कभी नहीं हुआ था। तो दिल्ली सरकार ने इसके ऊपर भी बहुत ध्यान दिया है। मैं सभी सदस्यों से निवेदन करूँगा कि आदरणीय उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में पार्टिसिपेट करें। धन्यवाद।

v/; {k egkn; % श्री गुलाब सिंह जी, गिरीश सोनी जी।

...(व्यवधान)

v/; {k egkn; % नहीं, नहीं, था, आपका भी नाम।

माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण 429  
पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

28 फाल्गुन, 1939 (शक)

**Jh xykc fl g % धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।**

अध्यक्ष महोदय, 16 मार्च को माननीय उपराज्यपाल महोदय ने अपनी सरकार का कहकर यहाँ पर सरकार की जो पिछले तीन सालों की उपलब्धियां हैं, उनके बारे में बताया और मेरा ये मानना है कि किसी भी सरकार की सफलता विफलता एक बात से जरूर तय होती है कि उस सरकार के दौरान जो जीडीपी रेट होता है, उसकी जो वृद्धि होती है, वो हुई कि नहीं हुई। आप देखेंगे कि केन्द्र सरकार के आने के बाद जिस तरह से देश की जीडीपी में गिरावट आई, लेकिन दिल्ली के अंदर 11.22 प्रतिशत की जो वृद्धि हुई है, ये अपने आप में दिखाती है कि दिल्ली सरकार ने तमाम टैक्स कम करते हुए भी दिल्ली की जीडीपी को बढ़ा कर दिखाया है, ये दिल्ली के विकास को दिखाती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कई सारे कार्य हैं। आज हम सब विधायक जो इस चर्चा में भाग ले रहे हैं, माननीय उपराज्यपाल जी का हम सब धन्यवाद करते हैं। लेकिन अगर हम सब लोग अपने अपने सरकार के मुख्य काम बताएंगे तो मुझे लगता है कि एक को तकरीबन 45 मिनट लग जायेंगे इतने कार्य इस सरकार ने किये हैं। मैं विशेष तौर पर कुछ कार्यों के ऊपर नजर डालना चाहता हूँ।

स्वास्थ्य को लेकर माननीय सत्येन्द्र जैन जी ने जो बात कही, मैं 18 तारीख की घटना बताना चाहता हूँ और ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि आजाद हिन्दुस्तान के बाद अगर इस देश के हजारों क्रांतिकारियों ने फांसी के फंदे को अंग्रेजों से लड़ते हुए चूमा था तो वो इसलिए चूमा था कि इस देश के हर नागरिक तक ये सरकारें स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाएं।

माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण 430  
पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

19 मार्च, 2018

आज सड़के बना देना, कालोनियों में पानी की लाईन बिछा देना, निश्चित तौर पर ये हमारी सुविधाएं जरूर हैं लेकिन इसको विकास नहीं कह सकते। विकास की परिभाषा ये है कि आज दिल्ली का अगर कोई नागरिक बीमार पड़ जाए और उसके पास पैसा न हो तो उसको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आज आपकी बीमारी पर जो पैसा लगेगा, वो कहाँ से आएगा। आज ये दिल्ली सरकार उसको एन्स्योर करने की गारण्टी देती है कि चिंता मत करिए, सरकार आपके साथ खड़ी है।

अध्यक्ष महोदय, 18 तारीख का उदाहरण, जैसे माननीय मंत्री जी ने बताया; एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ द्वारका के अंदर, भरत विहार कालोनी में वो रहता था। उसको हैड इंजरी हुई थी। उसको उठाकर मैं वैकटेश्वरा हॉस्पिटल में ले गया। ये 18 फरवरी की घटना है, 17 की शाम को वो शादी से लौट रहा था। वहाँ पर एडमिट कराया गया और उस बच्चे से उसकी सेलेरी से 50 हजार रुपये उस हॉस्पिटल ने लिए जो उसको मालूम नहीं था। मैंने उसके मालिक से बात की, कि मि. राजपाल सोलंकी इस हॉस्पिटल के मालिक हैं और सुबह पता चला कि सात-आठ लाख रुपये की जरूरत उस पेशेंट के लिए और पड़ेगी। लेकिन मैंने माननीय मंत्री जी के ऑफिस में बात करके 15 फरवरी, सन 2018 का वो आर्डर मंगाया, जो एक्सीडेंट पॉलिसी ये कहती है कि आप एक पैसा देने की जरूरत नहीं है और मैं स्वयं हॉस्पिटल में जाके जीरो पैसे का बिल उस बच्चे का करा के आया। मैं कहना चाहता हूँ कि वे दुआयें देंगे आपको। मैं माननीय सत्येन्द्र जैन जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहना चाहता हूँ कि 70 साल के इतिहास में भारत के किसी भी राज्य में ऐसी पालिसी कहीं नहीं रही। आज आप सोचिये, किसी परिवार का बच्चा! हम में से कोई हो, अगर

माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण 431  
पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

28 फाल्गुन, 1939 (शक)

एक्सीडेंट हो जाये और वहाँ पर बीस लाख रुपये का खर्चा बता दें। तो मैं मानता हूँ अगर ऐसी कोई पॉलिसी है तो भगवान का दर्जा देता हूँ मैं ऐसे स्वास्थ्य मंत्री को और ऐसे मुख्यमंत्री को। ये बहुत बड़ा काम किया है। इसी तरह से दिल्ली आरोग्य कोर्स; जो ये कहती है कि अगर कोई भी नागरिक बीमार पड़ता है, उसके पास पैसा नहीं है और दिल्ली सरकार का अस्पताल तीस दिन के अंदर अगर उसकी सर्जरी नहीं करता है तो अपने आप को 48 प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ दिल्ली सरकार ने समझौता किया है। जो बहुत प्रकार है कि सर्जरी को कवर करता है। और मैंने खुद श्री चन्द्र पार्क कालोनी के 52 साल की महिला के दिल के अंदर स्टंट डलने थे करीबन तीन लाख रुपये का खर्चा बताया गया। हमने दीन दयाल हॉस्पिटल में दिखाया। दीन दयाल हॉस्पिटल वालों ने कहा कि हमारे पास तो डेढ़ महीने का टाइम लगेगा। फिर हमने उनको स्कीम के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल तीस दिन के अंदर हमारे पास ऑर्डर है, आप बताइये कौन से हास्पिटल में आपको भेजना है? हमने फिर वहीं द्वारका के अंदर जो स्कीम के अंदर वैक्टेश्वरा हॉस्पिटल, वहाँ पर रैफर कराया। 24 घंटे के अंदर माताजी की सर्जरी करा के एक पैसा नहीं देने दिया और उनको घर भेज दिया। ये इस सरकार का काम है।

उसके बाद दवाइयाँ। इस सरकार के आने से पहले 15 साल का राज कॉग्रेस का रहा, भारतीय जनता पार्टी का राज दिल्ली के अंदर रहा। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स की एक आदत बन गई थी; चाहे 100 रुपये की दवाई हो, चाहे पाँच सौ रुपये की दवाई हो, दवाई पर्ची पर लिखते थे, सामने बाहर कुछ मेडिकल स्टोर वालों से सेटिंग होती थी, वहाँ से दवाई लेते थे और सारी की सारी दवाइयों में दलाली चलती थी। एक भी दवाई,

माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण 432  
पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

19 मार्च, 2018

बहुत कम दवाइयों दिल्ली सरकार के अस्पतालों में मिलती थी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मंत्री सत्येन्द्र जैन जी को कि आज दिल्ली के अस्पतालों में क्योंकि मैं खुद एक अस्पताल का चेयरमैन हूँ इसलिये मैं ये बात बहुत गारंटी के साथ और बहुत विश्वास के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि आज दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सारी की सारी दवाइयों मुफ्त में दी रही हैं। आज उन परिवारों से पूछो जिसको दस हजार रुपये की दवाई दिल्ली सरकार के अस्पताल में मिल रही है। ये बहुत नेक कार्य आपने किया।

उसके बाद शिक्षा की बात करें। आपने देखा सात हजार के आसपास कमरे, करीबन छह हजार, एग्जेक्ट छह हजार चार सौ कमरे बन कर तैयार हुए। एक कमरे में 50 बच्चे बैठते हैं। इसी देश की राजधानी दिल्ली के अंदर आज भी दिल्ली सरकार के, इस सरकार के आने तक आपने देखा टूटी हुई टीन के कमरे में बैठ कर इसी आजाद हिंदुस्तान की कैपिटल दिल्ली के अंदर बच्चे पढ़ने पर मजबूर थे, लेकिन 6400 कमरे बने हैं और करीब आठ हजार कमरे इस फाइनेंशियल ईयर में और बनने जा रहे हैं। एक कमरे में 50 बच्चे बैठते हैं। आप सोचियेगा कि कितने स्कूल बना दिये! उसके बाद पॉयलट स्कूल, ऐसे स्कूल बने हैं, मैं विशेष तौर पर एक ऐसी विधानसभा से आता हूँ मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा स्कूल मेरी विधानसभा के अंदर बने हैं। क्योंकि वहाँ जगह बहुत है, करीबन पाँच छह स्कूल तो द्वारका के अंदर बने हैं। ये कभी नहीं सोचा था कि सरकारी स्कूलों में लिफ्ट होगी, हॉईटैक साईर्स लैब होगी, कभी स्वीमिंग पूल होंगे! लेकिन अगर किसी को देखना है, तो वो हम दिखा सकते हैं। मेरे खुद के गांव घुमनहेड़ा में पॉयलट स्कूल बना है। मैं चुनौती के साथ कहता हूँ; पूरे हिंदुस्तान में सरकारी

माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण 433

28 फाल्गुन, 1939 (शक)

पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

तो भूल ही जाइये, अगर कोई प्राइवेट स्कूल भी ऐसा स्ट्रकचर बना कर दिखा दे, मैं चुनौती देता हूँ सारी सरकारों को, लेकिन ये इस सरकार ने कर के दिखाया।

उसके साथ साथ मैं खेल की तरफ भी जरूर बोलना चाहूँगा। क्योंकि दिल्ली देहात के उस विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ जहाँ पर खेल की दिशा में अगर देखते हैं तो बहुत सारे युवाओं ने निकलकर देश का नाम रोशन किया है। मैं जिस गाँव से निकलता हूँ घुमनहेड़ा गांव, वहाँ से बच्चे उस आसपस के बीस तीस गाँव के बच्चे हाकी खेलते हैं। चाहे वह भारतीय रेलवे हो, चाहे नेवी हो, चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे बीएसएफ हो, हर विभाग में वहाँ के बच्चों ने नेतृत्व किया है हाकी का, भारत की टीम ने नेतृत्व किया है हाकी का। लेकिन वहाँ से खेलने के लिये दो ही स्टेडियम थे; शिवाजी और नेशनल स्टडियम तीसरा कोई स्टेडियम नहीं था और वहाँ भी बच्चों को घुसने नहीं दिया जाता था। बड़ी मुश्किल से वहाँ पर कोई टूर्नामेंट होता था। उसमें बच्चों का खेलने के लिये नंबर आता था, एक साल के अंदर। मुझे आज भी तारीख याद है 21 जून को हमने उदघाटन किया था 2016 में। माननीय मंत्री जी से उदघाटन में गये थे और 24 जून, 2017 को, एक साल के अंदर अंतर्राष्ट्रीय लेवल का हाकी खेलने का ग्राउंड वहाँ पर बिछाकर दे दिया बच्चों को। यही सरकार ने खेल के लिये काम किया है। अगर आप इसी खेल की दृष्टि में आगे बढ़ेंगे तो कैर गाँव में फुटबाल का ऐसा स्टेडियम तैयार किया गया है, जो की फीफा में आ के पूरे मापदंडों को देखते हुए और इतना अच्छा ग्राउंड कैर गाँव के अंदर तैयार हो चुका है। ये खेल की दृष्टि की मैं बात कर रहा हूँ और तीसरा क्रिकेट का स्टेडियम बन कर तैयार हो जायेगा कुछ दिनों

माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण 434

19 मार्च, 2018

पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

के अंदर और कई सारे स्कूलों में दौड़ने के ट्रैक लगे हैं जो बच्चे सुबह दौड़ते हैं। बाहर से और भी स्कूल के, जरूरी सरकारी प्राइवेट स्कूलों के बच्चे भी दिल्ली सरकार के स्कूल में आकर खेलते हैं, उस ट्रैक का इस्तेमाल करते हैं दौड़ने के लिए। ये खेल की और शिक्षा की मैंने आपको बात बताई।

इस देश के अंदर दो वर्गों को लेकर बड़ी राजनीति रही है। दो वर्गों को लेकर बड़े आंदोलन हुए हैं लेकिन सुनी किसी सरकार ने नहीं। इस सरकार ने भी जो केन्द्र की सरकार है, बड़े बड़े वादे किये थे कि हमारे देश पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के लिये कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पिछले कुछ दिनों में कई सारे वीडियो आये, आपने देखे होंगे। लेकिन ये पहली सरकार है 24 फरवरी सन 2015, हमारी सरकार के ठीक बनने के दस दिन बाद; नरोत्तम दास एक लड़का शहीद हुआ बिहार के गया में। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में उसकी शहादत हुई। खेड़ा डाबर गाँव मेरी विधानसभा का खेड़ा डाबर गाँव में माननीय मुख्यमंत्री जी पहुँचे, माननीय उप मुख्यमंत्री जी पहुँचे और मुझे ये कहते हुए बेहद फर्क महसूस हो रहा है अपनी सरकार पर कि ठीक दस दिन बाद एक करोड़ रुपये का चैक मैं उसकी वीरांगना के हाथ में देकर आया था, उसकी मॉ के हाथ में देकर आया था। ये काम भी सरकार ने किया; जो अभी साठ लाख रुपये ग्रामीण विकास की कोर्ट से उनका फंड सैक्षण हो गया टैण्डर लग गये, वर्क एवॉर्ड हो गया। अगले एक हफते के अंदर उद्घाटन कर रहे हैं। शहीद स्मारक भी उसके लिये बना रहे हैं। ये काम भी इस सरकार ने देश के शहीदों के लिये किया है।

अध्यक्ष महोदय, इस देश के किसानों की जब बात आती है, तो जिस राज्य के विकास के मॉडल की बात कही जाती है। मैं डेढ़ साल गुजरात

माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण 435  
पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

28 फाल्गुन, 1939 (शक)

का प्रभारी रहा हूँ। मैंने वहाँ गुजरात का शायद कोई क्षेत्र बचा होगा, किसानों को मैंने वहाँ पर देखा किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के अंदर कपास के दाम बढ़ाने की बात कही थी। किस तरह से फसलों के दाम बढ़ाने की बात कही थी। लेकिन आज चार साल सरकार को बने हुए हो चुके हैं, जब फसलें बर्बाद होती हैं तो आज भी गुजरात का इतिहास उठाकर देख लीजिये; 200 रुपये का चैक डेढ़ सौ रुपये का चैक! ये पहली दिल्ली सरकार है, पहले मुख्यमंत्री 29 राज्यों के अंदर एक एकड़ धान, एक एकड़ गेहूँ एक एकड़ सरसों उगाने के लिए 15 से 16 हजार रुपये का खर्चा एक किसान का आता है और जब दिल्ली ने इस बार ओला वृष्टि हुई, पीछे दो साल पहले और जब फसलें बर्बाद हुई तो किसी ने सोचा नहीं होगा, हमने भी सोचा था कि पांच हजार रुपये शायद दे देंगे। मुख्यमंत्री साहब से बात की। लेकिन हैरानी हुई 20 हजार रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जो आजाद हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मुआवजा कहा जा रहा है। ये काम इस सरकार ने किया है। दिन रात काम कर रहे हैं।

गेस्ट टीचर की बात आती है। हम अध्यापकों की बात कर लें। गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर कई सारे राज्यों में जाने का मौका मिला। गुजरात में जो गेस्ट टीचर हैं, आपको यकीन नहीं होगा, मैं सदन में बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ 4500 रुपये में पढ़ाने पर मजबूर हैं, 4500 रुपये! और ये पहली सरकार है जो 17 हजार रुपये से बढ़ाकर गेस्ट टीचर की सैलरी 34 हजार रुपये की गई है। ये पहली सरकार है! दिल्ली सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया। तो कितने काम गिनवाये! 450 से ज्यादा ऐसी अनओथोराइज्ड कालोनी हैं, जहाँ पर लाईन डली पिछले 15 साल में, शीला दीक्षित जी के राज में तीन सौ कालोनियों में और इस तीस साल में तीन

माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण 436  
पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

19 मार्च, 2018

साल के अंदर 450 कालोनियों के अंदर पानी की लाईन डालने का काम जल बोर्ड ने किया और माननीय जलमंत्री जी ने किया बहुत बड़ा और नेक काम किया है। आज साढ़े बारह सौ के आस पास कालोनियों में पानी की लाईन द्वारा, पानी टूटी तक भेजने का, उनके घर तक भेजने का काम किया जा रहा है। ये दिल्ली जल बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। तो ऐतिहासिक काम किये! अनआथोराइज्ड कालोनी को लेकर बहुत सारे, हम सारे विधायकों के क्षेत्र में अनआथोराइज्ड कालोनी हैं। वो अनआथोराइज्ड कालोनी, जहाँ करीबन 50 से 55 लाख मतदाता हैं, अनआथोराइज्ड कालोनी में रहते हैं। कभी नहीं सोचा था उन्होंने कि हमारे यहाँ पानी की लाईन डल जायेगी। कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पर सड़कें बननी शुरू हो जाएंगी। लेकिन तमाम व्यवधानों के बावजूद भी हमने डीएसआईडीसी से अलग, अलग डिपार्टमेंट से बहुत सारी कालोनियों के अंदर रोड और नालों का निर्माण कराया। गाँव की बात आती है तो ग्रामीण विकास बोर्ड से जैसा कि देखा दो करोड़ रुपये पर विलेज के हिसाब से इस बार ग्रामीण विकास बोर्ड में माननीय मंत्री गोपालराय जी ने प्रावधान किया और कई सारे गाँव के अंदर इतने ऐतिहासिक काम! जो चोपालें जर्जर हो चुकी थीं, जो चौपालें नई बनी नहीं थी कभी, ऐसी ऐसी चोपाल और ऐसे ऐसे काम इस सरकार के राज में, इस सरकार में ये काम हुए हैं।

न्यूनतम मजदूरी की जहाँ तक बात करें, जो 9 हजार रुपये कभी न्यूनतम मजदूरी हुआ करती थी, आज 13 हजार 584 रुपये न्यूनतम मजदूरी दिल्ली के अंदर की गई है। जो कि अपने आप में ऐतिहासिक काम है! माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इन सभी बातों को बताया और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से माननीय उपराज्यपाल महोदय

माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण 437

28 फाल्गुन, 1939 (शक)

पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

ने कहा कि मेरी सरकार ने ये काम पिछले तीन साल में किये हैं, आने वाले समय में, हमारे बहुत सारे कार्य माननीय उपराज्यपाल महोदय के माध्यम से होने जा रहे हैं। उनका नरम रुख हमारी तरफ बना रहेगा।

बिजली की जहाँ तक बात करें, 14 फरवरी 2015 से पहले बिजली का बिल चार सौ यूनिट कम है। 400 यूनिट का बिजली का बिल 2340 रुपये का जहाँ इस दिल्ली पे आता था, आज वो 1140 रुपये आ रहा है। मैं ये मानता हूँ कि सरकार वो होती है कृ. अगर उस सरकार के अंदर, उस दिल्ली के अंदर कोई नागरिक 10,000 रुपये महीना कमाता है, एक 10,000 रुपया, 20,000 रुपया महीना कमाने वाला व्यक्ति अगर अपने तीन साल पहले की सरकार, जो चार साल पहले ये सरकारें रही हैं, उनके दौरान, वो एक पैसा नहीं लेकर आता था अपने घर पे। बच्चों की फीस, दवाई का इलाज, बिजली का बिल, पानी का बिल, आज मोटा—मोटा इस सरकार के आने से उसकी जेब का आधा पैसा बचा है, इस सरकार के आने से औरकृ.

v/; {k egkn; % गुलाब जी, अब कन्कलूड करिए।

Jh xgk c fl g % अध्यक्ष महोदय, उसकी जेब में जो पैसा रखा था, उसकी जो, घरवाली ने जो पैसा जोड़ के रखा था, हमारे देश में बहनों ने जो पैसा जोड़ के रखा था, उल्टा वो भी निकलवा लिया, काले धन के नाम पर। लेकिन एक ये सरकार है जो 10,000 रुपये महीना कमाने वाले का 5,000 रुपया बचाया इस सरकार ने। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ माननीय उपराज्यपाल महोदय का और आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत—बहुत शुक्रिया।

माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण 438  
पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

19 मार्च, 2018

v;/; {k egkn; % बहुत—बहुत धन्यवाद, ऋतुराज जी।

Jh \_rjkt xksou % माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत—बहुत धन्यवाद कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया।

सबसे पहले मैं उपराज्यपाल महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने भाषण में, अपने अभिभाषण में उन सभी बातों को इन्क्लूड किया जो काम तीन सालों के अंदर में दिल्ली के अंदर हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, किसी भी स्टेट, किसी भी देश के अंदर क्या काम हुए हैं, क्या होने चाहिए, उसके जो पैरामीटर्स होते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। केवल ये नारा देना कि राष्ट्रनिर्माण करेंगे और राष्ट्रनिर्माण हो रहा है। मैं अपनी बात शुरू करूँ, उससे पहले मैं आपके सामने कुछ डेटा रखना चाहता हूँ और ये डेटा कोई मैं अपने घर से नहीं लेकर आया।

अध्यक्ष महोदय, ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, मेरे हाथ में। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है जो कहती है कि हर दो में से एक महिला अनीमिक है और हर तीन बच्चे में से एक बच्चा स्टेप्टेड यानि कुंठा और हर 4 बच्चे में से 1 बच्चा मॉलनरिश्ड यानी कि कुपोषित, ये नीति आयोग की रिपोर्ट है और ये बात मैं इसलिए आपके सामने कह रहा हूँ कि देश के अंदर जब बात स्वास्थ्य की होती है, शिक्षा की होती है तो थोड़ा सा आईना दिखाना बहुत जरूरी है कि स्थिति क्या है। किसी भी देश का, किसी भी राज्य का निर्माण तब तक नहीं हो सकता है जब तक वहाँ के सीटिजंस को अच्छी शिक्षा न मिले, उनका अच्छा स्वास्थ्य न मिले। किसी भी राज्य का उत्थान तब तक नहीं हो सकता है जब तक इन छोटी-छोटी चीजों पर काम न किया जाए। वो प्रदेश कैसे आगे बढ़ सकता है जिसके बच्चे कुपोषित हों, कुंठित हों, जहाँ की महिलाएं अनीमिक हों? ये पॉसीबल नहीं हैं।

माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण 439  
पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

28 फाल्गुन, 1939 (शक)

मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ एजुकेशन के ऊपर। अध्यक्ष महोदय, ज्यादा समय मैं नहीं लूँगा आपका। इसी नीति आयोग की रिपोर्ट, मैं पूरा पढ़कर आया हूँ आज मैं उम्मीद करता हूँ दो मिनट फालतू समय आप दे देंगे मुझे। शिक्षा में यही नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि सबसे खराब स्थिति जिन राज्यों की है, वो राज्य हैं उत्तराखण्ड, छत्तीसगढ़ और बिहार, ये सभी वो प्रदेश हैं, जो बीजेपी शासित हैं और जब बात न्यूट्रिशन की करें तो सबसे ज्यादा कुपोषण किसी राज्य में है तो वो हैं; झारखण्ड, बिहार, जहाँ पर बीजेपी की सरकारें हैं और बहुत सालों से हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने अभी शिक्षा और चिकित्सा के ऊपर जैसा गुलाब भाई बता रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा काम शिक्षा पर कहीं हुआ है तो दिल्ली के अंदर हुआ है और दुर्भाग्यवश दिल्ली का कहीं नाम नहीं है। न तो अच्छे में है, न बुरे में है। दिल्ली के डेटा को इन्क्लूड नहीं किया गया। क्योंकि दिल्ली के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में रेवल्यूशन आया है। पूरी दुनिया ने इस बात को स्वीकार किया है। हॉवर्ड से लेकर के बड़े-बड़े देशों में इसकी चर्चा हो रही है। अमेरिका में चर्चा हो रही है। मोहल्ला विलनिक की चर्चा हो रही है। शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा हो रही है इसीलिए इसको यहाँ पर शामिल नहीं किया गया लेकिन स्थिति क्या है कि पिछली सरकार ने 800 कमरे बनाए थे और हमारी सरकार ने केवल और केवल तीन साल के अंदर में 6715 बनकर तैयार हैं और 8000 अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। 8000 अंडर कंस्ट्रक्शन हैं!

इसके अलावा स्वास्थ्य के फील्ड में 30 प्रतिशत ओपीडी में वृद्धि हुई है, 30 प्रतिशत! और इतना ही नहीं है, मोहल्ला विलनिक यानी कि डोर स्टेप जो हैल्थ सर्विस है, अभी लगभग जैसा कि मंत्री जी ने अपनी रिपोर्ट

माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण 440  
पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

19 मार्च, 2018

मैं बताया कि 200 के आसपास मोहल्ला क्लिनिक बनकर तैयार हैं और 1,000 खोलने की योजना है। सारी दवाइयाँ, वो सारा जॉच और सारा इलाज मुफ़्त! शिक्षा और चिकित्सा के ऊपर दिल्ली में काम! इतना काम हुआ, इतना काम हुआ, मेरा ऐसा मानना है अध्यक्ष महोदय, कि विकास की सही परिभाषा ये होती है कि किसी भी जगह पे अगर आप इन्वेस्टमेंट कर दो, सड़क नालियाँ, ये तो ऐसी चीजें हैं जो टेम्परेरी डेवलपमेंट हैं, 5 साल, 7 साल में टूट जाएगा लेकिन जिस बच्चे में हम निवेश कर रहे हैं, जिसको हम पढ़ा रहे हैं, जिसके हम स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं, यही रिपोर्ट कहती है कि जो 6 साल, 6 महीने से लेकर के और 24 महीने तक का जो बच्चा होता है, वो नरिशमेंट के मामले में सबसे इम्पोर्टेट पीरियड होता है। अगर उस वक्त में बच्चे के नरिमेंट के बारे में अगर ध्यान रखा जाए, तो उसका जो ब्रेन का विकास है, वो 90 परसेंट तक उसी ऐज ग्रुप में होता है, इतना इम्पोर्टेट है! जहाँ पर एक तरफ कुपोषण के बारे में रिपोर्ट बनाया, वो दिखाया नीति आयोग का। अध्यक्ष महोदय, वहीं पर दिल्ली का ये रिकॉर्ड है कि अब मिड-डे मील में अमूल का दूध मिल रहा है दिल्ली के अंदर। केला और अंडे का प्रावधान है, बहुत सारे स्कूलों में शुरू भी चुका है। तो जो कार्य दिल्ली सरकार ने किया है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है।

एक तरफ हमारी सरकार है, एक तरफ सरकार है, जो कहती थी 15—15 लाख रुपया मिलेगा। हम कहते हैं कि हिंदुस्तान के कोई भी व्यक्ति को 15—15 लाख रुपया नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को इस लायक बना दो कि जब वो इस लायक हो, स्कूल से बाहर जाए, कॉलेज से बाहर जाए तो किसी को 15 लाख से कम का पैकेज ना मिले, इस लायक बना दो, आज ये भी देश में व्यवस्था हो।

माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण 441  
पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

28 फाल्गुन, 1939 (शक)

ये कहते हैं कि 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ,' भाजपा वाले कहते हैं। मोदी जी कहते हैं, खूब प्रचार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि दो—चार सौ करोड़ रुपया तो खाली प्रचार में ही लगा दिया होंगे! 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' और मैं उम्मीद करता हूँ, मेरी भावना को समझेंगे, आप सब लोग समझेंगे 'बेटी बचाओ' ये नीति है। प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं सेक्स रेशो की, गलत तो नहीं कह दी। ये सेक्स रेशो की, नीति आयोग की रिपोर्ट है, अध्यक्ष महोदय, जो कहती है कि गुजरात में 1000 मेल पर 894, एट हण्ड्रेड फ्रिफ्टी फोर फीमेल्स गुजरात में हैं, उत्तराखण्ड में 844, हरियाणा में 831, राजस्थान में 861, महाराष्ट्र में 878 ये सभी राज्य भाजपा शासित राज्य हैं। 'बेटी बचाओ!', हो रहा है उल्टा। नीति आयोग की रिपोर्ट ये कहती है कि Gujarat registered a significant decline in sex ratio. 907 से लेकर के 894 एक ही साल में हो गई, पिछले साल 907 था इस बार 894 हो गया। ये 'बेटी बचाओ' कहते हैं, हो रहा उल्टा! गंगा उल्टा बह रहा है और जिन राज्यों में अच्छा सेक्स रेशो है, जहाँ पर बेटी को बचाने के लिए कार्य हो रहा है, 967 केरला में, वेस्ट बंगाल में 951, उड़ीसा में 950, कर्नाटका में 939 ये तमाम नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं, जहाँ पर सही मायने में इस पर काम हो रहा है तो खाली क्या ये जुमलाबाजी? ये भी नारा भी जुमला हुआ? खाली नारा देने के लिए दिया था 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' और कहते हैं 'बेटी पढ़ाओ।' पढ़ाएंगे कैसे? पढ़ाने के लिए तो बजट चाहिए। उसके ऊपर कुछ काम होना चाहिए। कोई विजन नहीं है, कोई प्लॉन नहीं है। बजट बढ़ाने की बजाय घटा रहे हैं लेकिन 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' ये कैसी चीज हैं? समझ से परे है। आप एक नारा देते हो और काम उसका उल्टा होता है। आप ही के शासित राज्यों में, तो अध्यक्ष महोदय, ये बातें मेंशन करनी

माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण 442  
पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

19 मार्च, 2018

बहुत जरूरी हैं कि 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' पर भी सबसे ज्यादा काम कोई सरकार कर रही है तो वो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की, आम आदमी पार्टी की, दिल्ली की सरकार कर रही है। हमने एजूकेशन में बजट दिया। आज हर स्कूल के अंदर ऐसी व्यवस्था हो गई है कि अच्छी पढ़ाई हो रही है कि आज की तारीख में किराड़ी क्षेत्र में रहने वाला कोई गरीब रिक्षा वाला अगर उसकी चार बेटियों हैं तो उसको इस बात की परवाह करने की जरूरत नहीं है; उसको फीस देना, अब उसको अच्छे-अच्छे स्कूल में अपना एडमिशन करवा सकता है। चारों बेटियों को अच्छा पढ़ा सकता है। अच्छा पढ़ा सकता है ये काम दिल्ली की सरकार कर रही है। ये कहते हैं बेटी पढ़ाओ 4500 रुपया गैस्ट टीचर को तनख्वाह मिलेगी, तो वो टीचर पढ़ाएगा कि स्कूल में जाकर खैनी-चूना खाएगा? क्या करेगा बैठकें? टैशन इस बात का रहता है कि शाम को घर जाने पर घर वाली पूछेगी, 'सब्जी लाए हो कि नहीं लाए हो?' दिल्ली की सरकार ने 36 हजार रुपया गैस्ट टीचर को दिया है। सम्मानजनक वेतन, अब जाकर के टीचर्स मन लगाकर के पढ़ाते हैं। ऐसे ही नहीं, प्राईवेट स्कूल से बढ़िया टीचर सरकारी स्कूल का हो गया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे देश में सबसे ज्यादा वेतनमान किसी राज्य में मिल रहा है तो आज की तारीख में तो दिल्ली में मिल रहा है। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि हम जैसे नौजवानों को मौका मिला लेजिस्लेटिव कॉन्फ्रैंस में जाने का। वहाँ पर तो तमाम राज्यों के विधायक आए थे, उनसे इन्टरैक्ट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे हैरानी हुई जानकार अध्यक्ष महोदय, कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को, 1500 रुपया तनख्वाह मिलती है, 1500 रुपया! अब 1500 रुपया में और उसके बाद सब एक्सैप्ट कर रहे हैं, मोदी जी एक्सैप्ट कर रहे हैं, केंद्र

माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण 443

28 फाल्गुन, 1939 (शक)

पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

भी एक्सैप्ट कर रहा है कि आंगनवाड़ी के जरिए हम जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, जो कुपोषण के शिकार हैं, उनकी हम नैरिशमेंट करेंगे। कैसे पॉसिबल हो सकता है! जो बच्चा, जो व्यक्ति अपने बच्चे का नैरिशमेंट नहीं कर सकता, वो मोहल्ले के बच्चों की नैरिशमेंट्स कैसे कर सकता है! मेरी समझ में नहीं आता। दिल्ली के अंदर पहले मामूली तनख्बाह मिलती थी, आज दिल्ली के अंदर वर्कर्स को सबसे ज्यादा तनख्बाह मिलती है। पूरे देश के अंदर 12000 हजार रुपये मिलती है। ये कैसे पॉसिबल है जिस व्यक्ति को 1500 रुपए मिले आंगनवाड़ी में और उससे सरकार ये उम्मीद करे कि वो मोहल्ले के बच्चों की नैरिशमेंट करे, आप उससे ये उम्मीद करते हैं कि भईया, कुपोषण के ऊपर तो हमारी हालत कैसी है, ये नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है। उसके ऊपर कार्य होगा, ये पॉसिबल नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं जरा सा बताना चाहता हूँ चिकित्सा के ऊपर एक हजार पेशेंट पे ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, एक हजार पेशेंट पे हरियाणा, छत्तीसगढ़ और झारखंड 0.30 प्वाइंट्स यानी लगभग 6–7 हजार पेशेंट पे एक डॉक्टर है। ये गाय—भैंस चरा रहे हैं क्या? 6–7 हजार पेशेंट पर एक डॉक्टर और आंकड़े 0.13 हरियाणा में, झारखंड, छत्तीसगढ़ सारे बीजेपी रूल्स स्टेट हैं और ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पर बीजेपी की 15–15 साल, 20–20 सालों से सरकार हैं, इनकी, 15–15, 20–20 सालों से इनकी सरकार है और जिन राज्यों के अंदर में स्थिति बेहतर है; कर्नाटका, पंजाब वो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं, दिल्ली को तो इसमें इन्होंने मेन्शन ही नहीं किया। लेकिन फिर भी मैं ये आंकड़े इसलिए रख रहा हूँ कि क्योंकि इनकी कथनी में और इनकी करनी में कितना डिफरेंस है, ये इन्हीं की रिपोर्ट कह रही है। इनकी कथनी और करनी में ये फर्क हुआ है।

माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण 444  
पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

19 मार्च, 2018

मैं ये सारी बात अध्यक्ष महोदय, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दिल्ली सरकार के एजूकेशन और हैत्य पर तो अभी हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं और करेंगे भी। लेकिन ये आंकड़े जानना बहुत जरूरी है सदन के सामने। अध्यक्ष महोदय, मैं अनऑथोराइज्ड कालोनी का रैप्रजेंटेटिव हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते थे, इन्हों के नेता थे, सीख हम लोग रहे हैं। कहते थे किसी भी राज्य, किसी भी देश का विकास तब हो सकता है, जब पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति को हम बेनिफिट पहुँचाएं।

**Jh I keukFk Hkj rh %** गांधी ने कहा था।

**Jh \_rgkt xlson %** गांधी ने भी कहा था। जिसको ये लोग कहते हैं; एक योजना बताते हैं अंत्योदय। अरे सोमनाथ जी, गांधी जी ने कहा था, हम तो इन्हों की बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं। हाँ, जिसने कहा था, अच्छा कहा था। तो अंतिम व्यक्ति को बेनिफिट कोई पहुँचा रहा है देश के अंदर तो वो हमारी सरकार पहुँचा रही है। बिजली और पानी के रूप में डॉयरेक्ट पेसे देकर। ये कहते थे 'बहुत हुई मंहगाई की मार, अब पेट्रोल और गैसिज मंहगे, डीजल और पेट्रोल मंहगे। हमने कहा था, 'बिजली बहुत मंहगी है।' 2500 रुपए बिल आता था गरीब आदमी का, अब एक हजार आता है, 1500 रुपए का बेनिफिट इनडॉयरेक्ट दे दिया। पानी के नाम पे बेनिफिट हो गया, दवाई के नाम पे बेनिफिट हो गया। तो पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति को बेनिफिट कोई पहुँचा रहा है, इस देश के अंदर तो वो माननीय मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीजीवाल की, आम आदमी पार्टी की, दिल्ली की सरकार दे रही है। मैं अनऑथोराइज्ड कालोनी से आता हूँ। हमारे यहाँ पर लोग टैकर के पीछे तक दौड़ते थे, टैकर के पीछे। विजेन्द्र गुप्ता जी नहीं सुन पाएंगे। हमारे यहाँ पर अध्यक्ष महोदय, एक बहुत इम्पोर्टेण्ट,

माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण 445  
पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

28 फाल्गुन, 1939 (शक)

बहुत सीरियस बात कह रहा हूँ मैं आपसे। हमारी विधान सभा क्षेत्र में अगर एक टैंकर मिल जाए, ऐसी स्थिति थी, तो समझ लो वो पैर पकड़ने को तैयार होते थे। मतलब ऐसा लगता था कि पता नहीं, क्या मिल गया! टैंकर की ऐसी मारा—मारी थी, पूरा अनअौथोराइज्ड कालोनी में। हमने देखी है स्थिति, जिस वक्त मैंने शपथ लिया था, मेरे ऑफिस में रोज 500 महिलाएं पीने का पानी का टैंकर माँगने आती थी। ये स्थिति हिन्दुस्तान की राजधानी दिल्ली की थी और आज बताते हुए खुशी होती है कि पूरे दिल्ली में 450 कॉलोनी में और मेरे यहाँ पर 80 कॉलोनी में घर—घर पीने का पानी पहुँचाने का काम किया है।

v/; {k egkn; % अब करिए, कन्कलूड करिए ऋतुराज जी, प्लीज। अच्छा बोले हैं आप। कन्कलूड करिए।

Jh \_rjkt xksouh% बस दो मिनट, केवल दो मिनट, घर—घर पानी पहुंचाया, आज मेरे ऑफिस में 5 लोग भी पानी का टैंकर माँगने नहीं आते। देखिए इस अभिभाषण पे मैं आपसे वो बातें शेयर कर रहा हूँ जिससे सही मायने में लोगों के जीवन में फर्क पड़ा है। वो चाहे बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो। मेरे क्षेत्र में अध्यक्ष महोदय, 53 परसेंट लिटरेसी रेट है 99 परसेंट जो आबादी है, वो माइग्रेंट है, माइग्रेटिड है, लेबर है। अगर मैं उसकी बात ना कहूँ तो बात पूरी नहीं होगी। हमारे यहाँ पर वो जरूरतमंद बुजुर्ग, जिनको कुछ सौ रुपए मिला करते थे वृद्धावस्था पेन्शन के रूप में और तमाम राज्यों में उतना ही मिलता है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बुजुर्गों का पेंशन ढाई हजार रुपया महीना किया, विकलांगों का पेंशन ढाई हजार रुपया महीना किया, विधवाओं का पेंशन ढाई हजार रुपया महीना

माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण 446  
पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

19 मार्च, 2018

किया। जिस व्यक्ति को भी ये बेनिफिट मिला, आज वो दोनों हाथों से हमें आशिर्वाद देता है और दिल ठोककर के प्यार देता है, आशिर्वाद देता है।

**v/; {k egkn; %** धन्यवाद, धन्यवाद, अब हो गया ऋष्टुराज जी प्लीज, बैठिए, बैठिए और सदस्यों ने भी बोलना है, सारे विषय आप बोल लेंगे तो बाकी विषय कहाँ से आएंगे? निकालेंगे नहीं।

**Jh \_rgkt xksouln%** अध्यक्ष महोदय, एलजी साहब ने अपने अभिभाषण में सारी बातों का उल्लेख किया, और हम उनका बहुत—बहुत धन्यवाद करते और मैं आखिर मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जैसे उन्होंने खुली सराहना की है कि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तो ओर भी ज्यादा हम उनसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं, इस उम्मीद के साथ, आपका बहुत—बहुत धन्यवाद करते हैं।

**v/; {k egkn; %** मैं एक थोड़ा सा जानकारी के लिए अभी 10–11 मार्च को लोकसभा अध्यक्षा ने, पूरे भारत के एमएलएज, मंत्री महिला, पुरुष का एक आयोजन किया था पार्लियामेंट में, अपने यहाँ से 6 सदस्य गए थे और नीति आयोग के सीईओ अमिताभ श्रीवास्तव, विशेष रवि जी भी थे, टोकस जी भी थी, बंदना जी भी थी, हमारे भावना जी भी थी और बग्गा जी थे। नीति आयोग ने जो रिपोर्ट वहाँ पेश की है, वो वाकई में चौंकाने वाली है, हम सब सदस्य राजनीति से जुड़े हैं। वो नीति आयोग की रिपोर्ट हमें पढ़नी चाहिए। वो दूध का दूध, पानी का पानी करती है। नीति आयोग ने पूरी केन्द्रीय सरकार को कटघरे में खड़ा किया और वो सारा इन्होंने जिक किया है। इसका मतलब ये कुछ सीखकर आए हैं। मैं ऋष्टुराज जी को इसके लिए, मेरा मामला सफल हुआ भेजने का, मैं बहुत—बहुत बधाई देता हूँ। हाँ,

माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण 447

28 फाल्गुन, 1939 (शक)

पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

दिल्ली का उन्होंने नहीं दिया लेकिन पढ़ना चाहिए। हमको बहुत जानकारी मिलेगी उससे। चलिए, बंदना कुमारी जी।

**Jherh canuk dekhi%** अध्यक्ष जी, आपका बहुत—बहुत धन्यवाद जो कि मुझे उपराज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। सर, आज उपराज्यपाल जी जब बात कर रहे थे, दिल्ली की एक—एक चीज पर उन्होंने जिक्र किया और एक—एक चीज पर उन्होंने जोर दिया जो दिल्ली की सरकार अच्छा कर रही है तो उन्होंने सदन के पटल पर एक—एक दिल्ली के काम की उपलब्धियों को गिनाते हुए सरकार द्वारा जनहित में किए गए अभूतपूर्व कार्यों का विवरण देते हुए सदन में इस बजट सत्र का शुभारंभ किया। जैसा कि उपराज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में शिक्षा, स्वास्थ्य और केवल बहुत ज्यादा ध्यान दिया, बहुत ज्यादा उसकी सराहना की। तो मैं इस सदन के माध्यम से और सदन के सभी साथियों की ओर से उपराज्यपाल जी से बस इतना सा गुजारिष करना चाहती हूँ जो ये शिक्षा और स्वास्थ्य की जो मुहिम, जो कान्ति दिल्ली की सरकार और दिल्ली के शिक्षा मंत्री जी ने छेड़ी है, उसमें जहाँ कहीं भी बाधा है, किसी भी तरह की बाधा है; चाहे अधिकारियों की ओर से आए, चाहे जमीन की ओर से आए। जहाँ भी बाधा आए तो मैं इस सदन के माध्यम से, सदन के सभी साथियों की ओर से मैं यही निवेदन करती हूँ वो हमें सहयोग करें और दिल्ली को आगे बढ़ाने में दिल्ली के शिक्षा स्तर को आगे बढ़ाने में हम सबका भरपूर सहयोग करें। जिस तरीके से आपने अपने अभिभाषण में भी दिल्ली सरकार की सराहना की है और दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य पर आपने जोर दिया है, उसी तरीके से ये हमारे दो—तीन चीजों को, बहुत सारे साथी हमारे, खासकर ऋतु भाई ने तो कोई चैप्टर छोड़ा ही नहीं, सभी

माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण 448  
पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

19 मार्च, 2018

चीजों को ले लिया। लेकिन अभी जिस तरह से अभिभाषण में उन्होंने पूरे तरीके से झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों के लिए, उन्होंने कहा था; जहाँ 'झुग्गी, वहीं मकान' हमारी सरकार की एक कमिटमेंट थी और उस कमिटमेंट में हम लोगों ने डिसाइड किया था हमारी सरकार ने डिसाइड किया था जो अगर वहाँ पर पॉसिबल न हो तो पॉच किलोमीटर के अंदर में, जो हम सबके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, दिल्ली के अंदर जहाँ झुग्गी, वहीं मकान देना। तो मैं इस सदन के माध्यम से एलजी साहब से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो हम सबको ये बहुत बड़ा हमारी सरकार के लिए चैलेंज है। जो हमें जहाँ झुग्गी वहीं मकान और ये हमारी कमिटमेंट थी जो 2015, 14 फरवरी से जब हमारी सरकार बनी तो उसके बाद से जितने लोगों की जहाँ जो लोग रहते हैं, उसी स्थान पर उनको मकान देने की एक बहुत बड़ी योजना, जो कमिटमेंट हम सबने अपने-अपने घोशणा-पत्र में की थी, हमारी सरकार ने की थी। तो उस तरीके से हमें वहाँ पर जमीन की व्यवस्था, जमीन की उपलब्धता, डीडीए उनके पास है, डीडीए के चेयरमेन वो हैं। तो हम लोगों की डिमाण्ड है और खासकर हमारी सरकार की ओर से उनसे डिमाण्ड करती हूँ जो हमें ये व्यवस्था बनाने में दिल्ली को ये व्यवस्था बनाने में दिल्ली के लोगों को क्योंकि आज स्वच्छ भारत की बात सभी जगह हो रही है, स्वच्छता की बात हम कर रहे हैं। लेकिन आज उस गली में जब हम सब जाते हैं, अपने-अपने विधायक, अपने-अपने क्षेत्र में जाते होंगे, जे.जे.कलस्टर में तो न नालियों की अच्छी व्यवस्था है, षौचालय की अच्छी व्यवस्था नहीं है। ऐसी-ऐसी गली में रहते हैं। जो आज सुबह चर्चा हो रही थी जो स्कूलों को फायर सेफ्टी है कि नहीं, स्कूलों में। अगर हम सब जाते हैं तो कहीं न कहीं, वहाँ चिंता बनती है जो उस गलियों

माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण 449  
पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

28 फाल्गुन, 1939 (शक)

में जो झुग्गी-झोपड़ी की गली है, वहाँ कौन-सी फॉयर सेफ्टी है, वहाँ  
कौन-सी एम्बुलेंस, कौन-सी आपदा वहाँ काम करेगी? वहाँ हम सबको घुसना  
बहुत मुश्किल होता है। एक-एक गली में जब हम जाते हैं तो हमें काफी  
चिंता होती है जो अगर कहीं कोई दुर्घटना हो गई तो क्या स्थिति होगी  
उस स्लम की! और यायद हम किसी को बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे।  
इसलिए हम सबको जल्द से उसकी व्यवस्था बनाने की जरूरत है और  
इसमें हम सबको मिलकर एलजी साहब का भरपूर सहयोग चाहते हैं जो  
आगे बढ़कर दिल्ली की सरकार को अच्छी तरह से चलाने के लिए वो अपना  
भरपूर सहयोग करें।

अभी उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा जो शौचालय, हमारी शौचालय  
बनी बहुत ज्यादा दिल्ली के अंदर 40-40 साल से बस्तियां बसी हुई थी।  
लेकिन वहाँ बेसिक जो हमारी महिला और हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां, हमारी  
बहनें खुले में शौच करने को मजबूर थी। तो आज हमारी सरकार ने पूरी  
दिल्ली के अंदर 640 शौचालय तैयार करके दिया और उससे भी बहुत  
खूबसूरत बात जो अब इक्का-दुक्का पैसे, एक रुपये की वजह से वो बाहर  
खुले में शौच जाते थे। जो आज 2018 में जब ये घोशणा हुई जो फी तो  
लोगों में चार चॉद लग गई और जो लोग कभी खुले में चले भी जाते थे,  
वो लाइन लगाकर और अंदर ही शौचालय के अंदर जाते हैं। ये हमारी सरकार  
की बहुत बड़ी उपलब्धी थी और इसमें आगे कुछ बस्तियां सभी जगहों की  
कहीं रेलवे में होगी, कहीं रेलवे की जगह पर है, कहीं पर हरियाणा गर्वमेंट  
की जगह पर है, कहीं पर परमिषन नहीं मिल पा रही है शौचालय बनने  
की। जिसके लिए हर क्षेत्र में होगी, कहीं रेलवे की जगह होगी, कहीं पर  
हरियाणा गर्वमेंट की जगह, तो मैं इस सदन के माध्यम से क्योंकि एलजी

माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण 450  
पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

19 मार्च, 2018

साहब के अभिभाषण पर बोलना है तो मैं एलजी साहब से यही कहना चाहूँगी जो जहाँ—जहाँ रेलवे से हमें परमिशन नहीं मिल रही है, वहाँ पर षौचालय नहीं बन पा रहे हैं। हरियाणा गवर्नर्मेंट की जमीन पर बहुत सारी बस्तियाँ बसी हुई हैं, उनके सब कुछ है। 30—30 साल, 20—20 साल पुराने उनके पास राष्ट्रन कार्ड, बिजली बिल सब कुछ है लेकिन उनको षौचालय पक्का नहीं बन पा रहा है। तो इसमें हम सबकी दिल्ली सरकार की मदद करें और दिल्ली सरकार को एक मजबूत सरकार बनाने में वो अपनी भागीदारी सुनिष्ठित करें और स्पोर्ट करें, हमारी दिल्ली सरकार को। तो लगातार इस तरह से एलजी साहब ने अपने भाशण में शिक्षा और स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा जोर दिया। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे ऋष्टुराज भाई ने बताया, जो हम सबकी बेसिक बुनियाद है। अलग—अलग देष से, जा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, यहाँ से बिजनेस ऑपोर्चुनिटी लेकर इंडिया के अंदर आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ की पॉपुलेषन बहुत बड़ी है, इसलिए आ रहे हैं। लेकिन यहाँ की पॉपुलेषन की सुरक्षा, यहाँ के लोगों की सुरक्षा, यहाँ के बच्चों की सुरक्षा, एक ही चीज दे सकती है, वो है; उनका शिक्षा और उनका स्वास्थ्य। जिसके ऊपर हमारी सरकार बहुत ताकत और बहुत ईमानदारी के साथ मुख्यमंत्री जी के सहयोग से शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी के सहयोग से काम कर रही है। मैं आप सभी साथियों का और साथ एलजी साहब का तहेदिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ ये सदन उन पर उम्मीद भरी निगाहों से उनकी ओर देख रहा है जो उनका अगर भरपूर सहयोग रहेगा तो दिल्ली सरकार के पास अभी दो साल का समय है और, दो साल के कार्यकाल में हम बहुत कुछ दिल्ली को दे सकते हैं। जय हिन्द जय भारत।

माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण 451  
पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

28 फाल्गुन, 1939 (शक)

V/; {k egkn; % महेन्द्र गोयल जी का नाम नहीं था लेकिन उनकी स्लिप जो लिखकर आई है, केवल आज उसी पर बोलेंगे। बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगा है। माननीय सत्येन्द्र जैन जी थोड़ा इस ओर ध्यान दें।

Jh egknz xks y% धन्यवाद अध्यक्ष जी।

...(व्यवधान)

V/; {k egkn; % बहुत महत्वपूर्ण है। सुनिए, आप दो मिनट सुनिए।

Jh egknz xks y% सिर्फ उसी विषय पर बोल रहा हूँ। जहाँ पर हैल्थ के अंदर एक पालिसी बनाई है कि कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है और दिल्ली की एफआईआर होती है तो देष में कहीं का भी नागरिक क्यों न हो, तो प्राइवेट हॉस्पिटल उसका इलाज करेंगे और उसका खर्चा दिल्ली सरकार देगी। लेकिन जब दिल्ली के नागरिक का दिल्ली की सीमा से बाहर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका खर्चा दिल्ली सरकार नहीं दे रही। तो मेरी स्वास्थ्य मंत्री साहब से ये आग्रह है कि दिल्ली की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कि दिल्ली के नागरिक का देष के किसी भी कोने के अंदर कहीं पर भी खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो उसको वो खर्चा मिलना चाहिए।

ये मेरा अध्यक्ष जी आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध है।

V/; {k egkn; % सत्येन्द्र जैन जी उत्तर दे रहे हैं।

Jh I R; knz tM; NokLF; ea=h% अध्यक्ष महोदय, महेन्द्र गोयल जी ने ये प्रश्न मेरे सामने पहले भी रखा था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और

माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण 452  
पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

19 मार्च, 2018

इसको करना भी जरूरी है। इसका देखिए, दिल्ली में कैसे कर पा रहे हैं हम लोग। दिल्ली में हमारी सरकार है। बहुत सारे प्राईवेट हॉस्पिटल्स इस स्कीम को करने को तैयार नहीं हैं। तो यहाँ पर तो फिर हमने ऑर्डर देकर जिसे कहते हैं ना, डंडे से, कि करना ही पड़ेगा और रेट्स हमने फिक्स किए हुए हैं उनके रेट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप मैक्स में जाएंगे या कहते हैं फोर्टिस में जाएंगे या किसी बड़े अस्पताल में जाएंगे तो जो मर्जी उसका आपसे 10 लाख रुपये लेते हैं और सरकार तीन लाख रुपये देती है। सरकार ने ये कहा है कि ये कमाने के लिए नहीं है, एक्सीडेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको मौका मिल गया, किसी को लूट लीजिएगा, कमा लीजिएगा। हमने अभी कमेटी बनाई थी जिसमें प्राइवेट डॉक्टर्स भी थे, दिल्ली सरकार के डॉक्टर्स भी थे सबने मिलके। पहले तो लोग ये कहते थे, भई, हमारे को सिर्फ और सिर्फ खर्चा दे दो, जो हमारा खर्चा होता है। सामान का खर्चा मिल जाएगा, तो लगभग उसी तरीके से हमने करके ऑर्डर कर दिए। अब होता क्या है किकृ. इनकी बात भी ये है कि केरल में कोई हमारा दिल्ली का आदमी गया, एक्सीडेंट हो गया। अब वहाँ पे किसी अस्पताल से हमारा एग्रीमेंट तो है नहीं। तब से एग्रीमेंट है नहीं तो उसको पेमेंट कैसे करें? पूरे देश भर के अन्दर छोटे बड़े मान लो 10 हजार या 20 हजार हॉस्पिटल्स हैं; एक-एक का बिल आएगा, एक एक का सेटलमेंट होगा तो वो पॉसिबल नहीं हुआ नहीं, काफी डिस्कशन हुआ पर इसका सॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं। दिल्ली की सारी जनता के लिए हम हेत्थ इंश्योरेंस स्कीम्स ले के आ रहे हैं और उसके अन्दर, मैं बिल्कुल आश्वासन देना चाहूंगा कि इसका ध्यान रखेंगे। दिल्ली के जो नागरिक हैं, उनका अगर दिल्ली से बाहर भी एक्सीडेंट होता है तो उसका ध्यान हम बिल्कुल रखेंगे उसके अन्दर।

माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण 453  
पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

28 फाल्गुन, 1939 (शक)

v/; {k egkn; % श्री जगदीश प्रधान जी।

Jh txnh'k izku % धन्यवाद अध्यक्ष जी।

...(व्यवधान)

v/; {k egkn; % नहीं आज 6:00 बजे तक जो बाकी रह जाएंगे, उनको  
कल लेंगे। चर्चा निरंतर रहेगी। जगदीश जी के बाद आपका नाम है।

Jh txnh'k izku % उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आपने  
सदन में चर्चा कराई, उसके लिए आपको धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो  
मैं स्कूलों की बात करूँगा कि आपकी सरकार ने तीन साल पहले 500  
नये स्कूल खोलने की बात कही थी। 500 नये स्कूल खोलने की बात कही  
थी।

v/; {k egkn; % भई जगदीश जी, जगदीश जी, एक बात कहूँ देखो  
कान इधर से पकड़ लो या उधर से पकड़ लो।

Jh txnh'k izku % सर, वो मैं...

v/; {k egkn; % जितने कमरे बने हैं, जितने कमरे बने हैं, उतने स्कूल  
बने गए।

Jh txnh'k izku % सर, सर, वो।

v/; {k egkn; % हॉ, चलिए करिए।

Jh txnh'k izku % और जहाँ खेलमंत्री होने। दिल्ली में समान  
विकास की बात कही थी कि दिल्ली का समान विकास होगा। हमने उसकी  
तारीफ भी की थी कि बहुत अच्छी बात है, आज दिल्ली का समान विकास

माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण 454  
पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

19 मार्च, 2018

करने की बात कह रहे हैं। तो मैं उन क्षेत्रों की बात आपके सामने करना चाह रहा हूँ कि जो छः हजार कमरे आपने बनाए, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आठ कह लो, मैं कह रहा हूँ 10 हजार बना दिए बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी है और अपने शिक्षा मंत्री जी ने यहाँ ऐलान किया था कि खजूरी के पास जल बोर्ड की जगह पड़ी है, जहाँ हमारी विधान सभा करावल नगर हो, वो बात हो गोकलपुरी हो। जहाँ स्कूल बनाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि हम 10 स्कूल खजूरी में जल बोर्ड की जगह में बनाएंगे और मेरे ख्याल से अब तीन साल बीत जाने के बाद वहाँ आधारशिला तक नहीं रखी गई।

...(व्यवधान)

**Jh txnh'k izku %** भाई भारद्वाज जी, आप अच्छी जगह रह रहे हो।

**v;/ {k egkn; %** सौरभ जी, जगदीश जी को बोलने दो। प्यार से बोलते हैं। जगदीश जी, आप बोलिए बोलिए। सौरभ जी जगदीश जी, को बोलने दें प्लीज।

**Jh txnh'k izku %** हम गरीबों को, मैं आपके काम भी बताऊँगा। आपको भी उसके लिए धन्यवाद करूँगा।

**v;/ {k egkn; %** ठीक है। अब नहीं बोलेगा कोई।

**Jh txnh'k izku %** तो सर, वहाँ कोई स्कूल नहीं बना। मेरे यहाँ, मैं अपनी विधान सभा की बात कर रहा हूँ। केवल दो विद्यालय चलते हैं; डबल और एक 10वीं तक का है। यानी कुल मिला के उनको छः स्कूल

माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण 455

28 फाल्गुन, 1939 (शक)

पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

हैं और उन छः स्कूलों के अन्दर कुछ कमरे बने हैं। उसके लिए मैंने यहाँ  
तारीफ भी की थी।

v/; {k egkn; % कितने बन गए?

Jh txnh'k izku % 76 कमरे बने हैं। मैंने उसके लिए धन्यवाद  
किया।

v/; {k egkn; % 76 कमरे बने। चलिए।

...(व्यवधान)

Jh txnh'k izku % उसके बाद... भइया, सुन तो लो। मैं आपकी  
बात कर रहा हूँ मुस्तफाबाद की। तो अध्यक्ष जी, मैंने एक जमीन के लिए  
प्रयास किया। तो मैं एमसीडी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने  
एक स्कूल बनाने के लिए एक रुपये एकड़ की लीज पर हमको तीन हजार  
गज जगह दी है।

v/; {k egkn; % दिल्ली सरकार को?

Jh txnh'k izku % दिल्ली सरकार को मैंने दिलवाई है।

v/; {k egkn; % वेरी गुड!

Jh txnh'k izku % उसमें से शायद हमारा एक स्कूल बहुत जल्दी  
आप लोगों की कृपा होगी, तो बन जाएगा।

v/; {k egkn; % वो तो आज माननीय मंत्री जी ने घोषणा की है।  
सदन में घोषणा की है।

माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण 456  
पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

19 मार्च, 2018

**Jh txnh'k izku %** मैं जगह भी बता रहा हूँ आप करोगे तो। आपकी सरकार है। मैं जगह बताऊँगा आपको। वहीं आ रहा हूँ। तो सर, जहाँ तक अनऑथोराइज्ड कालोनी में विकास की बात है। ग्रामीण विकास बोर्ड की बात है, जमना पार विकास बोर्ड की बात है, तीन साल बीत जाने के बावजूद जमना पार विकास बोर्ड का एक भी कार्य आज तक शुरू नहीं हुआ। ये आपकी कितनी रुचि है काम कराने में, वो दर्शाता है। जहाँ तक अनऑथोराइज्ड कालोनी की बात है, तो मंत्री जी बैठे हैं, मैं कई बार मिला भी।

**pls Qrg fl g %** चार करोड़, पाँच करोड़ रुपये दिए तो हैं आपको।

**v;/ {k egkn;** % फतेह सिंह जी, ऐसे नहीं। फतेह सिंह जी। फतेह सिंह जी ऐसे नहीं। आप अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करिए विकास बोर्ड की। इस साल जो फंड मिला, किस विधान सभा में कितना गया। चलिए आगे बोलो। आगे बोलो।

**Jh txnh'k izku %** 5–10 करोड़ दे दिए, 20 करोड़ दे दिए, 50 करोड़ रुपयेकृ. वो आगे की बात है। मैं तीन साल की बात कर रहा हूँ। अनऑथोराइज्ड कालोनियों में पूरा साल बीत गया, मेरे विचार से मेरी विधानसभा में तो एक भी टेंडर नहीं हुआ और किसी के यहाँ हुआ कि नहीं, उसकी जानकारी होगी। वो या तो झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं, उनका काम है। मैं तो सच्चाई आपके सामने बयां कर रहा हूँ कि मेरे यहाँ एक भीकृ. जब कि 95 परसेंट आबादी मेरी अनऑथोराइज्ड कालोनी में रहती है और एक भी टेंडर आज तक नहीं लगा है। ग्रामीण विकास बोर्ड का दो-दो लाख रुपया, पर गांव के लिए बजट में पास किया गया। दो-दो करोड़ रुपया। मेरे यहाँ दो-तीन गांव हैं और पास की विधान सभा में आठ-दस

माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण 457

28 फाल्गुन, 1939 (शक)

पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

गांव हैं। पूरा साल खत्म होने जा रहा है आज तक एक भी टेंडर नहीं  
लगा और लगा हो, तो मंत्री जी बता दें।

**Jh vekurʌykg [kku %** प्रधान जी, एस्टीमेट तो बनवाओ उसमें से।

**Jh txnh'k i / kku %** यार! जब तुम बोलने जा रहे हो अभीकृ.

**v/; {k egkn;** % भाई, जगदीश जी।

**Jh txnh'k i / kku %** जेल में भी पूरी नहीं हुई।

**v/; {k egkn;** % जगदीश जी, प्लीज ये क्या कहा उन्होंने? गलत नहीं  
बोला। उन्होंने कहा, क्या वो, उन्होंने कहा कि प्रधान जी एस्टीमेट तो बनवा  
दो पहले।

**Jh txnh'k i / kku %** सर, मुझे क्यों टोकें?

**v/; {k egkn;** % तो फिर ये ही तो कहा है इतना तो, इतना भी  
नहीं बोलेंगे आपस में। और आप फिर दूसरा और बड़े प्यार से। प्रधान जी  
कहके बोला है उन्होंने। चलो आप जगदीश जी, करिए आप, करिए। जगदीश  
जी।

**Jh txnh'k i / kku %** वो बाद में बात करेंगे।

**v/; {k egkn;** % करिए।

**Jh txnh'k i / kku %** अरे! क्या कहना चावे है भाई?

माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण 458  
पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

19 मार्च, 2018

Jh vekurtykg [kku % तुम क्या कहना चाहते हो?

...(व्यवधान)

v;/ {k egkn; % उन्होंने बहुत प्यार से कहा प्रधान जी, प्रधान जी कहके बोला उन्होंने। आप अननेसेसरी... ओम प्रकाश का असर आ गया आप पे। चलो बैठिए, अमानतुल्लाह जी। मैंने बोल दिया है। अमानतुल्लाह जी।

...(व्यवधान)

v;/ {k egkn; % आपकी इज्जत करते हैं वो सब। सब विधायक इज्जत करते हैं।

Jh txnh'k izkku % अरे भाई! मैं भी करता हूँ। सबकी करता हूँ।

...(व्यवधान)

v;/ {k egkn; % बैठिए अमानतुल्लाह जी। बैठिए प्लीज।

Jh vekurtykg [kku % फिर आप क्या करोगे?

Jh txnh'k izkku % फिर आप क्या करोगे!

Jh vekurtykg [kku % जा कर लिया हमने, जो करना था, सब जानते हैं।

Jh txnh'k izkku % जा कर लेना फिर।

v;/ {k egkn; % बैठिए। चलिए।

माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण 459  
पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

28 फाल्गुन, 1939 (शक)

**Jh txnh'k izku %** जहाँ तक अनऑथोराइज्ड कालोनियों में, दिल्ली  
में पानी की बात है।

**v/; {k egkn;** % चलिए, आप बोलते रहिए। वो चर्चा आपस में करते  
हैं, आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं।

**Jh txnh'k izku %** अनऑथोराइज्ड कालोनी में दिल्ली के लोगों को  
पानी की व्यवस्था। तीन साल बीत जाने के बाद क्या दिल्ली सरकार ने  
कोई ऐसा उपाय किया है कि लोगों को पीने का पानी टाइम से मिल सके,  
अच्छा पानी मिल सके।

**I ψh jk[kh fcMlyk %** हरियाणा हमें दे ही नहीं रहा।

**Jh txnh'k izku %** नहीं, उसका हमें न दें तो। जमुना हमारे पास  
है। वजीराबाद ब्रिज के आगे जमुना हमारे पास है। बरसात में पानी आता  
है अगर सरकार गंभीर हो तो, दिल्ली को अच्छा पानी पिलाना चाहने की  
नियत हो तो वहाँ एक बहुत बड़ा यूजीआर बना सकते हैं, जिससे हम सालों  
वहाँ से पानी पी सकते हैं। आज तक किसी ने उस पर कोई चर्चा नहीं  
की।

जहाँ तक अभी भाई ऋष्टुराज जी कह रहे थे कि मेरे यहाँ 80 कालोनियों  
हैं, पीने का पानी पहुँच गया। तो सर मैं तो, पानी जहाँ से जाता है भागीरथी  
वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो हमारे बिल्कुल  
नजदीक है, हमारी विधान सभाओं के बीच में है। मेरे यहाँ 10 कालोनियों  
में पाइप लाइन नहीं थी। मैं धन्यवाद करता हूँ सरकार का कि उन 10  
कालोनियों में पानी की लाइन डलवायी उसके लिए धन्यवाद। मगर एक भी,

माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण 460  
पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

19 मार्च, 2018

एक भी उन कालोनियों में पानी की एक बूंद आज तक नहीं आई है। तो जब तक पानी की हम व्यवस्था नहीं करेंगे। हम कितनी पानी की पाइप लाइन डलवा दें, तब तक पानी हमको नहीं मिल पाएगा।

जहाँ तक सैन्टर गर्वर्नमेंट की बात है, जो मेरी थोड़ी बहुत जानकारी है; अमस्त योजना के अन्तर्गत दिल्ली सरकार को खूब पैसा दिया। जिससे पानी की जहाँ लाइनें नहीं पहुंच पायी हैं। बड़ी लाइनें डलनी हैं, नयी लाइनें डलनी हैं तो मेरे विचार से शायद किसी विधायक को इस बारे में एक आधार को नहीं कहता, शायद जानकारी का अभाव है।

v/; {k egkn; % नहीं, सबकी जानकारी में है।

Jh txnh'k izku % तो सर उसका कितना काम हुआ है? तो मेरी बात हुई कई विधायकों से तो वो ये ही कह रहे थे। भारती से भी बात हुई थी इस बारे में। तो उन्होंने भी ये ही कहा था कि हमें इसकी जानकारी नहीं है। तो मैंने उनको बताया। दूसरा जमीन की कमी की बात। लैंड की कमी की बात बार बार आती है। तो मैं एक छोटा सा, जितना अनुभव है मेरा, जानकारी है, वह आपसे शेयर करना चाहता हूँ।

...(व्यवधान)

v/; {k egkn; % भाई जगदीप जी।

Jh txnh'k izku% लैंड बिल, 2013 में भी बहुत मिस दिखाई थी। उसके अकार्डिंग जमीन करना एकवायर करना... और उसमें दो तीन अच्छी बातें निकली कि वो जमीन 10 साल पहले डीडीए ने या किसी एजेंसी ने एकवायर की थी और एकवायर, मान लिया स्कूल बनाने के लिए, हॉस्पिटल

माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण 461  
पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

28 फाल्गुन, 1939 (शक)

बनाने के लिए एकवॉयर की और उसमें आज तक कुछ ना बना होना। न स्कूल बना हो या न अस्पताल बना हो और वो जमीन खाली पड़ी हो तो आप कोर्ट के थूं जमीन को वापस ले सकते हो, जिस किसान की है। और कईयों ने वो जमीनें ले ली। इसी तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में बहुत सारी जगह है। कपिल मिश्रा जी के एरिया में भी दिल्ली पुलिस के लिए जमीनें एकवायर करी गयी थी, डीडीए ने की थी सन छियासी-सत्तासी में और वहाँ 20 एकड़ के आसपास करावल नगर गांव की जमीन ग्राम सभा की थी। उस जमीन का आज तक किसी ने भी मेरे हिसाब से वहाँ वो जमीन खाया है। यदि सरकार प्रयास करे तो थोड़ा थोड़ा जमीन डीडीए ने एकवायर की थी वो, प्लस जो ग्राम सभा की जमीनें एकवायर की थी, जिसका मामला आज तक नहीं उठाया है। कोर्ट के थूं हम वह जमीन ले सकते हैं। वहाँ आप स्कूल जैसी, हॉस्पिटल जैसी चीजें, कॉलोनी जैसी चीज बना सकते हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूँगा कि इस बात को थोड़ी गौर करें ताकि जो बार बार जगह न होने की समस्या उठाते हैं, तो उससे समाधान निकल सकता है।

अध्यक्ष महोदय, विधवा पेन्शन बढ़ाई, उसके लिए धन्यवाद और तीन साल में एक हजार आदमी को रिलीज कियाकृं 500 रुपये में बेच दिया 2000 आदमियों का ही विधान सभा में थी। तीन साल में किसी भीकृं ये नहीं कि हजार की जगह पंद्रह सौ कर दें या दो हजार कर दें। पैसे नहीं हैं। सिरे से हो कि भई, इतने आदमियों को हमने पेन्शन देने हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर भी गौर किया जाये।

v/; {k egkn; % नहीं, विधवा पेन्शन तो अनलिमिटेड है, कितने फॉर्म भरिये आप।

माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण 462  
पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

19 मार्च, 2018

...(व्यवधान)

v/; {k egkn; % हॉ।

Jh txnh'k izkku% नहीं, विधवा की नहीं कह रहा जी, साठ साल  
तक।

v/; {k egkn; % तो पिछली बार आपका कोटा आया होगा।

Jh txnh'k izkku% नहीं, कोटा तो हुआ है कि जो किसी की डेथ  
होगी, किसी की दूसरे जगह, नया कोई नहीं आया है सर।

...(व्यवधान)

v/; {k egkn; % ओल्ड एज पेन्शन का सब में, विधान सभाकृ

Jh txnh'k izkku% सबमें नहीं आया।

...(व्यवधान)

Jh txnh'k izkku% जो जहॉ जितने गांव में, वो एक्सपायर हो गये  
या किसी दूसरे जगह चले गये हों या कट गयी है, उनकी जगह कभी  
नहीं मिली सर।

v/; {k egkn; % मिले ओल्ड एज पेन्शन। देखिए, एक बार समझ लिया,  
कहीं गलती है या तो मेरे से आप आफिस में मिल लेना। हॉ, जैसा आपने  
जो जानकारी दी है, वो ठीक है। हजार, बारह सौ, तेरह सौ जैसी जिसकी  
आबादी थी, दिल्ली सरकार ने पिछले साल उनको ओल्ड एज पेन्शन का  
कोटा दिया और ऑन लाईन फार्म भरे गये हैं। हो सकता है आपने नहीं  
भरा हो, बाकी हो।

माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण 463  
पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

28 फाल्गुन, 1939 (शक)

Jh txnh'k izku% सर, भरवाये हैं।

v/; {k egkn; % हैं।

Jh txnh'k izku% मान लिया दो सौ आदमी एक्सपॉयर हो गये या  
कहीं चले गये।

v/; {k egkn; % ना, ना, ऐसा कुछ नहीं। किसी में भी भर सकते हो  
आप। नहीं, वो वो सबके भरे गये हैं। पूरी दिल्ली में भरे गये हैं। एक  
लाख में से लगभग 90 हजार पेन्शन चालू हो चुके हैं।

Jh txnh'k izku% और सर, आपने बोलने का मुझे मौका दिया, उसके  
लिए आपको बहुत धन्यवाद।

v/; {k egkn; % बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज की जो मेरे पास सूची  
आयी थी, उसमें श्री सौरभ भारद्वाज जी, श्री सोमनाथ भारती जी, श्री अजय  
दत्त जी का नाम बाद आया था। जगदीप जी, राजू धिंगान जी, पंकज  
पुष्कर जी, सुश्री राखी बिड़ला जी, दिनेश मोहनिया जी। ये नाम कल पहले  
सूची में होंगे और चर्चा ये निरंतर चलेगी तो कल भी चलेगी, मंगलवार,  
बुधवार, वीरवार। मैं समझता हूँ सभी सदस्यों को, वीरवार तक है। कल भी  
है।

I fpo 1fo/kku I Hkk% सर, बजट कल है।

v/; {k egkn; % चलिये। 22 को, बजट तो 22 को पेश होगा न।

I fpo 1fo/kku I Hkk% आउटकम बजट।

माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण 464  
पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

19 मार्च, 2018

v/; {k egkn; % आउटकम बजट। करते हैं, इसको करते हैं।

...(व्यवधान)

v/; {k egkn; % हॉ माननीय मंत्री जी, कुछ कहना चाह रहे हैं।

LokLF; ea-% मैं बस दो ही छोटी छोटी चीजें बताना चाहता हूँ। एक तो जो ओल्ड एज पेन्शन है, एक लाख नई पेन्शन, जो पहले मिल रही थी, उसके अलावा सभी विधायकों को क्षेत्रवार दी गयी थी। मुझे लगता है माननीय विधायक जी के कुछकृ. अंदर गलती क्या रही होगी, उनके अकाउन्ट्स होल्डर भाग गयी होंगी सारी, उन्हें पता नहीं लगा होगा। तो इनके एरिया में कम से कम डेढ़ हजार पेंशन नई लगी थी कम से कम। मेरे को याद नहीं है। हर एरिये में आबादी के हिसाब दी गयी थी। बारह सौ से लेकर चौबीस सौ पेंशन नई लगायी थी। एक लाख पेन्शन लगाया था।

दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि विडो पेन्शन की कोई लिमिट नहीं है। आप रोज भर सकते हैं, कोई भी आपके पास आये, उसके भर सकते हैं, आपको अलाउड है, दो। तीसरी बात माननीय विधायक जी ने कहा कि पांच सौ इसके पुराने लगे हैं।

...(व्यवधान)

v/; {k egkn; % एक सेकेंड भाई।

LokLF; ea-% पांच सौ नये स्कूल बनाने की बात कही थी। देखियेगा एक स्कूल जो नया बनाते हैं, लगभग 25 कमरे होते हैं। दिल्ली सरकार

माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण 465  
पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

28 फाल्गुन, 1939 (शक)

ने 6400 कमरे बिल्कुल बनाके तैयार कर दिये हैं। उसके हिसाब से 256 स्कूल नये बन गये हैं। 256 स्कूलों के बराबर इन्फ्रास्ट्रक्चर हम बना चुके हैं। अगर डबल शिपिटिंग माने तो 512 तो हो चुके हैं। परंतु हम उसको डबल शिपट नहीं मान रहे हैं, सिंगल शिपट मान रहे हैं। अगले आने वाले दो साल के अंदर इससे ज्यादा कमरे और बना देंगे तो पाँच सौ से ज्यादा स्कूलों का हम इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार कर देंगे। साथ साथ नये स्कूल भी। बिल्कुल, ये कहते हैं बिल्कुल नये बनाओ, अब खुद ही बता रहे हैं कि इनके एरिये के, नयी जगह तो है नहीं। है वो 72 क्लास रूम भी बनते जो नये बनने हों। 72 क्लासरूम का मतलब तीन नये स्कूल बन गये। अगर इस तरह न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। हम ना, तेल के चक्कर में नहीं पड़ेंगे और नचा लेंगे, हम काम कर देंगे, काम करने आये हैं, धन्यवाद।

v/; {k egkn; % धन्यवाद।

LokLF; ea-h% आपने बिल्डिंगें बना रखी हैं, तो बता देना कौन कौन से हैं।

...(व्यवधान)

v/; {k egkn; % चलिये, माननीय सदस्यों को एक जानकारी दे रहा हूँ जिसकी मुझे प्रसन्नता भी हो रही है। आदर्श शास्त्री जी यहाँ हैं भी नहीं, उन्होंने मुझको लिख के भी दिया था। विधान सभा की सामान्य प्रयोजन समिति, जनरल परपज कमेटी, जिसका मैं स्वयं अध्यक्ष भी हूँ, की सिफारिश के उपरांत विधान सभा के सदन में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री लाल बहादुर शास्त्री जी तथा भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डाक्टर ए.पी.जे. अब्दुल

माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण 466  
पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

19 मार्च, 2018

कलाम के चित्र लगाने का निर्णय लिया। ये शुभ कार्य 15 अगस्त, 2018 से पहले संपन्न किया जायेगा। ये मैं सदन की जानकारी में देना चाह रहा हूँ। ये जो जगह मेरे पास लकिली खाली हैं, लाला लाजपत राय जी के साथ, मेरे सामने टक्कर में और इधर भीमराव अंबेडकर जी के साथ सामने टक्कर में। एक ओर अब्दुल कलाम जी का और एक ओर लाल बहादुर शास्त्री का। तो ये दोनों के चित्र मैं सदन की जानकारी में देना चाह रहा था और सदन की इस पर सहमति भी चाह रहा हूँ।

(सभी माननीय सदस्यों ने मेज थपथपाकर सहमति दी।)

v/; {k egkn; % बहुत बहुत धन्यवाद। अब कल दो बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।

(सदन की कार्यवाही 20 मार्च, 2018 अपराह्न 2.00 बजे तक  
के लिए स्थगित की गई।)

---

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्स, 2266/41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।

---